दश माला, खंड 35, अंक 7

मंगलवार, 29 जुलाई, 2003
7 श्रावण, 1925 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

तेरहवां सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

PARLIAMENT LIBRARY
No. 55
Date....26/3/07

(खण्ड 35 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा० (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

शारदा प्रसाद
प्रधान मुख्य सम्पादक

विद्या सागर शर्मा
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

विजय कुमार कौशिक
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 35, तेरहवां सत्र, 2003/1925 (शक)]

अंक 7, मंगलवार, 29 जुलाई, 2003/7 श्रावण, 1925 (शक)

विषय	कॉलम
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	
ताज हैरिटेज कोरिडोर	1-7
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 122 से 125	7-21
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 121 और 126 से 140	22-83
अतारांकित प्रश्न संख्या 1162 से 1271 और 1273 से 1277	83-311
सभा पटल पर रखे गए पत्र	311-315
रक्षा संबंधी स्थायी समिति	
विवरण	315
वक्फ बोर्डों के कार्यकरण के बारे में संयुक्त संसदीय समिति	
सातवां और आठवां प्रतिवेदन	316
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
अखनूर में सेना शिविर पर आतंकवादियों द्वारा हमले की घटना	
श्री जार्ज फर्नान्डीज	317-321
सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित	
(एक) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक	321
(दो) कारखाना (संशोधन) विधेयक	322
नियम 377 के अधीन मामले	
(एक) चंडीगढ़ में स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान में बाह्य रोगियों और सामान्य वार्ड के रोगियों से चिकित्सा शुल्क न लिए जाने की आवश्यकता	
श्री सुरेश चन्देल	324
(दो) झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी पर दुलमी घाट और पश्चिम बंगाल में डेंग डांग घाट के बीच पुल का निर्माण कराए जाने की आवश्यकता	
श्री राम टहल चौधरी	325

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
(तीन) देश में खाद्य प्रौद्योगिकी में डिग्रीधारकों को रोजगार के समुचित अवसर उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्री पुन्नू लाल मोहले	326
(चार) गुजरात के भरूच में अतिरिक्त रेलवे कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता	
श्री मनसुखभाई डी० वसावा	326
(पांच) पोत परिवहन उद्योग को वित्तीय संकट से बचाने के लिए पुराने जलयानों पर लगाए गए सीमा शुल्क को वापस लिए जाने की आवश्यकता	
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा	327
(छह) वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की दुर्गापुर में खुले मुहाने वाली खानों में निधियों के दुर्विनियोजन की सी.बी.आई. से जांच कराए जाने की आवश्यकता	
श्री नरेश पुगलिया	327
(सात) कर्नाटक में मैसूर रेशम बुनाई फैक्टरी का पुनरुद्धार करने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार	328
(आठ) मंगनवां (मध्य प्रदेश) और इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश) के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 के उचित अनुरक्षण के लिए मध्यप्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्री सुन्दर लाल तिवारी	329
(नौ) त्रिपुरा से रियांग शरणार्थियों को वापस मिजोरम भेजे जाने की आवश्यकता	
श्री खगेन दास	329
(दस) आंध्र प्रदेश में चमड़ा उद्योग पार्कों का विकास करने के लिए राज्य सरकार की परियोजना को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता	
श्री के०ई० कृष्णमूर्ति	330
(ग्यारह) आम की विभिन्न किस्मों के संवर्धन और उसके निर्यात को बढ़ाने के लिए 'आम बोर्ड' की स्थापना किए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती रीना चौधरी	330

विषय	कॉलम
(बारह) महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के अमरावती जिले में एफ.एम. रेडियो स्टेशन की स्थापना का कार्य शीघ्र शुरू कराए जाने की आवश्यकता	
श्री अनंत गुढे	330
(तेरह) पर्यटन को बढ़ावा दिए जाने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के बुन्देलखंड क्षेत्र के महोबा जिले में चन्देल वंश के ऐतिहासिक तालाबों का विकास किए जाने की आवश्यकता	
श्री अशोक कुमार सिंह चंदेल	331
(चौदह) महाराष्ट्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र में मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए केन्द्र के आरक्षण कोटा के निरस्त किए जाने के महाराष्ट्र सरकार के निर्णय को चुनौती देने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय में दायर की गई याचिका को वापस लिए जाने की आवश्यकता	
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक	332
(पंद्रह) बिहार में कोईलवर—नजीमाबाद दरिहत-डिहरी ऑन-सोन सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता	
श्री राम प्रसाद सिंह	332-334

लोक सभा

मंगलवार, 29 जुलाई, 2003/7 श्रावण, 1925 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

[हिन्दी]

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

ताज हैरिटेज कोरिडोर

(व्यवधान)

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल (हमीरपुर, उ.प्र.) : मान्यवर, हमारा ऐडजर्नमैंट मोशन का नोटिस है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्लीज़ अभी बैठिए। मैं राशिद अलवी जी को सुनना चाहता हूं। राशिद जी, आप बोलिए।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र) : अध्यक्ष जी, मुझे मुम्बई की घटना के बारे में कुछ कहना है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री राशिद अलवी को बोलने की अनुमति दी है।

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी (अमरोहा) : अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत धन्यवाद। मेरा ऐडजर्नमैंट मोशन है। ताज कॉरिडोर के बारे में इस हाउस के अंदर चार-पांच दिन पहले बहुत डिटेल में बहस हुई थी। मैंने उस दिन भी कहा था कि बगैर सच्चाई जाने, बगैर फैक्ट्स जाने, इस हाउस के अंदर इस मुद्दे पर बहस हो रही है। आज फिर वही कहने के लिए मैंने ऐडजर्नमैंट मोशन दिया है कि ताज कॉरिडोर के मामले में उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री, बहन मायावती जी ने प्रधान मंत्री जी को एक चिट्ठी लिखी है। उस चिट्ठी की कापी मेरे पास है। उस चिट्ठी में लिखा है कि स्वयं उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री ने उस काम को रुकवा दिया था और उसकी इन्क्वारी सैट-अप कर दी। इस चिट्ठी के अंदर मुख्य मंत्री ने लिखा है कि 3 दिसम्बर, 2002 से यह काम हो रहा है। इस काम को होते हुए तकरीबन आठ महीने हो गए हैं। जगमोहन जी ने सदन में जो भाषण दिया था, उस दिन सारे लोग तारीफ करने में लगे थे कि जगमोहन जी ने काम रुकवा दिया, जगमोहन जी आन दी स्पॉट गए थे और उनको बधाई देने का काम कर रहे थे। यह इम्प्रैशन जगमोहन जी ने पूरे देश में दिया और लोक सभा को मिसलीड करने का काम किया कि इस कार्यवाही को उन्होंने रोकने का काम किया।...*(व्यवधान)* पूरे हाउस के अंदर समाजवादी पार्टी के...*(व्यवधान)* आप जरा खामोशी के साथ सुनिए, उसके बाद बोलिए। जो स्थिति आपकी है, वह सबको मालूम है।...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी (देवरिया) : क्या स्थिति है, आप ही बताइए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्लीज़ बैठिए। मैंने उनको बोलने की इजाजत दी है।

(व्यवधान)

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी : अध्यक्ष महोदय, ताज कॉरिडोर के बारे में इनका ऐडजर्नमैंट मोशन है। ये कह रहे हैं कि आपकी स्थिति सबको मालूम है, इस बात का क्या मतलब है?...*(व्यवधान)*

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल : अध्यक्ष महोदय, आपने अल्वी साहब को बोलने की अनुमति दी है, इनको नहीं दी है। अगर अल्वी साहब के बोलने पर टीका-टिप्पणी की जाएगी तो हम इन्हें कभी बोलने नहीं देंगे।...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : अध्यक्ष महोदय, आपने अनुमति दी है, इसलिए हमने नहीं टोका।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्लीज़ बैठिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने अनुमति दी है, आप बोलिए। लेकिन यह बात ध्यान में रखिए कि मुझे प्रश्नकाल शुरू करना है। उस दिन सदन में प्रधान मंत्री जी ने भी यही कहा था कि किसी भी हालत में प्रश्नकाल होना चाहिए। मैं प्रश्नकाल की तरफ जाना चाहता हूं लेकिन आपकी

भूमिका सुनने के लिए मैंने आपको बोलने का समय दिया है। आप जल्दी पूरा कीजिए।

श्री राशिद अलवी : मुझे बोलने दिया जाए।

डिप्टी प्राइम मिनिस्टर यहां मौजूद हैं। मैं इनकी बेइन्तहा इज्जत करता हूं। हम उनके खिलाफ कुछ भी कहने को तैयार नहीं हैं लेकिन मैं कहूंगा कि आप पहले मेरी बात सुनने का काम करें। 3 दिसम्बर से यह काम आगरा के अंदर हो रहा था, ...*(व्यवधान)* जब जगमोहन साहब का डिपार्टमेंट आगरा के अंदर मौजूद है, जगमोहन साहब के मंत्रालय का ऑफिस ताजमहल की प्रेमिसेज के अंदर मौजूद है और 8 महीने तक यह काम वहां होता रहा, तब जगमोहन साहब के कान पर जूं नहीं रेंगी।...*(व्यवधान)* लेकिन जब पार्लियामेंट के अंदर यह मसला आया तो जगमोहन साहब ने पूरे देश को यह इम्प्रैशन देने का काम किया कि यह काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने नहीं रोका है, यह काम जगमोहन साहब ने रोका है।...*(व्यवधान)* सिर्फ एक चिट्ठी मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। यह जगमोहन जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने लिखा है कि :

[अनुवाद]

"प्रिय सुश्री मायावती,

मैंने ताज हैरिटेज कॉरिडोर के संबंध में आपके दिनांक 21 और 22 जुलाई के पत्रों के उत्तर दे दिए हैं।"

[हिन्दी]

यह 10 जुलाई की चिट्ठी है और उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री जी की 21 जून की चिट्ठी का जवाब है जिसमें उन्होंने लिखा है कि :

[अनुवाद]

"हमें यह नोट करके प्रसन्नता हुई है कि आपने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं ताकि काम रुकवाने के लिए अनुदेश जारी कर दिए हैं। हम आपके इस निर्णय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं।"

[हिन्दी]

इतना ही नहीं, जो प्रैस नोट जगमोहन जी ने जारी किया है, उसे भी मैं इस हाउस में पढ़कर सुनाना चाहता हूं :

[अनुवाद]

"मुझे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एक भाग में यह रिपोर्ट देखकर आश्चर्य हुआ है जिसमें कहा गया है कि मैंने उत्तर प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया है। ताज हैरिटेज कॉरिडोर परियोजना के संबंध में यह रिपोर्ट गलत और अनुचित है।"

[हिन्दी]

यह जगमोहन जी की प्रैस रिलीज है जिसमें जगमोहन जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार काबिल-ए-तारीफ है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने काम बंद करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने इंक्वायरी कराने का काम किया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब समाप्त करें।

श्री राशिद अलवी : इस चिट्ठी में जगमोहन जी ने कहा है :

[अनुवाद]

"इसके विपरीत, मैं इस बात पर संतोष व्यक्त करता हूं..."

[हिन्दी]

"मैं इस बात पर संतोष व्यक्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्माण कार्य रुकवाने के आदेश दिए और जांच शुरू कार्रवाई।"

[हिन्दी]

ये वे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके खिलाफ जगमोहन साहब ने इस हाउस को मिसलीड करने का काम किया है। इसलिए मेरी पार्टी और हमारा सबका मुतालबा है कि जब जगमोहन जी ने एक भी आदमी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की है, 8 महीने तक यह काम होता रहा लेकिन जगमोहन जी ने किसी एक भी मामूली आदमी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की है।...*(व्यवधान)* जो भी कार्रवाई की है, वह उत्तर प्रदेश की सरकार ने की है। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : राशिद जी, प्रश्न महत्वपूर्ण है, इस विषय पर आप ज़ीरो ऑवर में चर्चा कर सकते हैं। यह एडजर्नमेंट मोशन का विषय कैसे बन सकता है?

(व्यवधान)

श्री राशिद अलवी : हम मुतालबा करते हैं कि जगमोहन जी के खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। जगमोहन जी को डिसमिस करना चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप जो चाहें, मांग कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री राशिद अलवी : जगमोहन जी को मंत्रालय से हटाना चाहिए और उनके खिलाफ इंक्वायरी करके उनको सजा देनी चाहिए। यह हमारी पार्टी का मुतालबा है।...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.08 बजे

इस समय श्री सुरेश पासी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे प्रश्न काल के निलम्बन के लिए सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिन्हें मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूं। मैं उन सभी को अस्वीकार करता हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं इस विषय पर चर्चा देने को तैयार हूं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं स्थगन प्रस्ताव के लिए सूचना स्वीकार नहीं कर सकता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रश्न काल के निलम्बन के लिए तथा प्रस्ताव के लिए प्राप्त सभी सूचनाओं को अस्वीकार करता हूं। मैं स्थगन प्रस्ताव के लिए इन सूचनाओं को स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि ये नियमों के भीतर नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : देखिए, इस विषय पर आप डिस्कशन मांग सकते हैं, मंत्री जी को बर्खास्त करने की मांग करना गलत है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इस सदन के अच्छे सदस्य रहे हैं। आप कभी गड़बड़ी करने वाले नहीं हैं इसलिए आप अपनी सीट्स पर जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी उत्तर देना चाहते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : राशिद जी, मंत्री जी उत्तर देने को तैयार हैं, फिर ऐसा करने की जरूरत नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपकी पार्टी ने जो मामला उठाया है, मंत्री जी उस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहते थे। फिर आपको ऐसा करने का अधिकार नहीं है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर चले जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रश्न काल पर आता हूं प्रश्न संख्या 121, श्री प्रियरंजन दासमुंशी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री दासमुंशी, यह आपका प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, प्रश्न काल किस तरह चल सकता है?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रश्न पूछिए, अन्यथा मैं अगले प्रश्न पर आ जाऊंगा।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : जब तक सभा में व्यवस्था नहीं रहती मैं तब तक प्रश्न काल किस तरह शुरू हो सकता है?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 122, श्री चन्द्र विजय सिंह।

पूर्वाह्न 11.12 बजे

[अनुवाद]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

राष्ट्रीय आपराधिक सूचना प्रणाली

*122. **श्री चन्द्र विजय सिंह** : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छप्पन करोड़ रुपए से अधिक धनराशि के निवेश के बावजूद भी अनेक राज्य अभी तक राष्ट्रीय सूचना प्रणाली से संबंधित अवसंरचना स्थापित नहीं कर पाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कौन-कौन से राज्य अवसंरचना की स्थापना करने में विफल रहे हैं;

(ग) आज की तिथि के अनुसार इन पर कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(घ) क्या सरकार ने उक्त राष्ट्रीय आपराधिक सूचना प्रणाली योजना क्रियान्वित करने हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना को क्रियान्वित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (ङ) तक एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (ग) हार्डवेयर मुहैया कराने, साफ्टवेयन और अन्य आधारभूत सुविधाओं के विकास और उन्नयन के लिए राष्ट्रीय आपराधिक सूचना प्रणाली (सी.सी.आई.एस.) पर 56,97,17,354.69 रु. की राशि खर्च की गई है और सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को अपेक्षित आधारभूत सुविधाओं से लैस कर दिया गया है।

(घ) सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को जून 2004 तक राष्ट्रीय आपराधिक सूचना प्रणाली का सम्भावित प्रयोग के लिए इसे जिलों और राज्य मुख्यालयों में कार्यान्वित करने की सलाह दी गई है।

(ङ) प्रशिक्षित पुलिस कार्मिकों का अभाव, डाटाबेस के बहुमुखी प्रयोग के लिए विश्लेषक उपकरणों का अभाव, साफ्टवेयर में बहुभाषी विशेषताओं की अनुपलब्धता और पुलिस स्टेशन स्तर पर कम्प्यूटराईजेशन करने की आवश्यकता होना कुछेक ऐसे कारण हैं जो इसके कार्यान्वियन में विलम्ब के लिए जिम्मेवार हैं।

श्री चन्द्र विजय सिंह : महोदय, माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में यह बात मानी है कि राष्ट्रीय आपराधिक सूचना प्रणाली (सी.सी. आई.एल.) पर 56 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं और उन्हांने कहा कि सभी राज्यों में वांछित आधारभूत ढांचा उपलब्ध है... *(व्यवधान)*

गृह मंत्रालय की 2002-2003 की वार्षिक रिपोर्ट के पृष्ठ 85 में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि 32 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों तथा 738 पुलिस जिलों में सी.सी.आई.एस. परियोजना कार्य कर रही है...*(व्यवधान)* इसमें यह भी कहा गया है कि राज्य तथा जिला स्तरों पर 343 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए तथा देशभर में 12,962 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : टी.वी. प्रसारण बंद किया जाए।

[अनुवाद]

श्री चन्द्र विजय सिंह : मेरा प्रश्न यह है कि क्या यह प्रणाली अरब से अधिक जनसंख्या वाले राष्ट्र के लिए पर्याप्त है? जून, 2004 तक इस योजना को क्रियान्वित करने हेतु, राज्यों को सलाह देने के अलावा इस प्रणाली को जून, 2004 तक क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वे जवाब दें। स्वामी जी आप जवाब दें।

[अनुवाद]

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : महोदय, अधिकांश स्थानों पर राष्ट्रीय आपराधिक सूचना प्रणाली अधिष्ठापित की गई है...*(व्यवधान)* जिला मुख्यालय में इसे पहले ही अधिष्ठापित किया जा चुका है और पूरा किया जा चुका है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कोई नारा सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

*(व्यवधान)**

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : यह राज्यों में पहले से कार्य कर रही है।...*(व्यवधान)* अनेक राज्यों ने हार्डवेयर, साफ्टवेयर के विकास और उन्नयन तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं के लिए केन्द्र सरकार के खर्च पर अपने पुलिस स्टेशनों को कम्प्यूटरीकृत किया है ...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्र विजय सिंह : महोदय, माननीय मंत्री ने विलंब का एक कारण प्रशिक्षित पुलिस कर्मियों का अभाव बताया है...*(व्यवधान)* भारत में, काम के अत्यधिक दबाव में क्या वे इस प्रणाली को प्रभावी रूप से चलाने हेतु प्रशिक्षित कार्मिकों का एक पृथक संवर्ग बनाने पर विचार करेंगे?...*(व्यवधान)* यदि हां, तो यह संवर्ग कब तक बनेगा क्योंकि पुलिस कार्मिकों के लिए कम्प्यूटर संचालन तथा पुलिस की नौकरी करने जैसे दोनों कार्य करना कठिन हो जाएगा?...*(व्यवधान)*

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : महोदय, एक पृथक संवर्ग बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वस्तुतः पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षित करने की योजना है और पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षित भी किया जा रहा है ...*(व्यवधान)* जैसे ही वे प्रशिक्षित होंगे, वे बेहतर रूप से इस प्रणाली पर कार्य करने की स्थिति में होंगे...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री मधुसूदन मिस्त्री...

(व्यवधान)

श्री मधुसूदन मिस्त्री : महोदय, इस तरह से अनुपूरक प्रश्न पूछना बहुत कठिन है...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपको जो प्रश्न पूछना है, पूछिये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, यह उचित नहीं है। हम इस तरह से अपने अनुपूरक प्रश्न नहीं रख पा रहे हैं...*(व्यवधान)* जब हम कुछ सुन नहीं सकते तो हम किस तरह से अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, यह उचित नहीं है...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, सदस्य इस तरह से कैसे अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं? आप कृपया पहले सभा में व्यवस्था कायम कीजिए ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : प्लीज, आप अपनी-अपनी जगहों पर जाइये। आपने जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर मंत्री जी देना चाहते हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, सभा में व्यवस्था कायम किए बिना, हम किस तरह से अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब सभा पूर्वाह्न 11.45 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.18 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा पूर्वाह्न 11.45 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पूर्वाह्न 11.45 बजे

लोक सभा पूर्वाह्न 11.45 बजे पुन: समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.45½ बजे

इस समय श्री सुरेश पासी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर वापस जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रश्नकाल शुरू कर रहा हूं। प्रश्न संख्या 122 — श्री चन्द्र विजय सिंह जी ने प्रश्न पूछ लिए हैं। श्री मधुसूदन मिस्त्री प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। इसलिए मैं अगले प्रश्न पर जा रहा हूं। प्रश्न संख्या 123 — श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : केवल प्रश्नकाल रिकार्ड पर जाएगा।

*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सतर्कता और निगरानी समितियां

*123. **श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी : क्या ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने हेतु जिला स्तरीय सतर्कता और निगरानी समितियों में संसद सदस्यों को अध्यक्ष नामित किया है;

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को संसद सदस्यों से कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि जिलाधीशों द्वारा उनके नामांकन को उपयुक्त महत्व नहीं दिया जा रहा है और उनके द्वारा बैठकें आयोजित नहीं की जा रही हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा ऐसे जिलाधीशों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

सरकार ने ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियों के अध्यक्षों के रूप में संसद सदस्यों को नामित किया है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय को सतर्कता एवं निगरानी समितियों की बैठकें करने के लिए जिला प्राधिकारियों द्वारा सहयोग न करने के संबंध में संसद सदस्यों से कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन शिकायतों में बैठकें कराने में जिलाधीशों द्वारा सहयोग न करना, जिलों के अधिकारियों द्वारा राज्य सरकार से अनुदेश प्राप्त न करना, सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठकें करने के लिए कार्यालय स्थान तथा स्टाफ की कमी आदि शामिल है।

ऐसे सभी मामलों में, मंत्रालय ने संबंधित जिलाधीशों तथा राज्य सरकारों को समिति की नियमित बैठकें कराने में पूरा सहयोग तथा सहायता देने की सलाह दी है और संबंधित प्राधिकारियों से की गई कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी है। कुछ जिलाधीशों ने बताया है कि वे गैर-सरकारी सदस्यों सहित समिति के सभी सदस्यों के पूर्ण नामांकन के अभाव में बैठकें नहीं कर सके। अनेक अवसरों पर राज्य सरकार तथा जिला प्राधिकारियों को अनुदेश दिए गए हैं। ग्रामीण विकास मंत्री ने सभी संबंधितों को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अनुदेश जारी करने हेतु 30.6.2003 को व्यक्तिगत रूप से सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है कि पुनर्गठित समितियां शीघ्र ही नियमित बैठकें करें तथा प्रभावी और परिणामोन्मुख तरीके से अपने कार्यों को करें।

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी : महोदय, सदस्यों द्वारा संसद में तथा अपने-अपने पार्टी कार्यालयों में काफी शोरगुल करने के बाद वर्तमान सरकार ने हमें जिला स्तरीय सतर्कता और निगरानी समितियों का अध्यक्ष नियुक्त करने की कृपा की है...*(व्यवधान)* लेकिन महोदय, यह कहते हुए खेद हो रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने 200 वर्ष हम पर शासन किया और यहां से जाते समय वे हमारे देश में दो चीजे भूल गए – एक अंग्रेजी भाषा और दूसरा, नौकरशाह। महोदय, नौकरशाही से उबरना बहुत कठिन है...*(व्यवधान)* वे मंत्रालय द्वारा जारी किए गए अनुदेशों की परवाह नहीं करते हैं। हमारे लिए, केवल यही एक स्थान है जहां पर हम प्रार्थना कर सकते हैं...*(व्यवधान)* कलैक्टर बैठक कराने में इच्छुक नहीं होते हैं और ऐसी बैठकें कराने हेतु कोई भी अनुदेश लेने से मना कर देते हैं। क्या आपने इस संबंध में कलैक्टर को कोई अनुदेश दिया है?...*(व्यवधान)*

श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील : महोदय, हमारे ग्रामीण विकास मंत्रालय ने संबंधित राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों तथा मुख्य सचिवों को अनुदेश जारी किए हैं। तदनुसार, वे जिलाधीशों को पहले ही अनुदेश दे चुके हैं...*(व्यवधान)*

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी : क्या मंत्री महोदय हमें उन कलैक्टरों अथवा अधिकारियों की सेवा रिपोर्ट में लिखने का कोई अधिकार देंगे जो अपना काम उचित रूप से नहीं कर रहे हैं?...*(व्यवधान)* यदि आप संसद सदस्य को कोई शक्ति देते हैं तो मेरे विचार से ये बैठकें समुचित रूप से आयोजित होंगी...*(व्यवधान)* इसलिए, मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि हमें जिले में अधिकार दिए जाएं ताकि यदि उनका काम संतोषजनक न हो तो हम उनकी सेवा रिपार्ट में यह दर्ज कर सकें।

श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील : हम सदस्यों तथा राज्य सरकारों दोनों को मार्गनिदेश दे चुके हैं...*(व्यवधान)* अधिकारियों, संसद सदस्यों तथा समिति के सदस्यों के सभी अधिकारों तथा कर्त्तव्यों का हमारे मार्गनिर्देश में विस्तार से उल्लेख किया गया है...*(व्यवधान)* अत:, मेरे विचार से, मार्गनिर्देश के अनुसार प्रत्येक जिलाधीश को बैठक करनी चाहिए तथा समिति के अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा यथा वांछित कार्य पूरा करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री सुरेश रामराव जाधव : अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार ने ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के लिए जिला स्तरीय सतर्कता और निगरानी समिति में संसद सदस्यों के अध्यक्ष नामित करने के आदेश दिए थे...*(व्यवधान)* लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार के इस निर्णय के खिलाफ स्थगन आदेश दे दिए।...*(व्यवधान)* इससे सरकार का यह निर्णय अधर में लटक गया है।...*(व्यवधान)* मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने जिला स्तरीय सतर्कता और निगरानी समितियों में अध्यक्ष के रूप में संसद सदस्यों के नामांकन पर शीघ्र कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए तथा उनकी सिफारिशों को अमल में लाने के लिए क्या कार्रवाई की है?...*(व्यवधान)*

श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकारों को इस बारे में इनस्ट्रक्शन्स दे दी गई हैं।...*(व्यवधान)* रूरल डेवलपमैंट मिनिस्टर ने चीफ मिनिस्टर्स और चीफ सैक्रेटरीज को इस बारे में सूचना दी है।...*(व्यवधान)* कई मीटिंग्स भी हुई हैं और उन्होंने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माने जी, मैं बोल रहा हूं। आप बैठिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप माननीय मंत्री श्री जगमोहन के त्यागपत्र की मांग कर रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी : अध्यक्ष महोदय, जगमोहन जी को बर्खास्त किया जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, यह हमारा मुतालबा है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात समझ सकता हूं लेकिन आप यह बात उपप्रधान मंत्री जी से कर सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कौन सा तरीका है? मुझे आपका यह बीहेवियर बिल्कुल पसन्द नहीं है। वैल में आने की कोई जरूरत नहीं है। आप सब को अपनी-अपनी जगह पर वापस जाना चाहिए। मैं फिर कहता हूं कि यह अच्छी बात नहीं है और यह आपकी पार्टी को शोभा नहीं देता। इससे आपकी पार्टी का नाम खराब होता है। आप सरकार की सहयोगी पार्टी हैं, इस बारे में सरकार के साथ बैठ कर चर्चा

कर सकते हैं। पूरे सदन का काम रोकने का यह तरीका बिल्कुल गलत है। मैं इसे कंडैम करता हूं। आप सब अपनी-अपनी सीटों पर जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री आदि शंकर : तमिलनाडु में अधिकांश जिलाधीशों ने निगरानी समिति की बैठकें आयोजित नहीं की हैं। मैं ग्रामीण विकास संबंधी परामर्शदायी समिति का सदस्य हूं।

मैंने जिला कलैक्टर के खिलाफ अनेक शिकायतें की हैं। मैं समिति का सदस्य हूं और मैंने राज्य डी.आर.डी.ए. की भी शिकायत की है ...*(व्यवधान)* अब तक केन्द्र सरकार द्वारा जारी परिपत्र का अनुपालन न करने के लिए उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है। नागापट्टिनम, तिरूवरूर और कांचीपुरम के मामले में भी मेरे सहयोगियों, माननीय सदस्यों ने कलैक्टरों की शिकायतें की हैं कि वे बैठक आयोजित नहीं कर रहे हैं...*(व्यवधान)* जिला कलैक्टर समिति का सदस्य-सचिव है और बैठकें आयोजित करवाना उसकी जिम्मेदारी है लेकिन अभी तक उन्होंने बैठकों की तारीख नियुक्ति संबंधी आदेश भी जारी नहीं किए हैं। इसलिए, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जो केन्द्र सरकार के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री काशीराम राणा) : महोदय, मेरे मंत्रालय को संसद सदस्यों से अभी तक 16 शिकायतें प्राप्त हुई हैं...*(व्यवधान)* हमें जब भी संसद सदस्यों से शिकायतें प्राप्त होती हैं, हम तत्काल राज्य सरकार तथा संबंधित प्राधिकारियों का ध्यान शिकायत की ओर दिलाने तथा उसका समाधान करने की कोशिश करते हैं। सामान्यतः, जब कभी शिकायतें प्राप्त होती हैं, हमारे अधिकारी राज्य सरकारों के साथ समस्याओं का समाधान करने की भी कोशिश करते हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उर्वरकों का आयात

*124. **श्री जसवंत सिंह बिश्नोई :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उर्वरकों के संबंध में केन्द्र सरकार की आयात नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) क्या सरकार उर्वरकों के आयात पर प्रतिबंध लगाने का विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन देशों से और कितनी-कितनी मात्रा में उर्वरकों का आयात किया गया?

[अनुवाद]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : (क) से (घ) एक विवरण सभापटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) भारत सरकार की 2002-07 की आयात ओर निर्यात नीति के अनुसार यूरिया को छोड़कर सभी उर्वरकों और उनके कच्चे माल तथा मध्यवर्तियों को असरणीबद्ध कर दिया गया है, जिनका आयात स्वतंत्र रूप से निजी व्यापार खाते में किया जाता है। यूरिया के मामले में, आयात की व्यवस्था मै० एमएमटीसी लि., मै. ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और मै. इंडियन पोटाश लि. नामक राज्य व्यापार उद्यमों (एसटीईएस) द्वारा की जाती है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) गत तीन वर्षों में आयातित यूरिया, डीएपी एवं एमओपी की देशवार मात्रा इस प्रकार है :-

(हजार टन में)

देश	2000-2001	2001-2002	2002-2003
1	2	3	4
बांग्लादेश	–	31	–
सीआईएस	25	178	–
ईरान	–	17	54
कुवैत	–	–	41
लीबिया	–	19	19

1	2	3	4
कतर	—	42	21
रूवाइस	33	75	28
सऊदी अरब	10	43	14
यूएई	—	—	10
कुल	68	405	187

नोट : किसानों में बिक्री करने के लिए वर्ष 2001-02 में 4.05 लाख मी. टन के स्थान पर 2.20 लाख मी. टन यूरिया का आयात सरकार खाते में किया गया। यूरिया की शेष मात्रा मिश्रित उर्वरकों के उत्पादन के लिए थी।

डीएपी

(हजार टन में)

देश	2000-2001	2001-2002	2002-2003*
यू एस ए	325	497	202
सी आई एस	101	21	76
जॉर्डन	275	258	73
मोरक्को	160	108	32
आस्ट्रेलिया	—	49	—
कुल	861	933	383

*अनन्तिम (स्रोत एफ ए आई)

एमओपी

(हजार टन में)

देश	2000-2001	2001-2002	2002-2003*
1	2	3	4
कनाडा	179	175	206
जर्मनी	100	97	1067
इजराइल	401	356	412
जॉर्डन	551	614	446
सीआईएस	1415	1568	1372
कुल	2646	2810	2603

*अनन्तिम (स्रोत : एफ ए आई)

[हिन्दी]

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें ज्ञात है कि खाद के अभाव में किसानों के खेत और उपजाऊ भूमि खराब हो रही है, ...*(व्यवधान)* क्या वह सरकार खाद के उपयोग को बढ़ावा देने के लिये किसानों को अनुदान देने पर विचार कर रही हैं...*(व्यवधान)* क्या सरकार जैविक खाद के उपयोग पर जोर देने का प्रयास कर रही है?

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि किसी भी स्टेट से आज तक खाद की कमी की शिकायत नहीं आई है...*(व्यवधान)* अगर कहीं से कमी की शिकायत आयेगी, तो हम उसे पूरा करेंगे।

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं...*(व्यवधान)* क्या सरकार जैविक खाद या दूसरी खाद के उपयोग को बढ़ावा देने के लिये किसानों को प्रोत्साहित करने की व्यवस्था करेगी...*(व्यवधान)* अगर किसानों को जानकारी नहीं दी जायेगी तो जिस तरह यूरिया से खेती का नुकसान हो रहा है...*(व्यवधान)* किसान हमारा अन्नदाता है, ...*(व्यवधान)* क्या सरकार जैविक खाद के ज्यादा से ज्यादा प्रयोग के लिये किसानों को किसी प्रकार की मदद या अनुदान देने पर विचार कर रही है?

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न खाद के इम्पोर्ट से रिलेटेड है...*(व्यवधान)* फिर मैं कहना चाहूंगा कि हमने कोशिश की है और हम सरकार की तरफ से यूरिया खाद पर सब्सिडी देते हैं। जहां तक दूसरी खाद का सवाल है, उस पर हम कन्सेशन देते हैं ताकि बैलेंस ठीक रहे।

[अनुवाद]

अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी

***125. श्रीमती निवेदिता माने : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में पर्याप्त संख्या में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके कारणों का पता लगाया है;

(ग) क्या देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बुनियादी खेल सुविधाओं का अभाव है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा देश में इस स्तर की बुनियादी खेल सुविधाएं प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) इस पर कितनी राशि व्यय किए जाने की संभावना है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री विक्रम वर्मा) : (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) हालांकि कुछ विकसित देशों की तुलना में भारत के पास उतनी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी नहीं हैं, फिर भी हाल ही के वर्षों में, भारतीय खिलाड़ियों ने कुछेक खेल विधाओं जैसे एथलेटिक्स, निशानेबाजी, टेनिस, बिलियर्डस, कुश्ती, हाकी और शतरंज जैसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी पर्याप्त संख्या में तैयार करने के लिए जो कारक जिम्मेदार हैं, वे हैं— सही वातावरण, प्रेरणा, खानपान संबंधी आदतें, खेल-विधा में प्रवेश के समय आयु, प्रतिस्पर्धात्मक खेलों में सहभागियों की संख्या, खेलों के संवर्धन और अवस्थापना के विकास के लिए वित्तीय संसाधन तथा खेलों और शारीरिक शिक्षा को हमारे शैक्षणिक पाठ्यक्रम में मिलाने की आवश्यकता। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, खिलाड़ियों के प्रदर्शन के स्तर में सुधार लाने के लिए गंभीर तथा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं ताकि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय खेलों के क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने के योग्य बनाया जा सके।

(ग) और (घ) यद्यपि भारत में हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल अवस्थापना अच्छी संख्या में है, फिर भी अतिरिक्त अवस्थापना का विकास करने के अवसर हैं और इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं।

(ङ) अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल अवस्थापना के सृजन के लिए राज्य सरकार आदि से व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त होने पर, भारत सरकार द्वारा (1) खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदान; (2) सिंथेटिक खेल सतहों की स्थापना के लिए अनुदान; तथा (3) विश्वविद्यालयों और कालेजों में खेलों के संवर्धन के लिए अनुदानों की योजनाओं के अंतर्गत, वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(च) सभी खेल अवस्थापना संबंधी योजनाओं के लिए 10वीं योजना में 312.61 करोड़ रु० के कुल परिव्यय, जिसमें उत्तर-पूर्व के लिए प्रावधान शामिल है, के खर्च होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, 10वीं योजना के दौरान, अवस्थापना संबंधी परियोजनाओं के सृजन और उन्नयन पर, भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा 104.46 करोड़ रु०, जिसमें उत्तर-पूर्व के लिए प्रावधान शामिल है, खर्च करने की संभावना भी है।

[हिन्दी]

श्रीमती निवेदिता माने : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने प्रश्न के उत्तर में बताया है कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को सभी बुनियादी सुविधायें दी जा रही हैं, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगी कि जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम, जिसकी गिनती अच्छे अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियमों में की जाती है...*(व्यवधान)* इस स्टेडियम में, कॉमनवैल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम ठहरी है, उसे चार दिन तक पानी नहीं मिला। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तर में वह किन बुनियादी सुविधाओं की बात कर रहे हैं और क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच समिति बनाई है?

श्री विक्रम वर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को खेल सुविधाएं देने के बारे में है ...*(व्यवधान)* जैसा उत्तर में बताया गया है कि इस प्रकार की सुविधायें केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों की ओर से दी जाती हैं...*(व्यवधान)* माननीय सदस्य ने जिस समस्या की तरफ सदन का ध्यान आकृष्ट किया है कि जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में, जो टीम गई थी, उसे पानी उपलबध नहीं हुआ।

मध्याह्न 12.00 बजे

जलबोर्ड के मिस-मैनेजमैंट के कारण वहां पानी समय पर नहीं मिल पाया था, लेकिन तत्काल उसकी व्यवस्थाएं कर दी गई और

दूसरे दिन से समुचित पानी की व्यवस्था हो गई थी। उसके बाद अब वहां किसी प्रकार की कठिनाई नहीं है। कभी कोई तात्कालिक समस्याएं आ जाती हैं, जिनका निराकरण तत्काल कर दिया जाता है।

श्रीमती निवेदिता माने : अध्यक्ष महोदय, यह देखने में आया है कि जब हमारे खिलाड़ी दूसरे देशों में खेलने के लिए जाते हैं तो उन टीमों में खिलाड़ी कम और सरकारी अधिकारी ज्यादा होते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि खेलों के विकास के लिए जो धन आबंटित किया गया है, उसके दुरुपयोग के कितने मामले प्रकाश में आए हैं, उन पर क्या कार्रवाई की गई है और भविष्य में धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं।

श्री विक्रम वर्मा : अध्यक्ष महोदय, जो हमारी टीमें बाहर जाती हैं, तत्सम्बन्धित फैडरेशंस और एसोसिएशंस की तरफ से जो लोग सिलैक्ट किए जाते हैं, उनके नाम टीम में लिए जाते हैं और उन्हें विदेश जाने की अनुमति दी जाती है। फैडरेशंस अपने अधिकारियों को यदि अपने खर्च पर वहां ले जाती हैं तो यह उनकी जिम्मेदारी होती है। ऐसा नहीं है कि खिलाड़ियां से ज्यादा अधिकारी जाते हैं। जितने आवश्यक कोच वगैरह उनके साथ होते हैं, केवल उन्हीं को ज़ाने की अनुमति दी जाती है। यदि पैसे के दुरुपयोग के संबंध में कोई शिकायत आयेगी, तो निश्चित तौर पर उस पर कार्यवाही की जायेगी।

[अनुवाद]

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : महोदय, हमने देशभर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेलकूद बुनियादी ढांचा स्थापित किया है...*(व्यवधान)* लेकिन रखरखाव और देखरेख के अभाव के कारण यह नष्ट हो रहा है ...*(व्यवधान)* इसके लिए-धनराशि का अभाव है...*(व्यवधान)* अत:, मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहती हूं कि क्या माननीय मंत्री देश में खेलकूद संबंधी बुनियादी ढांचे की मरम्मत, रखरखाव और देखभाल के लिए बजट में से पृथक निधि आबंटित करने पर विचार करेंगे ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विक्रम वर्मा : अध्यक्ष महोदय, शोरगुल में मुझे सुनाई नहीं दिया। मैं बाद में माननीय सदस्या को लिखित उत्तर भेज दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

[अनुवाद]

प्रश्नों के लिखित उत्तर

पुरुलिया में हथियार गिराये जाने का मामला

***121. श्री प्रियरंजन दासमुंशी :**
श्री राममोहन गाड्डे :

क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पुरुलिया में हथियार गिराने के मुख्य आरोपी पीटर ब्लीच की रिहाई के संबंध में ब्रिटिश सरकार को कोई आश्वासन दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार किन परिस्थितियों के कारण श्री पीटर ब्लीच को छोड़ने को बाध्य है जबकि प्रमुख आरोपी किम डेवी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) ब्रिटिश सरकार ने अनुरोध किया है लेकिन पीटर ब्लीच की रिहाई के बारे में कोई आश्वासन नहीं दिया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

अवकाश-पद्धति की समीक्षा

***126. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :**
श्री चन्द्रनाथ सिंह :

क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सरकारी अवकाशों की संख्या कम करने के लिए विद्यमान अवकाश-पद्धति की समीक्षा कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या बैंकों के अवकाशों को भी इस समीक्षा के दायरे में लाया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार के प्रशासनिक कार्यालयों में छुट्टी रखे जाने से संबंधित नीति समीक्षाधीन है। इस बारे में विभिन्न विकल्प तलाशे जा रहे हैं और उन पर विचार किया जा रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

साम्प्रदायिक हिंसा

***127. श्री अजय चक्रवर्ती :**
श्री वरकला राधाकृष्णन :

क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत एक वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में हुई साम्प्रदायिक हिंसा का ब्यौरा क्या है;

(ख) साम्प्रदायिक हिंसा की इन घटनाओं के बुनियादी कारण क्या हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने केरल में मराड में साम्प्रदायिक हिंसा के पीड़ितों के पुनर्वास के बारे में केरल सरकार के साथ कोई बातचीत हुई थी और इस घटना के बारे में की जा रही जांच का स्वरुप क्या है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्मयानन्द स्वामी) : (क) और (ख) विगत एक वर्ष (जुलाई 2002-जून 2003) के दौरान देश में हुई साम्प्रदायिक हिंसा के 684 मामले सूचित किए गए हैं। इन घटनाओं के लिए धार्मिक विवाद और एक समुदाय के सदस्यों के द्वारा दूसरे समुदाय के विरुद्ध भड़काऊ कार्रवाई, भूमि/सम्पति विवाद, दो समुदायों के आपराधिक गिरोहों के बीच दुश्मनी तथा वैयक्तिक दुश्मनी आदि सहित अनेक कारणपरक तथ्य जिम्मेदार हैं जो साम्प्रदायिक रूप ले लेते हैं।

(ग) और (घ) जी हां, श्रीमान। गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री आई.डी. स्वामी ने दिनांक 5-6 मई, 2003 को मराड बीच (केरल) के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया तथा केरल के मुख्य मंत्री से विचार-विमर्श भी किया था। विचार-विमर्श के दौरान राज्य सरकार को परामर्श दिया गया कि वे साम्प्रदायिक सदभाव बहाल करने के लिए विश्वास निर्माण उपाय शुरू करें, साम्प्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करें, हिंसा में मारे गए अथवा घायल व्यक्तियों के लिए अनुग्रह राहत मंजूर करें, निवासियों की सम्पत्ति/सामान को हुई हानि या क्षति के लिए क्षतिपूर्ति पर विचार करें। मुख्य मंत्री ने आश्वासन दिया कि इस संबंध में सभी अपेक्षित कदम उठाए जाएंगे। राज्य सरकार ने घटना की न्यायिक जांच के आदेश भी दिए हैं।

धर्म परिवर्तन

***128. श्रीमती श्यामा सिंह :**
श्री अधीर चौधरी :

क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विभिन्न संगठनों से देश के विभिन्न भागों, विशेषकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और नागालैण्ड में धर्म परिवर्तन के विरोध में ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है:

(ग) क्या सरकार ने धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए कोई व्यापक योजना बनायी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार चालू सत्र के दौरान इस संबंध में एक-समान कानून बनाने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्मयानन्द स्वामी) : (क) से (छ) समय-समय पर रिपोर्टें प्राप्त होती रही हैं कि कतिपय संगठन देश के विभिन्न भागों में कथित रूप से दबाव डालकर धार्मान्तरण का विरोध करते हैं। बताया गया है कि हाल ही में विश्व हिन्दू परिषद ने रायपुर, छत्तीसगढ़ में जून, 2003 को आयोजित अपनी गवर्निंग काउंसिल की बैठक में ऐसे धर्मान्तरण को रोकने हेतु एक केन्द्रीय विधायन की मांग की। एक ऐसी ही मांग, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कन्याकुमारी, तमिलनाडु में 5-6 जुलाई, 2003 को आयोजित अपनी अखिल भारतीय

कार्यकारी मंडल बैठक में भी उठाई बताई गई है। अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु और गुजरात की राज्य सरकारों ने पहले ही बलपूर्वक, प्रलोभन देकर या धोखे से धर्मान्तरण को रोकने हेतु विधायन अधिनियमित किए हैं।

लोक व्यवस्था राज्य का विषय है और संविधान की सातवीं अनुसची की सूची-II की प्रविष्ट-I के कार्यक्षेत्र में आता है। अत: यह राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है कि वे इस संबंध में उपयुक्त विधायन अधिनियमित करें।

एनएससीएन (के) के साथ युद्धविराम

***129. श्री के.ए. सांगतम :** क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एनएससीएन (के) और भारतीय सुरक्षा बलों के बीच युद्धविराम जारी है;

(ख) यदि हां, तो कब से;

(ग) एनएससीएन (के) के नेताओं और केन्द्र सरकार के बीच कितनी बार शांति-वार्ता हुई है;

(घ) इसका क्या परिणाम निकला और निकट भविष्य में शांति-वार्ता का अगला दौर कब तक होने की संभावना है;

(ङ) क्या इस गुट ने संप्रभुता की अपनी मांग छोड़ दी है; और

(च) यदि नहीं, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्मयानन्द स्वामी) : (क) से (च) सरकार ने उन सभी को जो शान्ति और भाईचारे के रास्ते से भटक गए हैं, हिंसा का रास्ता छोड़कर हमारे संविधान के ढांचे के अंतर्गत वार्ता के लिए आगे आने का निमंत्रण दिया है।

एन एस सी एन (के) और भारत सरकार के बीच शत्रुता को छोड़कर संघर्ष विराम 28 अप्रैल, 2001 से प्रभावी हुआ। इसे दो बार बढ़ाया गया है और यह 27 अप्रैल, 2004 तक मान्य है।

वर्तमान में, एन एस सी एन (आई एम) के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है; परंतु एन एस सी एन (के) के साथ कोई विचार-विमर्श नहीं हुआ है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग की कार्य योजनाओं की समीक्षा

***130. श्री अशोक ना. मोहोल :** क्या कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग से संबंधित विभिन्न कार्य योजनाओं की समीक्षा कराने का हाल ही में निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने वर्ष 2002-03 और 2003-04 के लिए खादी और ग्रामोद्योग में कोई नई कार्य योजना या योजना शुरू की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान खादी और ग्रामोद्योग को केन्द्र सरकार द्वारा राज्य-वार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संघप्रिय गौतम) : (क) और (ख) सरकार नियमित रूप से खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) की सभी स्कीमों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा करती है। पूरे देश में लागू होने वाले के.वी. आई.सी. की अन्य कार्यवाही योजनाओं के अतिरिक्त वर्ष 2003-04 के लिए के.वी.आई.सी. की कार्यवाही योजना, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत अतिरिक्त रोजगार के अवसर सृजित करने, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण लोगों में निपुणता का विकास करने तथा के.वी.आई. उत्पादों की मार्किटिंग के सम्वर्धन हेतु प्रदर्शनी आयोजित करने के संबंध में राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण I, II और III पर प्रस्तुत है।

(ग) जी, हां।

(घ) देश में जनश्री बीमा योजना के तहत खादी कारीगरों के लिए ग्रुप बीमा स्कीम को 15.8.2003 से शुरू किया जाना प्रस्तावित है।

(ङ) विगत तीन वर्षों में संघ सरकार द्वारा के.वी.आई.सी. के माध्यम से प्रदान की गई वित्तीय सहायता के संबंध में राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-IV पर प्रस्तुत है।

विवरण-I

आर०ई०जी०पी० के तहत वर्ष 2003-04 में अतिरिक्त रोजगार के अवसर सृजित करने के संबंध में राज्य-वार लक्ष्य

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	रोजगार (व्यक्तियों में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	18824
2.	अरुणाचल प्रदेश	1052
3.	असम	21682
4.	बिहार	19311
5.	गोवा	6814
6.	गुजरात	10331
7.	हरियाणा	10566
8.	हिमाचल प्रदेश	9263
9.	जम्मू और कश्मीर	9734
10.	कर्नाटक	19327
11.	केरल	17882
12.	मध्य प्रदेश	16281
13.	महाराष्ट्र	30474
14.	मणिपुर	1146
15.	मेघालय	6045
16.	मिजोरम	1853
17.	नागालैंड	3721
18.	उड़ीसा	14381
19.	पंजाब	19798
20.	राजस्थान	32829
21.	सिक्किम	1319
22.	तमिलनाडु	17615
23.	त्रिपुरा	4082
24.	उत्तर प्रदेश	33048
25.	पश्चिम बंगाल	37868
26.	अंडमान और निकोबार	659
27.	चंडीगढ़	1350
28.	दादरा और नगर हवेली	31
29.	दमन और दीव	31
30.	दिल्ली	550
32.	लक्षद्वीप	16
32.	पांडिचेरी	141
33.	छत्तीसगढ़	7881
34.	झारखंड	10535
35.	उत्तरांचल	9907
	कुल	396457

विवरण-II

वर्ष 2003-04 में के.वी.आई.सी. में प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	प्रशिक्षण लक्ष्य (व्यक्तियों में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1840
2.	अरुणाचल प्रदेश	5020

1	2	3
3.	असम	5070
4.	बिहार	1880
5.	गोवा	—
6.	गुजरात	880
7.	हरियाणा	540
8.	हिमाचल प्रदेश	150
9.	जम्मू और कश्मीर	—
10.	कर्नाटक	4584
11.	केरल	2908
12.	मध्य प्रदेश	1500
13.	महाराष्ट्र	6603
14.	मणिपुर	1600
15.	मेघालय	1900
16.	मिजोरम	1700
17.	नागालैंड	4200
18.	उड़ीसा	1830
19.	पंजाब	610
20.	राजस्थान	500
21.	सिक्किम	1250
22.	तमिलनाडु	4108
23.	त्रिपुरा	1450
24.	उत्तर प्रदेश	3640
25.	पश्चिम बंगाल	2735
26.	अंडमान और निकोबार	1570
27.	चंडीगढ़	—
28.	दादरा और नगर हवेली	—
29.	दमन और दीव	—
30.	दिल्ली	1970
32.	लक्षद्वीप	—
32.	पांडिचेरी	—
33.	छत्तीसगढ़	200
34.	झारखंड	—
35.	उत्तरांचल	2775
	कुल	63013

विवरण-III

वर्ष 2003-04 में के.वी.आई. उत्पादों की मार्किटिंग के संवर्धन हेतु की जाने वाली प्रदर्शनियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	प्रदर्शनियों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	04
2.	अरुणाचल प्रदेश	06
3.	असम	10
4.	बिहार	06
5.	गोवा	03
6.	गुजरात	09
7.	हरियाणा	05

1	2	3
8.	हिमाचल प्रदेश	06
9.	जम्मू और कश्मीर	05
10.	कर्नाटक	08
11.	केरल	07
12.	मध्य प्रदेश	07
13.	महाराष्ट्र	11
14.	मणिपुर	06
15.	मेघालय	06
16.	मिजोरम	06
17.	नागालैंड	08
18.	उड़ीसा	06
19.	पंजाब	06
20.	राजस्थान	11
21.	सिक्किम	06
22.	तमिलनाडु	13
23.	त्रिपुरा	06
24.	उत्तर प्रदेश	21
25.	पश्चिम बंगाल	05
26.	अंडमान और निकोबार	03
27.	चंडीगढ़	03
28.	दादरा और नगर हवेली	03
29.	दमन और दीव	03
30.	दिल्ली	04
32.	लक्षद्वीप	03
32.	पांडिचेरी	03
33.	छत्तीसगढ़	07
34.	झारखंड	06
35.	उत्तरांचल	09
	कुल	241

विवरण-IV

के.वी.आई. सेक्टर को वर्ष-वार संवितरण

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2000-2001			2001-2002			2002-2003		
		खादी	ग्रामोद्योग (आरईजीपी)	कुल के.वी.आई.	खादी	ग्रामोद्योग (आरईजीपी)	कुल के.वी.आई.	खादी	ग्रामोद्योग (आरईजीपी)	कुल के.वी.आई.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	उत्तरी क्षेत्र									
1.	चंडीगढ़	0.23	4.84	5.07	0.00	47.56	47.56	–	0.40	0.40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	दिल्ली	279.73	15.82	295.55	259.35	19.35	278.70	479.99	16.16	496.15
3.	हरियाणा	461.05	667.28	1126.33	500.55	1130.47	1631.02	424.51	884.91	1309.42
4.	हिमाचल प्रदेश	205.45	395.67	601.12	351.91	953.73	1305.64	202.97	643.78	846.75
5.	जम्मू-कश्मीर	95.30	83.95	179.25	122.69	436.50	559.19	117.63	179.00	296.53
6.	पंजाब	466.62	1093.61	1560.23	369.37	1438.62	1807.99	592.41	1744.62	2337.03
7.	राजस्थान	615.09	1133.20	1748.29	627.98	2211.91	2839.89	846.56	2189.08	3035.64
	कुल : I	2123.47	3394.37	5517.84	2231.85	6238.14	8469.99	2664.07	5657.95	8322.02
II.	पूर्वी क्षेत्र									
1.	अंडमान-निकोबार	0.00	1.71	1.71	0.00	22.90	22.90	5.35	78.24	83.59
2.	बिहार	436.58	28.65	465.23	429.43	37.46	466.89	544.61	108.13	652.74
3.	झारखण्ड	0.00	12.37	12.37	115.91	49.34	165.25	233.46	421.01	654.47
4.	उड़ीसा	70.56	58.32	128.88	43.68	292.98	336.66	77.46	156.78	234.24
5.	सिक्किम	2.99	11.91	14.90	0.00	0.00	0.00	7.01	6.70	13.71
6.	वेस्ट बंगाल	310.66	191.06	501.72	356.88	822.20	1179.08	471.26	1202.17	1673.43
	कुल-II	820.79	304.02	1124.81	945.90	1224.88	2170.78	1339.15	1973.03	3312.18
III.	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र									
1.	अरुणाचल प्रदेश	3.08	39.00	42.08	10.94	11.21	22.15	32.83	45.36	78.19
2.	असम	98.96	67.94	166.90	143.50	142.51	286.01	433.59	375.68	809.27
3.	मणिपुर	6.61	418.00	424.61	20.34	2.98	23.32	26.40	110.53	136.93
4.	मेघालय	17.36	53.12	70.48	1.96	110.50	112.46	17.55	135.94	153.49
5.	मिजोरम	0.93	0.00	0.93	1.15	16.83	17.98	13.23	224.40	237.63
6.	नागालैंड	24.26	180.74	205.00	26.76	168.89	195.65	27.05	50.15	77.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	त्रिपुरा	7.32	7.17	14.49	3.47	49.54	53.01	10.67	106.23	116.90
	कुल-III	158.52	765.97	924.49	208.12	502.46	710.58	561.32	1048.29	1609.61
IV	**दक्षिणी क्षेत्र**									
1.	आंध्र प्रदेश	237.65	842.04	1079.69	176.78	1307.02	1483.80	204.11	1775.01	1979.12
2.	कर्नाटक	399.18	863.34	1262.52	590.29	1067.94	1658.23	647.52	1560.05	2207.57
3.	केरल	341.30	1063.20	1404.50	417.72	1789.10	2206.82	748.35	1196.03	1944.38
4.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	—	—	0.00
5.	पांडिचेरी	24.11	9.21	33.32	6.68	7.06	13.74	0.43	0.29	0.72
6.	तमिलनाडु	1934.04	547.68	2481.72	1908.73	567.34	2476.07	1910.81	604.08	2514.89
	कुल-IV	2936.28	3325.47	6261.75	3100.20	4741.46	7841.66	3511.22	5135.46	8646.68
V	**पश्चिमी क्षेत्र**									
1.	दादरा-नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.18	2.47	2.65	—	9.49	9.49
2.	दमन-दीव	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	4.25	—	4.25
3.	गोवा	18.25	160.58	178.83	0.00	311.95	311.95	18.13	198.06	216.19
4.	गुजरात	1032.50	41.47	1073.97	1202.51	46.85	1249.36	1055.07	102.23	1157.30
5.	महाराष्ट्र	291.74	1006.79	1298.53	351.89	1538.05	1889.97	608.88	1541.92	2150.80
	कुल-V	1342.49	1211.34	2553.83	1554.58	1899.35	3453.93	1686.33	1851.70	3538.03
VI	**केन्द्रीय क्षेत्र**									
1.	छत्तीसगढ़	0.00	2.94	2.94	22.55	297.99	320.54	36.07	427.33	463.40
2.	मध्यप्रदेश	329.13	787.05	1116.18	228.24	1096.50	1324.74	254.05	605.97	860.02
3.	उत्तरांचल	0.00	13.98	13.98	2917.21	318.00	3235.21	438.14	378.01	816.15
4.	उत्तर प्रदेश	4441.59	1938.53	6380.12	789.28	2706.95	3496.23	4079.72	2293.52	6373.24
	कुल VI	4770.72	2742.50	7513.22	3957.28	4419.44	8376.72	4807.98	3704.83	8512.81
	कुल योग	12152.27	11743.67	23895.94	11997.93	19025.73	31023.66	14570.07	19371.26	33941.33

[हिन्दी]

राज्यों को रायल्टी

***131. श्रीमती जयश्री बैनर्जी :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन कोयला खानों का ब्यौरा क्या है जिनमें सुरक्षा मानदंडों का अनुपालन न होने से दुर्घटनाएं हो रही हैं;

(ख) क्या सरकार उन राज्यों को रायल्टी का भुगतान रोकने पर विचार कर रही है; जहां ऐसी खानें स्थित हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) ऐसी कोई कोयला खान नहीं है, जिसमें सुरक्षा मानदण्डों का पालन नहीं किया जाता है और उसके कारण दुर्घटनाएं होती हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

भवनों में सुरक्षोपाय

***132. श्री मनसुखभाई डी० वसावा :**
श्री हरिभाई चौधरी :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आपदा प्रबंधन अध्ययन समूह द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि छह डिग्री से अधिक तीव्रता के भूकम्प आने की स्थिति में राजधानी की 20 प्रतिशत आबादी तबाह हो जाएगी और बड़े पैमाने पर संपत्ति की हानि होगी; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा कौन से आपदा प्रबंधन उपायों पर विचार किया जा रहा है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) और (ख) गृह मंत्रालय, दिल्ली नगर निगम, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने सूचित किया है कि उन्हें ऐसे किसी भी अध्ययन की जानकारी नहीं है जिसमें दिल्ली में 6 डिग्री से अधिक तीव्रता के भूंकप आने की स्थिति में आबादी तथा सम्पत्ति की बड़े पैमाने पर हानि होने का अनुमान लगाया गया है।

भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) द्वारा तैयार भूकंपीय प्रदेशन्यास के अनुसार, दिल्ली भूकंपीय क्षेत्र - IV अर्थात उच्च क्षति जोखिम क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भूकम्प की अधिक तीव्रता के अंतर्गत ऐसे भवन स्टॉक विशेषकर उन भवनों को जिनका भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्मित सुरक्षा मानदण्डों, संहिताओं एवं विनिर्देशों के अनुसार निर्माण नहीं किया गया है, हानि होने की संभावना होगी। किसी भी संभावित घटना से निपटने के लिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया है जिसमें दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, लोक निर्माण विभाग, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली विद्युत बोर्ड, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली अग्नि शमन सेवा, दिल्ली पुलिस, आदि के प्रतिनिधि शामिल हैं। समिति के विचाराधीन विषय समग्र पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करेंगे जो आपदा पूर्व की तैयारी एवं आपदा के बाद की तैयारी की विस्तृत व्यवस्था का आकलन करेगी। आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण संबंधी किए गए कुछ पहल प्रयास नीचे दिए गए हैं :-

(i) यह सुनिश्चित करने के लिए वे भवन जिनका निर्माण भूकंप बलों से संबंधित अपेक्षित सुरक्षा लक्षणों की अनिवार्य रूप से व्यवस्था करें, इसके लिए ढांचागत सुरक्षा उपायों को शामिल करने हेतु समान भवन निर्माण संबंधी उप-नियमों में संशोधन।

(ii) सरकारी स्वामित्वाधीन भवनों का उनकी ढांचागत सुदृढता सुनिश्चित करने के लिए सर्वेक्षण।

(iii) निजी स्वामित्वाधीन बहु-मंजिले भवनों को, अपने भवनों को, भूकम्परोधी बनाने के लिए रिट्रोफिटिंग तकनीकें तथा अन्य उपाय अपनाने हेतु कहना।

(iv) लक्ष्मीनगर, रोहिणी तथा नेहरू प्लेस में आपदा प्रबंधन केन्द्रों की स्थापना।

विनियंत्रित उर्वरकों के कपटपूर्ण दावे

***133. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कई राज्यों में फास्फोरस और पोटाशियम (पी. एंड के.) तथा 'सिंगल सुपर फॉस्फेट' हेतु रियायतें लेने के लिए बड़ी संख्या में कपटपूर्ण दावे किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्यों में इन दावों में राज्यवार कुल कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त है;

(घ) क्या तकनीकी लेखा परीक्षा निरीक्षण पद्धति विनियंत्रित उर्वरकों से संबंधित कपटपूर्ण दावों को रोक नहीं पाई है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार का विचार पृथक-पृथक मामलों पर कार्रवाई करने के बजाय कपटपूर्ण दावों के संबंध में राज्यों की समस्याओं के समाधान के लिए केन्द्र सरकार के स्तर पर एक स्वतंत्र तंत्र की स्थापना करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : (क) से (ग) उर्वरक कंपनियों द्वारा विशेषकर उत्तर प्रदेश, बिहार और गुजरात राज्यों में बेची गई नियंत्रणमुक्त उर्वरकों के लिए रियायत योजना के तहत रियायत राशि लेने के मामले में किए गए कपटपूर्ण दावों की कुछ घटनाएं सरकार के ध्यान में आई हैं।

बिहार राज्य सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार नियंत्रणमुक्त उर्वरकों के लिए रियायत योजना के अधीन बिक्री प्रमाणपत्र जारी करने के लिए कृषि निदेशक को जिला कृषि अधिकारी से सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त करना अपेक्षित था। तथापि, कृषि निदेशक ने 1994-95 से 1997-98 की अवधि के दौरान बेची गई उर्वरकों की गुणवत्ता और मात्रा के प्रमाणन से संबंधित इन अनुदेशों का उल्लंघन करते हुए बिक्री प्रमाणपत्र जारी किए। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने अपनी रिपोर्ट (सिविल), 2000 में यह आशंका जाहिर की है कि कृषि निदेशक द्वारा इस प्रकार जारी किए गए लगभग 162 करोड़ रुपये के बिक्री प्रमाणपत्रों के कारण 22 आपूर्तिकर्त्ताओं के रियायत के संदेहपूर्ण दावों को प्रमाणित करने की संभावना से इंकार नहीं किया गया है। भारत सरकार ने फरवरी, 2000 में बिहार सरकार को मामला संदर्भित करते हुए भी इस मामले का समाधान होने तक राज्य सरकार द्वारा बिक्री प्रमाणन पर बकाया भुगतान रोकने का निर्णय लिया है बिहार राज्य सरकार ने फरवरी, 2002 में इस मामले की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दी है।

उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित एसएसपी इकाईयों द्वारा तथाकथित कपटपूर्ण दावों एवं अनियमितताओं के मामले में भारत सरकार ने मार्च, 2000 में राज्य सरकार से जांच कराने का आग्रह किया था और फरवरी, 2000 में सभी 29 इकाइयों को आगे रियायत का भुगतान रोकने का भी निर्णय लिया। वर्ष 1998-99 और 99-2000 की अवधि के लिए उत्पादन एवं बिक्री के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा कराई गई जांच और उसकी रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात भारत सरकार ने राज्य सरकार के परारमर्श से 19 इकाइयों के संबंध में रियायत भुगतान पर रोक जारी रखने का निर्णय लिया। जांच की अवधि के दौरान, प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में आरोपित 9522 मी. टन एसएसपी की बिक्री के संबध में 8 एसएसपी इकाइयों से 80 लाख रुपये वसूल किए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने दस इकाइयों के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही आरंभ की है।

उत्तर प्रदेश के दूसरे मामले में राज्य सरकार मै० ओसवाल फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (ओसीएफएल) द्वारा सरकार के दिशा-निर्देशों के विरुद्ध की गई डीएपी की बिक्री पर लेखागत रियायत का दावा किए जाने की संभावना की जांच कर रही है। कंपनी ने प्रथम दृष्ट्या वर्ष 2001-02 के गत तीन माह के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य में डीएपी की ज्यादा बिक्री सूचित की है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2001-02 की अवधि के लिए डीएपी की बिक्री का सत्यापन अभी भी लंबित है। किसी बिक्री आधिक्य के संबंध में विवादित बिक्री का समायोजन/वसूली, बेची गई वास्तविक मात्रा राज्य सरकार द्वारा पुष्टि के अध्यधीन है। इसे देखते हुए उर्वरक विभाग ने कंपनी को भविष्य में किए जाने वाले रियायत के भुगतान को रोक दिया है।

अगस्त, 2001 में गुजरात राज्य सरकार ने सूचित किया है कि जून-सितम्बर, 2000 के दौरान मै० इंडियन पोटाश लिमिटेड (आईपीएल) द्वारा गुजरात में बेची गई एमओपी की 4359 मी० टन मात्रा, जिस पर कंपनी ने गलत तरीके से रियायत का दावा किया था, कृषि उपयोग के लिए नहीं बेची गई थी। आरोपित मात्रा पर भुगतान की गई/देय धनराशि के बराबर रियायत राशि सरकार द्वारा रोक ली गई है। आई पी एल, जिसे मामले की जांच के लिए और गलत दावों पर स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया था, ने सूचित किया है कि आई पी एल के छः वितरकों के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा की गई जांच में पांच

के विरुद्ध शिकायत प्रमाणित नहीं की जा सकी और छठे के विरुद्ध जांच को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका क्योंकि वितरक देश के बाहर चला गया है। उपर्युक्त तथ्यों की पुष्टि गुजरात सरकार से अभी प्राप्त होनी है।

जहां तक रियायत के उपर्युक्त तथाकथित गलत दावों में अन्तर्ग्रस्त धनराशि का संबंध है, इसका आकलन राज्य प्राधिकारियों द्वारा प्रारंभ की गई कार्यवाही सी.बी.आई. जांच और बिक्री प्रमाणन की समाप्ति के बाद ही संभव होगा।

(घ) से (ङ) उर्वरक विभाग द्वारा विशेषकर एसएसपी इकाइयों के लिए गठित तकनीकी लेखा परीक्षा एक निरीक्षक प्रकोष्ठ (टीएसी) के परिणामस्वरूप एसएसपी उद्योग द्वारा रियायत के कपटपूर्ण दावों की संभावना में कमी आई है। इसके अतिरिक्त टीएसी को डीएपी एवं एनपीके संयंत्रों के प्रौद्यो-वाणिज्यिक लेखा परीक्षा का कार्य भी सौंपा गया है। टीएसी द्वारा डीएपी/एनपीके संयंत्रों की लेखा परीक्षा पर अब तक प्रस्तुत रिपोर्ट में किसी प्रमुख कपटपूर्ण दावे का पता नहीं चला है।

(च) और (छ) जी, नहीं। एसएसपी इकाइयों और डीएपी/एनपीके संयंत्रों के तकनीकी और वाणिज्यिक लेखा परीक्षा के लिए गठित टीएसी द्वारा प्राप्त परिणामों के आलोक में सरकार इस स्थिति में इस उद्देश्य के लिए एक स्वतंत्र तंत्र की आवश्यकता महसूस नहीं करती है।

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत धनराशि में वृद्धि

***134. श्री ए. वेंकटेश नायक :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और चालू वर्ष के दौरान स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत अतिरिक्त धनराशि आबंटित करने हेतु राज्यों की जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को कितनी अतिरिक्त धनराशि आबंटित की गई; और

(घ) सरकार द्वारा जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) से (घ) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) एक केन्द्र आयोजित योजना है और इस कार्यक्रम का वित्त पोषण केन्द्र और राज्यों के बीच 75:25 के अनुपात में किया जाता है। मंत्रालय, एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को अतिरिक्त निधियों की रिलीज के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त करता है। वित्तीय वर्ष 2000-01, 2001-2002 तथा 2002-2003 के दौरान जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों द्वारा मांगी गई अतिरिक्त निधियों एवं रिलीज की गई निधियों की राज्यवार स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है। चालू वित्तीय वर्ष 2003-2004 के दौरान अतिरिक्त निधि की रिलीज के लिए किसी राज्य सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, पारंपरिक रूप से जिला स्तर पर ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए गरीबी उपशमन कायक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी करने वाला प्रमुख अंग है। जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को सुदृढ़ करने के लिए 1.4.1999 से ''डी आर डी ए'' प्रशासन नाम की एक अलग केन्द्र आयोजित योजना शुरू की गई है।

मंत्रालय द्वारा डी आर डी ए तथा सरकार के ग्रामीण विकास कार्यक्रमों से जुड़े अन्य क्षेत्र स्तरीय कार्यकर्त्ताओं को उनके क्षमता निर्माण के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है एवं जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।

विवरण

वर्ष 2001-2002 तथा 2002-2003 के दौरान एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत राज्यवार मांगी गई अतिरिक्त निधि एवं रिलीज की गई निधि

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों के नाम	2001-2002		2002-2003	
		सरकार द्वारा मांगी गई	रिलीज की गई निधि	सरकार द्वारा मांगी गई	रिलीज की गई निधि
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	4400.00	701.70

1	2	3	4	5	6
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	15.00	10.22
3.	बिहार	100.00	89.87	105.61	176.02
4.	छत्तीसगढ़	500.85	258.38	107.20	434.40
5.	गुजरात	176.00	65.51	299.00	396.89
6.	हरियाणा	230.00	54.46	0.00	148.31
7.	हिमाचल प्रदेश	321.70	69.49	14.90	7.36
8.	जम्मू व काश्मीर	178.58	92.46	10.00	89.83
9.	झारखंड	0.00	0.00	155.52	220.65
10.	कर्नाटक	613.40	361.76	424.00	928.80
11.	केरल	506.06	253.05	75.00	238.11
12.	मध्य प्रदेश	1244.1	710.71	607.58	1121.12
13.	महाराष्ट्र	1330.96	618.74	470.00	1319.29
14.	मिजोरम	0.00	0.00	57.39	28.70
15.	उड़ीसा	187.41	80.14	237.52	967.18
16.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	72.08
17.	राजस्थान	536.43	144.40	655.57	613.85
18.	सिक्किम	0.00	0.00	63.55	31.78
19.	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	592.17
20.	त्रिपुरा	729.06	155.46	680.42	199.89
21.	उत्तर प्रदेश	647.40	477.70	842.36	392.97
22.	उत्तरांचल	226.31	151.69	323.55	155.86
23.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	10.91
	कुल	7523.47	3583.82	9544.17	8927.79

नोट-वर्ष 2000-2001 के द्वारा राज्य सरकारों द्वारा कोई अतिरिक्त निधि नहीं मांगी/रिलीज की गई।

प्रवासियों के लिए विशेष पहचान-पत्र

***135. श्री टी०एम० सेल्वागनपति :** क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उन कश्मीरी पंडितों को विशेष पहचान-पत्र जारी करने पर विचार करने को सहमत हो गई है जिन्हें वर्ष 1990 के बाद जम्मू और कश्मीर राज्य छोड़ना पड़ा था और जो प्रवासियों के रूप में पंजीकृत नहीं किए गए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश के विभिन्न भागों में इस श्रेणी के अंतर्गत आज तक कितने व्यक्ति पंजीकृत किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्मयानन्द स्वामी) : (क) से (ग) जी नहीं, श्रीमान। दिल्ली में पंजीकृत सभी कश्मीर अप्रवासियों को पहचान-पत्र जारी किए गए हैं। अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों, जहां कश्मीरी अप्रवासी ठहरे हुए हैं, को उन सभी को पहचान-पत्र जारी करने के अनुदेश जारी किए गए थे जो अप्रवासियों के रूप में पंजीकृत हैं।

हालांकि, जम्मू में पंजीकरण प्रक्रिया जारी है, परन्तु दिल्ली अथवा अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में कश्मीरी अप्रवासियों के लिए नया पंजीकरण खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत धनराशि

***136. श्री भर्तृहरि महताब :**
चौ० तालिब हुसैन :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2001-02 और 2002-03 के दौरान विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए स्वीकृत की गई समस्त धनराशि जारी नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो जारी नहीं की गई शेष धनराशि का राज्य-वार तथा योजन-वार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) समस्त धनराशि जारी न किए जाने के कारण विकास कार्यक्रमों पर कितना प्रभाव पड़ा है;

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने विभिन्न ग्रामीण विकास और गरीबी उपशमन कार्यक्रमों हेतु धनराशि जारी करने में हुए विलम्ब के कारण चालू वर्ष के दौरान ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत दूसरी और अंतिम किस्त की स्वीकृति हेतु मानदंडों में ढील देने का निर्णय लिया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) इन मानदंडों को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है;

(ज) क्या वर्ष 2003-04 के लिए ग्रामीण विकास योजनाओं से संबंधित धनराशि सभी राज्यों को जारी कर दी गई है;

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और योजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ञ) क्या चालू वर्ष के दौरान विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं हेतु अपर्याप्त आबंटन का प्रस्ताव किया गया है;

(ट) यदि हां, तो राज्यवार इसके क्या कारण हैं; और

(ठ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) से (ठ) ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित की जाने वाली मुख्य योजनाएं हैं—संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.), स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.), इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.), मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.), समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.), ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (आर.एस.पी.), संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टी.एस.सी.) और स्वजलधारा।

वर्ष 2001-02 और 2002-03 के दौरान विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत राज्य-वार और योजना-वार केंद्रीय आबंटन, निधियों की रिलीज और रिलीज न की गई राशि का विवरण-I में संलग्न है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत केंद्रीय आबंटन की संपूर्ण राशि कभी-कभी, प्रस्तावों के समय पर प्राप्त न होने, राज्य सरकारों द्वारा अपने अंश का रिलीज न किया जाना/कम रिलीज, लेखा-परीक्षा रिपोर्ट और उपयोग प्रमाणपत्र के बिना अपूर्ण प्रस्तावों की प्रस्तुति आदि जैसे विभिन्न कारणों की वजह से रिलीज नहीं की जाती है।

ग्रामीण विकास योजनाओं के दिशा-निर्देशों में यह संकल्पना की गई है कि कार्यान्वियन एजेंसियां अपने पास शेष बची राशि के एक हिस्से को अगले वित्त वर्ष में ले जा सकती हैं, ताकि निधियों की अनुपलब्धता के कारण कार्यान्वियन प्रक्रिया प्रभावित न हो।

ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों पर योजनाओं को और अधिक प्रभावी ढंग से और कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्यान्वित करने के लिए जोर डालता रहा है। राज्यों को अपेक्षित औपचारिकताओं के पूरा हो जाने के बाद प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और सहायता दी जाती है, ताकि वे संपूर्ण आबंटन प्राप्त कर सकें और कार्यक्रम के कार्यान्वियन को सुधार सकें।

चूंकि, चालू वर्ष 2003-04 के दौरान पहली किस्त की रिलीज में देरी हुई है, यह निर्णय लिया गया है कि दूसरी किस्त कुल निधियों के 60% की जगह 50% के उपयोग किए जाने पर रिलीज की जाएगी, अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी। आदेशों के जारी होने के तुरन्त बाद ही निधियां रिलीज की जाती हैं। 2003-04 के लिए ग्रामीण विकास योजनाओं हेतु निधियां सभी पात्र राज्यों को रिलीज कर दी गई हैं। रिलीज की गई निधियों की राज्यवार और योजनावार स्थिति संलग्न विवरण-II में दी गई हैं। चालू वर्ष के दौरान विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए निधियों के आबंटन को पर्याप्त माना गया है।

विवरण-I

ग्रामीण विकास मंत्रालय के कार्यक्रमों का वर्ष 2001-2002
का केन्द्रीय आबंटन, रिलीज और शेष

वर्ष : 2001-02 (लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ई.ए.एस./एस.जी.आर.वाई-I			जे.जी.एस.वाई/एस.जी.आर.वाई-II			एस.जी.एस.वाई			आई.ए.वाई.		
		आबंटन	रिलीज	शेष	आबंटन	रिलीज	शेष	आबंटन	रिलीज	शेष	आबंटन	रिलीज	शेष
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	9952.70	9952.70	0.00	9921.52	9980.37	-58.85	3068.31	3068.31	0.00	11794.45	1126.54	10667.91
2.	अरुणाचल प्रदेश	519.21	592.30	-73.09	519.38	556.49	-37.11	164.76	106.34	58.42	555.06	385.39	169.67
3.	असम	13490.96	13490.97	-0.01	13495.28	13495.28	0.00	4281.13	3328.48	952.65	12489.11	1030.79	11458.32
4.	बिहार	19930.10	19671.60	258.50	18730.78	18730.78	0.00	7300.00	3348.37	3951.63	320.3879	1066.24	30972.55
5.	छत्तीसगढ़	5616.92	6583.59	-966.67	4197.65	4197.63	0.02	1620.58	1467.21	153.37	2016.89	468.99	1547.90
6.	गोवा	22.94	22.94	0.00	145.98	145.98	0.00	50.00	25.00	25.00	76.20	69.83	6.37
7.	गुजरात	3746.38	3604.51	141.87	3734.65	3734.65	0.00	1154.96	885.51	269.45	3389.62	800.83	2588.79
8.	हरियाणा	2204.06	2904.46	-700.00	2197.16	2984.54	-787.38	679.48	681.25	-1.77	1146.14	543.14	603.00
9.	हिमाचल प्रदेश	928.21	928.21	0.00	925.31	925.31	0.00	286.16	286.16	0.00	507.06	361.10	145.96
10.	जम्मू व कश्मीर	1148.80	1448.80	-300.00	1145.20	1411.76	-266.56	354.16	342.81	11.35	606.54	334.24	272.30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11.	झारखंड	12673.81	11700.79	973.02	13771.01	13771.01	0.00	2751.41	1196.01	1555.40	9413.29	510.24	8903.05
12.	कर्नाटक	7515.70	7520.70	-5.00	7492.16	7569.55	-77.39	2317.00	1659.33	657.67	6100.88	720.50	5380.38
13.	केरल	3372.27	3372.27	0.00	3361.70	3361.70	0.00	1039.63	1039.64	-0.01	3780.58	416.28	3364.30
14.	मध्य प्रदेश	10909.15	12256.71	-1347.56	12276.64	12276.62	0.02	3472.22	3425.29	48.93	7038.38	1476.60	5561.78
15.	महाराष्ट्र	14856.70	14131.25	725.45	14810.16	14810.16	0.00	4580.15	3842.09	738.06	10824.79	1160.38	9664.41
16.	मणिपुर	904.42	523.72	380.70	904.72	399.45	505.27	287.00	13.02	273.98	661.80	108.01	553.79
17.	मेघालय	1013.29	833.84	179.45	1013.61	835.53	178.08	321.55	83.38	238.17	879.29	65.59	813.70
18.	मिजोरम	234.48	334.48	-100.00	234.54	304.90	-70.36	74.41	64.17	10.24	211.09	160.43	50.66
19.	नागालैंड	695.06	695.06	0.00	695.29	750.98	-55.69	220.57	69.98	150.59	567.62	198.01	369.61
20.	उड़ीसा	11383.84	12350.52	-966.68	11348.19	11348.19	0.00	3509.50	2744.13	765.37	9494.97	1509.29	7985.68
21.	पंजाब	1071.15	1048.38	22.77	1067.80	1067.80	0.00	330.22	325.37	4.85	759.25	453.41	305.84
22.	राजस्थान	5706.92	5706.92	0.00	5689.04	5689.05	-0.01	1759.38	1759.38	0.00	3198.28	1255.35	1942.93
23.	सिक्किम	259.60	259.60	0.00	259.69	337.59	-77.90	82.38	82.38	0.00	152.17	47.13	105.04
24.	तमिलनाडु	8800.37	10134.03	-1333.66	8772.80	96967.89	-1195.09	2713.06	2713.06	0.00	5922.86	1321.94	4600.92
25.	त्रिपुरा	1632.98	1604.69	28.29	1633.50	2075.78	-442.28	518.20	622.08	-103.88	1283.85	136.71	1147.14
26.	उत्तर प्रदेश	33634.47	34002.10	-367.63	33540.13	33551.39	-1126	10509.37	6316.37	4193.00	21595.12	2996.37	18598.75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27.	उत्तरांचल	2246.42	2220.90	25.52	2228.37	2228.37	0.00	552.30	496.90	55.40	2242.99	500.81	1742.18
28.	पश्चिमी बंगाल	12650.87	11668.23	982.64	12611.24	12611.24	0.00	3900.11	78.26	3821.85	12729.32	594.20	12135.12
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	52.94	0.00	52.94	96.21	96.21	0.00	50.00	12.50	37.50	143.47	0.00	143.47
30.	चंडीगढ़			0.00			0.00			0.00			0.00
31.	दादरा व नगर हवेली	52.94	26.47	26.47	63.51	63.51	0.00	50.00	0.00	50.00	75.29	0.00	75.29
32.	दमन व दीव	1.76	0.00	1.76	30.77	0.00	30.77	50.00	0.00	50.00	31.16	0.00	31.16
33.	दिल्ली			0.00			0.00			0.00			0.00
34.	लक्षद्वीप	3.53	1.77	1.76	48.23	24.12	24.11	50.00	0.00	50.00	2.44	20.79	-18.35
35.	पांडिचेरी	67.06	67.06	0.00	97.76	97.76	0.00	50.00	28.93	21.07	71.22	51.02	20.20
	अखिल भारत	187300.01	189659.17	2359.16	187059.98	189401.59	-2341.61	58150.00	40111.71	18038.29	161799.97	19890.15	141909.82

ई.ए.एस. – सुनिश्चित रोजगार योजना, जे.जी.एस.वाई – जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, एस.जी.आर.वाई. – सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना,

एस.जी.एस.वाई. – स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, आई.ए.वाई. – इंदिरा आवास योजना।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के कार्यक्रमों का वर्ष 2001-2002 का
केन्द्रीय आबंटन, रिलीज और शेष

वर्ष : 2001-02

(लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एन.ओ.ए.पी.एस.			एन.एफ.बी.एस			पी.एम.जी.एस.वाई.			ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.			सी.आर.एस.पी.		
		आवंटन	रिलीज	शेप	आवंटन	रिलीज	शेष	आबंटन	रिलीज	शेष	आबंटन	रिलीज	शेष	आबंटन	रिलीज	शेष
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1.	आंध्र प्रदेश	4360.75	4355.65	5.11	2391.35	2581.14	-189.79	19000.00	22465.00	-3465.00	13889.68	14277.64	-387.96	1954.09	1895.70	58.39
2.	अरुणाचल प्रदेश	181.26	45.42	135.84	54.82	15.91	38.91	3500.00	4500.00	-1000.00	4476.00	2455.91	2020.09	56.91	52.80	4.11
3.	असम	2624.34	2482.52	141.82	1473.14	1256.14	217.00	7500.00	8000.00	-500.00	7561.00	5357.67	2203.33	518.93	464.65	54.28
4.	बिहार	4620.99	4801.24	-180.25	972.44	1013.94	-41.50	15000.00	0.00	15000.00	7274.00	0.00	7274.00	1813.96	1663.56	150.40
5.	छत्तीसगढ़	1116.63	965.47	151.16	829.83	804.45	25.38	8700.00	9862.00	-1162.00	3877.00	3977.00	-100.00	264.84	229.33	35.51
6.	गोवा	25.10	19.54	5.56	9.63	8.43	1.20	500.00	500.00	0.00	1455.00	727.50	727.50	0.87	0.00	0.87
7.	गुजरात	504.42	338.63	165.79	125.07	100.56	24.51	5000.00	6000.00	-1000.00	8237.00	9776.30	-1539.30	47.93	0.00	47.93
8.	हरियाणा	481.24	453.89	27.35	42.71	42.43	0.28	2000.00	3000.00	-1000.00	3108.64	3475.92	-367.28	86.21	62.06	24.15
9.	हिमाचल प्रदेश	212.46	199.72	12.74	24.20	117.24	-93.04	6000.00	7209.00	-1209.00	5559.41	6457.21	-897.80	36.28	36.28	0.00
10.	जम्मू व कश्मीर	284.96	162.54	122.42	45.20	63.50	-18.30	2000.00	0.00	2000.00	10105.88	6292.10	3813.78	11.85	0.00	11.85
11.	झारखंड	1555.99	1174.43	381.56	366.82	316.47	50.35	11000.00	12000.00	-1000.00	3619.00	1809.50	1809.50	696.15	632.71	63.44

1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
12.	कर्नाटक	2658.27	2581.38	76.89	511.45	550.67	-39.22	9500.00	10837.00	-1337.00	13547.74	13861.68	-313.94	62.19	62.19	0.00
13.	केरल	1254.13	1096.62	157.51	301.02	294.82	6.20	2000.00	2765.00	-765.00	6331.00	5045.00	1286.00	782.21	875.02	-92.81
14.	मध्य प्रदेश	3001.92	3297.74	-295.82	2287.84	2422.92	-135.08	21300.00	24800.00	-3500.00	8877.00	9077.00	-200.00	301.82	219.17	82.65
15.	महाराष्ट्र	3735.07	2560.97	1174.10	808.86	557.13	251.73	13000.00	13450.00	-450.00	19159.00	19659.00	-500.00	108.55	108.55	0.00
16.	मणिपुर	327.06	315.92	11.14	61.66	58.47	3.19	4000.00	4000.00	0.00	1643.00	821.50	821.50	7.26	0.00	7.26
17.	मेघालय	352.67	281.00	71.67	68.52	62.65	5.87	3500.00	4572.00	-1072.00	1760.00	1215.51	544.49	7.87	0.00	7.87
18.	मिजोरम	98.51	91.62	6.89	20.56	17.69	2.87	2000.00	2653.00	-653.00	1257.00	1634.10	-377.10	2.03	2.03	0.00
19.	नागालैंड	256.13	206.28	49.85	34.26	26.27	7.99	2000.00	2553.00	-553.00	1308.00	1700.40	-392.40	5.45	0.00	5.45
20.	उड़ीसा	3307.28	3837.36	530.08	1060.92	1111.00	-50.08	17500.00	17500.00	0.00	6522.00	4852.09	1669.91	639.02	567.83	71.19
21.	पंजाब	429.15	329.25	99.90	105.69	99.82	5.87	2500.00	5500.00	-3000.00	2277.00	1985.50	291.50	163.10	142.17	20.93
22.	राजस्थान	1324.40	1441.85	-117.45	368.81	398.57	-29.76	13000.00	15000.00	-2000.00	24499.65	20713.73	3785.92	64.50	0.00	64.50
23.	सिक्किम	94.57	94.12	0.45	20.56	5.58	14.98	2000.00	2000.00	0.00	536.00	696.80	-160.80	126.43	126.43	0.00
24.	तमिलनाडु	2942.43	2894.07	48.36	1500.56	1403.45	97.11	8000.00	8857.00	-857.00	7956.00	8956.00	-1000.00	1765.48	1758.98	6.50
25.	त्रिपुरा	565.46	539.42	26.04	116.48	96.62	19.86	2500.00	2685.00	-185.00	1559.00	2026.70	-467.70	377.35	364.63	12.72
26.	उत्तर प्रदेश	7061.24	7840.17	-778.93	2186.46	2332.44	-145.98	31500.00	34811.00	-3311.00	13269.00	13063.35	205.65	2601.21	2475.03	126.18
27.	उत्तरांचल	362.03	329.02	33.01	194.18	187.60	6.58	6000.00	7000.00	-1000.00	3356.00	3447.88	-91.88	46.88	34.62	12.26

1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
28.	पश्चिमी बंगाल	2975.21	3208.91	-233.70	768.68	741.17	27.51	13500.00	14965.00	-1465.00	8773.00	8947.63	-174.63	1285.97	1170.99	114.98
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	15.61	7.81	7.80	2.25	1.13	1.12	1000.00	0.00	1000.00	13.00	0.00	13.00	4.88	0.00	4.88
30.	चंडीगढ़	12.27	5.87	6.40	2.25	2.25	0.00			0.00			0.00			0.00
31.	दादरा व नगर हवेली	10.60	10.60	0.00	2.25	2.03	0.22	500.00	500.00	0.00	7.00	0.00	7.00	3.88	0.00	3.88
32.	दमन व दीव	2.23	1.93	0.30	2.25	0.23	2.02	500.00	0.00	500.00			0.00	0.76	0.00	0.76
33.	दिल्ली	224.17	0.00	224.17	24.78	0.00	24.78	500.00	500.00	0.00	5.00	0.00	5.00	2.31	0.00	2.31
34.	लक्षद्वीप	1.67	0.00	1.67	2.25	1.13	1.12	500.00	489.00	11.00			0.00	0.48	0.00	0.48
35.	पांडिचेरी	44.06	43.84	0.22	2.25	1.13	1.12	500.00	0.00	500.00	5.00	0.00	5.00	50.11	47.42	2.69
	अखिल भारत	47024.29	46014.80	1009.49	16790.00	16694.98	95.02	237500.00	248973.00	11473.00	191823.00	172310.62	19512.38	13897.76	12992.15	905.61

एन.ओ.ए.पी.एस.—राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, एन.एफ.बी.एस.—राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, पी.एम.जी.एस.वाई.—प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.—त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम, सी.आर.एस.पी.—केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के कार्यक्रमों का वर्ष 2001-2003 का
केन्द्रीय आबंटन, रिलीज और शेष

वर्ष : 2002-03

(लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ई.ए.एस./एस.जी.आर.वाई-I			जे.जी.एस.वाई/एस.जी.आर.वाई-II			एस.जी.एस.वाई.			आई.ए.वाई.		
		आबंटन	रिलीज	शेष	आबंटन	रिलीज	शेष	आबंटन	रिलीज	शेष	आबंटन	रिलीज	शेष
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	9451.49	12663.57	-3212.08	9525.83	11716.60	-2190.77	3068.31	3738.02	-669.71	12070.22	12357.15	-286.93
2.	अरुणाचल प्रदेश	493.74	331.12	162.62	493.24	508.89	-15.65	127.10	78.06	49.07	569.92	738.47	-168.55
3.	असम	12810.39	11470.02	1340.37	12816.04	11026.94	1789.10	3302.59	2802.61	499.98	12823.65	9987.33	2836.32
4.	बिहार	18926.54	13497.25	5429.29	17400.97	13230.18	4170.79	7303.00	3493.34	3809.66	32787.84	19729.90	13057.94
5.	छत्तीसगढ़	5334.11	6819.08	-1484.97	3951.95	5193.96	-1242.01	1620.58	1968.76	-348.18	2064.05	2027.85	36.20
6.	गोवा	21.79	10.83	10.96	136.57	64.21	72.36	50.00	17.65	32.35	77.98	39.00	38.98
7.	गुजरात	3557.64	3936.50	621.14	4175.66	4006.37	169.29	1154.96	1403.27	-248.31	3468.85	5518.01	-2049.16
8.	हरियाणा	2093.09	2750.04	-656.95	2197.16	2860.33	-663.17	679.48	827.79	-148.31	1172.95	1189.76	-16.81
9.	हिमाचल प्रदेश	881.48	1013.77	-132.29	925.31	1032.23	-106.92	286.16	348.62	-62.46	518.91	857.59	-338.68
10.	जम्मू व कश्मीर	1090.95	1099.36	-8.41	1063.89	952.25	111.64	354.16	355.76	-1.60	620.72	458.65	162.07
11.	झारखंड	12035.69	8688.60	3347.07	12793.29	8896.08	3897.21	2751.41	1801.02	950.39	9633.38	5455.84	4177.54
12.	कर्नाटक	7137.19	8880.42	-1743.23	6960.88	8548.63	-1587.75	2317.00	2687.05	-370.05	6243.55	4852.24	1391.31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13.	केरल	3202.48	4068.31	-865.83	3123.04	3596.86	-473.82	1039.63	1266.55	-226.92	3868.97	2970.34	898.63
14.	मध्य प्रदेश	10359.77	12674.74	-2314.97	11481.35	14197.28	-2715.93	3474.22	4232.53	-758.31	7202.92	7018.02	184.90
15.	महाराष्ट्र	14108.67	13724.74	383.93	13894.00	15235.84	-1341.84	4580.15	5579.85	-999.70	11077.83	10109.70	9678.13
16.	मणिपुर	860.17	383.38	476.79	859.19	386.00	476.19	221.40	0.00	221.40	679.51	260.01	419.50
17.	मेघालय	963.63	927.55	36.08	962.59	978.37	-15.78	248.05	27.51	220.54	902.85	906.15	-3.30
18.	मिजोरम	222.99	316.54	-93.55	222.74	257.34	-34.60	57.40	86.08	-28.68	216.73	174.58	42.15
19.	नागालैंड	660.99	356.70	304.29	660.30	310.58	349.72	170.16	83.15	87.01	582.84	291.42	291.42
20.	उड़ीसा	10810.64	14072.61	-3261.97	10542.48	13333.94	-2791.46	3509.50	4181.99	-672.49	9716.97	32543.45	-22826.48
21.	पंजाब	1017.22	1183.87	-166.65	2443.84	2665.11	-221.27	330.22	391.58	-61.36	777.00	598.58	178.42
22.	राजस्थान	5419.60	7641.87	-2222.27	5291.01	7262.89	-1971.88	1759.38	2152.97	-393.59	3273.06	3149.31	123.75
23.	सिक्किम	246.88	246.88	0.00	246.62	192.30	54.32	63.55	95.33	-31.78	156.25	149.87	6.38
24.	तमिलनाडु	8357.28	10936.45	-2579.17	8207.15	10224.64	-2017.49	2713.06	3290.35	-577.29	6061.33	6205.43	-144.10
25.	त्रिपुरा	1553.21	2329.81	-776.60	1551.28	1520.26	31.02	399.75	599.65	-199.90	1318.25	1977.39	-659.14
26.	उत्तर प्रदेश	31940.92	33630.78	-1689.86	31302.41	32461.30	-1158.89	10509.37	7221.04	3288.33	22100.04	20996.84	1103.20
27.	उत्तरांचल	2133.31	2203.31	-70.00	2125.56	2195.23	69.67	552.30	667.95	-115.65	2295.43	2011.59	283.84
28.	पश्चिम बंगाल	12013.90	9937.03	2076.87	11715.86	10712.86	1003.00	3900.11	1150.67	2749.44	13026.91	10161.11	2865.80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	50.27	0.00	50.27	89.61	42.32	47.29	50.00	0.00	50.00	146.82	40.32	106.50
30.	चंडीगढ़			0.00			0.00			0.00			0.00
31.	दादरा व नगर हवेली	50.27	26.47	23.80	59.00	34.93	24.07	50.00	0.00	50.00	77.05	0.00	77.05
32.	दमन व दीव	1.68	0.00	1.68	28.59	0.00	28.59	50.00	0.00	50.00	31.89	0.00	31.89
33.	दिल्ली			0.00			0.00			0.00			0.00
34.	लक्षद्वीप	3.35	0.00	3.35	44.81	0.00	44.81	50.00	0.00	50.00	2.50	2.50	0.00
35.	पांडिचेरी	63.68	31.66	32.02	90.82	80.95	9.87	50.00	53.64	-3.64	72.90	74.63	-1.73
	अखिल भारत	177875.01	184853.26	-6978.25	177383.04	183725.67	6342.63	56793.00	50602.79	6190.21	165640.07	162853.03	2787.04

ई.ए.एस.—सुनिश्चित रोजगार योजना, जे.जी.एस.वाई.—जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, एस.जी.आर.वाई.—सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, एस.जी.एस.वाई.—स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, आई.ए.वाई.—इंदिरा आवास योजना।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के कार्यक्रमों का वर्ष 2002-2003 का केन्द्रीय आबंटन, रिलीज और शेष

वर्ष : 2002-03 (लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पी.ए.जी.एस.वाई.			ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी			सी.आर.एस.पी/टी.एस.सी.	
		केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीज	शेष	केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीज	शेष	केन्द्रीय रिलीज	शेष
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	आंध्र प्रदेश	19000.00	21929.00	-2929.00	14865.00	17823.92	-2958.92	482.36	482.36
2.	अरुणाचल प्रदेश	3500.00	4151.00	-651.00	4977.00	3650.00	1327.00		
3.	असम	7500.00	7492.00	8.00	8407.00	5252.50	3154.50		
4.	बिहार	15000.00	0.00	15000.00	7406.00	3703.00	3703.00	1199.26	1199.26
5.	छत्तीसगढ़	8700.00	15960.00	-7260.00	2443.00	2943.00	-500.00		
6.	गोवा	500.00	0.00	500.00	122.00	0.00	122.00		
7.	गुजरात	5000.00	5170.00	-170.00	6699.00	9997.75	-3298.75	76.20	76.20
8.	हरियाणा	2000.00	4475.00	-2475.00	2946.00	3346.00	-400.00	125.68	125.68
9.	हिमाचल प्रदेश	6000.00	10457.00	-4457.00	5643.00	8244.75	-2601.75	28.65	28.65
10.	जम्मू व कश्मीर	2000.00	3500.00	-1500.00	12388.00	11196.39	1191.61		
11.	झारखंड	11000.00	0.00	11000.00	3063.00	1949.80	1113.20	223.87	223.87
12.	कर्नाटक	9500.00	9774.00	-274.00	12313.00	14355.36	-2042.36		
13.	केरल	2000.00	1143.00	857.00	3698.00	1899.30	1798.70		
14.	मध्य प्रदेश	21300.00	45039.00	-23739.00	7159.00	9586.08	-2427.08	185.69	185.69
15.	महाराष्ट्र	13000.00	11458.00	1542.00	16827.00	19336.24	-2507.24	305.14	305.14
16.	मणिपुर	4000.00	0.00	4000.00	1826.00	947.00	879.00		

1	2	15	16	17	18	19	20	21	22
17.	मेघालय	3500.00	3500.00	0.00	1957.00	2935.50	-978.50		
18.	मिजोरम	2000.00	5088.00	-3088.00	1398.00	2105.00	-707.00		
19.	नागालैंड	2000.00	2223.00	-223.00	1454.00	2181.00	-727.00		
20.	उड़ीसा	17500.00	17009.00	491.00	6225.00	5829.80	395.20	357.63	357.63
21.	पंजाब	2500.00	2039.00	461.00	2581.00	3081.00	-500.00	52.67	52.67
22.	राजस्थान	13000.00	24174.00	-11174.00	26750.00	23620.38	3129.62	265.62	265.62
23.	सिक्किम	2000.00	1781.00	219.00	597.00	895.50	-298.50	17.98	17.98
24.	तमिलनाडु	8000.00	8032.00	-32.00	6358.00	7558.00	-1200.00	686.73	686.73
25.	त्रिपुरा	2500.00	2500.00	0.00	1734.00	2427.60	-693.60		
26.	उत्तर प्रदेश	31500.00	24054.00	7446.00	13022.00	11492.50	1529.50		
27.	उत्तरांचल	6000.00	0.00	6000.00	3083.00	3683.00	-600.00		
28.	पश्चिमी बंगाल	13500.00	15952.00	-2452.00	8545.00	10129.00	-1584.00	961.79	961.79
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	1000.00	0.00	1000.00	13.00	0.00	13.00		
30.	चंडीगढ़			0.00			0.00		
31.	दादरा व नगर हवेली	500.00	0.00	500.00	7.00	0.00	7.00	3.15	3.15
32.	दमन व दीव	500.00	0.00	500.00			0.00		
33.	दिल्ली	500.00	0.00	500.00	5.00	0.00	5.00		
34.	लक्षद्वीप	500.00	0.00	500.00			0.00		
35.	पांडिचेरी	500.00	0.00	500.00	5.00	0.00	5.00		
	अखिल भारत	237500.00	246900.00	-9400.00	184518.00	190169.37	-5651.37	4972.42	4972.42

पी.एम.जी.एस.वाई.—प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.—त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम, सी.आर.एस.पी./टी.एस.सी.—केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम/पूर्ण स्वच्छता अभियान।

विवरण-II

ग्रामीण विकास मंत्रालय के कार्यक्रमों का वर्ष 2003-2004 (जून, 2003 तक) का केन्द्रीय रिलीज

वर्ष : 2003-04 (जून, 2003 तक) (लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एस.जी.आर. वाई.-I केन्द्रीय रिलीज	एस.जी.आर. वाई.-II केन्द्रीय रिलीज	एस.जी.एस. वाई. केन्द्रीय रिलीज	आई.ए.वाई केन्द्रीय रिलीज	डी.डी.पी केन्द्रीय रिलीज	डी.पी.ए.पी. केन्द्रीय रिलीज	आई.डब्ल्यू. डी.पी. केन्द्रीय रिलीज	पी.एम.जी. एस.वाई. केन्द्रीय रिलीज	आर.डब्ल्यू. एस. केन्द्रीय रिलीज
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	6567.48	6641.03	2119.44	6834.72	195.43	1344.81	284.72	असूचित	6556.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	243.69	342.68	83.10	273.67				असूचित	2481.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00				असूचित	4201.20
4.	बिहार	8601.00	9384.19	2433.05	11830.15		4.94		असूचित	0.00
5.	छत्तीसगढ़	2907.38	2755.14	1119.42	1168.81		189.00	166.01	असूचित	950.50
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	34.24				असूचित	0.00
7.	गुजरात	2032.12	2356.33	796.74	1486.96	893.57	771.45	280.47	असूचित	4113.00
8.	हरियाणा	1454.39	1531.75	469.35	664.21	562.50		70.43	असूचित	1331.00
9.	हिमाचल प्रदेश	580.97	522.23	188.09	262.69	115.43	26.89	38.72	असूचित	2459.50
10.	जम्मू व कश्मीर	605.11	539.06	177.52	247.63			67.56	असूचित	5416.50
11.	झारखंड	4609.78	4534.19	1351.26	2824.23				असूचित	1287.50
12.	कर्नाटक	4959.38	4342.07	1600.47	3535.43	443.97	327.07	439.82	असूचित	5656.00
13.	केरल	2225.28	2177.26	718.13	2190.81			96.87	असूचित	0.00
14.	मध्य प्रदेश	4994.74	7778.26	2292.50	3479.75		1100.31	19.16	असूचित	3693.50
15.	महाराष्ट्र	8469.54	8950.83	3113.29	5975.44		127.89	139.41	असूचित	7855.00
16.	मणिपुर	0.00	84.01	0.00	131.69			65.75	असूचित	916.50
17.	मेघालय	586.94	521.56	33.78	297.80				असूचित	983.50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	मिजोरम	154.93	154.75	50.02	119.40				असूचित	693.00
19.	नागालैंड	55.01	236.95	31.36	321.00				असूचित	726.50
20.	उड़ीसा	3124.22	5584.87	2424.19	16768.06		262.03	16.46	असूचित	3151.50
21.	पंजाब	596.28	1541.13	228.10	380.57			25.44	असूचित	1134.50
22.	राजस्थान	3765.88	3688.68	1215.30	1792.72	1044.22	488.68	343.66	असूचित	12513.00
23.	सिक्किम	171.52	171.34	55.38	86.06				असूचित	301.50
24.	तमिलनाडु	5807.16	5721.69	1874.05	3432.28		438.81	406.23	असूचित	2434.50
25.	त्रिपुरा	1079.12	1077.76	348.37	564.47				असूचित	871.50
26.	उत्तर प्रदेश	21473.25	19803.25	505.41	0.00		427.30	492.46	असूचित	5543.00
27.	उत्तरांचल	1230.23	1303.47	381.50	1299.78			93.88	असूचित	1317.50
28.	पश्चिमी बंगाल	6750.22	8167.82	967.57	6889.61				असूचित	3413.50
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.00	17.45	0.00	0.00				असूचित	0.00
30.	दादरा व नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00				असूचित	0.00
31.	दमन व दीव	0.00	0.00	0.00	0.00				असूचित	0.00
32.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	2.83				असूचित	0.00
33.	पांडिचेरी	44.25	63.32	25.00	41.28				असूचित	0.00
	अखिल भारत	93089.87	99993.07	29602.39	72936.29	3255.12	5547.18	3227.07	0.00	80001.00

ए.जी.आर.वाई.—सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, एस.जी.एस.वाई.—स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, आई.ए.वाई.—इंदिरा आवास योजना, डी.डी.पी.—मरूभूमि विकास कार्यक्रम, डी.पी.ए.पी.—सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, आई.डब्ल्यू.डी.पी.—समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, आर.डब्ल्यू.एस.—ग्रामीण जलापूर्ति, पी.एम.जी.एस.वाई.—प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना।

भोपाल गैस त्रासदी

*137. श्री बसुदेव आचार्य :
श्री नरेश पुगलिया :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के मुख्य आरोपी यूनियन कार्बाइड के पूर्व चेयरमैन वारेन एण्डरसन के प्रत्यर्पण के लिए अमेरिकी सरकार को चिर प्रतीक्षित नोटिस दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों की विधवाओं के समक्ष आई समस्याओं से अवगत है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ङ) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(च) क्या गैस त्रासदी के पीड़ितों, विशेषकर उनकी विधवाओं को कोई राहत प्रदान करने का विचार है; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : (क) और (ख) सरकार ने वारेन एण्डरसन के संबंध में प्रत्यर्पण अनुरोध 6 मई, 2003 को भारतीय दूतावास, वाशिंगटन को भेज दिया है। भारतीय दूतावास, वाशिंगटन ने प्रत्यर्पण अनुरोध अमरीकी स्टेट विभाग और न्याय विभाग को अग्रेषित कर दिया है।

(ग) से (छ) मध्य प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार भोपाल गैस पीड़ितों की विधवाएं राज्य सरकार द्वारा 1984 से चलाए जा रहे अनेक राहत कार्यक्रमों के लाभार्थी हैं। इसके अतिरिक्त विधवाओं सहित भोपाल गैस के सभी पीड़ितों को कल्याण आयुक्त के कार्यालय द्वारा प्रत्येक मामले के गुणावगुण के आधार पर उचित रूपेण क्षतिपूर्ति की गई है। उनके मुआवजा संबंधी दावों के निपटान होने तक इन विधवाओं को एकमुश्त 10,000/- रुपए की अनुग्रह राशि और राज्य सरकार द्वारा द्वारा मासिक पेंशन भी दी गई थी। राज्य सरकार ने ऐसी सभी विधवाओं को निःशुल्क फ्लैट भी प्रदान किए हैं।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना

*138. **श्री रामानन्द सिंह :**
श्री चिंतामन वनगा :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत वर्ष 2003-04 के दौरान राज्य सरकारों को आबंटित/जारी की गयी निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) आज की तिथि के अनुसार खर्च न की गयी शेष धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस योजना के अंतर्गत निधियां आबंटित करने के मानदंड क्या हैं;

(घ) क्या सरकार को शिकायतें मिली हैं कि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों का स्तर घटिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) इसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) और (ख) 2003-04 हेतु निधियों के राज्यवार आबंटन को दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है। छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश, मिजोरम तथा राजस्थान से 2003-04 (चरण-III) हेतु प्रस्ताव 2002-03 के दौरान प्राप्त हुए थे और इन्हें 2002-03 के दौरान ही स्वीकृति प्रदान कर दी गयी। आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल के प्रस्तावों पर अधिकार प्राप्त समिति द्वारा विचार किया गया है और निधियों के रिलीज किए जाने से पहले राज्य सरकारों को कुछ शर्तें पूरी करनी हैं। अन्य राज्यों द्वारा प्रस्ताव किया जाना अभी बाकी है।

(ग) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटन आवश्यकता के 75% (देश की कुल सम्पर्कविहीन बस्तियों में सम्पर्कविहीन बस्तियों का अंश) के साथ-साथ कवरेज के लिए 25% (देश की कुल सड़क संपर्कवाली बस्तियों में सड़क संपर्कवाली बस्तियों का अंश) के वेटेज पर आधारित है।

(घ) से (च) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत गुणता को एक त्रि-स्तरीय गुणता नियंत्रण प्रणाली के माध्यम से सुनिश्चित किया जाना होता है, जिसमें से प्रथम दो स्तर राज्य सरकार के पास हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य गुणता समन्वयक/पी.आई.यू. के प्रमुख कार्यों की गुणता के संबंध में शिकायतों/अभ्यावेदनों की जांच करने के लिए प्राधिकारी होंगे और वे 30 दिनों के अंदर शिकायत की सही जांच कर उत्तर भेजने के लिए उत्तरदायी होंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी सड़क कार्यों की गुणता का औचक सत्यापन करने के लिए तीसरे स्तर के रूप

में राष्ट्रीय गुणवता मॉनीटरों की नियुक्ति करती है। राष्ट्रीय गुणवता नियंत्रकों द्वारा दी गई राज्य-वार ग्रेडिंग विवरण-II के रूप में संलग्न की गई है। राष्ट्रीय गुणवता नियंत्रकों की रिपोर्टों को राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने के लिए भेज दिया जाता है कि मॉनिटरों द्वारा पता लगाई गयी कमियों/उल्लंघन को सुधार लिया जाए और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार दोषियों के विरूद्ध, जहां कहीं भी अपेक्षित हो, कार्रवाई की जाए।

विवरण-I

2003-04 के लिए पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत धन का आबंटन

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वार्षिक आबंटन (करोड़ रु० में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	90
2.	अरुणाचल प्रदेश	35
3.	असम	75
4.	बिहार	150
5.	छत्तीसगढ़	87
6.	गोवा	5
7.	गुजरात	50
8.	हरियाणा	20
9.	हिमाचल प्रदेश	60
10.	जम्मू और कश्मीर	20
11.	झारखण्ड	110
12.	कर्नाटक	95
13.	केरल	20
14.	मध्य प्रदेश	213
15.	महाराष्ट्र	130
16.	मणिपुर	20
17.	मेघालय	35
18.	मिजोरम	20
19.	नागालैंड	20
20.	उड़ीसा	175
21.	पंजाब	25
22.	राजस्थान	130
23.	सिक्किम	20
24.	तमिलनाडु	80
25.	त्रिपुरा	25
26.	उत्तर प्रदेश	315
27.	उत्तरांचल	60
28.	पश्चिमी बंगाल	135
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	10
30.	दादरा व न० हवेली	5
31.	दमन व दीव	5
32.	दिल्ली	5
33.	लक्षद्वीप	5
34.	पांडिचेरी	5
	कुल	2255

विवरण-II

मार्च, 2002 से मई, 2003 तक कार्यों की राष्ट्रीय गुणवत्ता निरीक्षण निगरानीकर्त्ता ग्रेडिंग

क्र० सं०	राज्य	उन जिलों की संख्या जिनका दौरा किया	निरीक्षण कार्यों की संख्या	ग्रेडिंग											
				गरीब			औसत			अच्छा			बहुत अच्छा		
				सी	आई	टी	सी	आई	टी	सी	आई	टी	सी	आई	टी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	आंध्र प्रदेश	21	707	0	18	18	20	139	159	76	421	497	32	1	33
2.	अरुणाचल प्रदेश	6	34	0	4	4	0	19	19	2	9	11	0	0	0
3.	असम	9	113	0	0	0	2	7	9	34	66	100	4	0	4
4.	बिहार	7	200	0	5	5	0	42	42	2	147	149	4	0	4
5.	छत्तीसगढ़	11	372	0	12	12	2	65	67	14	268	282	11	0	11
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	18	599	0	29	29	6	90	96	44	350	394	78	2	80
8.	हरियाणा	12	119	0	7	7	1	9	10	5	86	91	11	0	11
9.	हिमाल प्रदेश	12	403	1	5	6	5	62	66	13	273	286	25	20	45
10.	जम्मू व कश्मीर	8	33	0	0	0	0	18	18	0	15	15	0	0	0
11.	झारखंड	11	218	0	22	22	3	89	92	7	97	104	0	0	0
12.	कर्नाटक	21	549	4	34	38	7	191	198	23	285	308	5	0	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13.	केरल	6	219	0	0	0	0	10	10	4	189	193	12	4	16
14.	मध्य प्रदेश	29	734	0	7	7	0	77	77	15	526	541	65	44	109
15.	महाराष्ट्र	23	826	1	20	21	3	171	174	31	577	608	20	3	23
16.	मणिपुर	9	66	17	18	35	14	9	23	4	4	8	0	0	0
17.	मेघालय	4	55	0	12	12	0	5	5	0	33	33	5	0	5
18.	मिजोरम	5	14	0	0	0	0	0	0	0	14	14	0	0	0
19.	नागालैण्ड	3	21	0	0	0	0	3	3	5	13	18	0	0	0
20.	उड़ीसा	25	393	2	6	8	9	110	119	34	210	244	21	1	22
21.	पंजाब	15	566	0	0	0	0	42	42	70	275	345	164	15	179
22.	राजस्थान	29	689	0	22	22	20	67	87	116	286	402	165	13	178
23.	सिक्किम	7	40	0	4	4	1	4	5	1	30	31	0	0	0
24.	तमिलनाडु	22	765	0	8	8	18	76	94	126	445	571	83	9	92
25.	त्रिपुरा	3	22	3	2	5	8	3	11	6	0	6	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	161	958	0	35	35	0	156	156	19	678	697	52	18	70
27.	उत्तरांचल	10	204	0	6	6	0	30	30	12	136	148	13	7	20
28.	पश्चिमी बंगाल	13	239	0	16	16	15	39	54	20	141	161	7	1	8
			9158	28	292	320	134	1533	1666	683	5574	6257	777	138	915

सी–पूरी कर ली गई सड़कें, आई–अधूरी सड़कें, टी–योग

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर में आतंकवाद

***139. श्री श्रीनिवास पाटील :**
श्री विजय कुमार खंडेलवाल :

क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का पूर्वोत्तर राज्यों के उग्रवादियों के विरुद्ध अभियान तेज करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि उग्रवादियों ने अपने कार्यों में महिलाओं और अवयस्कों को भी शामिल कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष आज तक हुई आतंकवादी गतिविधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान घायल हुए/मारे गए नागरिकों, सुरक्षार्मियों और आतंकवादियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार पूर्वोत्तर राज्यों को सुरक्षा बलों की और अधिक कंपनियां उपलब्ध कराने का है;

(च) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार ने इन राज्यों में आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्मयानन्द स्वामी) : (क) विद्रोह से प्रभावित राज्यों में कानून और व्यवस्था स्थिति की पुनरीक्षा आवधिक रूप से राज्य स्तर पर और भारत सरकार द्वारा भी की जाती है। पूर्वोत्तर राज्यों में, किसी क्षेत्र विशेष में मौजूदा जमीनी परिस्थिति के मद्देनजर, समय-समय पर विशिष्ट विद्रोह विरोधी अभियान चलाए जाते हैं।

(ख) ऐसी रिपोर्टें हैं कि उग्रवादी गुपों ने अपनी गतिविधियों में महिलाओं को भी फंसा लिया है परन्तु अव्यवस्कों को उग्रवादी गतिविधियों में लगाने के बारे में कोई रिपोर्टें प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ग) और (घ) वर्ष 2001, 2002 के दौरान और 15.7.2003 तक हिंसक वारदातों की संख्या क्रमशः 1338, 1312 और 781 है। इन हिंसक वारदातों के परिणामस्वरूप इन वर्षों के दौरान क्रमशः 1350, 1172 और 573 जानें (सिविलयनों, सुरक्षा बलों और उग्रवादियों) गईं।

(ङ) और (च) केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती देश के विभिन्न भागों में व्याप्त सुरक्षा परिदृश्य और इन बलों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। इन दबावों को ध्यान में रखते हुए, जहां तक सम्भव होता है पूर्वोत्तर राज्यों में केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती की जाती है।

(छ) आतंकवादी गुटों से निपटने के लिए सरकार ने विभिन्न कदम उठाए हैं। इनमें, अन्य बातों के साथ, राज्य में अर्द्धसैनिक बलों और सेना की तैनाती, विद्रोह विरोधी अभियानों के लिए सेना, अर्द्धसैनिक बलों और राज्य पुलिस द्वारा समन्वित कार्रवाई, मुख्य विद्रोही ग्रुपों को विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के तत गैरकानूनी संगठनों के रूप में घोषित करना, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के तहत सम्पूर्ण असम राज्य को ''विक्षुब्ध क्षेत्र'' घोषित करना; भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए एक परियोजना का कार्यान्वयन, राज्य सरकार को सुरक्षा से संबंधित व्यय की प्रतिपूर्ति और राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण/उन्नयन करना शामिल है। सरकार, विद्रोही गुटों से हिंसा को त्यागने, मुख्य धारा में शामिल होने और संविधान के ढांचे के भीतर समस्याओं का समाधान करने की अपील करती रही है।

अवैध विदेशी संदान

***140. श्री इकबाल अहमद सरडगी :** क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में अवैध विदेशी संदान को रोकने के लिए अनेक कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विधि मंत्रालय के कहने पर विधि आयोग द्वारा तैयार एक परामर्शपत्र में यह सुझाव दिया गया है कि निधियों पर निगरानी रखने के लिए एक अंशदान विनियामक प्राधिकरण का गठन किया जाए;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन उपायों को कब तक विधिक रूप दिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। सरकार वर्तमान कानून में पाई गई कमियों को दूर करने के लिए स्वयंसेवी संगठनों द्वारा विदेशी अभिदाय की प्राप्ति और उपयोगिता को शासित करने वाले कानून में कुछेक परिवर्तन करने पर विचार कर रही है।

(ग) और (घ) जी हां, श्रीमान। भारत के विधि आयोग ने हाल ही में प्राकृतिक तथा अन्य आपदाओं अथवा युद्ध जैसी आपातकालीन परिस्थितियों के दौरान एकत्र किए अभिदाय के विनियमन के उद्देश्य से विधि अधिनियमित करने हेतु संबंधित व्यक्तियों/निकायों के मत/विचार जानने के लिए एक परामर्शपत्र परिचालित किया है।

(ङ) इस प्रक्रिया के पूरा होने के लिए फिलहाल कोई समय-सीमा नहीं बताई जा सकती है।

धनराशि का अन्यत्र उपयोग

1162. **श्री टी० गोविन्दन : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा शहरी विकास हेतु आबंटित धनराशि का पर्यटन के विकास के लिए उपयोग किया गया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान अन्यत्र उपयोग की गई धनराशि का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) शहरी विकास योजनाओं के लिए आबंटित धनराशि के अन्यत्र उपयोग के क्या कारण हैं; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

संघ-लोक-सेवा-आयोग द्वारा चयन

1163. **श्री शिवाजी माने :**

श्री राम टहल चौधरी :

क्या उप प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान संघ-लोक-सेवा-आयोग द्वारा चुने गए व्यक्तियों को अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या संघ-लोक-सेवा-आयोग द्वारा किसी पद पर उम्मीदवार का चयन कर लिए जाने के बाद उस पद को समाप्त करने का कोई नियम है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में गत दो वर्षों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(च) क्या विभाग प्रमुखों द्वारा इन नियमों का दुरुपयोग किए जाने की संभावनाओं के संबंध में सरकार द्वारा जांच की गई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) संघ-लोक-सेवा-आयोग ने यह यह सूचित किया है कि पहले, कुछ मौकों पर उसके द्वारा संचालित की गई विभिन्न परीक्षाओं और भर्तियों के परिणामें के आधार पर संस्तुत उम्मीदवारों को नियुक्ति-प्रस्ताव जारी करने में विलम्ब हुआ है।

(ख) नियुक्ति के प्रस्ताव, नियुक्ति किए जाने से पहले, चरित्र और पूर्ववृत्त का सत्यापित करवाया जाना तथा डॉक्टरी परीक्षण करवाया जाना आदि जैसी औपचारिकताएं पूरी कर लिए जाने के उपरांत जारी किए जाते हैं, जो कि विलंब के कारणों में से एक कारण हो सकता है। इस बारे में चाही गई जानकारी, केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती।

(ग) से (छ) इस बारे में जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार, किसी पद के आस्थगित रखे जाने अथवा उसके एक वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि तक खाली बने रहने की स्थिति में उसे समाप्त कर दिया गया मान लिया जाना अपेक्षित है। प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों

को किसी पद के आस्थगित रखे जाने/उसके एक वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि तक खाली बने रहने की स्थिति में उसे समाप्त कर दिया गया मान लिए जाने के उपरांत, ऐसे मामलों में, एक महीने के भीतर पद को समाप्त कर देने का आदेश जारी कर दिया जाना सुनिश्चित करने की सलाह दी गई थी। फिर भी आपवादिक मामलों में, मामले के गुणावगुणों के आधार पर ऐसे पद को बहाल करने पर विचार किया जाता है। इसके अलावा, जिन मामलों में पद के रिक्त होने के एक वर्ष के भीतर भर्ती-प्रक्रिया शुरू कर दी गई हो, परंतु उपर्युक्त अवधि के दौरान पैनल को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका हो तो उनमें भर्ती की दृष्टि से आगे और कार्रवाई करने से पहले व्यय-विभाग का अनुमोदन ले लिया जाए। जिन मामलों में पद रिक्त होने के एक वर्ष की अवधि के भीतर भर्ती की कार्रवाई शुरू नहीं की गई हो, उनमें भर्ती की दृष्टि से कोई भी कार्रवाई शुरू नहीं की जाए। फिर भी, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के ऐसे पदों/पैनलों और/अथवा प्रस्तावों से संबंधित विस्तृत जानकारी नहीं रखी जाती।

[अनुवाद]

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान-परिषद् में वैज्ञानिकों की नियुक्ति

1164. **श्री हरीभाऊ शंकर महाले :** क्या उप प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता-आयोग को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान-परिषद् में वरिष्ठ वैज्ञानिकों की नियुक्ति के संबंध में संसद सदस्यों से शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सतर्कता-आयोग द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) से (ग) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान-परिषद् ने यह सूचित किया है कि केन्द्रीय सतर्कता-आयोग ने उपर्युक्त परिषद् में वरिष्ठ वैज्ञानिकों की नियुक्ति के बारे में माननीय संसद-सदस्यों द्वारा लिखे गए दो पत्र, जांच-पड़ताल किए जाने और उनके बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने हेतु भेजे हैं। उपर्युक्त पत्रों में उठाए गए मुद्दे, दिल्ली उच्च न्यायालय में न्याय निर्णयाधीन हैं।

डीडीए फ्लैटों में अवैध निर्माणों को नियमित किया जाना

1165. **श्री विलास मुत्तेमवार :**
श्रीमती प्रभा राव :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में डीडीए फ्लैटों में अवैध निर्माणों को नियमित करने का निर्णय लिया है और फ्लैट मालिकों के लिए विनिर्दिष्ट शुल्क के भुगतान पर निर्माण को नियमित करने हेतु सर्वक्षमा योजना की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लोगों द्वारा फ्लैटों में किए गए अवैध निर्माणों के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन अवैध निर्माणों से जन सेवाओं पर दबाव नहीं पड़ेगा जो कि पहले ही अपर्याप्त और असंतोषजनक हैं;

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(छ) क्या भविष्य में इन फ्लैटों में अवैध निर्माणों को रोकने हेतु कोई ठोस कदम उठाए गए हैं; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) और (ख) सरकार ने दिनांक 3.4.2001 के पत्र के द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों में परिवर्द्धनों/परिवर्तनों की 19 मदों की अनुमति प्रदान की थी। दिनांक 20.1.2003 के पत्र के तहत परिवर्द्धनों/परिवर्तनों की सूची में इस प्रकार की सात अन्य मदें शामिल की गई हैं। परिवर्द्धनों/परिवर्तनों की 26 मदों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

संलग्न सूची की क्रम संख्या 23 से 26 तक की मदों को आबंटी द्वारा विस्तृत नक्शे (योजनाएं) प्रस्तुत करने पर डीडीए/एमसीडी की पूर्व अनुमति से, अनुमति प्रदान की जानी है, जो सरकार द्वारा अनुमत परिवर्द्धनों/परिवर्तनों संबंधी भवन उप-नियमों एवं दिशानिर्देशों के अनुरूप

व एक पंजीकृत वास्तुविद द्वारा एतद्द्वारा प्रमाणित हों। एक योग्य ढांचागत इंजीनियर को इसकी ढांचागत सुरक्षा को प्रमाणित करना होगा।

उपरोक्त के अलावा, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार डीडीए/एमसीडी के पूर्व अनुमोदन से भूमि तल और तल सतह टेरेस पर कोर्टयार्ड के कवरेज तथा छत पर एक कमरे के निर्माण की भी अनुमति दी जा सकती है।

(ग) और (घ) डीडीए की प्रवर्तन शाखा द्वारा समय-समय पर फ्लैटों के विभिन्न पाकेटों का सर्वेक्षण किया जाता है। लेकिन सभी आवास स्कीमों का व्यापक सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ङ) से (ज) अनुमत्य परिवर्द्धन/परिवर्तन मास्टर प्लान एवं भवन निर्माण संबंधी उप नियमों के समग्र ढांचे के भीतर होते हैं। चूंकि मकानों की संख्या में वृद्धि अथवा आबादी पैटर्न के बिना, केवल कुछ अतिरिक्त कवरेज की अनुमति है इसलिए इससे सेवाओं पर दबाव पड़ने की संभावना नहीं है। अनुमत्य परिवर्द्धन/परिवर्तनों के उल्लंघन में अवैध निर्माणों पर कार्रवाई नियमानुसार की जाती है।

विवरण

1. मौजूदा बरसाती को कमरे में बदलना बशर्ते कि दीवार केवल 115 मी.मी. मोटी बनाई जाए।

2. उचित फिक्सिंग व्यवस्था के साथ बरांडा में ग्रिल और ग्लेजिंग।

3. जाल/फेन्सिंग लगा कर कोर्टयार्ड (आंगन) के अग्रभाग और पिछले भाग की ऊंचाई 7 फीट तक बढ़ाना।

4. जहां कहीं व्यवस्था नहीं है, वहां आंगन में दरवाजे की व्यवस्था करना।

5. जहां कहीं व्यवस्था नहीं है, वहां दरवाजों और खिड़कियों पर उचित फिक्सिंग व्यवस्था के साथ सनशेड उपलब्ध कराना।

6. दरवाजे को बन्द करना।

7. यदि स्नानगृह अथवा शौचालय के ऊपर छत नहीं है तो इन्हें खुला मूत्रालय माना जाए तथा छत की अनुमति दी जाए।

8. ग्रिल अथवा ग्लेजिंग के साथ बालकनी की दिवार/टैरेस की मुंडेर की ऊंचाई 5 फीट तक बढ़ाना।

9. टेरेस तक पहुंचने के लिए जहां सीढ़ियों की व्यवस्था नहीं है, वहां खुली सीढ़ियां (कैट लेडर) का निर्माण करना।

10. आम रास्ते से छेड़छाड़ किए बगैर भूतल क्षेत्र में अतिरिक्त पीवीसी वाटर टैंक रखना/व्यवस्था करना।

11. सतह स्तर पर स्कूटर/कार गैरेज में अतिरिक्त पीवीसी वाटर टैंक उपलब्ध कराना।

12. दीवारों में खुदाई किए बगैर कमरों में लोफ्ट/शैल्फ की व्यवस्था करना।

13. वाटर प्रूफिंग ट्रीटमेंट के साथ फ्लोरिंग में परिवर्तन करना।

14. ईंटों की आधी दीवार (4½") हटाना।

15. आम रास्ता/बरसाती पानी नाली से छेड़छाड़ किए बगैर सामने के गेट पर ढलान बनाना।

16. 2 फीट चौड़ाई तक बाह्य खिड़कियों पर सनशेड की व्यवस्था करना।

17. कमरों में फाल्स सीलिंग की व्यवस्था करना।

18. मौजूदा दीवारों में एक्जॉस्ट पंखा अथवा एयर कंडीशनर के लिए अधिकतम 2 फीट 6 इंच × 1 फीट 9 इंच आकार के खुले स्थान की व्यवस्था करना।

19. आंगन के पिछले भाग अथवा अग्रभाग में दरवाजों की व्यवस्था करना।

20. प्रकाश एवं हवा की उपलब्धता के अधीन रहते हुए खिड़की को अलमारी में बदलना।

21. 550 लीटर तक सीमित पानी भण्डारण की क्षमता के अध्यधीन पानी भण्डारण टैंक को बदलना/मुंडेर की दीवार को 5 फीट तक ऊंचा करना तथा निर्दिष्ट स्थान पर अतिरिक्त जल भण्डारण टैंक रखना।

22. आगे के ग्लेजिंग दरवाजों/खिड़कियों को मौजूदा छज्जे के अधिकतम बाह्य भाग तक ले जाना।

23. भवन निर्माण संबंधी उप-नियमों तथा स्थानीय प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के अधीन एक मंजिला निर्मित फ्लैटों के मामले में मूल ढांचे को हटाना तथा यथोचित अनुमति के साथ पुनर्निर्माण।

24. इस शर्त के अधीन की मौजूदा सेवाएं प्रभावित नहीं होंगी, पिछवाड़े के आंगन में स्नानगृह तथा शौचालय का निर्माण।

25. फाइबर ग्लास/एसी शीटों/जीआई शीटों (चादरों)/पाइपों तथा मानक आकार के आयरन सैक्शनों आदि जैसी हल्के वजन की सामग्री को ग्लेजिंग सहित स्लोपिंग छतों के साथ ओपन टैरेस को 9 फीट ऊंचाई तक कवर करना।

26. ढांचे की सुरक्षा के अधीन रहते हुए समुचित विद्युत कनैक्शन के साथ किचन (रसोईघर), स्नानगृह तथा शौचालय की स्थिति में अन्त: परिवर्तन।

[हिन्दी]

आई.ए.एस./आई.पी.एस. हेतु प्रशिक्षण

1166. **श्री सुन्दर लाल तिवारी :** क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आई.ए.एस. और आई.पी.एस. अधिकारियों में बढ़ते भ्रष्टाचार को ध्यान में रखते हुए उनके प्रशिक्षण और शिक्षण में आमूल चूल परिवर्तन लाने का है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) से (ग) भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के बुनियादी और सेवा कालीन, दोनों प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भ्रष्टाचार मुक्त जीवन से सम्बन्धित मुद्दों पर बल दिया जाता है।

[अनुवाद]

बोडो के साथ युद्ध विराम समझौता

1167. **डा० जयन्त रंगपी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के साथ युद्धविराम समझौता करने वाले दो उग्रवादी संगठनों यू.पी.डी.एस. और डी.एच.डी. ने सरकार, राज्य सरकार और बी.एल.टी. के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के खण्ड-8 का विरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यू.पी.डी.एस. और डी.एच.डी. ने केन्द्र सरकार के साथ हाल ही में हुई वार्ता के दौरान यह मुद्दा उठाया था;

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) किन-अन्य संगठनों/समूहों ने उक्त समझौता ज्ञापन का विरोध किया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्मयानन्द स्वामी) : (क) युनाइटिड पीपुल्स डेमोक्रेटिक सॉलिडेरिटी (यू.पी.डी.एस.) से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें समझौता ज्ञापन की धारा 8 को हटाने की मांग की गई है। तथापि, दीमा हालम दाओगा (डी.एच.डी.) से इस मामले पर कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) यू.पी.डी.एस. तथा डी.एच.डी. से हुए विचार-विमर्श का ब्यौरा देना जनहित में नहीं है।

(ग) यू.पी.डी.एस. के विचारों को नोट कर लिया गया है।

(घ) बी.एल.टी. के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का व्यापक स्वागत हुआ है।

[हिन्दी]

अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. कर्मचारी

1168. **श्री बालकृष्ण चौहान :** क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न विभागों और उपक्रमों में कार्यरत समूह "क", "ख", "ग" और "घ" के कर्मचारियों की संख्या क्या है; और

(ख) कुल कर्मचारियों में से अ.पि.वि., अ.जा. और अ.ज.जा. के कर्मचारियों की समूहवार अलग-अलग संख्या कितनी है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा प्रयोग किए जा रहे हथियार

1169. **श्री दलपत सिंह परस्ते :** क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा प्रयोग किए जा रहे हथियारों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो आतंकवादियों से बरामद किए गए हथियारों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे हथियार की आपूर्ति करने वाले देशों के नाम क्या हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्मयानन्द स्वामी) : (क) से (ग) उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, सुरक्षा बलों द्वारा बरामद, जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा प्रयोग किए जा रहे विभिन्न प्रकार के हथियार निम्नानुसार हैं :-

1. ए.के. 47/56/74 राइफलें
2. पिस्तौल/रिवॉल्वर
3. यूनिवर्सल मशीन गन (यू एम जी)
4. कारबाइन
5. राकेट प्रोजेक्टाइल गन (आर पी जी)
6. जनरल परपज मशीन गन (जी.पी.एम.जी.)
7. लाइट मशीन गन (एल.एम.जी.)/सेल्फ लोडिंग राइफल (एस.एल.आर.)
8. .303 राइफल
9. स्निपर राइफल
10. राकेट लॉंचर
11. राकेट बूस्टर आदि

[अनुवाद]

खनिजों का दोहन

1170. **श्री टी०टी०वी० दिनाकरन :** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रादेशिक समुद्र, महाद्वीपीय क्षेत्र और अन्य समुद्री क्षेत्रों में खनिजों की खोज की है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे खनन हेतु उन राज्यों को कितनी रॉयल्टी दी गई है जिनके तटक्षेत्र में खनिजों का दोहन किया जा रहा है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) जी, हां। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी एस आई) ने भारत के प्रदेशिक जल, महाद्वीपीय शेल्फ और अनन्य आर्थिक क्षेत्र है (ई ई जैड) के अंदर समुद्रतल मानचित्रण और खनिजों के गवेषण के लिए व्यवस्थित सर्वेक्षण किए हैं। सर्वेक्षणों के दौरान उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और केरल के तटों के निकट इल्मेनाइट, रूटाइल, जिरकॉन, सिल्लीमेनाइट, मोनाजाइट तथा गारनेट युक्त भारी खनिज बालू, आंध्र प्रदेश और गुजरात के तटों के निकट उच्च ग्रेड लाइम मड निक्षेप, तमिलनाडु और गुजरात के तटों के निकट फॉस्फेटाइज्ड सेडीमेंट्स तथा अंडमान ओर लक्षद्वीप समुद्रों में माइक्रो-मेंगनीज नोड्यूल्स और फैरोमेंगनीज इनक्रस्टेशंस का पता चला है।

(ख) अपटीय क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 के तहत् पट्टाधारी को, उसके द्वारा उपभोग किए गए अथवा निकाले गए खनिज हेतु केन्द्र सरकार को रॉयल्टी का भुगतान करना होता है क्योंकि केन्द्र सरकार अपतटीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले खनिजों की स्वामी है। तथापि, केन्द्र सरकार ने अपतटीय क्षेत्र में गवेषण और उत्पादन के लिए अभी तक किसी भी क्षेत्र को अधिसूचित नहीं किया है।

कृषि आधारित विदेशी उद्योग

1171. **श्री कर्नल (सेवानिवृत्त) डा० धनीराम शांडिल्य : क्या कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कृषि आधारित विदेशी उद्योगों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान देश में कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना करने के लिए प्राप्त प्रस्तावों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ग) आज की तिथि तक स्वीकृत प्रस्तावों की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(घ) लंबित प्रस्तावों के कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संघप्रिय गौतम) : (क) औद्योगिक नीति तथा सम्वर्धन विभाग (डी.आई.पी.

पी.), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार देश में कार्यरत विदेशी कृषि आधारित उद्योगों के संबंध में डाटा का अनुरक्षण केन्द्रीय तौर पर नहीं किया जाता है।

(ख) (डी.आई.पी.पी.) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार विगत दो वर्षों के दौरान कृषि आधारित उद्योगों सहित, विदेशी निवेश/विदेशी सहयोग के लिए प्राप्त प्रस्तावों संबंधी ब्यौरा विवरण-। और ॥ के रूप में संलग्न है।

● (ग) (डी.आई.पी.पी.) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कृषि आधारित उद्योग प्रस्ताव जिन्हें विदेशी निवेश/विदेशी सहयोग के लिए मंजूरी दी गई है, के संबंध में राज्य-वार ब्यौरा विवरण-III के रूप में संलग्न है।

(घ) डी.आई.पी.पी. द्वारा दी गई सूचना के अनुसार विदेशी निवेश/सहयोग संबंधी ऐसे सभी प्रस्तावों के संवंध में निर्णय सामान्यत: 30 दिन के भीतर सूचित कर दिए जाते हैं।

विवरण-I

वर्ष, 2001 के दौरान विदेशी निवेश/विदेशी तकनीकी सहयोग के लिए प्राप्त प्रस्तावों की सूची

1.	आन्ध्र प्रदेश	39
2.	असम	1
3.	बिहार	2
4.	गुजरात	21
5.	हरियाणा	35
6.	हिमाचल प्रदेश	3
7.	कर्नाटक	68
8.	केरल	16
9.	मध्य प्रदेश	2
10.	महाराष्ट्र	222
11.	उड़ीसा	4
12.	पंजाब	4
13.	राजस्थान	3
14.	तमिलनाडु	95
15.	उत्तर प्रदेश	31
16.	पश्चिम बंगाल	15
17.	छत्तीसगढ़	1
18.	चंडीगढ़	1
19.	दिल्ली	124
20.	गोवा	6
21.	पांडिचेरी	6
22.		5
	कुल योग	704

विवरण-II

वर्ष 2002 के दौरान विदेशी निवेश/विदेशी तकनीकी सहयोग के लिए प्राप्त प्रस्तावों की सूची

1.	आन्ध्र प्रदेश	34
2.	असम	1
3.	गुजरात	29
4.	हरियाणा	31
5.	हिमाचल प्रदेश	2
6.	कर्नाटक	70
7.	केरल	4
8.	मध्य प्रदेश	1
9.	महाराष्ट्र	159

10.	उड़ीसा	1	18.	उत्तरांचल	1
11.	पंजाब	6	19.	चंडीगढ़	4
12.	राजस्थान	4	20.	दिल्ली	143
13.	तमिलनाडु	89	21.	गोवा	4
14.	उत्तर प्रदेश	15	22.	पांडिचेरी	3
15.	पश्चिम बंगाल	15	23.	दमन एवं दीव	1
16.	छत्तीसगढ़	1	24.		7
17.	झारखंड	4		कुल योग	629

विवरण-III

जनवरी, 2001 से मई, 2003 के दौरान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) तथा विदेशी प्रौद्योगिकी मामलों (एफ.टी.सी.) के संबंध में सरकार द्वारा दी गई स्वीकृति के बारे में वर्ष-वार ब्यौरा

वनस्पति ऑयल सेक्टर तथा वनस्पति या शुगर सेक्टर या होर्टीकल्चर सेक्टर या एग्रीकल्चर सेक्टर या फ्लोरी कल्चर सेक्टर

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य	2001 जन-दिसम्बर		2002 जन.-दिस.		2003 जन.-मई		कुल	
		एफ.* आई.एन.	एफ.डी. आई. रु. में	एफ. आई.एन.	एफ.डी. आई. रु. में	एफ. आई.एन.	एफ.डी. आई. रु. में	एफ. आई.एन.	एफ.डी. आई रु. में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	2	0.27	9	18.25	2	1.56	13	20.08
2.	गुजरात	1	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.00
3.	हरियाणा	0	0.00	2	0.05	0	0.00	2	0.05
4.	कर्नाटक	5	29.34	0	0.00	0	0.00	5	29.34
5.	केरल	2	0.05	0	0.00	0	0.00	2	0.05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	महाराष्ट्र	3	16.20	8	57.26	6	30.92	17	104.37
7.	पंजाब	1	6.54	0	0.00	0	0.00	1	6.54
8.	तमिलनाडु	3	39.84	0	0.00	0	0.00	3	39.84
9.	उत्तर प्रदेश	0	0.00	1	0.70	0	0.00	1	0.70
10.	दिल्ली	3	35.82	3	5.75	0	0.00	6	41.57
11.	गोवा	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12.	राज्य सूचित नहीं	2	0.00	2	0.00	1	0.10	5	0.10
	कुल योग	22	128.05	25	82.02	9	32.58	56	242.65

*वित्त

दक्षिणी दिल्ली में भवनों / फार्म हाऊसों को गिराया जाना

1172. **श्री शीश राम सिंह रवि : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गिराए जाने के लिए पहचान किए गए 828 भवनों/फार्म हाऊसों का स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आज तक एक भी भवन/फार्म हाऊस नहीं गिराया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार विस्तृत जांच के लिए इस मामले को सतर्कता विभाग को सौंपने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मणिपुर में गैर-सरकारी संगठन

1173. **श्री टीएच. चाओबा सिंह : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत वित्तीय वर्ष 2002-03 में मणिपुर के गैर-सरकारी संगठनों/संगठनों द्वारा प्रस्तुत एक भी प्रस्ताव मंत्रालय द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि नहीं, तो उन गैर-सरकारी संगठनों/संगठनों के नाम क्या हैं जिन्हें धनराशि स्वीकृत/जारी की गयी है;

(घ) क्या उनके मंत्रालय को गृह मंत्रालय द्वारा जारी कोई परिपत्र प्राप्त हुआ है कि मणिपुर के गैर-सरकारी संगठनों/संगठनों द्वारा प्रस्तुत सभी नई योजनाओं/प्रस्तावों को गृह मंत्रालय से स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है;

(ङ) यदि हां, तो मणिपुर के गैर-सरकारी संगठनों द्वारा प्रस्तुत नई योजनाओं को स्वीकृति हेतु-गृह मंत्रालय के पास क्यों वापस भेजा जा रहा है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत, वर्ष 2002-03 के दौरान, मणिपुर के निम्नलिखित गैर-सरकारी संगठनों को धनराशि, जारी की गई है:

1. ईस्टर्न उत्तर एसोसिएशन, वेटोन, डाकघर पांगेई, इम्फाल पूर्वी जिला

2. नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिशरमैन, इम्फाल

3. मानव संसाधन का उन्नयन और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, वांगजिंग

4. थाऊ यूनियन, इम्फाल

5. ब्राइट वेज़, तेराखोंग

6. स्वैच्छिक कार्रवाई सोसायटी, इम्फाल (पश्चिमी)

7. हाइलैंड वेल्फेयर एसोसिएशन, सदर हिल्स

8. पर्यावरण और आर्थिक प्रबंधन संघ, इम्फाल (पश्चिम)

9. भारत सेवक समाज, इम्फाल (पूर्व)

(घ) जी, नहीं।

(ङ) से (छ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

लाइसेंस शुल्क

1174. **श्री राधा मोहन सिंह : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान एनडीएमसी क्षेत्र में स्थित किन-किन संगठनों, पांच सितारा होटलों और अतिथि गृहों द्वारा लाइसेंस शुल्क नहीं दिया गया है;

(ख) उक्त संगठनों, पांच सितारा होटलों और अतिथि गृहों पर कितनी धनराशि बकाया है;

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है;

(घ) क्या सरकार का विचार इन निकायों के लाइसेंस को रद्द करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा

1175. **श्री ई०एम० सुदर्शन नाच्चीयपन : क्या उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा अमरनाथ तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और संरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कोई पहल की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्मयानन्द स्वामी) : (क) से (ग) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि कुछ आसूचना जानकारियों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अमरनाथ तीर्थयात्रियों के लिए व्यापक सुरक्षा प्रबन्ध किए हैं। वे मार्ग, जहां से होकर तीर्थयात्रियों के जत्थे गुजर रहे हैं, को सुग्राही बनाया गया है और आर.ओ.पी. तैनात की गई है। अमरनाथ गुफा के मार्गों और पवित्र गुफा की सुरक्षा व्यवस्था को थ्री-टियर सुरक्षा की प्रणाली गठित कर सुदृढ़ किया गया है, जिसमें क्रमशः सेना, सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और राज्य पुलिस सम्मिलित हैं। प्रत्येक वर्ष की भांति, अमरनाथ यात्रा 2003 हेतु सुरक्षा प्रबंध करने के लिए जम्मू और कश्मीर की सरकार को अतिरिक्त सुरक्षा बल मुहैया कराए गए हैं।

केन्द्रीय सतर्कता-आयोग की रिपोर्ट

1176. **श्री रघुनाथ झा : क्या उप प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के विभिन्न विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर केन्द्रीय सतर्कता-आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है जैसा कि 16.07.2003 के 'दैनिक जागरण' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत छह महीनों के दौरान सी.वी.सी. के ध्यान में आए भ्रष्टाचार के मामलों की विभागवार संख्या कितनी है; और

(घ) इन मामलों में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) और (ख) केन्द्रीय सतर्कता-आयोग ने यह सूचित किया है कि उसने ऐसी कोई भी रिपोर्ट जारी नहीं की है। फिर भी, उपर्युक्त आयोग, उसे एक माह में मिले मामलों का निबटारा दर्शाते हुए नियमित रूप से प्रेस नोट जारी करता रहता है।

(ग) और (घ) पिछले छः माह के दौरान, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और राष्ट्रीयकृत बैंकों के संबंध में भ्रष्टाचार के 1,590 मामले, केन्द्रीय सर्तकता-आयोग के ध्यान में आए हैं। इन मामलों का विभाग-वार विवरण संलग्न है। संबंधित मंत्रालयों/विभागों के अनुशासनिक प्राधिकारी, प्रत्येक मामले के गुणावगुणों के आधार पर, दोषी अधिकारियों के खिलाफ़, संगत नियमों और विनियमों के अनुसार, कार्रवाई आरम्भ कर देते हैं और वे ऐसे दोषी अधिकारियों पर भारी/लघु शास्ति लगाने की दृष्टि से विभागीय कार्रवाई किए जाने अथवा उनके खिलाफ़ मुकदमा चलाने की मंजूरी लिए जाने के बारे में केन्द्रीय सतर्कता-आयोग की सलाह पर भी ध्यान देते हैं।

विवरण

क्रम सं०	विभाग/संगठन का नाम	जनवरी, 2003 से जून, 2003 तक की अवधि के दौरान मिले मामलों की संख्या
1	2	3
1.	रेल-मंत्रालय (सहायक संस्थाओं सहित)	133
2.	दूरसंचार-विभाग	132
3.	डाक-विभाग	11
4.	महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड	5
5.	टेली कम्यूनिकेशन कन्सलटेन्सी ऑफ इंडिया लिमिटेड	1
6.	जहाजरानी-मंत्रालय	7
7.	सड़क-परिवहन और राजमार्ग-मंत्रालय	1
8.	नागर विमानन-मंत्रालय	1
9.	एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	10
10.	एअर इंडिया	2
11.	पवन हंस हेलिकॉप्टरर्स लिमिटेड	1
12.	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	7
13.	सीमा-सड़क-विकास-बोर्ड	1
14.	पारादीप-पत्तन-न्यास	2
15.	चेन्नई-पत्तन-न्यास	4
16.	विशाखापत्तनम-पत्तन-न्यास	3
17.	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटिड	2
18.	मुम्बई-पत्तन-न्यास	1
19.	कोचीन-पत्तन-न्यास	1
20.	शिपिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया	1
21.	आर.आई.टी.ई.एस.	1
22.	हुगली डॉक् एंड पोर्ट इंजीनियर (एच०डी०पी०ई०)	1
23.	कलकत्ता डॉक् श्रमिक बोर्ड (सी०डी०एल०बी०)	1
24.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	9
25.	भारतीय स्टेट बैंक	83
26.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर	15
27.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	4

1	2	3
28.	यूको बैंक	6
29.	इंडियन ओवरसीज बैंक	16
30.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	35
31.	भारतीय रिजर्व बैंक	7
32.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	5
33.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	14
34.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावण्कोर	2
35.	स्टेट बैंक ऑफ इंदोर	4
36.	एन.ए.बी.ए.आर.डी.	2
37.	आई.डी.बी.आई.	3
38.	आई.आई.बी.आई.	2
39.	एस.आई.डी.बी.आई.	1
40.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	7
41.	इंडियन बैंक	7
42.	पंजाब नेशनल बैंक	46
43.	सिंडीकेट बैंक	13
44.	बैंक ऑफ बड़ौदा	39
45.	केनरा बैंक	17
46.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	28
47.	इलाहाबाद बैंक	18
48.	देना बैंक	20
49.	बैंक ऑफ इंडिया	43
50.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	1

1	2	3
51.	ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	24
52.	कॉर्पोरेशन बैंक	18
53.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	6
54.	आंध्र बैंक	8
55.	विजय बैंक	4
56.	केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर-बोर्ड	67
57.	केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा-शुल्क-बोर्ड	41
58.	नेशनल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटिड	33
59.	न्यू इंडिया इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटिड	17
60.	यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटिड	4
61.	भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटिड	6
62.	ऑरिएण्टल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटिड	13
63.	वित्त-मंत्रालय	12
64.	आई.बी.पी. कम्पनी लिमिटिड	2
65.	भारतीय सीमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटिड	2
66.	नेशनल हाइड्रो पॉवर कॉर्पोरेशन	2
67.	सी.एस.आई.आर.	10
68.	पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया	1
69.	इंडियन रेयर अर्थ लिमिटिड	1
70.	दामोदर घाटी निगम	1
71.	सूचना प्रौद्योगिकी-मंत्रालय	7
72.	ऑयल इंडिया लिमिटिड	1
73.	इस्पात-मंत्रालय	8

1	2	3
74.	वस्त्र-मंत्रालय	5
75.	कोयला-मंत्रालय	10
76.	सेंट्रल कोल फ़ील्ड्स लिमिटिड	3
77.	ईसटर्न कोल फ़ील्ड्स लिमिटिड	2
78.	नेशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन	4
79.	महानदी कोल फील्ड्स लिमिटिड	2
80.	प्रोजेक्ट्स एण्ड इक्युपमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया	1
81.	नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन	2
82.	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटिड	5
83.	जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटिड	1
84.	एंड्रयू यूले कॉ. लिमिटिड	1
85.	आयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन	2
86.	भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स् लिमिटिड	1
87.	प्रोजेक्ट्स एंड डेवलमपमेंट ऑफ इंडिया	1
88.	वाणिज्य-विभाग	4
89.	विद्युत-विभाग	3
90.	उर्वरक-विभाग	1
91.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटिड	3
92.	एम.एम.टी.सी. लिमिटिड	5
93.	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटिड	5
94.	परमाणु ऊर्जा-विभाग	4
95.	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिया लिमिटिड	1
96.	हिन्दुस्तान फर्टीलाइजर्स कॉर्पोरेशन लिमिटिड	1
97.	भारतीय राष्ट्रीय खनिज विकास निगम	1
98.	भारी उद्योग-विभाग	1
99.	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया	3
100.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी-विभाग	1
101.	आई.डी.पी.एल.	1
102.	साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटिड	1
103.	लघु उद्योग-विकास-आयुक्त का कार्यालय	4
104.	खान विभाग	2
105.	भारत पैट्रोलियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	2
106.	रसायन और पैट्रोरसायन-विभाग	2
107.	राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटिड	2
108.	भारतीय व्यापार-संवर्द्धन-संगठन	1
109.	वैस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटिड	2
110.	कोल इंडिया लिमिटिड	1
111.	विदेश-व्यापार-महानिदेशालय	1
112.	औद्योगिक नीति और संवर्द्धन-विभाग	1
113.	बोंगियान रिफ़ाइनरी पेट्रो कैमिकल्स लिमिटिड	1
114.	गैस आथॉरिटी ऑफ इंडिया	1
115.	एन.ई.ई.पी.सी.सी.	1
116.	स्वास्थ्य और परिवार-कल्याण-मंत्रालय	28

1	2	3
117.	श्रम-मंत्रालय	21
118.	भारतीय खाद्य-निगम	14
119.	कृषि-विभाग	17
120.	उच्चतर और माध्यमिक शिक्षा-विभाग	32
121.	आपूर्ति-विभाग	4
122.	उपभोक्ता मामले-विभाग	7
123.	जल-संसाधन-विभाग	7
124.	खाद्य और नागरिक आपूर्ति-विभाग	4
125.	योजना-आयोग	2
126.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली-सरकार	42
127.	दिल्ली-नगर-निगम	56
128.	केन्द्रीय लोक-निर्माण-विभाग	10
129.	दिल्ली-जल-बोर्ड	7
130.	दिल्ली-विद्युत-बोर्ड	3
131.	दिल्ली मेट्रो रेल-कॉर्पोरेशन	2
132.	शहरी विकास और गरीबी-उपशमन-मंत्रालय	27
133.	नई दिल्ली-नगर-निगम	1
134.	एच.यू.डी.सी.ओ.	5
135.	दिल्ली-परिवहन-निगम	5
136.	दिल्ली-विकास-प्राधिकरण	32
137.	सूचना और प्रसारण-मंत्रालय	15
138.	भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक	1
139.	मंत्रिमंडल-सचिवालय	1
140.	रक्षा-मंत्रालय	42
141.	गृह-मंत्रालय	6
142.	कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग	8
143.	केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो	3
144.	चंडीगढ़-प्रशासन	5
145.	दमन और दीव-प्रशासन	2
146.	अंडमान और निकोबार-प्रशासन	12
147.	पांडिचेरी-सरकार	1
148.	विधि, न्याय और कंपनी कार्य-मंत्रालय	2
149.	विदेश-मंत्रालय	6
	कुल	1590

फार्मा प्रौद्योगिकी उन्नयन

1177. **श्री सईदुज्जमा :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने फार्मा उत्पादों में प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए क्यूबा से सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इससे भारतीय अनुसंधान और विकास की कमी का पता चलता है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) : (क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का क्यूबा सहित अनेक देशों के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए द्विपक्षीय करार है। तथापि, उनका फार्मा प्रौद्योगिकी उन्नयन पर कोई करार नहीं है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न ही नहीं उठता।

जनगणना 2001

1178. **श्री होलखोमांग हौकिप :** क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनगणना 2001 रिपोर्ट अंतिम रूप से तैयार है;

(ख) यदि नहीं, तो अन्तिम रूप से संकलित जनगणना (2001) रिपोर्ट के कब तक तैयार होने की संभावना है; और

(ग) जनगणना रिपोर्ट में किसी त्रुटि या गलती को दूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी/प्राधिकारियों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्मयानन्द स्वामी) : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान। गांव/नगर स्तर पर जनसंख्या के विवरण देते हुए प्राथमिक जनगणना सार के अक्तूबर, 2003 के अन्त तक तैयार हो जाने की सम्भावना है।

(ग) जनगणना आयुक्त, जनगणना रिपोर्ट की त्रुटियों या कमियों को दूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं।

दिल्ली में भीड़-भाड़ कम करना

1179. **श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा :** क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भीड़भाड़ को कम करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा काफी पहले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड का गठन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो दिनांक 31 जुलाई, 2003 तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा कितनी बैठकें की गईं;

(ग) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) दिल्ली में भीड़भाड़ को तेजी से कम करना सुनिश्चित करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एनसीआरपीबी) का गठन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए एक योजना तैयार करने तथा उपर्युक्त योजना के कार्यान्वयन के समन्वय तथा मॉनीटरिंग के लिए तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भू-उपयोग तथा अवस्थापना के विकास के लिए समन्वित नीतियां तैयार करने के लिए किया गया था ताकि इस क्षेत्र का अव्यवस्थित विकास रोका जा सके।

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की अभी तक 25 बैठकें हुई हैं।

(ग) से (च) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने वर्ष 2001 तक की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए एक क्षेत्रीय योजना तैयार की है जो जनवरी, 1989 में अधिसूचित की गई थी। इसके अलावा समन्वित विकास हासिल करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अवस्थापना के विकास के लिए ऊर्जा, दूरसंचार, परिवहन तथा औद्योगिक क्षेत्रों के लिए कार्यात्मक योजनाएं तैयार की है। इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने विभिन्न विकास स्कीमों का वित्तपोषण भी शुरू किया है जिनमें से 84 स्कीमें पूरी हो चुकी हैं तथा 88 स्कीमें कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

सरपंचों और अन्य निर्वाचित अधिकारियों की बैठक

1180. **श्री ए० ब्रह्मनैया :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरपंचों और अन्य निर्वाचित अधिकारियों की राष्ट्रव्यापी बैठक बुलायी थी,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस बैठक में कोई आम सहमति हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या निष्कर्षों का अध्ययन करने के लिए किसी कृतक बल का गठन किया गया था;

(च) क्या कृतक बल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(छ) यदि हां, तो इस रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ज) सरकार द्वारा इन्हें कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील) : (क) संघ के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने नई दिल्ली में 5-6 अप्रैल, 2002 तक अखिल भारतीय पंचायत अध्यक्ष सम्मेलन आयोजित किया था।

(ख) सम्मेलन में इन विषयों पर चर्चा हुई थी :-

(1) पंचायती राज्संस्थाओं को वित्तीय शक्तियां, कार्य और कर्मियों का सौंपा जाना, (2) ग्राम सभाओं की कार्यप्रणाली, (3) निम्नतम स्तर पर नियोजन, (4) विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में जागरुकता पैदा करना और कार्यान्वयन मे पारदर्शिता, (5) सामाजिक लेखा-परीक्षा, और (6) संसाधनों का संचालन।

(ग) और (घ) सम्मेलन ने ''राष्ट्रीय घोषणा'' नामक एक घोषणा पारित की थी जो संलग्न विवरण में है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) से (ज) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राष्ट्रीय घोषणा

1. राज्य सरकारें पंचायतों के नियमित और समयोचित चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय सुनिश्चित करेगी। जहां चुनाव बकाया है वहां 31 दिसम्बर, 2002 तक चुनाव कराए जाएंगे।

2. सभी राज्य सरकारें 31 दिसम्बर, 2002 से पहले पंचायती राज्य संस्थाओं को निधियों, कार्य और कर्मियों को सौपने के लिए कार्रवाई करेंगी। ऐसा करते समय वे पंचायत राज संस्थाओं की शक्तियां और कार्य सौंपने से संबंधित टास्क फोर्स की सिफारिशों से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे।

3. पंचायती राज संस्थाओं की जिम्मेदारियों एवं संसाधनों की बीच भारी असंगतता है। राज्य सरकारें 31 दिसम्बर, 2002 तक ऐसा हर कार्य करेंगी जिससे पंचायती राज संस्थाओं के पास अपेक्षित वित्तीय संसाधन और शक्तियां सुनिश्चित हो जाएं। विशेष रूप से वे -

   – राज्य वित्त आयोगों की सिफारिशों को कार्यान्वित करेंगी।

   – पंचायती राज संस्थाओं को अपेक्षित मात्रा में संसाधन बनाने के योग्य बनाएंगे।

4. इसके अतिरिक्त, संघ सरकार से अनुरोध किया जाता कि वह पंचायती राज संस्थाओं के लिए उचित भुगतान तिथि के साथ ऋणों के रूप में महत्वपूर्ण गैर बजटीय संसाधन उपलब्ध कराने के लिए एक उपयुक्त तंत्र व्यवस्था विकसित करे, विशेषकर ऐसी विकासात्मक परियोजनाओं में उपयोग के लिए जिन्हें पंचायती राज संस्थाओं द्वारा स्वयं नियोजित और निष्पादित किया जाए।

5. राज्य यह सुनिश्चित करेंगे कि पंचायती राज संस्थाओं के पास अधिकांश विकास कार्यों को बनाने तथा निष्पादित करने कि अपेक्षित योग्यता का विधिवत उपयोग करते हुए कार्यात्मक संस्थाओं के रूप में कार्य करने की शक्तियां हों। कार्यपालिका को पंचायतों के अधिक्रमण की शक्तियों का प्रयोग कम ही करना चाहिए और केवल तभी जब इस संबंध में शिकायतें 31 दिसम्बर, 2002 तक गठित किए जाने वाले नामित ओमबड्समेन (एक सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में) द्वारा शिकायतें सुनी जाती हैं।

6. राज्य सरकारें 31 दिसम्बर, 2002 से पहले कर्मियों की सेवा पंचायतों को उपलब्ध कराएंगी। पंचायतों को ऐसे स्टाफ पर नियंत्रण और उनके पर्यवेक्षण की समुचित शक्तियां दी जाएंगी। भविष्य में ये नियुक्तियां निर्धारित की जाने वाली प्रक्रिया के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं द्वारा की जाएंगी।

7. सभी राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करेंगी कि जिला योजना समितियां 31 दिसम्बर, 2002 तक पूरी तरह से कार्य करने लगें। जिला पंचायत के अध्यक्ष जिला योजना समिति की अध्यक्षता करेंगे।

8. राज्य सरकारें 31 दिसम्बर, 2002 से पहले यह सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई करेंगी कि समानान्तर निकाय, यदि कोई है, विशेषकर ग्राम स्तर पर पंचायतों के मार्ग निर्देशन में कार्य करें।

9. ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की संस्थाओं को मजबूत किए जाने की आवश्यकता है। ग्राम सभा की वर्ष में कम से कम चार बैठकें होंगी, बेहतर हो ये बैठकें 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को हों। ग्राम सभा की बैठकों में

संबंधित सरकारी कर्मी भाग लेंगे जिसके लिए राज्य प्राधिकारी उपयुक्त अनुदेश जारी करेंगे और उनका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

10. प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंचायत योजना समिति होगी जो सरपंच, पंचायत और उपयोक्ता समूहों (स्व-सहायता समूह, वाटरशेड विकास समितयां, स्कूल समितियां आदि) के सदस्यों से मिलकर बनेगी। वे समिति पंचायत को विकास योजना को बनाने में सलाह देगी और कार्यक्रमों के निष्पादन और पर्यवेक्षण में मदद देगी।

11. पंचायतों को भूमि, जल, लघु वन उत्पाद और खनिजों जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर उपयुक्त नियंत्रण किये जाने की आवश्यकता है। राज्य सरकार को 31 दिसम्बर, 2002 से पहले इन विषयों से संबंधित कानूनों एवं नियमों में उपयुक्त प्रावधान या संशोधन करने होंगे।

12. पंचायतों की कार्य प्रणाली चार सूत्रीय नीति-जागरुकता, भागीदारी, पारदर्शिता और सामाजिक लेखा-परीक्षा के अनुसार होगी। इस संबंध में राज्यों द्वारा 31 दिसम्बर, 2002 से पहले आवश्यक कानूनी प्रावधान बनाने होंगे।

13. प्रशासन की गति और गुणवत्ता में सुधार की दृष्टि से केन्द्र और राज्य सरकारों की भागीदारी के साथ पंचायतों को दसवीं पंचवर्षीय योजनावधि में सूचना प्रौद्योगिकी की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

14. केन्द्र और राज्य सरकारों को सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों तथा पंचायती राज संस्थाओं के अन्य कर्मियों को भी कारगर प्रशिक्षण सुनिश्चित कराने के लिए उपयुक्त प्रावधान बनाने होंगे।

15. पंचायतों को बेहतर कार्य निष्पादन के लिए विशेषकर सहमत सामाजिक विकास संकेतकों में लागू सुधारों के संबंध में, मान्यता देने और प्रोत्साहित करने के लिए राज्य और केन्द्र सरकारों द्वारा प्रोत्साहनों की एक उपयुक्त प्रणाली लागू की जाएगी।

सम्मेलन पंचायती राज संस्थाओं को तेजी से और कारगर रूप में वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां सौंपने के बारे में संविधान में एक उपयुक्त नया संशोधन लाने की आवश्यकता पर चर्चा करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा रखे गए प्रस्ताव का स्वागत करता है। विस्तार से चर्चा करने के बाद सम्मेलन के प्रतिनिधि सर्वसम्मत से यह प्रस्ताव पारित करते हैं कि अत्यावश्यक नया संवैधानिक संशोधन लाने की प्रक्रिया तेजी से शुरू करने के लिए संघ सरकार से अनुरोध किया जाए। सम्मेलन सभी राजनैतिक दलों और संसद सदस्यों से भी संशोधन पारित करने का और पंचायती राज सुधारों की दूसरी पीढ़ी के युग में प्रवेश करने का आग्रह करता है।

बीएसएफ के स्थान पर सीआईएसएफ की तैनाती

1181. **श्री एन० जनार्दन रेड्डी :** क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्मू और कश्मीर में बीएसएफ के स्थान पर सीआईएसएफ को तैनात किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या सेना ने जम्मू और कश्मीर में इस फेरबदल का विरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो ऐसा किन आधारों पर किया गया है;

(ङ) क्या जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार ने बीएसएफ को न बदलने के लिए केन्द्र सरकार को पत्र भी लिखा है; और

(च) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्मयानन्द स्वामी) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

(ङ) जी नहीं, श्रीमान।

(च) प्रश्न नहीं उठता है।

सी.बी.आई. द्वारा छापे

1182. **श्री बीर सिंह महतो :**
श्री मनसुखभाई डी. बसावा :

क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान, आज की स्थिति के अनसार, सी.बी.आई, द्वारा मारे गए छापों में प्रशासनिक सेवाओं के दोषी पाए गए अधिकारियों की संख्या बढ़ रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि छापों के बाद दोषी पाए गए निलंबित अधिकारियों को न्यायालय द्वारा दोष-मुक्त घोषित करने से पहले ही उन्हें सरकारी सेवा में बहाल किया जा चुका है;

(ग) यदि हां, तो तीन वर्षों के दौरान ऐसे अधिकारियों की संख्या कितनी है; और

(घ) केन्द्र-सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो द्वारा डाले जाने वाले छापों का लक्ष्य, किसी जांच/अन्वेषण में साक्ष्य एकत्र करना होता है। किसी अधिकारी को, केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो द्वारा डाले गए किसी छापो की वजह से ही दोषी करार नहीं दिया जा सकता तथा मामले में न्यायालय/अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा नियमों के अनुसार निर्णय किया जाता है। फिर भी, केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो ने पिछले तीन वर्ष के दौरान, भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित संख्यक अधिकारियों के खिलाफ मामले दर्ज किए:-

वर्ष	भारतीय प्रशासनिक सेवा के उन अधिकारियों की संख्या जिनके खिलाफ़ मामले दर्ज किए गए
2000	18
2001	17
2002	04

(ख) से (घ) किसी अधिकारी को सेवा से निलंबित करने का आश्रय, उसे अपने विरुद्ध चल रही जांच को प्रभावित नहीं कर पाने देने की दृष्टि से ही लिया जाता है। ऐसा निलंबन, शास्ति के रूप में नहीं माना जाता। मामले की समीक्षा करने पर, जब कभी अनुशासनिक प्राधिकारी को यह संतुष्टि हो जाती है कि अब अधिकारी द्वारा साक्ष्य से छेड़छाड़ किए जाने की आशंका नहीं रही तो उसका निंलबन रद्द कर दिया जाता है, परन्तु उसके विरुद्ध चल रही जांच/अन्वेषण/विचारक का कार्य निर्बाध रूप से चलता रहता है। निलंबन के अधीन रखे गए किसी अधिकारी को बहाल किए जाने के मुद्दे के बारे में निर्णय, संबंधित मंत्रालय/विभाग के अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा किया जाना अपेक्षित होता है। ऐसे आंकड़े, केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखे जाते।

गरीबी उपशमन योजनाओं का कार्यान्वयन

1183. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी :
श्री श्रीनिवास पाटील :
श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि गरीबी उपशमन के लिए तैयार की गयी अनेक योजनाओं को कुछ राज्यों द्वारा प्रभावी ढंग से कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है और इस प्रयोजनार्थ आबंटित धनराशि का अन्यत्र उपयोग/दुरुपयोग और कम उपयोग किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और सरकार ने इन योजनाओं के उचित कार्यान्वयन के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाये हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन योजनाओं के कार्यान्वयन के तरीके में परिवर्तन करने के लिए कोई कदम उठाने का है ताकि इनके लाभ जरूरतमंद परिवारों को ही मिल सकें; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?.

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) और (ख) शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय 01.12.1997 से स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) नामक एक केन्द्र प्रवर्तित शहरी गरीबी उपशमन स्कीम कार्यान्वित करता आ रहा है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की अपनी ड्राफ्ट समीक्षा रिपोर्ट में कुछ राज्यों पर 35.83 करोड़ रु. अन्य गतिविधियों के लिए उपयोग किए जाने, 0.85 करोड़ रु. की राशि का दुरुपयोग किए जाने की आशंका तथा मरम्मत ओर रखरखाव संबंधी कार्यों पर 5.60 करोड़ रु. के अनियमित और अनधिकृत व्यय की ओर ध्यान आकर्षित किया है। संबंधित राज्य सरकारों से मामले की जांच करने और उचित कार्रवाई करने के लिए अनुदेश दिए जा चुके हैं कुछ राज्यों ने सूचित किया है कि इस प्रकार अन्य कार्य के लिए उपयोग की गई राशि की पूर्ति कर दी गई है।

(ग) और (घ) इस योजना को और अधिक प्रभावी और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए आवधिक समीक्षा बैठकों/स्थल दौरों और तिमाही प्रगति रिपोर्टों द्वारा इसकी केन्द्रीय स्तर पर सक्रियता से निगरानी की जाती है। पहले जारी की गई राशि के संबंध में उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के बाद ही आगे और राशि जारी की जाती है।

भारतीय पेट्रोरसायन निगम लिमिटेड का विस्तार

1184. **श्री परसुराम माझी : क्या रसायन ओर उर्वरक मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पेट्रोरसायन निगम लिमिटेड (आई.पी.सी. एल.) ने संयंत्रों के विस्तार के लिए प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आई.पी.सी.एल. के अन्तर्गत संयंत्रों का कुल उत्पादन कितना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) : (क) और (ख) आई.पी.सी.एल. द्वारा निम्नलिखित क्षमता वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव है:-

(1) गंधार में पी.वी.सी. प्लांट को 4 लाख टन प्रति वर्ष (टी.पी.ए.) तक क्षमता वृद्धि करना;

(2) वडोदरार में नेफ्था क्रैकर को 2 लाख टी.पी.ए. तक इथाइलीन की क्षमता वृद्धि करना;

(3) वडोदरा काम्प्लेक्स में बुटाडीन प्लांट की 75,000 टी.पी. ए. तक क्षमता वृद्धि करना; और

(4) वडोदरा काम्प्लेक्स में बैंजीन प्लांट की 60,000 टी.पी. ए. तक क्षमता वृद्धि करना।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान आई.पी.सी.एल. प्लांटों का सकल उत्पादन निम्न प्रकार है:-

वर्ष	कुल उत्पादन
1	2
2000-01	13.22 लाख मी०टन
2001-02	13.62 लाख मी०टन
2002-03	38,63,718 मी०टन*

* वर्ष 2002-03 से, सरकार द्वारा विनिवेश करने के परिणामस्वरूप प्रबंधन नियंत्रण सामरिक भागीदार को हस्तांतरित होने के बाद, कंपनी ने उन उत्पादों को भी ध्यान में रखा है, जो मध्यवर्ती प्रकार के थे तथा तैयार उत्पादों के उत्पादन में जिनका कंपनी द्वारा स्वयं उत्पादन तथा उपयोग किया जा रहा था। इस परिपाटी के अनुसार वर्ष 2000-01 तथा 2001-02 के लिए सकल उत्पादन के अनुरूपी आंकड़े निम्न प्रकार होंगे:-

2000-01 — 31,91,201 मी०टन

2001-02 — 33,64,850 मी०टन

दिल्ली मेट्रो रेल निगम के लिए सीमा शुल्क में रियायत

1185. **श्री पवन कुमार बंसल : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली मेट्रो रेल निगम द्वारा मशीनों आदि के आयात पर सीमा शुल्क में कुछ रियायतों की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दिल्ली मेट्रो रेल निगम और ठेकेदारों को क्रमशः इन रियायतों से कितना लाभ मिलेगा?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) जी, हां।

(ख) दिनांक 1.4.2003 की दोनों अधिसूचनाओं अर्थात् सं० 58/2003-कस्टम तथा 59/2003-कस्टम के अन्तर्गत, दिल्ली त्वरित जन परिवहन प्रणाली परियोजना (एम.आर.टी.एस.) में प्रयोग हेतु दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (डी.एम.आर.सी.) द्वारा अथवा उनकी ओर से प्राप्त की गई मशीनरी तथा रोलिंग स्टॉक सहित उपकरणों की सभी मदों को क्रमशः सीमा शुल्क तथा विशेष अतिरिक्त शुल्क (एस.ए.डी.) से छूट प्रदान की गई है।

(ग) सीमा शुल्क तथा विशेष अतिरिक्त शुल्क से छूट के कारण अनुमानित लाभ की राशि 945 करोड़ रु० है। यह लाभ केवल डी. एम.आर.सी. को हुआ है।

[हिन्दी]

गरीब खादी कामगारों के लिए समूह बीमा योजना

1186. **श्री पदमसेन चौधरी :** क्या कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार गरीब खादी कामगारों के लिए समूह बीमा योजना आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संघप्रिय गौतम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार द्वारा खादी कामगारों के लिए समूह बीमा योजना को 15 अगस्त, 2003 से शुरू किया जाना प्रस्तावित है।

इस योजना के अंतर्गत प्राकृतिक मृत्यु के मामले में खादी कामगारों के लिए जोखिम सुरक्षा 20,000 रु० होगी, जबकि दुर्घटना के कारण मृत्यु के मामले में 50,000 रु. की अदायगी की जाएगी। दुर्घटना के कारण स्थायी अशक्तता (दोनों आंखों/अंग की हानि) के मामले में हितग्राही को 50,000 रु. आंशिक रूप से अशक्तता के मामले में 25,000 रु. की अदायगी की जाएगी।

खादी कामगारों के लिए बीमा सुरक्षा की वित्तीय लागत प्रति कामगर 200 रु. होगी। व्यय का ब्यौरा निम्नलिखित के अनुसार होगा :-

सामाजिक सुरक्षा निधि	@ 100 रु०	100 रु०
खादी संस्थान	@ (200-100 रु०) का 50%	50 रु०
खादी कारीगर	@ (200-100 रु०) का 25%	50 रु०
के.वी.आई.सी./भारत सरकार	@ (200-100 रु०) का 25%	25 रु०
	जोड़ :	200 रु०

बीमा सुरक्षा वाले व्यक्ति को बिना किसी अतिरिक्त प्रीमियम के योजना के अंतर्गत जीवन बीमा निगम की शिक्षा सहयोग योजना का लाभ भी दिया जाएगा। इस लाभ में खादी कामगारों/कारीगरों के दो बच्चों की शिक्षा के लिए श्रेणी 9 से 12 तक 1200 रु० प्रतिवर्ष की व्यवस्था है।

[अनुवाद]

परिवहन सुविधाओं का पुनः आरंभ किया जाना

1187. **डा० मन्दा जगन्नाथ :** क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सड़क और रेल सम्पर्क बहाल होने के कारण नशीली दवाओं की तस्करी और तस्करों की अन्य निंद्य गतिविधियों में वृद्धि होने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या निवारक कदम उठाये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) भारत और पाकिस्तान के बीच सड़क सम्पर्क पुनः खुलने के बाद से नशीले पदार्थों की तस्करी की कोई घटना सूचित नहीं की गई है। देनों देशों के बीच रेल सम्पर्क अभी तक पुनः स्थापित नहीं किया गया है। तथापि, दोनों देशों के बीच सड़क और रेल सम्पर्कों के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी और तस्करों की अन्य नापाक गतिविधियों की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

(ख) केन्द्र और राज्य सरकारों की सुरक्षा एजेन्सियां उच्च स्तरीय सतर्कता रखती है और सीमा पार से अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

[हिन्दी]

यातायात पुलिस

1188. **श्री माणिकराव होडल्या गावित :** क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली यातायात पुलिस से चालान करने का अधिकार वापस लिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केवल अदालतों को चालान की राशि वसूलने का अधिकार होगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ङ) क्या दिल्ली यातायात पुलिस के कर्मचारी चौराहों पर यातायात नियंत्रित करने के स्थान पर चालान काटने में अपना अधिकांश समय बिताते हैं; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस स्थिति को सुधारने के लिए उठाये जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

(ङ) ओर (च) जी नहीं, श्रीमान। दिल्ली यातायात पुलिस के पर्यवेक्षण अधिकारी नियमित आधार पर यह सुनिश्चित करने के लिए जांच करते हैं कि यातायात पुलिस कर्मी अपने तैनाती के निर्दिष्ट स्थान पर उपस्थित हों और अपनी नियामक ड्यूटियों को कारगर रूप से निष्पादित करें।

[अनुवाद]

एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा उपलब्ध कराया गया ऋण

1189. **श्री सवशीभाई मकवाना** : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने देश के विभिन्न भागों में शहरी, पर्यावरणीय और अवसंरचनात्मक सुविधा परियोजना हेतु ऋण उपलब्ध कराया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) और (ख) प्राप्त सूचना के अनुसार एशिया विकास बैंक ने देश के विभिन्न भागों में शहरी पर्यावरणीय तथा अवसंरचना सुविधा परियोजना के लिए निम्नलिखित प्रकार से ऋण मुहैया कराया है :-

1. कर्नाटक शहरी अवसंरचना विकास परियोजना (80 मिलियन अमेरिकी डालर का ऋण)
2. कर्नाटक शहरी विकास और तटीय पर्यावरण प्रबंध परियोजना (145 मिलियन अमेरिकी डालर का ऋण)
3. राजस्थान शहरी अवसंरचना विकास परियोजना (250 मिलियन अमेरिकी डालर का ऋण)
4. कोलकोता पर्यावरण सुधार परियोजना (220 मिलियन अमेरिकी डालर का ऋण)
5. गुजरात भूंकप पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण परियोजना (350 मिलियन अमेरिकी डालर का ऋण)

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा संस्थागत प्लॉटों का आबंटन

1190. **डा० रघुवंश प्रसाद सिंह** :
श्रीमती कान्ति सिंह :
श्री राम प्रसाद सिंह :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आबंटित संस्थागत भूमि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि इन आबंटनों की जांच हेतु एक समिति का गठन किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशां का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गयी है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया

है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (विकसित नजूल भूमि का निपटान) नियमावली, 1981 के नियम 5 व 20 के प्रावधानों के तहत विभिन्न सांस्कृतिक एवं सामाजिक संगठनों को संस्थानिक भूमि आबंटित की जाती है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने जनवरी, 2002 से मई, 2003 तक की अवधि के दौरान 730 संस्थानों को भूमि आबंटित की है।

(ख) और (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि इन आबंटनों की जांच पड़ताल के लिए ऐसी कोई समिति गठित नहीं की गई है।

[हिन्दी]

दिल्ली विकास प्राधिकरण का कार्यकरण

1191. **श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यकरण की जांच करने की बार-बार मांग की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मांग पर विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) से (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) के कार्यकरण की जांच करवाने की बार-बार की गई मांग के बारे में सरकार अवगत नहीं है। तथापि, इस संगठन के कार्यकरण में सुधार लाना एक सतत् प्रक्रिया है।

दिल्ली में असामाजिक तत्व

1192. **डा० मदन प्रसाद जायसवाल :**
श्री राम टहल चौधरी :

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली की झुग्गी-झोंपड़ियों में असामाजिक तत्वों की बढ़ोतरी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार/दिल्ली पुलिस द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) झुग्गी-झोपड़ियों में असामाजिक तत्वों का पता लगाने हेतु सरकार/दिल्ली पुलिस द्वारा कितने अभियान चलाये गए हैं तथा इसने अपने अभियानों में किस हद तक सफलता पायी है; और

(घ) दिल्ली पुलिस ने उक्त अभियानों के दौरान कितने लोगों को गिरफ्तार किया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) दिल्ली पुलिस द्वारा पिछले वर्ष के दौरान ऐसे क्षेत्रों से गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या में इससे पूर्व के वर्ष के दौरान गिरफ्तार व्यक्तियों की तुलना में कुछ वृद्धि दर्ज हुई है।

(ख) दिल्ली पुलिस द्वारा इस सम्बन्ध में उठाए गए कदमों में, गश्त गहन करना और सम्बन्धित बीट स्टाफ को अपनी ओर से भरसक चौकसी करने के लिए नियमित रूप से ब्रीफिंग देना शामिल है।

(ग) और (घ) पुलिस द्वारा समाज विरोधी तत्वों का पता लगाना और उन्हें पकड़ना एक सतत् प्रक्रिया है। गत वर्ष के दौरान, दिल्ली पुलिस ने झुग्गी-झोपड़ी कालोनियों से 12,345 व्यक्ति गिरफ्तार किए।

बवाना औद्योगिक क्षेत्र में जमीन की बिक्री

1193. **श्री नवल किशोर राय :**
डा० सुशील कुमार इन्दौरा :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में दिल्ली के बवाना औद्योगिक क्षेत्र में जमीन कितने रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बेची जा रही है।

(ख) यह जमीन किसानों से किस तिथि को अधिगृहीत की गयी थी;

(ग) जमीन मालिकों/किसानों को किस दर से मुआवजा दिया गया था; और

(घ) इस भूमि के विकास हेतु सरकार द्वारा प्रति वर्ग मीटर कितनी धनराशि खर्च की गई है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

सरकार ने बताया है कि बवाना स्थित औद्योगिक भूमि 4200/- रु. प्रति वर्ग मीटर की दर से आबंटित की गई है। उपर्युक्त भूमि दिनांक 7.8.2000, 18.12.2000 तथा 23.1.2001 की अधिसूचनाओं के जरिए अधिग्रहीत की गई है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि किसानों को दिनांक 1.4.2000 से भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत अन्य लाभ सहित 13.82 लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से मुआवजे का भुगतान किया गया है। भूमि के विकास की संभावित लागत (भूमि की लागत के अलावा) 3100/- रु० प्रति वर्ग मीटर है।

[अनुवाद]

स्वदेशी भेषज

1194. डा० डा०वी०जी० शंकर राव : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीका द्वारा भारत को "प्राथमिक निगरानी सूची" के रूप में घोषित किए जाने के मद्देनजर केन्द्र सरकार ने स्वेदशी भेपजों को संरक्षण प्रदान करने हेतु कोई कार्रवाई की है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह): (क) और (ख) संयुक्त राज्य ट्रेड प्रतिनिधि (यू०एस०टी०आर०) द्वारा जारी की गई वार्षिक विशेष 301 रिपोर्ट, 2003 में भारत को 10 अन्य देशों सहित "प्राथमिक निगरानी सूची" में बरकरार रखा गया है। भारत को 1995 से इस श्रेणी के अन्तर्गत रखा जा रहा है। यू०एस०टी०आर० देशों को "प्राथमिक बाह्य देश", "प्राथमिक निगरानी सूची" और "निगरानी सूची" के रूप में सूचीबद्ध करता है। संयुक्त राज्य नियमावली के तहत यू०एस०टी०आर०, उन देशों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए बाध्य है जो "प्राथमिक बाह्य देश" के तहत सूचीबद्ध हैं और वह भी तब जब संबंधित देशों की सरकारों के साथ परामर्श कर लिया जाए। अत: भारतीय भेषज उद्योग को तत्काल कोई खतरा नहीं है।

निधियों का आबंटन/उपयोग

1195. श्री पी.एस. गढ़वी :

श्री टी.एम. सेल्वागनपति :

श्री चाडा सुरेश रेड्डी :

श्री रामजी मांझी :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2003-2004 के दौरान इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत आबंटित/जारी की गई निधियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ग्रामीण आवास योजनाओं हेतु जारी निधियों का अब तक पूर्णरूपेण उपयोग किया जा चुका है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार की उक्त अवधि के दौरान इस योजना के अंतर्गत निधियों को बढ़ाए जाने हेतु राज्य सरकारों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(च) उन राज्यों के नाम क्या हैं जो इन्दिरा आवास योजना पर मासिक रिपोर्ट नहीं भेज रहे हैं; और

(छ) ऐसे चूककर्त्ता राज्यों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) वर्ष 2003-2004 के दौरान, इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत अब तक आबंटित/जारी की गई निधियों के ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(ख) और (ग) इंदिरा आवास योजना, जो ग्रामीण आवास का एक प्रमुख कार्यक्रम है, के प्रारंभ होने से वर्ष 2002-2003 तक, इसके अंतर्गत रिलीज की गई निधियों का लगभग पूर्णत: उपयोग हो चुका है।

(घ) और (ङ) मंत्रालय को समय-समय पर, अलग-अलग राज्यों से इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत निधियों को बढ़ाने के लिए अनुरोध प्राप्त होते रहे हैं। योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई निधियां पूर्व-निर्धारित मानदण्डों के आधार पर राज्य-वार आबंटित की जाती हैं। राज्य-वार आबंटन में किसी प्रकार की वृद्धि तभी संभव है, जब समग्र बजटीय आबंटन बढ़ाया जाए।

(च) और (छ) हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, प० बंगाल, अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह, दादरा व नगर हवेली, दमन व दीव और पांडिचेरी, इंदिरा आवास योजना के संबंध में नियमित रूप से मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। इस मंत्रालय को नियमित रूप से मासिक रिपोर्ट भेजने के लिए ऐसे दोषी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विभिन्न स्तरों पर स्मरण कराया जाता है।

विवरण

वर्ष 2003-2004 के दौरान इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत केन्द्रीय आबंटन और केन्द्रीय रिलीज

(लाख रुपये में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीज
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	13669.37	6834.72
2.	अरुणाचल प्रदेश	627.75	273.67
3.	असम	14124.59	0.00
4.	बिहार	37131.83	13962.96
5.	छत्तीसगढ़	2337.51	1168.81
6.	गोवा	88.32	34.24
7.	गुजरात	3928.46	1745.26
8.	हरियाणा	1328.34	664.21
9.	हिमाचल प्रदेश	587.66	262.69
10.	जम्मू और कश्मीर	702.96	296.84
11.	झारखंड	10909.67	4455.40
12.	कर्नाटक	7070.71	3535.43
13.	केरल	4381.56	2209.56
14.	मध्य प्रदेश	8157.24	3722.98
15.	महाराष्ट्र	12545.56	5975.44
16.	मणिपुर	748.47	131.69
17.	मेघालय	994.44	297.80
18.	मिजोरम	238.73	119.40
19.	नागालैंड	641.95	321.00
20.	उड़ीसा	11004.35	17104.98
21.	पंजाब	879.95	380.57
22.	राजस्थान	3706.70	1853.44
23.	सिक्किम	172.10	86.06
24.	तमिलनाडु	6864.39	3432.28
25.	त्रिपुरा	1451.97	623.03
26.	उत्तर प्रदेश	25028.00	12514.00
27.	उत्तरांचल	2599.55	1299.78
28.	पश्चिम बंगाल	14752.84	6956.43
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	166.27	0.00
30.	दादरा व नगर हवेली	87.26	0.00
31.	दमन व दीव	36.12	0.00
32.	लक्षद्वीप	2.83	2.84
33.	पांडिचेरी	82.55	41.28
	कुल	187050.00	90306.79

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास योजनाओं हेतु विश्व बैंक/एशियन विकास बैंक की सहायता

1196. **श्री अजय सिंह चौटाला :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में ग्रामीण विकास योजनाओं हेतु विश्व बैंक/एशियन विकास बैंक द्वारा प्रदान की गयी वित्तीय सहायता का राज्यवार और योजनावार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सभी राज्यों ने लक्षित कार्यक्रम पर उक्त सहायता का समय पर उपयोग कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने इस सहायता का समय पर उपयोग नहीं किया है तथा इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील) : (क) से (ग) वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी के अनुसार, पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विश्व बैंक/एशियन विकास बैंक द्वारा दी गई वित्तीय सहायता तथा निधियों के उपयोग के ब्यौरे संलग्न विवरण के अनुसार हैं। इन परियोजनाओं द्वारा लक्षित कार्यक्रम हेतु आबंटित निधियों का करीब-करीब समय पर उपयोग कर लिया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विश्व बैंक/एशियाई विकास बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता (ऋण) के अपेक्षित ब्यौरे निम्नानुसार है

क्रम. सं.	परियोजना का नाम (हस्ताक्षर की तिथि)	परियोजना लागत (यू.एस. डालर मिलियन में और रु० करोड़ में)	उपयोग (यू.एस. डालर मिलियन में)			
			3/2001 तक	3/2002 तक	3/2003 तक	6/2003 तक
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश जिला गरीबी अभिनव परियोजना (दिनांक 12.5.2000)	यू.एस. डालर 134.8	4.155	5.348	22.787	26.767
2.	राजस्थान जिला गरीबी अभिनव परियोजना (दिनांक 12.5.2000)	यू.एस. डालर 124.8	3.727	4.538	5.988	9.047
3.	मध्य प्रदेश जिला गरीबी अभिनव परियोजना (दिनांक 5.12.2000)	यू.एस. डालर 134.7	3.500	4.423	9.077	11.302
4.	छत्तीसगढ़ जिला ग्रामीण गरीबी परियोजना (दिनांक 13-17/3.2003)	यू.एस. डालर 129.35	—	—	—	0.000
5.	आंध्र प्रदेश ग्रामीण गरीबी उपशमन परियोजना (दिनांक 3.4.2003)	यू.एस. डालर 275	—	—	—	0.000

1	2	3	4	5	6	7
6.	केरल जल आपूर्ति और स्वच्छता परियोजना (दिनांक 4.1.2001)	433.37 करोड़ रु.	2.000	3.105	5.715	7.118
7.	उत्तर प्रदेश ग्रामीण जल आपूर्ति और पर्यावरण एवं स्वच्छता परियोजना (दिनांक 8.3.2002)	300.76 करोड़ रु.	—	5.000	5.501	5.501
8.	कर्नाटक ग्रामीण जल आपूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना, जल निगम (दिनांक 8.3.2002)	965.20 करोड़ रु.	—	0.000	4.532	4.532

(ख) एशियाई विकास बैंक

एशियाई विकास बैंक की सहायता से 150.00 मिलियन यू.एस. डालर की एम पी सड़क क्षेत्र परियोजना दिनांक 15.12.2002 से चालू है। इस परियोजना में इसकी योजना के अंतर्गत कुछ ग्रामीण संपर्क सड़कें शामिल हैं। यद्यपि, इसमें कोई निर्धारित घटक नहीं है।

जेल में निर्दोष व्यक्ति

1197. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :** क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान कथित हत्या और अन्य गम्भीर अपराधों में निर्दोष लोगों को जेल में बंद करने की घटनाओं को मानवाधिकार आयोग की जानकारी में लाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गयी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्मयानन्द स्वामी) : (क) से (ग) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन एच आर सी) को विगत तीन वर्षों के दौरान सूचित आपराधिक मामलों में निर्दोष व्यक्तियों को कथित रूप से झूठा फंसाए जाने की शिकायतों की संख्या निम्न प्रकार है:-

वर्ष	शिकायतों की संख्या
2000-2001	4076
2001-2002	4484
2002-2000	4434

मानवाधिकार सरंक्षण अधिनियम, 1993 के उपबन्धों के अनुसार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों की जांच करता है और सम्बन्धित सरकारों द्वारा कार्यान्वियन हेतु यथोचित सिफारिशें करता है। केन्द्रीय सरकार ने, सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को मानवाधिकार उल्लंघन को रोकने और मानवाधिकार मामलों पर पुलिस प्राधिकारियों को सुग्राही बनाने हेतु उपाय करने हेतु, समय-समय पर सलाहें भी जारी की हैं।

[अनुवाद]

फिदायीन दस्ता

1198. **श्री कमलनाथ :**
श्री रघुराज सिंह शाक्य :

क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आसूचना अभिकरणों ने सरकार को सूचना दी है कि अल-नसरीन का फिदायीन दस्ता राजधानी में और इसके आस-पास के क्षेत्रों में सक्रिय है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा अल-नसरीन दस्ते की गतिविधियों को कुचलने और दस्ते के सदस्यों को पकड़ने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, अल नसरीन के नाम से कोई आतंकवादी संगठन नहीं है। तथापि, कुछ आतंकवादी ग्रुप, सुरक्षा एजेंसियों को भ्रम में डालने के लिए, अपनी हिंसात्मक गतिविधियों का प्रचार करने के लिए इस कवर नाम का इस्तेमाल करते रहे हैं।

[हिन्दी]

हडको आदर्श ग्रामों का विकास

1199. श्री महेश्वर सिंह : क्या ग्रामीण विकास मंत्री 18 फरवरी, 2003 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अपेक्षित सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कब तक एकत्रित कर लिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) से (ग) जी, हां। सूचना एकत्र कर ली गयी है और कार्यान्वयन रिपोर्ट 26.4.2003 को भेज दी गयी है। सूचना की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

ग्रामीण विकास मंत्रालय पूर्ति की तारीख

प्रश्न सं०, दिनांक एवं संसद सदस्य का नाम	विषय	दिया गया आश्वासन	कब और कैसे पूरा किया गया	विलंब के कारण
श्री सुरेश चंदेल द्वारा 18.02.2003 को पूछा गया लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं० 10	देश में आदर्श ग्रामों का विकास (क) क्या हडको ने देश में आदर्श ग्रामों के विकास हेतु विशेष योजना पर कार्य करना शुरू कर दिया है; (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और स्थल-वार ब्यौरा क्या है; और	(क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।	(क) और (ख) हडको से प्राप्त जानकारी के अनुसार, उन्होंने भारत की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के स्मरणोत्सव पर देश के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में "मॉडल विलेज"/आदर्श ग्राम विकसित करने का एक कार्यक्रम शुरू किया था। मुख्य रूप से निम्न आय वाली आबादी को कवर करते हुए चुने गए गांव/बस्ती को हडको द्वारा क्रेडिटेन्सटाल्ट फर विदरौफबौ (के.एफ.डब्ल्यू.), (जर्मन संक्षेपन जिसका अर्थ है जर्मन पुन:निर्माण बैंक है) वित्तपोषित योजनाओं से संचित ब्याज में से 35 लाख रु० तक की अनुदान सहायता उपलब्ध कराई जानी है। परियोजना लागत और अनुदान सहायता के बीच के अंतर को केन्द्रीय/राज्य सरकार की योजनाओं के अन्य संसाधनों के अनुरूप राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/कार्यान्वयन एजेंसियों/लाभार्थियों द्वारा पूरा किया जाना है।	हडको से जानकारी विलंब से प्राप्त होना।
	(ग) चुने गए ग्रामों का ब्यौरा क्या है और इन आदर्श ग्रामों का विकास करने हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है?		(ग) हडको ने अब तक 26.53 करोड़ रु. की कुल अनुदान सहायता से 27 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र में 77 आदर्श गांवों को मंजूरी दी है। राज्यवार सूची और प्रगति अनुबंध के रूप में संलग्न है।	

अनुबंध

आदर्श गोवों की सूची

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	आदर्श ग्राम का नाम, जिला	कार्यान्वियन एजेंसी	परियोजना लागत	अनुदान राशि/ दिनांक	रिलीज की गई रशि	प्राप्त उपयोग प्रमाण-पत्र	अन्य स्रोतों से निधियां
1	2	3	4	5	6	7	8
आंध्र प्रदेश							
1.	पेद्दनाल्लाकलवा गांव, प्रकाशम	एपीएसएचसी	110.00	35.00 12.101998	26.25	8.75	ग्रा. क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय, जेआरवाई, ईडब्ल्यूएस, लाभार्थियों का अंश
2.	मंगलागुंटा गांव, नेल्लोर	एपीएसएचसी	93.00	35.00 17.6.1999	35.00	26.25	राज्य सरकार, लाभार्थी का अंशदान
3.	अचमपल्ली गांव, अनंतपुर	एपीएसएचसी	74.60	35.00 31.8.1999	35.00	34.36	राज्य सरकार/कार्यान्वयन एजेंसी
			277.60	105.00	96.25	69.36	
अंडमान व निकोबार							
4.	कन्यापुरम गांव, विंबरलीगंज	जिला प्रशासन	72.50	35.00 22.7.1999	26.25	8.75	एपीडब्ल्यूडी निर्वाचित केवीआईसी, डीए
			72.50	35.00	26.25	8.75	
अरुणाचल प्रदेश							
5.	खिरमु त्यांग गांव, त्वांग	जिला शहरी विकास एजेंसी	35.00	35.00 3.6.1999	26.25	8.75	—
6.	जुल्ली, इटानगर गांव, पापुमपारे	शहरी विकास विभाग	50.00	38.50 17.7.1999	28.88	9.63	राज्य सरकार/कार्यान्वयन एजेंसी
			85.00	73.50	55.13	18.38	

1	2	3	4	5	6	7	8
असम							
7.	पुतौनी, नोगांव गांव, नोगांव	पंचायत और ग्रामीण विकास निदेशालय	35.00	35.00 16.121998	26.25	8.75	—
8.	चिपौरसंगौन गांव, हैलाकांडी	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी	51.34	35.50 3.6.1999	26.25	8.75	कार्यान्वियन एजेंसी
			86.34	70.50	52.50	17.50	
बिहार							
9.	एकोज गांव, नालंदा	आर्शीवाद सेवा संस्थान	35.00	31.90 19.5.2000	23.92	8.75	राज्य सरकार/कार्यान्वियन एजेंसी
10.	मुर्गावन गांव, नालंदा	जयप्रभा समाज कल्याण संस्थान	69.76	35.00 29.8.2000	26.25	8.75	राज्य सरकार/कार्यान्वियन एजेंसी
11.	बिजुली गांव, दरभंगा	अभी निर्धारित किया जाना है।	35.72	17.86 15.5.2001	4.47	0.00	राज्य सरकार/कार्यान्वियन एजेंसी
12.	धरमपुर गांव, बांका	ग्राम रचना	34.57	15.48 3.5.2002	0.00	0.00	राज्य सरकार/कार्यान्वियन एजेंसी
			175.05	100.24	54.64	17.50	
छत्तीसगढ़							
13.	थथापुर गांव, कवधी	अभी निर्धारित किया जाना है।	62.64	31.32 17.5.2002	0.00	0.00	राज्य सरकार/कार्यान्वियन एजेंसी
			62.64	31.32	0.00	0.00	

1	2	3	4	5	6	7	8
गुजरात							
14.	भूकंप प्रभावित क्षेत्र गांव, भूकंप प्रभावित क्षेत्र	अभी निर्धारित किया जाना है।	70.00	35.00 20.7.2001	0.00	0.00	राज्य सरकार/कार्यान्वयन एजेंसी
15.	भूकंप प्रभावित क्षेत्र गांव, भूकंप प्रभावित क्षेत्र	अभी निर्धारित किया जाना है।	70.00	35.00 20.7.2001	0.00	0.00	राज्य सरकार/कार्यान्वयन एजेंसी
16.	भूकंप प्रभावित क्षेत्र गांव, भूकंप प्रभावित क्षेत्र	अभी निर्धारित किया जाना है।	70.00	35.00 20.7.2001	0.00	0.00	राज्य सरकार/कार्यान्वयन एजेंसी
17.	भूकंप प्रभावित क्षेत्र गांव, भूकंप प्रभावित क्षेत्र	अभी निर्धारित किया जाना है।	70.00	35.00 20.7.2001	0.00	0.00	राज्य सरकार/कार्यान्वयन एजेंसी
			280.00	140.00	0.00	0.00	
हरियाणा							
18.	रूरी गांव, सिरसा	जिला शहरी एजेंसी	73.99	35.00 28.7.1999	26.25	8.75	एमपीएलएडी, जेजीएसवाई, एसजीएसवाई, पीआरआई
19.	जौली गांव, सोनीपत		64.76	32.38 17.7.2001	0.00	0.00	राज्य सरकार/कार्यान्वयन एजेंसी
20.	पाई गांव, कैथल	डीआरडी	100.66	35.00	8.75	0.00	एमएनईएस, कार्यान्वयन एजेंसी
21.	उन्झना गांव, जींद	डीआरडी	126.14	22.1.2002	8.75	0.00	एमएनईएस, कार्यान्वयन एजेंसी
			365.55	137.38	43.75	8.75	
हिमाचल प्रदेश							
22.	पांयत हरयल गांव, कांगड़ा	डीआरडीए	48.74	24.37 23.3.2001	6.09	0.00	राज्य सरकार/कार्यान्वयन एजेंसी
			48.74	24.37	6.09	0.00	

1	2	3	4	5	6	7	8
जम्मू-कश्मीर							
23.	पूरमंदल गांव, श्रीनगर	जम्मू-कश्मीर आवासीय बोर्ड	53.79	35.00 17.12.1998	26.25	26.25	राज्य सरकार/कार्यान्वयन एजेंसी
24.	हंजयीरा पाईन गांव, श्रीनगर	जम्मू-कश्मीर आवासीय बोर्ड	55.60	35.00 8.10.1999	8.75	8.75	कार्यान्वयन एजेंसी
			109.39	70.00	35.00	35.00	
झारखंड							
25.	खारीदारी गांव, हजारीबाग	डीआरडीए	88.20	35.00 14.11.2002	0.00	0.00	राज्य सरकार/कार्यान्वयन एजेंसी
			88.20	35.00	0.00	0.00	
कर्नाटक							
26.	श्रीवाड गांव, धाड़वाड़	जिला पंचायत	100.00	35.00 3.6.1999	8.75	0.00	राज्य सरकार/ केएसआरटीसी
27.	मल्लादिहल्ली गांव, चित्रदुर्ग	अनाथसेवाश्रम	100.00	35.00 25.6.1999	8.75	0.00	राज्य सरकार/कार्यान्वयन एजेंसी
28.	बानंदुर गांव, बंगलौर	श्री अदिचुनचरागिरी महासमस्थाना मठ	89.00	35.00 12.2.2003	0.00	0.00	कार्यान्वयन एजेंसी
29.	पजाका गांव, उडुपी	श्री अदिचुनचरागिरी महासमस्थाना मठ	89.00	35.00 12.2.2003	0.00	0.00	कार्यान्वयन एजेंसी
			378.00	140.00	17.50	0.00	

1	2	3	4	5	6	7	8
केरल							
30.	ऐलाकोड गांव, इडुक्की	केएसएचएसजीबी	188.90	35.00 31.3.1999	26.25	8.75	राज्य सरकार/लाभार्थी का अंशदान
			188.90	35.00	26.25	8.75	
मध्य प्रदेश							
31.	कोशामघाट (ई क्यू) गांव, जबलपुर	जिला पंचायत जबलपुर	57.00	50.00 1.5.1997	45.30	45.30	कार्यान्वयन एजेंसी
32.	घाना (ई क्यू) गांव, जबलपुर	जिला पंचायत जबलपुर	89.00	50.00 1.5.1997	45.30	45.30	कार्यान्वयन एजेंसी
33.	होशंगाबाद गांव, होशंगाबाद	जिला प्रशासन	45.00	35.00 25.5.2000	8.75	0.00	राज्य सरकार/कार्यान्वयन एजेंसी
34.	सेमली गांव, शाजापुर	जिला पंचायत	50.90	35.00 3.7.2000	8.75	0.00	राज्य सरकार/कार्यान्वयन एजेंसी
			241.92	170.00	108.10	90.60	
महाराष्ट्र							
35.	लिंबी चिंचौली गांव, शोलापुर	अभी निर्धारित किया जाना है।	70.00	35.00 20.7.2001	0.00	0.00	राज्य सरकार/कार्यान्वयन एजेंसी
			70.00	35.00	0.00	0.00	
मणिपुर							
36.	निंगथोखौंग गांव, विष्णुपुर	निंगथौरखौंग नगर पंचायत क्षेत्र	38.50	38.50 4.10.1999	38.50	34.65	
37.	हुनफुन ग्राम उखरुल	हुनफुन ग्राम	38.50	33.50 23.10.1999	30.15	25.13	राज्य सरकार/कार्यान्वयन एजेंसी

1	2	3	4	5	6	7	8
38.	सोमदल ग्राम उखरुल	परियोजना कार्यान्वयन समिति, सोमदल एम.वी.	67.69	35.00 20.7.2001	8.75	0.00	राज्य सरकार/कार्यान्वयन एजेंसी
39.	पतसोई तानमांग ग्राम पतसोई	मणिपुर शहरी एजेंसी	75.72	35.00 01.09.2000	8.75	0.00	राज्य सरकार/कार्यान्वयन एजेंसी
40.	इराम सिफाई ग्राम वांगोई	निर्णय लिया जाना है।	87.02	35.00 01.9.2000	8.75	0.00	राज्य सरकार/कार्यान्वयन एजेंसी
			307.43	177.00	94.90	59.78	
मिजोरम							
41.	निसापुई ग्राम आइजॉल	स्थानीय प्रशासन विभाग	38.50	38.50 07.01.2000	9.63	9.63	
			38.50	38.50	9.63	9.63	
नागालैंड							
42.	होवुखू ग्राम दीमापुर	ग्राम विकास परिषद	50.30	35.00 19.1.1999	35.00	26.25	राज्य सरकार/कार्यान्वयन एजेंसी
43.	योरबा ग्राम योरबा	चेयरमेन विलेज कौंसिल योरबा	35.00	35.00 21.4.1999	35.00	26.25	राज्य सरकार/कार्यान्वयन एजेंसी
44.	किकरुमा ग्राम फेक	जिला प्रशासन	35.00	35.00 28.5.1999	35.00	26.25	राज्य सरकार/कार्यान्वयन एजेंसी
45.	एन.टी.यू. ग्राम कोहिमा	एन.टी.यू. इकोनॉमिक कौंसिल	35.00	35.00 28.08.1999	17.50	8.75	राज्य सरकार/कार्यान्वयन एजेंसी
46.	लोजाफुफु ग्राम फेक	विलेज कौंसिल लोजाफुफु	72.39	35.00 22.1.2002	26.25	8.75	एम.एन.ई.एस., एल.जे.आर.वाई. कार्यान्वयन एजेंसी
47.	लोंगसा ग्राम मोकोकचुंग	ग्राम परिषद लोंगसा	79.62	35.00 22.01.2002	8.75	0.00	एम.एन.ई.एस. एल.जे.आर.वाई. कार्यान्वयन एजेंसी
			307.31	210.00	157.50	96.25	

1	2	3	4	5	6	7	8
उड़ीसा							
48.	नवगांव ग्राम पुरी	उड़ीसा स्टेट एच.एस.जी. बोर्ड	35.00	35.00 03.7.1998	26.25	8.75	हुडको आर. एंड टी ग्रांट हुडको लोन
49.	कैलाशाही (सी.वाई.) ग्राम जगतसिंहपुर	हुडको/जिला प्रशासन	55.60	35.00 19.6.2000	26.25	8.75	राज्य सरकार/कार्यान्वियन एजेंसी
50.	मटिया केलासाही (सी.वाई.) ग्राम केन्द्रपाड़ा	हुडको/जिला प्रशासन	48.30	35.00 17.10.2000	26.25	8.75	राज्य सरकार/कार्यान्वियन एजेंसी
51.	हरिजन साही (सी.वाई.) ग्राम पुरी	हुडको/जिला प्रशासन	46.60	35.00 01.10.2000	26.25	8.75	राज्य सरकार/कार्यान्वियन एजेंसी
52.	गोथाली हैमलेट ग्राम गंजम	हुडको/जिला प्रशासन	44.90	35.00 22.01.2002	8.75	0.00	राज्य सरकार/कार्यान्वियन एजेंसी
53.	दरपनी तहसील ग्राम जाजपुर	राष्ट्रीय स्वाभिमान	68.23	18.00 03.05.2002	9.72	4.50	राज्य सरकार/कार्यान्वियन एजेंसी
54.	खतुड़ा और ग्राम गंजम	निर्णय लिया जाना है।	70.00	35.00 14.11.2002	0.00	0.00	राज्य सरकार/कार्यान्वियन एजेंसी
			368.63	228.00	123.47	39.50	
पंजाब							
55.	भिण्ड ग्राम, अमृतसर	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी	138.58	70.00 01.02.1999	35.00	0.00	राज्य सरकार/कार्यान्वियन एजेंसी
			138.58	70.00	35.00	0.00	
राजस्थान							
56.	मनोहरपुर ग्राम, उदयपुर	अरबन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट उदयपुर यूनिट	33.35	33.35 17.07.1999	24.96	24.96	
57.	शिवपुरा ग्राम, कोटा	अरबन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट कोटा यूनिट	19.28	19.28 12.07.1999	4.79	0.00	राज्य सरकार/कार्यान्वियन एजेंसी

1	2	3	4	5	6	7	8
58	आनंदपुरा ग्राम, कोटा	अरबन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट कोटा यूनिट	20.92	20.92 12.07.1999	5.23	5.23	
			73.55	73.55	34.96	30.19	
सिक्किम							
59.	रांग ग्राम, साउथ सिक्किम	सिक्किम औद्योगिक विकास और निवेश निगम लिमिटेड	35.07	33.40 14.01.2000	35.00	26.25	राज्य सरकार/कार्यान्वयन एजेंसी
60.	लापडांग ग्राम, पश्चिम सिक्किम	सिक्किम औद्योगिक विकास और निवेश निगम लिमिटेड	33.38	33.28 29.05.2000	33.33	33.33	
			68.45	66.78	68.33	59.58	
तमिलनाडु							
61.	काझीकुलम ग्राम, तिरूवनमलाई	जिला प्रशासन	35.00	35.00 26.11.1998	30.10	26.25	
62.	इरूलनीकी ग्राम ग्राम, तिरूवरू	स्वैच्छिक स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास सोसाइटी	45.27	35.00 30.7.1999	35.00	35.00	कार्यान्वयन एजेंसी
63.	कलिंगापट्टी ग्राम, तरूनलवेली		126.10	35.00 25.09.2000	8.75	0.00	ईएफसी, ईएफआई, आई ए वाई कार्यान्वयन एजेंसी
64.	लदापुरम ग्राम, पेराम्बलुर	डी आर डी ए	98.90	35.00 15.10.2002	0.00	0.00	राज्य सरकार/कार्यान्वयन एजेंसी
			305.27	140.00	76.85	61.25	
त्रिपुरा							
65.	साहेबरजूम ग्राम, पश्चिम त्रिपुरा	त्रिपुरा हाउसिंग बोर्ड	38.34	38.34 29.05.2000	9.55	0.00	
			38.34	38.34	9.55	0.00	

1	2	3	4	5	6	7	8
उत्तर प्रदेश							
66.	बरावन खुर्द ग्राम, लखनऊ	सूडा	39.41	35.00 21.12.1998	35.00	35.00	राज्य सरकार/कार्यान्वयन एजेंसी
67.	सिरवेरा ग्राम, गाजियाबाद	जिला पंचायत	35.00	35.00 08.07.1999	26.25	16.38	—
68.	बुद्दू खेड़ा ग्राम, लखनऊ	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी	40.00	35.00 29.07.1999	35.00	26.25	राज्य सरकार/कार्यान्वयन एजेंसी
69.	अहमदगढ़ ग्राम, मुजफ्फरनगर	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी	48.00	35.00 06.10.1999	35.00	35.00	राज्य सरकार/कार्यान्वयन एजेंसी
70.	सज्फपुर ग्राम, मेरठ	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी	39.38	35.00 12.05.2000	35.00	26.25	राज्य सरकार/कार्यान्वयन एजेंसी
71.	चकोरा ग्राम, बाराबंकी	जिला प्रशासन	186.80	35.00 08.08.2001	8.75	0.00	राज्य सरकार/विधान सभा सदस्य निधि
72.	त्रिवेदी गंज ग्राम, बाराबंकी	जिला प्रशासन	74.44	35.00 08.08.2001	8.75	0.00	राज्य सरकार/विधान सभा सदस्य निधि
73.	सुबेहा ग्राम, बाराबंकी	जिला प्रशासन	82.00	35.00 08.08.2001	8.75	0.00	राज्य सरकार/विधान सभा सदस्य निधि
			545.03	280.00	192.50	138.88	
उत्तरांचल							
74.	घिंघरान/पैंग ग्राम, चमोली	हुडको/जिला प्रशासन	35.00	30.83 12.04.1999	26.72	18.51	राज्य सरकार/कार्यान्वयन एजेंसी

1	2	3	4	5	6	7	8
75.	कुंज/कंसाली (ईक्यू) ग्राम, रूद्रप्रयाग	हुडको/जिला प्रशासन	35.00	27.84 12.04.1999	27.84	27.84	राज्य सरकार/ कार्यान्वयन एजेंसी
			70.00	58.67	54.56	46.35	
पश्चिम बंगाल							
76.	गुलंधर ग्राम, दिनाजपुर	राहत विभाग	56.81	35.00 18.03.1999	8.75	8.75	राज्य सरकार/ कार्यान्वयन एजेंसी
77.	दमशीपखा ग्राम, दार्जिलिंग	कलीमपोंग नगरपालिका	38.89	35.00 28.07.1999	35.00	35.00	राज्य सरकार/ कार्यान्वयन एजेंसी
			95.70	70.00	43.75	43.75	
			4886.62	2653.15	1419.48	859.75	

सेवानिवृत्ति की आयु

1200. **श्री अरुण कुमार :** क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य-सरकारों ने इस वर्ष कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु को घटाए जाने का समर्थन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वे राज्य कौन से हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) जी, नहीं,

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

परियोजनाओं के विकास हेतु निधियां

1201. **श्री प्रबोध पण्डा :** क्या कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पश्चिम बंगाल में मंत्रालयों द्वारा चलाई जा रही विभिन्न विद्यमान विकास परियोजनाओं के विकास हेतु धन का आबंटन किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्य में विभिन्न केन्द्रों में सहायता प्राप्त योजनाओं हेतु आबंटित और संवितरित निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न योजनाओं एवं परियोजनाओं हेतु आबंटित निधियों का पूर्णत: उपयोग किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संघप्रिय गौतम) : (क) कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों से संबंधित दो मुख्य विकास परियोजनाएं/कायक्रम हैं: ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर.ई.जी.पी.) और प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.), जो पश्चिम बंगाल सहित देश भर में चलाए जा रहे हैं। जबकि, आर.ई.जी.पी. के लिए निधियों का आबंटन केन्द्र सरकार द्वारा खादी और ग्रामोद्योग

आयोग (के.वी.आई.सी.) को कार्यान्वयन बैंकों को आगे मार्जिन मनी अनुदान के रूप में जारी करने के लिए आबंटित किया जाता है।

केन्द्र सरकार प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत सब्सिडी तथा साथ ही साथ प्रशिक्षण और उद्यमिता विकास इत्यादि के लिए निधियां आबंटित तथा संवितरित करती है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत सब्सिडी के लिए निधियां कार्यान्वयन बैंकों के माध्यम से वैयक्तिक लाभार्थियों को देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को प्राधिकृत हैं, वहीं प्रशिक्षण तथा उद्यमिता विकास इत्यादि के लिए निधियां राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को जारी की जाती है।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल में आर.ई.जी.पी. के अंतर्गत के.वी.आई.सी. के माध्यम से तथा प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक तथा राज्य सरकार के माध्यम से आबंटित तथा संवितरित निधियों का ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण-I और II में है।

(ग) से (ङ) ब्यौरा संलग्न विवरण-III और IV पर है।

विवरण-I

आर.ई.जी.पी. के अन्तर्गत तीन वर्षों के दौरान के.वी.आई.सी. के माध्यम से पश्चिम बंगाल को आबंटित/संवितरित निधियों का ब्यौरा

(रु० लाखों में)

वर्ष	आबंटित/संवितरित निधियां
2000-01	191.06
2001-02	822.20
2002-03	641.00

विवरण-II

पी.एम.आर.वाई. के अन्तर्गत तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल को आबंटित/संवितरित निधियों का ब्यौरा

भारतीय रिजर्व बैंक/बैंकों को राजसहायता के रूप में:

(रु० लाखों में)

क्रमांक	वर्ष	आबंटित/संवितरित निधियां
1	2	3
1.	2000-01	143.84
2.	2001-02	151.06
3.	2002-03	105.36*

*अनन्तिम

राज्य सरकार को प्रशिक्षण/आकस्मिकता इत्यादि के लिए :

(रु० लाखों में)

क्रमांक	वर्ष	आबंटित/संवितरित
1.	2000-01	3.72
2.	2001-02	0.00
3.	2002-03	0.00*

*राज्य सरकार के पास पिछले वर्षों के दौरान 1999-2000 तक जारी निधियों में से 88,59,614 रुपये की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध हैं।

विवरण-III

पिछले तीन वर्षों के दौरान आर.ई.जी.पी. के अन्तर्गत निधियों के उपयोग का ब्यौरा

(रु० लाखों में)

वर्ष	उपयोग की गई मार्जिन मनी
2000-01	191.06
2001-02	822.20
2002-03	641.00

विवरण-IV

विगत तीन वर्षों के दौरान पी.एम.आर.वाई. के तहत उपयोग किए गए फण्ड का ब्यौरा

आर.बी.आई./बैंकों द्वारा सब्सिडी के रूप में

(रु० लाखों में)

क्रम सं.	वर्ष	उपयोग किए गए फण्ड्स (आर.बी.आई. की रिपोर्ट अनुसार)
1	2	3
1.	2000-01	143.84

1	2	3
2.	2001-02	151.06
3.	2002-03	105.36*

*अनन्तिम

प्रशिक्षण, आकस्मिकता इत्यादि के लिए राज्य सरकार द्वारा

(रु० लाखों में)

क्रम सं.	वर्ष	उपयोग किए गए फण्ड्स (आर.बी.आई. की रिपोर्ट अनुसार)
1.	2000-01	18.53
2.	2001-02	18.27
3.	2002-03	0.00*

*पी.एम.आर.वाई. के तहत फण्ड्स का उपयोग किया जाना स्कीम के तहत प्रगति/उपलब्धि पर आधारित है। स्कीम को बाद के वर्षों में भी जारी रखा जाना है तथा राज्य सामान्यत: किसी विशिष्ट वर्ष के फण्ड्स की उपयोग किए जाने की रिपोर्ट या तो बाद के वर्ष के अंत में फण्ड्स रिलीज किए जाने के तीसरे वर्ष में करते हैं। फालतू/पिछले वर्ष के घाटे का समायोजन/रिलीज राज्य सरकार द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र के प्रस्तुतीकरण के उपरांत बाद के वर्ष में किया जाता है। वर्ष 2002-03 के संबंध में पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा अभी उपयोगिता रिपोर्ट की जानी है।

यूरेनियम की जब्ती

1202. **श्री मोहन रावले :** क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में आसूचना अभिकरणों और बंग्लादेशी सुरक्षा बलों द्वारा अर्ध-प्रसंस्कृत यूरेनियम वाले विस्फोटक पदार्थों को जब्त किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस यूरेनियम को सुरक्षित पैकटों में उपयोग निर्देशिका के साथ पैक किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो देश में सक्रिय आतंकवादी गुटों द्वारा इन यूरेनियम पैकटों के दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्मयानन्द स्वामी) : (क) और (ख) रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश राइफल्स ने हाल ही में बांग्लादेश में नौगांव जिले में एक पैकिट जब्त किया है जिसमें 225 ग्राम कच्चा अर्ध-प्रसंस्कृत यूरेनियम होने का संदेह था। बताया जाता है कि कुछ गिरफ्तारियां की गई हैं।

(ग) पैकेट में जब्त की गई सामग्री पर एक लेबल लगा हुआ बताया गया है, जो यह दर्शाता था कि यह यूरेनियम है और उस पर उत्पादन तथा समाप्ति की तारीखें, मात्रा इत्यादि अंकित थी। बताया जाता है कि सामग्री के साथ एक कैटॅलॉग भी बरामद किया गया है। जब्त की गई सामग्री बांग्लादेशी प्राधिकारियों की अभिरक्षा में बताई गई है।

(घ) सुरक्षा से जुड़े सभी मामलों का सरकार द्वारा निकट से प्रबोधन किया जाता है।

कोयला खानों में श्रमिकों की संख्या

1203. **श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयला खानों में श्रमिकों की संख्या में प्रतिवर्ष कमी आ रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) कोयला खानों में श्रमिकों को क्या विशिष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं और कितने वेतन, इत्यादि का भुगतान किया जाता है; और

(घ) इसका कंपनी-वार अलग-अलग ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रहलाद सिंह पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) इसके कारण सेवानिवृत्ति, त्याग-पत्र, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वी.आर.एस.) इत्यादि है।

(ग) और (घ) श्रमिकों को आवास, जलापूर्ति, चिकित्सा देखरेख, मनोरंजन तथा खेलकूद, कैन्टीन, बैंक, सहकारी स्टोर, ऋण समितियां, विश्राम-स्थल इत्यादि जैसी कल्याण सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। श्रमिकों

को मजदूरी राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-VI (एन.सी.डब्ल्यू.ए.-VI), जो श्रमिकों तथा प्रबंधन के बीच एक द्विपक्षीय समझौता है, के अनुसार अदा की जाती है।

नेताजी जांच आयोग

1204. **श्री वी. वेत्रिसेलवन :**
श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के गायब होने की परिस्थितियों की जांच करने हेतु कभी किसी आयोग का गठन किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस रिपोर्ट को कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) जी हां, श्रीमान।

(क) जी हां, श्रीमान।

(ख) से (ङ) सरकार ने, 16 अगस्त, 1945 के आस-पास बैंगकॉक से नेताजी सुभाषचंद्र बोस की रवानगी से संबंधित परिस्थितियों, वायुयान दुर्घटना के फलस्वरूप उनकी मृत्यु तथा इससे संबंधित बाद की घटनाओं की जांच करने के लिए अप्रैल, 1956 में शाहनवाज खान समिति तथा जुलाई, 1970 में खोसला आयोग की स्थापना की थी। शाहनवाज खान समिति और खोसला आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि नेताजी सुभाषचंद्र बोस की मृत्यु वायुयान दुर्घटना में हुई थी।

सरकार ने, मई 1999 में भारत के उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, न्यायमूर्ति एम.के. मुखर्जी की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग की स्थापना की जिसे वर्ष 1945 में नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के लापता होने से संबंधित तथ्य और परिस्थितियों तथा निम्नलिखित घटनाओं सहित बाद की घटनाओं की जांच करनी थी:-

(i) क्या नेताजी सुभाषचंद्र बोस मृत हैं या जीवित;

(ii) यदि वे मृत हैं तो क्या वे कथित वायुयान दुर्घटना में ही मारे गए;

(iii) जापानी मन्दिर में रखी भस्म क्या नेताजी की ही है;

(iv) क्या वे किसी अन्य प्रकार से किसी अन्य स्थान पर मरे, यदि ऐसा है तो कब और कैसे; और

(v) यदि वे जीवित हैं तो उनके अते-पते के संबंध में जानकारी। न्यायमूर्ति मुखर्जी आयोग ने अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। इसका कार्यकाल समय-समय पर, बढ़ाया गया है और वर्तमान बढ़ाई अवधि 14.11.03 तक है।

[हिन्दी]

कोयला खानों में स्वास्थ्य संबंधी खतरे

1205. **डा० अशोक पटेल :** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कोयला खानें, स्वास्थ्य के लिए बड़े खतरे का कारण बन गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

कोयला मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) ऐसे कोई संकेतक नहीं हैं, जो यह दर्शाते हों कि कोयला खानें स्वास्थ्य के लिए खतरे का कारण बन गई हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

भारत-पाक सीमा पर बाड़ लगाया जाना

1206. **श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :**
श्रीमती निवेदिता माने :

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत-पाकिस्तान सीमा पर बाड़ लगाए जाने का कार्य शुरू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें सेक्टर-वार कितनी प्रगति हुई है;

(ग) इसे क्षेत्रवार कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है; और

(घ) इस पर कितनी लागत आने का अनुमान है और इस पर अब तक कितना खर्च किया जा चुका है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्मयानन्द स्वामी) : (क) से (घ) जी हां, श्रीमान। भारत-पाकिस्तान सीमा के साथ-साथ बाड़ लगाने का कार्य शुरू किया गया है। अभी तक हुई प्रगति, समय अनुसूची, किए गए व्यय इत्यादि सहित बाड़ लगाने के कार्य के ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं।

विवरण

भारत-पाक सीमा पर बाड़ लगाया जाना

सेक्टर	अभी तक सीमा पर लगाई गई बाड़ की लम्बाई (कि०मी० में)	बाड़ लगाने के लिए प्रस्तावित शेष सीमा की लंबाई (कि०मी० में)	कार्य की अनुमानित लागत (रु० करोड़ों में)	30.6.2003 की स्थिति के अनुसार किया गया व्यय (रु० करोड़ों में)	कार्य पूरा हो जाने का सभांवित वर्ष
पंजाब	457	—	88.65	88.65	1993 में कार्य पूरा किया गया
राजस्थान	1048	—	226.27	193.39	1993 में कार्य पूरा किया गया
गुजरात	62*	248	250.00#	78.00	2005
जम्मू	80	100	46.00	23.35	2006

*62 कि.मी. सड़क और तटबंध का कार्य तथा 16 कि.मी. पर बाड़ लगाने का कार्य पूरा हो गया है।

#गुजरात पर बाड़ लगाने का कार्य मिली-जुली किस्म का है, जिसमें कंटीली तारों की बाड़ लगाना, सड़क, तटबंध, सीमा चौकियों का निर्माण इत्यादि शामिल है।

[हिन्दी]

हिन्दी सलाहकार समिति

1207. **श्री राजो सिंह :** क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कितने मंत्रालय/विभाग हैं जहां हिन्दी सलाहकार समिति का गठन किया गया है और ऐसे कितने मंत्रालय/विभाग हैं जहां इसका गठन नहीं किया गया है;

(ख) ऐसे कौन-कौन से मंत्रालय/विभाग हैं जिन्होंने गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक तीन महीनों पर हिन्दी सलाहकार समिति की बैठकें बुलाई हैं;

(ग) ऐसे कौन-कौन से मंत्रालय/विभाग हैं जिन्होंने इसके गठन के बावजूद इसकी बैठकें नहीं बुलाई हैं;

(घ) इस संबंध में राजभाषा विभाग द्वारा क्या कार्रवाही की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा उन मंत्रालयों के खिलाफ क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है जिन्होंने इस संबंध में संसदीय राजभाषा समिति के दिशा-निर्देशों और सिफारिशों का उल्लंघन किया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्मयानंद स्वामी) : (क) दिनांक 23.07.2003 तक की स्थिति के अनुसार 33 मंत्रालयों/विभागों में हिन्दी सलाहकार समितियां गठित हैं। इसके अतिरिक्त 13 मंत्रालयों/विभागों में गठित हिन्दी सलाहकार समितियों का कार्यकाल हाल ही में समाप्त हो गया है। 4 मंत्रालयों/विभागों की हिन्दी सलाहकार समितियों का गठन/पुनर्गठन नहीं हो पाया है।

(ख) वर्ष 2000, 2001 व 2002 में प्रति तिमाही एक बैठक नियमित रूप से आयोजित करने वाला कोई मंत्रालय/विभाग नहीं है।

(ग) 1. परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग

2. डाक विभाग

3. विदेश मंत्रालय

4. कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय

(घ) और (ङ) जिन मंत्रालयों/विभागों की हिन्दी सलाहकार समिति गठित/पुनर्गठित नहीं है या हिन्दी सलाहकार समितियां गठित होते हुए भी नियमित रूप से बैठकें आयोजित नहीं हो रही हैं उनको समय-समय पर विभिन्न स्तरों पर गठन/पुनर्गठन का कार्य शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करवाने/नियमित रूप से बैठकें आयोजित करवाने के बारे में अनुरोध किया गया है।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में मेट्रो रेल शुरु किया जाना

1208. श्री जी. गंगा रेड्डी :
डा. एन. वेंकटस्वामी :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने विभिन्न नगरों में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को शुरु करने के संबंध में दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन को नियुक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रोजेक्ट पर कितनी लागत आने का अनुमान है; और

(घ) इस संबंध में अन्य ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) जी, हां। आंध्र प्रदेश सरकार ने हैदराबाद और सिकन्दराबाद में मैट्रो रेल प्रणाली शुरु करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने हेतु दिल्ली मैट्रो रेल कारपोरेशन लि. की सेवाएं ली हैं।

(ख) से (घ) प्रस्तावित मैट्रो रेल प्रणाली में शामिल किए जाने वाले मार्ग निम्नलिखित हैं :-

(1) मियापुर-कुक्कुटपल्ली-उस्मानिया मेडिकल कालेज-दिलसुख नगर-चैतन्यपुरी (26.27 कि.मी.-कॉरीडोर संख्या-1

(2) सिकन्दराबाद-चारमीनार-फलकनुमा (13.18 कि.मी.)-कॉरीडोर संख्या-2

परियोजना की अनुमानित लागत अप्रैल, 2003 में 3,205 करोड़ रु. है। दोनों कॉरीडोरों को आधुनिक रोलिंग स्टॉक एवं प्रणाली के साथ उत्थापित लाइनों के रूप में उन्नत करने का प्रस्ताव है।

कोल इंडिया लिमिटेड के मुख्यालय का स्थानान्तरण

1209. श्री शिबू सोरेन : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खनन के अधिकांश कार्य झारखंड में चल रहे हैं और कोलकाता तथा पश्चिम बंगाल का इस कार्य में नाममात्र का हिस्सा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार कोल इंडिया लि. के मुख्यालयों को कोलकाता से रांची स्थानान्तरित करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्री (श्री करिया मुण्डा) : (क) दिनांक 1.4.2003

की स्थिति के अनुसार पश्चिम बंगाल तथा झारखंड राज्यों में प्रचालनशील कोयला खानों की संख्या क्रमशः 97 और 158 है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) कोल इंडिया लि. का मुख्यालय काफी समय से कोलकाता में रहा है। इसे रांची में स्थानान्तरित करने का कोई औचित्य नहीं है।

नागरिक सुरक्षा और होम गार्ड अधिनियम (सिविल डिफेन्स एण्ड होम गार्ड एक्ट)

1210. **श्री कालवा श्रीनिवासुलु : क्या उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आपदा प्रबंधन के लिए सिविल डिफेन्स और होम गार्डों की सेवाओं का विस्तार करने हेतु नागरिक सुरक्षा अधिनियम में संशोधन करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्मयानन्द स्वामी) : (क) और (ख) सरकार, आपदाओं की स्थिति में राज्यों की सहायता के लिए नागरिक सुरक्षा संगठन (सिविल डिफेंस) का उपयोग करने के तौर तरीकों का पता लगा रही है।

दिल्ली में झुग्गियां

1211. **श्री जी.जे. जाविया : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली में उन स्थानों पर फिर से झुग्गियां बस रही हैं जहां पहले इन्हें गिराया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस प्रयोजनार्थ मौके पर मुआयना हेतु अधिकारियों को भेजकर ऐसे स्थानों की पहचान की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) दिल्ली नगर निगम का स्लम और जे जे विभाग भूमि पर स्वामित्व रखने वाली संबंधित एजेंसियों के अनुरोध पर पात्र झुग्गीवासियों को पुनर्स्थापित करता है। इस प्रकार वापस ली गई भूमि भूमि-स्वामी एजेंसियों के सुपुर्द कर दी जाती है और यह उनकी जिम्मेवारी है कि वह अपनी भूमि अधिक्रमण मुक्त रखें। तथापि, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उसी स्थान पर दुबारा झुग्गियां बनाए जाने का कोई मामला उनके सामने नहीं आया है।

(ख) और (ग) संघ सरकार द्वारा ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(घ) सरकार समय-समय पर सभी भूमि-स्वामी एजेंसियों से अपनी भूमि अधिक्रमण-मुक्त रखने के लिए कहती रही है।

कोयले की चोरी

1212. **श्री रामशेठ ठाकुर :**
श्री के.पी. सिंह देव :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में ऐसी कोयला खानों की पहचान की है जहां कोयले की चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2001-2002, 2002-2003 और 2003-2004 के दौरान आज तक कंपनी-वार और खान-वार ऐसी कितनी घटनाओं का पता चला है;

(ग) वर्ष-वार और कंपनी-वार कितने कोयले की चोरी होने का अनुमान है और इसके परिणामस्वरूप कितना नुकसान हुआ है;

(घ) कोयले की चोरी को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार कोयले की चोरी को रोकने के लिए कर्मचारी यूनियनों को शामिल करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) से (ग) कोयले की चोरी प्रच्छन्न रूप से की जाती है और अभी तक जहां से कोयले

की चोरी हुई है, उस स्थान तथा चोरी हुए कोयले की मात्रा को सही-सही बता पाना सम्भव नहीं है। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान सुरक्षा कार्मिकों द्वारा मारे गए छापों तथा संबंधित राज्य सरकारों के कानून और व्यवस्था के प्राधिकारियों के साथ मारे गए संयुक्त छापों के अनुसार, कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों में निम्नलिखित मात्रा बरामद की गई थी :-

कंपनी	2001-2002			2002-2003			2003-2004		
	दर्ज एफ.आई. आर.	बरामद मात्रा (टन)	लगभग मूल्य (लाख रु.)	दर्ज एफ.आई. आर.	बरामद मात्रा (टन)	लगभग मूल्य (लाख रु.)	दर्ज एफ.आई. आर.	बरामद मात्रा (टन)	लगभग मूल्य (लाख रु.)
ई.सी.एल.	1404	22617.00	178.00	804	14140.00	113.00	341	4909.00	39.26
बी.सी.सी.एल.	60	183.80	2.78	47	71.69	0.977	22	7.29	0.097
सी.सी.एल.	72	967.00	9.67	13	704.50	7.00	30	470.75	4.70
एन.सी.एल.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
डब्ल्यू.सी.एल.	6	20.78	0.19	20	277.21	2.23	8	123.24	1.215
एस.ई.सी.एल.	10	216.00	1.30	7	65.48	0.55	0	0	0
एम.सी.एल.	डी.डी.एम. को	30.00	0.10	4	34.60	0.16	13	5.90	0.03
एन.ई.सी.	0	0	0	40	49.70	0.53	0	0	0
कुल	1552	24034.58	192.04	935	15343.18	124.45	414	5516.18	45.30

(घ) कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है, अत: कोयला कंपनियां राज्य प्राधिकारियों के साथ निकट सम्पर्क बनाए रखती हैं। इसके अतिरिक्त, सी.आई.एल. की सहायक कंपनियों द्वारा कोयले की चोरी/उठाईगिरी को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे हैं:-

(1) अवैध कोयला डिपो तथा कोयले के अवैध संचलन के बारे में आसूचना रिपोर्टों का संग्रहण तथा निवारक कार्रवाई करने के लिए जिला प्राधिकारियों को सूचित करना।

(2) परिवहन दस्तावेजों की जांच करने के लिए संवेदनशील बिन्दुओं पर चैक-पोस्ट स्थापित करना।

(3) वॉच-टावरों का निर्माण करना तथा कोयला स्टेकिंग क्षेत्र के इर्द-गिर्द प्रकाश की व्यवस्था करना।

(4) पिट हैड डिपो के इर्द-गिर्द कांटेदार बाड़ लगाना/दीवार बनाना, रात के समय सशस्त्र गार्डों के नियोजन सहित स्थायी सुरक्षा व्यवस्था करना।

(5) भरे हुए रेकों को सशस्त्र गार्डों की सुरक्षा में रेलवे वे-ब्रिजों तक ले जाना तथा लम्बी दूरी के रेलवे ट्रैकों में, जहां वैगनों को लूटे जाने की संभावना होती है, रेलवे सुरक्षा बल (आर.पी.एफ.) के साथ संयुक्त रूप से पेट्रोलिंग करना।

(6) अवैध खनन स्थलों को सील करना।

(7) चोरी अथवा उठाईगिरी के कार्य में पकड़े गए परिवहन गाड़ियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करना।

(8) कोयले की चोरी/उठाईगिरी में लिप्त महिलाओं और बच्चों को रोकने के लिए महिला सुरक्षा गार्ड लगाना, सुरक्षा कार्मिकों की आवश्यकता का पुनःआंकलन करके सुरक्षा स्कन्ध को सुदृढ़ बनाना, सुरक्षा कार्य की क्षमता वाले अधिकारियों का होरीजोन्टल संचलन तथा कनिष्ठ, मध्यम तथा वरिष्ठ स्तरों पर योग्य सुरक्षा कार्मिकों को लगाना।

(9) मौजूदा सुरक्षा कार्मिकों का प्रशिक्षण, सी.आई.एस.एफ. कार्मिकों का पुनश्चर्या प्रशिक्षण तथा सुरक्षा ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए सुरक्षा स्कन्ध में नए भर्ती हुए कार्मिकों को बेसिक प्रशिक्षण देना।

(ङ) और (च) इकाई/कंपनी स्तर पर ट्रेड यूनियनों के साथ विचार-विमर्श के दौरान उनसे कोयले की चोरी/उठाईगिरी रोकने में अपनी सहायता/सहयोग प्रदान करने का अनुरोध किया जाता है।

ग्रामीण रोजगार योजना के लाभार्थी

1213. **श्री ए. नरेन्द्र :**
श्री अब्दुल रशीद शाहीन :
डा. मदन प्रसाद जायसवाल :
श्री बीर सिंह महतो :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2003-2004 के दौरान ग्रामीण रोजगार योजनाओं के अंतर्गत योजनावार कितनी राशि आबंटित/निर्गत की गई;

(ख) प्रत्येक योजना को शुरू करने के लिए मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) वर्ष 2003-2004 के दौरान प्रत्येक योजना के अंतर्गत राज्यवार क्या लक्ष्य निर्धारित और प्राप्त किए गए; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान महिला लाभार्थियों के संदर्भ में योजना-वार कितनी उपलब्धि मिली?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) और स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) नामक दो प्रमुख योजनाएं कार्यान्वित करता है। वर्ष 2003-2004 के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत योजनावार आबंटित/जारी की गई निधियां विवरण-I में दी गई हैं।

(ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सहायताप्राप्त गरीब परिवारों को बैंक ऋण और सरकारी सब्सिडी के जरिए उन्हें आय सर्जक परिसंपत्तियां मुहैया कराते हुए गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए एस.जी.एस.वाई. शुरू की है। एस.जी.एस.वाई. का प्राथमिक उद्देश्य सभी ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराकर तत्पश्चात् खाद्य सुरक्षा मुहैया कराना एवं पोषण स्तर में सुधार करना है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त रोजगार सर्जक योजनाओं के अंतर्गत वास्तविक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। वर्ष 2002-03 और 2003-04 के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत महिला लाभार्थियों की उपलब्धि सहित वास्तविक उपलब्धियां विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

(लाख रु. में)

क्रमांक	योजना	2002-2003		2003-2004	
		केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीज	केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीज
1.	एस जी आर वाई-I	177875.01	184853.26	205995.02	93089.87
2.	एस जी आर वाई-II	177383.04	183725.67	206029.99	99993.07
3.	एस जी एस वाई	56793.00	50602.79	80000.00	29602.39

एस जी आर वाई - सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना

एस जी एस वाई - स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना

विवरण-II

वर्ष : 2003-04 (जून, 2003 तक)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एस जी आर वाई-I (2002-03) सृजित रोजगार		एस जी आर वाई-I (2003-04) मजित रोजगार		एस जी एस वाई (2002-03)		एस जी एस वाई (2003-04)	
		(कुल लाख श्रम दिवस)	(महिलाओं के लिए कुल लाख श्रम दिवस)	(कुल लाख श्रम दिवस)	(महिलाओं के लिए कुल लाख श्रम दिवस)	स्वरोजगारियों की कुल सं.	सहायता प्राप्त महिलाओं की संख्या	स्वरोजगारियों की कुल सं.	सहायता प्राप्त महिलाओं की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	194.30	68.37	14.96	5.54	70792	57158	2567	1809
2.	अरुणाचल प्रदेश	12.99	3.99		0	1034	312	15	0
3.	असम	304.09	41.06	30.36	1.36	50384	35317	491	110
4.	बिहार	238.19	57.52		0	124326	25309	10986	2891
5.	छत्तीसगढ़	277.16	96.73		0	25953	4066	132	9
6.	गोवा	0.00	0.00		0	800	329	19	8
7.	गुजरात	113.91	32.80		0	18509	7060	0	0
8.	हरियाणा	63.40	15.56	0.14	0.03	11673	6431	132	63
9.	हिमाचल प्रदेश	13.49	0.72		0	5745	3222	87	25
10.	जम्मू एवं कश्मीर	28.13	0.00		0	10617	4493	0	0
11.	झारखंड	141.38	43.13		0	53729	10867	0	0
12.	कर्नाटक	245.33	85.68		0	37226	26782	142	101
13.	केरल	36.33	10.49	4.83	1.79	19778	13875	153	99
14.	मध्य प्रदेश	270.62	98.72		0	52591	16720	0	0
15.	महाराष्ट्र	239.08	75.66	10.03	2.86	55442	32007	1711	813

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	मणिपुर	0.00	0.00		0	0	0	0	0
17.	मेघालय	12.66	4.94		0	1417	358	0	0
18.	मिजोरम	6.29	2.28		0	1346	430	22	7
19.	नागालैंड	13.33	3.81		0	2218	658	0	0
20.	उड़ीसा	291.35	84.11	11.11	3.08	49033	21374	109	70
21.	पंजाब	9.88	0.27	0.20	0	6547	3376	30	4
22.	राजस्थान	179.49	73.73		0	27901	12657	493	228
23.	सिक्किम	2.73	0.59		0	1397	264	295	66
24.	तमिलनाडु	251.09	89.21	2.02	0.39	56838	54860	1170	1147
25.	त्रिपुरा	37.03	10.98		0	8047	2532	326	73
26.	उत्तर प्रदेश	662.33	80.66		0	99905	30880	8600	1742
27.	उत्तरांचल	26.93	1.84		0	7690	3830	320	114
28.	पश्चिमी बंगाल	171.39	36.13		0	23897	26525	1751	572
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00		0	142	29	0	0
30.	दादरा व नगर हवेली	0.00	0.00		0	0	0	0	0
31.	दमन व दीव	0.00	0.00		0	0	0	0	0
32.	लक्षद्वीप	0.00	0.00		0	13	2	0	0
33.	पांडिचेरी	1.89	0.23		0	493	479	0	0
	जोड़	3844.79	1019.21	73.65	15.05	825483	402202	29551	9951

एस जी आर वाई : सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना

एस जी एल वाई : स्वर्ण जंयती ग्राम स्वरोजगार योजना

नोट : 2003-04 के लिए प्रगति मई, 2003 तक की है।

[हिन्दी]

गरीबों को कम लागत वाले घर मुहैया कराने हेतु धन

1214. डा. जसवंत सिंह यादव : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों के विशेषकर राजस्थान के नगरों और शहरों में रह रहे गरीबों को कम लागत वाले घर मुहैया कराने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान आज तक वर्षवार और राज्यवार कितना धन आबंटित किया गया; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस धनराशि से वर्षवार और राज्यवार कितने घर बनाए गए और गरीबों को आबंटित किए गए?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) और (ख वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना 2.12.2001 को शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य शहरी स्लमों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले और आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए मकानों के निर्माण/उन्नयन में सहायता करना तथा योजना से एक घटक निर्मल भारत अभियान के माध्यम से सार्वजनिक शौचालयों के जरिए स्वास्थ्यकर शहरी पर्यावरण मुहैया कराना है। योजना के तहत 50 प्रतिशत परियोजना लागत केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान सहायता के रूप में दी जाती है बशर्ते कि वह दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित अधिकतम सीमा में हो और शेष परियोजना लागत की व्यवस्था संबंधित राज्य सरकार द्वारा उसके अपने संसाधनों से अथवा हडको या किसी अन्य एजेंसी से ऋण लेकर की जाती है। वर्ष 2001-02, 2002-03 के दौरान नियत की गई धनराशि का राज्य-वार विवरण और निर्मित रिहायशी मकानों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए मकानों के निर्माण हेतु हडको भी ऋण सहायता मुहैया कराता है। आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग/निम्न आय वर्ग जैसे प्राथमिकता क्षेत्र, समन्वित किफायती सफाई योजना, रैन बसेरों आदि के लिए स्वीकृत ऋण के राज्य-वार और वर्षवार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान आर्थिक दृष्टि में कमजोर वर्गों (शहरी) के लिए स्वीकृत रिहायशी मकानों का एक ब्यौरा संलग्न विवरण-IV में दिया गया है।

इसके अलावा, स्लम सुधार तथा निर्धनों के लिए किफायती आवास के लिए लागू की गई स्वैच्छिक जमा योजना, 1991 की आय से एक विशेष कोष का गठन किया गया। इस कोष का संचालन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय आवास बैंक ने इस विशेष कोष में से विभिन्न राज्यों की सार्वजनिक एजेंसियों को वित्तीय सहायता दी है। राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान इस विशेष कोष से दी गई वित्तीय सहायता (प्रत्यक्ष वित्तपोषण तथा पुनः वित्तपोषण दोनों) से संबंधित सूचना इस प्रकार है :-

(लाख रु.)

राज्य	2000-01	2001-02	2002-03
राजस्थान	0.00	670.39	1410.48
गुजरात	2548.19	1106.46	69.00
मध्य प्रदेश	188.67	127.48	0.00
योग	2736.86	1904.33	1479.48

विवरण-I

वाम्बे के तहत वर्षों 2001-02 के लिए राज्य-वार आबंटन तथा जारी राशि के ब्यौरे

क्र. सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	2001-2002 के दौरान जारी राशि	बनाये गये आवासों की संख्या	लगाये गये शौचालय सीटों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	1200.00	4000	0
2.	अरुणाचल प्रदेश			
3.	असम			
4.	बिहार			
5.	छत्तीसगढ़	65.00	325	0
6.	गोवा			
7.	गुजरात	384.00	1536	0

1	2	3	4	5
8.	हरियाणा			
9.	हिमाचल प्रदेश			
10.	जम्मू व कश्मीर	87.00	387	0
11.	झारखंड			
12.	कर्नाटक	915.00	3333	575
13.	केरल	182.00	910	0
14.	मध्य प्रदेश	246.00	984	0
15.	महाराष्ट्र	1198.00	4661	597
16.	मणिपुर			
17.	मेघालय			
18.	मिजोरम			
19.	नागालैण्ड			
20.	उड़ीसा			
21.	पंजाब			
22.	राजस्थान	300.00	1500	0
23.	सिक्किम			
24.	तमिलनाडु	1172.00	2610	3000
25.	त्रिपुरा	10.05	45	0
26.	उत्तरांचल	36.00	180	0
27.	उत्तर प्रदेश	743.45	3717	0
28.	पश्चिमी बंगाल	734.00	2746	393
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह			
30.	चड़ीगढ			
31.	दादरा एवं नगर हवेली			
32.	दमन एंड दीव			
33.	दिल्ली	50.00	167	0
34.	पाण्डिचेरी	33.50	170	40
35.	लक्षद्वीप			
	कुल	7356.00	27271	4605

विवरण-II

वाम्बे के तहत वर्ष 2002-03 के लिए राज्य-वार आबंटन तथा जारी राशि के ब्यौरे

क्र. सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	2002-2003 के दौरान जारी राशि	बनाये गये आवासों की संख्या	लगाये गये शौचालय सीटों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	5535.437	22268	392
2.	अरुणाचल प्रदेश			
3.	असम			
4.	बिहार			
5.	छत्तीसगढ़	529.410	2185	462
6.	गोवा			
7.	गुजरात	452.000	640	1460
8.	हरियाणा			
9.	हिमाचल प्रदेश			

1	2	3	4	5
10.	जम्मू और कश्मीर	38.320	170	0
11.	झारखण्ड			
12.	कर्नाटक	1967.600	6979	2215
13.	केरल	2389.650	11948	0
14.	मध्य प्रदेश	934.780	4054	170
15.	महाराष्ट्र	845.600	328	3900
16.	मणिपुर	7.875	35	0
17.	मेघालय			
18.	मिजोरम			
19.	नागालैण्ड	9.000	40	0
20.	उड़ीसा	61.200	306	0
21.	पंजाब			
22.	राजस्थान	900.000	4000	0
23.	सिक्किम			
24.	तमिलनाडु	2846.500	27226	11880
25.	त्रिपुरा	144.978	644	0
26.	उत्तरांचल	160.150	701	100
27.	उत्तर प्रदेश	1108.880	5412	0
28.	पश्चिमी बंगाल	1191.650	5191	909
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह			
30.	चंडीगढ़			
31.	दादरा एवं नगर हवेली			
32.	दमन एड दीव			
33.	दिल्ली			
34.	पाण्डिचेरी			
35.	लक्षद्वीप			
	कुल	19123.030	92127	21488

विवरण-III

हडको द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्राथमिकता वाले सेक्टर के लिए नियतन और मंजूर किया गया आवास ऋण

(करोड़ रुपये में)

राज्य	2000-2001		2001-2002		2002-2003	
	नियतन	मंजूर	नियतन	मंजूर	नियतन	मंजूर
1	2	3	4	5	6	7
अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	1.38	0.00	0.30	0.00	0.55	0.00
आन्ध्र प्रदेश	84.53	393.17	46.46	166.33	80.08	159.30

1	2	3	4	5	6	7
अरुणाचल प्रदेश	0.88	0.00	0.80	0.00	1.44	0.00
असम	82.63	103.28	33.78	0.10	61.68	0.65
बिहार	27.11	0.00	19.48	0.00	35.91	0.00
चंडीगढ़	0.75	0.00	0.98	0.00	1.87	0.00
छत्तीसगढ़	0.00	0.25	13.00	24.70	23.88	24.20
दादरा एवं नगर हवेली	0.05	0.00	0.08	0.00	0.17	0.00
दमन एंड दीव	0.07	0.00	0.10	0.00	0.17	0.00
दिल्ली	9.46	0.00	12.42	0.13	24.45	0.00
गोवा	1.15	0.00	1.52	0.00	2.80	0.00
गुजरात	32.72	13.13	43.00	2.38	79.00	1.47
हरियाणा	7.35	0.00	9.68	0.00	18.97	6.85
हिमाचल प्रदेश	1.99	100.00	2.64	0.00	4.80	0.00
जम्मू व कश्मीर	6.42	0.00	8.44	0.00	15.61	0.00
झारखण्ड	0.00	0.00	16.14	1.00	29.47	0.00
कर्नाटक	43.59	408.76	37.84	293.53	68.48	552.20
केरल	111.35	376.42	19.14	96.10	31.88	47.00
लक्षद्वीप	0.07	0.00	0.08	0.00	0.14	0.00
मध्य प्रदेश	42.33	10.38	37.10	7.66	67.96	7.45
महाराष्ट्र	149.06	368.63	69.96	0.00	129.14	0.00
मणिपुर	10.34	0.00	6.80	0.00	12.40	10.00
मेघालय	20.55	35.00	4.76	0.00	8.71	0.00
मिजोरम	8.58	1.99	8.30	4.00	15.19	6.90
नागालैण्ड	4.57	0.00	4.12	0.00	7.51	4.00

1	2	3	4	5	6	7
उड़ीसा	55.39	413.21	19.62	0.00	35.65	20.00
पाण्डिचेरी	0.82	0.00	1.10	0.00	1.93	0.00
पंजाब	10.76	0.00	14.12	20.00	26.31	12.56
राजस्थान	30.30	6.32	39.64	23.62	72.81	0.00
सिक्किम	0.36	0.00	0.30	0.00	0.57	0.00
तमिलनाडु	112.24	184.18	53.38	74.37	100.12	97.38
त्रिपुरा	4.89	0.71	4.38	1.92	8.01	1.56
उत्तर प्रदेश	71.70	8.03	56.86	252.63	105.10	0.00
उत्तरांचल	0.00	0.00	7.94	6.99	14.54	2.14
पश्चिमी बंगाल	29.11	255.74	38.28	111.30	66.72	0.00
सकल योग	962.50	2679.20	632.54	1086.76	1155.00	953.66

विवरण-IV

हडको द्वारा मंजूर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (शहरी) के लिए रिहायशी यूनिटों का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	2000-2001	2001-2002	2002-2003
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	24298	24000	46267
2.	असम	209	0	0
3.	बिहार	0	0	128
4.	छत्तीसगढ़	0	10000	11000
5.	दिल्ली	0	2016	0
6.	गोवा	0	0	0
7.	गुजरात	3119	2357	18136
8.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0
9.	हरियाणा	0	0	3263
10.	जम्मू व कश्मीर	0	557	0
11.	केरल	74800	1330	56540
12.	कर्नाटक	10183	43733	84595
13.	मेघालय	0	0	0
14.	महाराष्ट्र	395	4989	7166
15.	मणिपुर	0	80	780
16.	मध्य प्रदेश	0	2200	4664

1	2	3	4	5
17.	मिजोरम	169	0	0
18.	नागालैण्ड	0	40	323
19.	उड़ीसा	10000	905	0
20.	पंजाब	0	10000	4050
21.	राजस्थान	1249	8780	0
22.	सिक्किम	0	0	—
23.	तमिलनाडु	11747	4154	14915
24.	त्रिपुरा	115	462	801
25.	उत्तरांचल	0	2167	890
26.	उत्तर प्रदेश	1139	125925	5711
27.	पं. बंगाल	0	8858	6468
28.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0
29.	चंडीगढ़	0	0	—
30.	दादरा व नगर हवेली	0		—
31.	पाण्डिचेरी	0	170	—
32.	अरुणाचल प्रदेश	—	1600	0
33.	झारखंड	—	0	10531
	कुल	137423	254323	276228

[अनुवाद]

बेघर लोग

1215. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देशभर के विभिन्न शहरों और कस्बों में पर्याप्त आवास इकाइयों के आवास में गलियों में रहने वाले लोगों की संख्या के बारे में कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) और (ख) भारत के महापंजीयक ने सूचित किया है कि वर्ष 2001 की जनगणना के दौरान एकत्र किए गए बेघर लोगों के आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार देश में बेघर शहरी आबादी के आंकड़े संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

क्रमांक	राज्य का नाम	शहरी बेघर व्यक्तियों की सं.
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	82015
2.	असम	1658
3.	बिहार	33669
4.	गोवा	4386
5.	गुजरात	65754
6.	हरियाणा	11955
7.	हिमाचल प्रदेश	3934
8.	कर्नाटक	42728
9.	केरल	9127
10.	मध्य प्रदेश	57208
11.	महाराष्ट्र	104909
12.	मणिपुर	48
13.	मेघालय	439
14.	मिजोरम	—

1	2	3
15.	नागालैण्ड	—
16.	उड़ीसा	20554
17.	पंजाब	23307
18.	राजस्थान	31861
19.	सिक्किम	69
20.	तमिलनाडु	31685
21.	त्रिपुरा	117
22.	उत्तर प्रदेश	85200
23.	पश्चिमी बंगाल	88343
24.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	425
25.	चंडीगढ़	4414
26.	दादरा व नगर हवेली	149
27.	दमन व दीव	358
28.	दिल्ली	18838
29.	लक्षद्वीप	—
30.	पांडिचेरी	2442
	कुल	725592

स्रोत:- महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय, भारत, सामान्य जनगणना सारणी, भाग II ए(i), 1991

(i) जम्मू व कश्मीर की आबादी इसमें शामिल नहीं है क्योंकि वहां 1991 में जनगणना नहीं कराई गयी थी।

(ii) इसमें पाकिस्तान और चीन के अवैध कब्जे वाले क्षेत्र की आबादी शामिल नहीं है क्योंकि वहां जनगणना नहीं कराई जा सकी।

सी.आई.एल. की सहायक कंपनियों को घाटा

1216. **श्री के.पी. सिंह देव :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इंडिया लिमिटेड की घाटे में चलने वाली सहायक कंपनियां कौन सी हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान और आज की तिथि तक ऐसी सहायक कंपनियों को वर्ष-वार, सहायक कंपनी-वार कुल कितना घाटा हुआ;

(ग) घाटे के क्या कारण हैं; और

(घ) इन कंपनियों की कमियों को दूर करने और कार्य-निष्पादन बेहतर बनाने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

कोयला मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ई.सी.एल.), भारत कोकिंग कोल लि. (बी.सी.सी.एल.) और सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. (सी.सी.एल.) कोल इंडिया लिमिटेड की घाटे में चलने वाली तीन सहायक कंपनियां हैं।

(ख) इन कंपनियों को विगत तीन वर्षों में हुआ घाटा निम्नानुसार है:-

(करोड़ रु. में)

	2000-01	2001-02	2002-03 (अनंतिम)
ई.सी.एल.	-917.19	-277.64	-270.00
बी.सी.सी.एल.	-1276.70	-755.00	670.00
सी.सी.एल.	-792.91	-108.32	+301.90

(ग) इन तीन सहायक कंपनियों को घाटा होने के कारण निम्नानुसार हैं:-

(1) बहुत सारी गहरी और पुरानी भूमिगत खानें विरासत में मिलना जो उच्च उत्पादन और उत्पादकता के लिए अनुकूल नहीं हैं।

(2) कठिन भू-खनन स्थितियां और सतह पर फीचर्स की मौजूदगी।

(3) अच्छी क्वालिटी वाले कोयला भंडारों का विलुप्त होना।

(4) अत्यधिक जनशक्ति होना।

(5) भूमि अधिग्रहण करने में कठिनाई जिससे मौजूदा खनन प्रचालन को जारी रखना तथा नई परियोजनाएं आरंभ करना प्रभावित हो रहा है।

(घ) इन तीन कंपनियों को बी.आई.एफ.आर. को संदर्भित किया गया है। बी.आई.एफ.आर. ने भारतीय स्टेट बैंक को ई.सी.एल. के लिए प्रचालक एजेन्सी नामित किया है जिसने ई.सी.एल. की पुनर्वास योजना तैयार की है। इस योजना पर विभिन्न स्तरों पर चर्चा की गई है। ई.सी.एल. और सी.आई.एल. बोर्ड ने मसौदा पुनर्वास योजना पर विचार किया है और सिद्धांत रूप से ई.सी.एल. की पुनरुद्धार नीति का समर्थन किया है और भारत सरकार से उस पर विचार करने की सिफारिश की है। तथापि, अभी तक सभी पणधारियों (स्टेक होल्डरों) द्वारा योजना को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया गया है।

बी.सी.सी.एल. और सी.सी.एल. के पुनरुद्धार की योजना तैयार की जा रही है। बी.आई.एफ.आर. द्वारा बी.सी.सी.एल. और सी.सी.एल. के लिए कोई प्रचालक एजेन्सी नियुक्त नहीं की गई है। 2002-2003 के अनंतिम परिणामों के अनुसार, सी.सी.एल. के 300 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ कमाने की आशा है।

[हिन्दी]

खेलों का विकास

1217. **श्री रवि प्रकाश वर्मा :** क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार को खेलों के विकास के लिये उत्तर प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान इस संबंध में राज्य को कितनी सहायता दी गई?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदानों और (2) सिन्थेटिक सतह बिछाने के लिए अनुदानों की योजनाओं के अंतर्गत, पिछले तीन वर्षों के दौरान, उत्तर प्रदेश सरकार से 39 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। उपर्युक्त में से, निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार 12 प्रस्ताव अनुमोदित किए गए थे।

वर्ष	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित केन्द्रीय सहायता (लाख रुपये में)
खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदानों की योजना			
2000-2001	14	4	97.44
2001-2002	8	4	76.635
2002-2003	10	1	19.50
सिन्थेटिक सतह बिछाने के लिए अनुदानों की योजना			
2000-01	1	—	—
2001-02	3	2	200.00
2002-03	3	1	100.00

शेष 27 प्रस्ताव व्यवहार्य नहीं पाए गए थे, अतः उन पर सहायता के लिए विचार नहीं किया गया।

डी.डी.ए. कर्मचारियों की बहाली

1218. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन :** क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भ्रष्टाचार और आवास संबंधी घोटालों के आरोप में निलंबित किए गए डी.डी.ए. कर्मचारियों को बहाल कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वे किन पदों पर तैनात हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) ने बताया है कि गत तीन वर्षों में डी.डी.ए. के 37 कर्मचारियों

को भ्रष्टाचार तथा आवास संबंधी घोटालों के आरोप में निलंबित किया गया है। इन 37 पदधारियों में केवल दो पदधारी, एक संयुक्त निदेशक तथा एक वरिष्ठ निजी सचिव, को केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी.वी.सी.) से परामर्श के बाद पुनः बहाल किया गया है।

[अनुवाद]

पेंशनधारक एसोशिएशन के साथ बैठक

1219. **श्री प्रवीण राष्ट्रपाल :** क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेंशनधारकों और सरकार के बीच बातचीत की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को कुछ मुद्दों पर पेंशनधारकों के बीच व्याप्त असंतोष की जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं;

(ङ) क्या यह सच है कि पेंशनधारकों के पक्ष में न्यायालय के फैसले पर कार्रवाई नहीं की गई; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) से (घ) पेंशनभोगियों के संघों और सरकार के बीच समझौता-परक बातचीत की कोई भी योजना नहीं है। फिर भी, कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन-राज्य मंत्री की अध्यक्षता में स्वैच्छिक अभिकरणों की स्थायी समिति नामक एक परामर्शी मंच (फोरम) है जहां पेंशनभोगियों से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जाता है। इसके अतिरिक्त, पेंशनभोगियों/पेंशनभोगी-संघों द्वारा समय-समय पर उठाए जाने वाले किन्हीं मुद्दों पर सरकार विचार करती है।

(ङ) और (च) जी, नहीं। न्यायालयों से मिलने वाले निर्णयों पर उपयुक्त कार्रवाई करनी आरम्भ कर दी जाती है।

[हिन्दी]

मरुस्थल का विस्तार

1220. **श्री रामदास आठवले :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री 25-02-2003 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1108 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सूचना के कब तक एकत्रित किये जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील) : (क) से (ग) लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1108 के संबंध में 25 फरवरी, 2003 को दिए गए आश्वासन को पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा दिनांक 7 जुलाई, 2003 को पूरा कर दिया गया है। उक्त मंत्रालय द्वारा दिया गया उत्तर निम्नानुसार है:-

मरुस्थलीकरण एक भूमि अवक्रमण प्रक्रिया है जो तीव्र जलवायु संबंधी परिस्थितियों, अनुपयुक्त प्रबंधन पद्धतियों तथा सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के कारण होती है। अंतरिक्ष विभाग द्वारा किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि राजस्थान, गुजरात, पंजाब, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के भागों में मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया मौजूद है। मरुस्थलीकरण की प्रबलता का आकलन करने के लिए विभिन्न जलवायु-विषयक, भूमि जल एवं सामाजिक-आर्थिक प्रतिमानों का विस्तृत मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता है। अभी तक इस प्रकार के कोई अध्ययन नहीं किए गए हैं। मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा कृषि मंत्रालय ने मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.), समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.), वर्षा-सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय वाटरशेड विकास कार्यक्रम (एन.डब्ल्यू.डी.पी.आर.ए.) आदि जैसे कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं। अवक्रमित वन भूमि के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय का राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम है।

[अनुवाद]

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में चयन समिति

1221. **श्री विष्णुपद राय :** क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 22.01.1996 को हुई द्वीप विकास प्राधिकरण और तदुपरांत आई.डी.ए. की स्थाई समिति की बैठकों में अंडमान निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप के लिए समूह 'क' और 'ख' के पदों पर चयन हेतु अरुणाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों की तर्ज पर चयन समिति की स्थापना का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उक्त की स्थापना कि लिये क्या कार्रवाई की गई है या किये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) समूह 'क' और 'ख' के पदों पर अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप समूह के स्थानीय लोगों की नियुक्ति में विशेष छूट/रियायत के संबंध में यू.पी.एस.सी. के मार्गनिर्देशों/निदेशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अंडमान और निकोबार प्रशासन के विभिन्न पदों जिनकी रिक्तियों की अधिसूचना यू.पी.एस.सी. के परामर्श से दी जाती थी, पर स्थानीय उम्मीदवारों के चयन हेतु आयोग पोर्ट ब्लेयर में साक्षात्कार आयोजित करता है; और

(ङ) यदि हां, तो समूह 'क' और 'ख' के पदों पर स्थानीय उम्मीदवारों के चयन हेतु आयोग ने किस तारीख को पहली बार साक्षात्कार का आयोजन किया और आयोग द्वारा पोर्ट ब्लेयर में साक्षात्कार लेने की परंपरा कब से समाप्त कर दी गई थी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) और (ख) 22.1.96 को आयोजित द्वीपसमूह विकास प्राधिकरण की 9वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप में ग्रुप "क" और "ख" पदों के लिए एक पृथक चयन समिति स्थापित करने के मामले पर सरकार ने विचार किया लेकिन अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप के लिए इस प्रकार की चयन समिति गठित करना समयोचित नहीं समझा गया। तथापि, द्वीपवासियों के हित के लिए संघ लोक सेवा आयोग ने पोर्ट ब्लेयर में ग्रुप "क" और "ख" पदों पर चयन के लिए साक्षात्कार बोर्ड की बैठकें कराने का निर्णय लिया है।

(ग) इन क्षेत्रों की सुदूरता को ध्यान में रखते हुए, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप से अपने आवेदन पत्र भेजने वाले सभी उम्मीदवारों को, आवेदन पत्र प्राप्ति हेतु निर्धारित सामान्य अंतिम तारीख के बाद, एक सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया जाता है।

(घ) जी हां, श्रीमान।

(ङ) संघ लोक सेवा आयोग के साक्षात्कार बोर्ड की पहली बैठक 21.02.1994 को पोर्ट ब्लेयर में की गई थी। इस परिपाटी को समाप्त नहीं किया गया है।

एन.सी.ई.आर.टी./इग्नू की पुस्तकें

1222. श्री बसुदेव आचार्य : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन.सी.ई.आर.टी. ने अपनी दर सूची के नियम और शर्तों सहित प्रतियां विचारार्थ भेजी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकारी पाठ्यपुस्तक मुद्रणालयों में एन.सी.ई.आर.टी./इग्नू की पुस्तकों को छपवाने हेतु कार्रवाई की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) और (ङ) एन.सी.ई.आर.टी. ने अपने नियम और शर्तें भेजी हैं जिनमें यह बताया गया है कि पाठ्यपुस्तक मुद्रणालयों को मुद्रण कार्य उपलब्ध कराया जा सकता है यदि लागत, समय-बद्धता और उत्पादन की गुणता जैसे घटकों में परस्पर सहमत मानकों का पालन किया जाये। इग्नू ने उल्लेख किया है कि वह भारत सरकार पाठ्यपुस्तक मुद्रणालयों सहित अपने पैनल के मुद्रकों से निविदाएं आमंत्रित करेगा।

प्राकृतिक आपदाएं

1223. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्राकृतिक आपदाओं और युद्ध जैसे हालत में एकत्र की गई धनराशि और वस्तुओं पर निगरानी रखने और यह सुनिश्चित करने कि इसका लाभ वास्तव में प्रभावित लोगों को मिले, संदान विनियामक प्राधिकरण की स्थापना का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) गैर-सरकारी संगठनों को विदेशों से मिलने वाले दान आदि के बारे में वर्तमान प्रावधान क्या है और सरकार इसका किस तरह नियमन करती है;

(घ) क्या सरकार की जानकारी में पूर्व में गैर-सरकारी संगठनों द्वारा धनराशि के दुरुपयोग का कोई मामला आया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार ने ऐसे संगठनों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्मयानन्द स्वामी) : (क) और (ख) इस मंत्रालय के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के उपबन्ध के तहत कोई संगठन जिसका निश्चित सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक अथवा सामाजिक कार्यक्रम हो, केन्द्रीय सरकार के पास अपना पंजीकरण कराने के पश्चात या विदेशी अभिदाय प्राप्त करने हेतु उसकी पूर्व अनुमति लेकर विदेशी अभिदाय प्राप्त कर सकता है। राजनैतिक स्वरूप का कोई संगठन, जो कि एक राजनैतिक दल न हो, और केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे ऐसा संगठन अधिसूचित किया गया हो, केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बगैर विदेशी अभिदाय प्राप्त नहीं कर सकता है।

(घ) से (च) स्वैच्छिक संगठनों द्वारा विदेशी अभिदाय के दुरुपयोग के सम्बन्ध में, जब कभी भी रिपोर्टें प्राप्त होती है, तो उनकी जांच-पड़ताल की जाति है और विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के संगत उपबन्धों के अंतर्गत संबंधित संगठनों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। कार्रवाई में, संगठन पर कोई भी विदेशी अभिदाय प्राप्त करने पर रोक लगाना, उसके बैंक खातों को फ्रीज करना और न्यायालय में उसके खिलाफ मुकदमा चलाना शामिल है।

मेगा सिटी योजना के अंतर्गत कर्नाटक को वित्तीय सहायता

1224. **श्री इकबाल अहमद सरडगी** : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक शहरी आधारभूत संरचना विकास और वित्त निगम ने विभिन्न परियोजनाओं के लिए 43 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की है, जिसमें से 50 प्रतिशत राशि मेगा सिटी योजना के अंतर्गत निर्माण कार्यों के लिए ऋणों के रूप में दी जाएगी;

(ख) यदि हां, तो उक्त मेगा सिटी योजना के अंतर्गत कौन से प्रमुख निर्माण कार्य किए जाने का विचार है;

(ग) क्या इन परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान करने हेतु राज्य सरकार को मदद और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार राज्य सरकार को कुल कितनी राशि देने के लिए सहमत हुई है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) से (घ) मेगा शहरों में अवस्थापना विकास की केन्द्र प्रवर्तित स्कीमों के अंतर्गत धनराशि केन्द्र और राज्य सरकारों से सीधे नोडल एजेंसियों का 25 : 25 के अनुपात में अनुदान के रूप में दी जाती है और शेष 50% धनराशि नोडल/कार्यान्वियन एजेंसियों द्वारा वित्तीय संस्थानों से जुटाई जाती है। नोडल एजेंसियां परिवर्ती ब्याज दरों पर परियोजना आधारित ऋण स्वीकृत करती हैं।

उपलब्ध सूचना के अनुसार, कर्नाटक शहरी अवस्थापना विकास एवं वित्त निगम द्वारा 762.16 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर 44 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। परियोजनाओं की एक सूची संलग्न विवरण में है।

अब तक कर्नाटक शहरी अवस्थापना विकास एवं वित्त निगम को मेगा सिटी स्कीम के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के लिए 152.34 करोड़ रु. जारी किए जा चुके हैं।

विवरण

क्र. सं.	परियोजना का नाम	कार्यान्वियन एजेंसी	परियोजना श्रेणी	एसएलएससी सं.	एसएलएससी तारीख	परियोजना लागत	केयूआईडीएफसी से मंजूर ऋण व अनुदान	केयूआईडीएफसी द्वारा जारी ऋण व अनुदान	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	सीरसी सर्कल से टाउन हॉल तक फ्लाई ओवर	बीएमपी	सी	4	12/3/96	9400.00	3000.00	3000.00	कार्य पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	मादीवाला शॉपिंग काम्पलेक्स	बीएमपी	ए	4	4/12/95	1660.00	830.00	830.00	कार्य पूर्ण
3.	तावरकर पार्क का विकास	बीएमपी	सी	2	4/12/95	256.27	128.24	128.24	अनुदान 25.73 लाख रु., ऋण 102.51 लाख रु. कार्य पूर्ण
4.	इलेक्ट्रिक क्रिमेटोरियम-बनसंकरी	बीएमसी	बी	2	4/12/95	219.80	110.00	108.21	कार्य पूर्ण
5.	इलेक्ट्रिक क्रिमेटोरियम-बोमनहल्ली	बीएमपी	बी	2	4/12/95	215.50	108.00	106.31	कार्य प्रगति पर है
6.	ग्रेड सेपरेटर-रीचमन्ड सर्कल	बीएमसी	सी	4	12/3/96	3000.00	1500.00	1500.02	कार्य पूर्ण
7.	जेपी पार्क का विकास	बीएमपी	सी	4	12/3/96	350.00	175.00	175.00	अनुदान 35.00 लाख रु., ऋण 140.00 लाख रु. कार्य प्रगति पर
8.	(क) केमपामबुधी टैंक की स्थापना	बीएमसी	सी	1	22/5/95	300.00	150.00	149.81	कार्य प्रगति पर
	(ख) केमपामबुधी टैंक पर शोधन संयंत्र	बीडब्ल्यू एसएसबी	सी	1	22/5/95	141.22	65.00	65.00	कार्य पूर्ण
9.	मध्यवर्ती रिंग रोड	बीडीए	सी	4	12/3/96	1240.00	460.60	451.10	कार्य पूर्ण
10.	आयरन एड स्टील मार्केट (एलए)	ओडीए	ए	1	22/5/95	3900.00	1000.00	1009.89	कार्य प्रगति पर
11.	बाहरी रिंग रोड (उप-परियोजना-1 बेनीगनहल्ली में आरओबी का निर्माण	बीडीए	सी	5	18/2/97	600.00	550.00	550.00	कार्य पूर्ण
12.	बाहरी रिंग रोड (उप-परियोजना-2 एलए ओल्ड मद्रास रोड व सरजापुर रोड के बीच	बीडीए	सी	5	18/2/97	1025.00	512.31	512.31	कार्य पूर्ण
13.	(क) शिवाजी नगर बस स्टैंड की री-मॉडलिंग	बीएमटीसी	सी	7	19/5/99	724.00	361.50	361.50	कार्य पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(ख) शिवाजी नगर बस स्टैंड पर पैदल पार पथ	बीएमपी	सी	7	19/5/99	127.00	63.50	63.50	कार्य पूर्ण
14.	जलापूर्ति वितरण में सुधार	बीडब्ल्यू एमएसबी	बी	2	4/12/95	4555.00	2277.48	1627.48	कार्य प्रगति पर
15.	स्लम बस्तियों का सुधार	केएससीबी	अनुदान	5	18/2/97	150.00	150.00	125.00	कार्य पूर्ण
16.	पैदल पार पथ-संगम	बीएमपी	सी	5	18/2/97	251.72	125.69	120.47	कार्य पूर्ण
17.	सिरसी सर्कल फ्लाई ओवर पर अतिरिक्त कार्य	बीएमपी	सी	8	7/9/00	878.57	418.38	418.38	कार्य पूर्ण
18.	मेखनी सर्कल पर ग्रेड सेपरेटर	बीएमपी	सी	8		1787.00	893.50	893.40	कार्य पूर्ण
19.	शहर में भीड़-भाड़ कम करने हेतु तीन नये डिपो (बनसंकरी इलेक्ट्रोनिक सिटी व वाइट फील्ड) की स्थापना	बीएमटीसी	सी	8	7/9/00	380.00	190.00	190.00	कार्य पूर्ण
20.	शान्ती नगर में एकीकृत शॉपिंग काम्पलेक्स सहित बस स्टैंड का निर्माण	बीएमटीसी	बी	8	7/9/00	2332.00	1166.00	200.00	कार्य प्रगति पर
21.	कम्पोस्ट आधारित जैव उर्वरक के उत्पादन के माध्यम से शहर के कचरे का पर्यावरण अनुकूल शोधन	केसीडीसी	सी	9	13/2/01	1151.24	595.62	265.00	कार्य प्रगति पर
22.	ट्रंक/फीडर मेन मुहैया कराकर और शहर में बुस्टर पम्प लगाकर नये क्षेत्रों हेतु जलापुर्ति	बीडब्ल्यू एसएसबी	सी	10	24/9/01	2465.00	1232.50	1232.50	कार्य प्रगति पर
23.	तीन नये डिपो (राज राजेश्वरी नगर, कल्याण नगर व पिन्या) का निर्माण	बीएमटीसी	सी	10	24/9/01	260.00	130.00	100.00	कार्य प्रगति पर

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.	हिब्बल के समीप ओआरआर-एनएच चौराहे पर ग्रेड सेपरेटर का निर्माण	बीडीए	सी	12	24/4/02	5275.00		500.00	कार्य प्रगति पर
25.	तीन सड़क पुलों का निर्माण सीएमसी पट्टनगिरि	सीएमसी पटनागिरि	सी	12	24/4/02	208.50	104.25		हाल ही में अनुमोदित, ऋण करार किया जाना है।
26.	उल्सूर लेक की पुनर्स्थापना	बीएमपी	सी	13	30/8/02	800.00	400.00		कार्य प्रगति पर ऋण करार को अंतिम रूप दिया जा रहा है
27.	नये शामिल वार्डों के लिए जलापूर्ति व यूजीडी	बीएमपी	बी	13	30/8/02	9567.38	4300.00	1857.50	कार्य प्रगति पर
28.	बंगलौर शहर में विभिन्न स्थानों पर समुदाय शौचालयों का निर्माण	बीएमपी	सी	13	30/8/02	928.00	464.00		ऋण करार को अंतिम रूप दिया जा रहा है
29.	साइड वाल वे का विकास	बीएमपी	सी	13	30/8/02	7000.00	3500.00		ऋण करार को अंतिम रूप दिया जा रहा है
30.	सेन्ट्रल सिल्क बोर्ड के समीप ओआरआर व होसूर रोड चौराहे पर फ्लाई ओवर का निर्माण	बीडीए	सी	13	30/8/02	2035.00	1017.50	267.50	कार्य प्रगति पर
31.	मैसूर रोड पर सेटेलाइट बस स्टैंड का निर्माण	केएसआर टीसी	ए	13	30/8/02	1961.00	980.50		हाल ही में अनुमोदित
32.	केमपामबुधी टैंक के डाउन-स्ट्रीम पर मिनी रेलवे सुविधाओं सहित बच्चों के खेल मैदान का विकास	बीएमपी	बी	14	4/4/03	115.00	57.50		हाल ही में अनुमोदित
33.	बंगलौर में 4 इलेक्ट्रिक क्रीमेटोरिया (आरटी नगर, पिन्या, मगदी रोड व मेदी अग्रहारा) का निर्माण	बीएमपी	बी	14	4/4/03	936.00	468.00		हाल ही में अनुमोदित
34.	सांकी टैंक की पुनर्स्थापना	बीएमपी	सी	14	4/4/03	320.00	160.00		हाल ही में अनुमोदित
35.	येदियूर लेक की पुनर्स्थापना	बीएमपी	सी	14	4/4/03	232.40	116.20		हाल ही में अनुमोदित

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36.	एयरपोर्ट रोड व आईआरआर चौराहे पर फ्लाई ओवर का निर्माण	बीडीए	सी	14	4/4/03	3005.00	1502.50		हाल ही में अनुमोदित
37.	बंगलौर डेयरी सर्कल पर ग्रेड सेपरेटर का निर्माण	बीडीए	सी	14	4/4/03	3050.00	1525.00		हाल ही में अनुमोदित
38.	एमआईसीओ ले-आउट जंक्शन (जसदेव इस्टीट्यूट) के समीप ग्रेड सेपरेटर का निर्माण	बीडीए	सी	14	4/4/03	1977.00	988.50		हाल ही में अनुमोदित
39.	बंगलौर में केम्पगोडा बस स्टैंड का आधुनिकीकरण	केएसआर टीसी	ए	14	4/4/03	246.85	123.43		केएसआरटीसी ने अपने दिनांक 3/5/03 के पत्र के तहत श्रेणी क की बजाय श्रेणी-ग के अंतर्गत इस परियोजना पर विचार करने का अनुरोध किया है।
40.	तीन नये डिपो का निर्माण (सेगुरवनहल्ली) यशवन्तपुर व एचएसआर ले-आउट व कंक्रीट पेमेन्ट का निर्माण कोरामंगला डिपो	बीएमटीसी	सी	14	4/4/03	385.00	192.50		हाल ही में अनुमोदित
41.	केम्पगोडा बस स्टैड की री-मॉडलिंग	बीएमटीसी	सी	14	4/4/03	452.26	226.13		हाल ही में अनुमोदित
42.	के.जी. बिदरहल्ली, टैंक मोहल्ला व भारत मठ पर स्लम वासियों के लिए बुनियादी सुविधाएं-हाउसिंग स्कीम	केएससीबी	अनुदान	14	4/4/03	293.00	293.00		हाल ही में अनुमोदित
43.	दो बोरवेल लगाकर व सं. 11 व 12 में दो ओवर हेड टैंक का निर्माण करके पेयजल सुविधा मुहैया कराना	केएससीबी	अनुदान	14	4/4/03	19.77	19.77		हाल ही में अनुमोदित
	विभिन्न अध्ययनों के लिए भुगतान की गई अध्ययन फीस							42.14	
	सकल योग							16850.24	

[हिन्दी]

विभिन्न विभागों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के कार्मिक

1225. **श्री बालकृष्ण चौहान :** क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न विभागों और उपक्रमों में समूह 'क', 'ख', 'ग' और 'घ' में समूहवार कितने कार्मिक कार्यरत हैं; और

(ख) कार्मिकों की कुल संख्या में से अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों से संबंधित अलग-अलग समूहवार कितने कार्मिक हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) और (ख) कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन-मंत्रालय के संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों अर्थात् कर्मचारी-चयन-आयोग, सचिवालय-प्रशिक्षण और प्रबंधन-संस्थान, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन-अकादमी और केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण सहित उपर्युक्त मंत्रालय से संबंधित अपेक्षित जानकारी, संलग्न विवरण में दर्शाई जा रही है।

विवरण

समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या	अन्य पिछड़े वर्गों के कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों की कुल संख्या
'क'	222	शून्य	01	14
'ख'	810	16	18	66
'ग'	1107	38	38	145
'घ'	873	49	43	244

[अनुवाद]

इफको द्वारा संयुक्त उपक्रम परियोजनाएं

1226. **श्री सुल्तान सल्लाउद्दीन ओवेसी :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में इफको द्वारा अन्य देशों के साथ कितनी परियोजनाओं पर विचार किया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि ट्यूनिशिया और ईरान में एसिड और अमोनिया के लिए संयुक्त परियोजनाएं अंतिम रूप दिए जाने के लिए काफी समय से लंबित हैं;

(ग) यदि हां, तो इन दोनों परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) इन दोनों संयुक्त परियोजनाओं को शीघ्र अंतिम रूप देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) : (क) वर्तमान में अन्य देशों में ऐसी दो संयुक्त उद्यम परियोजनाएं हैं जिनमें इफको एक भारतीय प्रवर्तक/साम्यधारक है। ये हैं – सेनेगल में इंडस्ट्रीज चिमीक्यू डू सेनेगल जो पहले से ही फास्फोरिक एसिड का उत्पादन कर रही है और ओमान में यूरिया के उत्पादन के लिए ओमान इंडिया फर्टिलाइजर कंपनी जो कार्यान्वयनाधीन है।

(ख) और (घ) इफको तथा कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड (कृभको) ने एक भारतीय संघ बनाकर ईरान में एक गैस आधारित अमोनिया-यूरिया संयंत्र स्थापित करने के लिए ईरान की कुशैम फ्री एरिया अथोरिटी (क्यूएफएए) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये थे। प्रवर्तकों द्वारा मांग-आपूर्ति परिदृश्य तथा अंतर्राष्ट्रीय यूरिया मूल्यों से संबंधित बाजार स्थितियों के आलोक में वर्ष 2001 में इस प्रस्ताव की समीक्षा की गई थी और तब इसे वित्तीय रूप से व्यवहार्य नहीं पाया गया था। प्रवर्तकों ने स्टैंड एलोन आधार पर अमोनिया संयंत्र की स्थापना करने के विकल्प की प्रौद्यो-आर्थिक और पर्यावरणीय व्यवहार्यता की समीक्षा करने का निर्णय लिया है, जिसके लिए क्यू एफ ए ए पर्यावरणात्मक प्रभाव का मूल्यांकन कर रहा है।

ट्यूनिशिया में प्रस्तावित संयुक्त उद्यम परियोजना का इफको द्वारा परित्याग कर दिया गया है क्योंकि इसे आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं पाया गया।

[हिन्दी]

महिला प्रकोष्ठ

1227. **श्री राधा मोहन सिंह :** क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2002-2003 के दौरान महिला प्रकोष्ठ में महिलाओं के विरुद्ध दहेज और शारीरिक हिंसा से संबंधित क्षेत्रवार कितनी शिकायतें दर्ज की गई;

(ख) इनमें से कितने मामले निपटाए गए और कितने मामले लंबित पड़े हैं; और

(ग) दो वर्षों से लंबित पड़े मामलों के संबंध में अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) दो वर्ष से अधिक समय से ऐसे 12 मामले लम्बित हैं जिनमें जांच पूरी नहीं हुई है। इनमें से 6 मामलों में जांच पूरी होने की अंतिम अवस्था में हैं तथा 6 मामले ऐसे हैं जिनमें न्यायालयों ने या तो पुनर्जांच का आदेश दिया है अथवा आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी है अथवा अभियुक्त की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है अथवा जमानत का मामला न्यायालय के सम्मुख है।

विवरण

क्षेत्र/जिला	2002			2003 (15 जुलाई, 2003 तक)		
	प्राप्त शिकायतें	निपटाई गई शिकायतें	लम्बित शिकायतें	प्राप्त शिकायतें	निपटाई गई शिकायतें	लम्बित शिकायतें
नयी दिल्ली	59	58	1	28	19	9
पूर्वी	828	778	50	506	213	293
उत्तर-पूर्वी	1543	1541	2	598	288	310
उत्तरी	261	261	—	149	90	59
उत्तर-पश्चिमी	1591	1575	16	723	440	283
केन्द्रीय	395	395	—	237	137	100
दक्षिणी	889	874	15	398	195	203
दक्षिण-पश्चिमी	312	310	2	157	84	73
पश्चिमी	731	704	27	473	188	285
महिला अपराध प्रकोष्ठ	1741	1673	68	1044	378	666
कुल	8350	8169	181	4313	2032	2281

[अनुवाद]

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान का कैम्पस

1228. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान के कैम्पसों की राज्यवार संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार को राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कैम्पस खोलने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) इन कैम्पसों के कब तक खोले जाने की संभावना है; और

(च) जिला स्तर पर ग्रामीण विकास अधिकारियों को उचित प्रशिक्षण देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील) : (क) वर्तमान में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान के दो कैम्पस हैं—एक हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में और दूसरा गुवाहाटी, असम में।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (एन.आई.आर.डी.), अपने कैम्पसों, हैदराबाद और गुवाहाटी के माध्यम से अन्य के साथ-साथ जिला स्तरीय अधिकारियों जैसे—जिला कलक्टरों, जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के परियोजना निदेशकों, जिला पंचायतों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और विभाग के प्रमुखों को भी प्रशिक्षण देता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय उन 28 राज्य ग्रामीण विकास संस्थानों को भी वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जो अन्यों के साथ-साथ, जिला स्तर पर ग्रामीण विकास अधिकारियों को प्रशिक्षण देते हैं।

विस्थापित व्यापारियों और गृहस्वामियों का पुनर्वास

1229. **श्री राम महोन गाड्डे :**
डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने दिल्ली मेट्रो की बारहखंबा रोड—द्वारका लाइन के निर्माण कार्य के कारण विस्थापित हुए 1000 से अधिक व्यापारियों और गृह स्वामियों के लिए दोहरी पुनर्वास रणनीति तैयार करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को उक्त समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और इसकी जांच कर ली है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) सरकार व्यापारियों और गृहस्वामियों के हितों की रक्षा किस प्रकार से करेगी?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) समिति ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं जिनकी जांच की जा रही है।

नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

1230. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के 2.66 लाख से अधिक शेयरों का दिनांक 1 जुलाई, 2003 का मुम्बई स्टाक एक्सचेंज में कारोबार किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इन शेयरों का बाजार में किस दर पर कारोबार किया गया था;

(ग) क्या इन शेयरों का इनके पहले वाले मूल्य से कम पर कारोबार किया गया था;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के चेयरमैन/प्रबंध निदेशक ने यह वक्तव्य दिया था कि कंपनी के शेयरों का विनिवेश इसके बाजार मूल्य से कम पर किया जाएगा;

(च) यदि हां, तो ऐसा वक्तव्य देने के क्या कारण हैं और शेयर बाजार पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है;

(छ) क्या यह सच है कि इस वक्तव्य के कारण नेशनल फर्टिलाइजर्स के शेयरों के मूल्य में भी भारी कमी आई; और

(ज) यदि हां, तो सरकार द्वारा नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के चेयरमैन/प्रबंध निदेशक के विरुद्ध ऐसा वक्क्व्य देने के लिए क्या

कार्रवाई की गई जिसके कारण सरकार और छोटे निवेशकों को करोड़ों रुपये का घाटा हुआ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) : (क) दिनांक 1.7.2003 को 265579 शेयरों का कारोबार किया गया था। (दिनांक 2.7.2003 के इक्नोमिक टाइम्स समाचार पत्र के अनुसार)

(ख) दिनांक 1.7.2003 को शेयर 56.05 रुपये पर बंद हुआ था।

(ग) दिनांक 30.6.2003 को शेयर 67.45 रुपये पर बंद हुआ था।

(घ) शेयर मूल्य जिसमें दैनिक आधार पर उतार-चढ़ाव हो रहा है, दिनांक 23.6.2003 को 42.00 रुपये प्रति शेयर से बढ़कर दिनांक 30.6.2003 को 67.45 रुपये प्रति शेयर हो गया। इसके बाद, 10.7.2003 को बढ़कर यह 68.75 रुपये प्रति शेयर हो गया।

(ङ) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एन एफ एल ने दिनांक 1.7.2003 को सीएनबीसी चैनल पर "यूरिया की ब्रिकी पर मानसून का प्रभाव" विषय पर पैनल चर्चा में भाग लिया था। यद्यपि, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एन एफ एल ने विनिवेश से प्राप्ति पर चर्चा के दौरान उत्तर दिया था कि वह अनुमान के जोखिम में पड़ना नहीं चाहेंगे, किन्तु बारम्बार जोर दिए जाने पर उन्होंने उत्तर दिया कि उनके अनुमान के अनुसार इससे 1000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्राप्त होनी चाहिए।

(च) से (ज) एन एफ एल के शेयर मूल्यों में जून, 2003 के मध्य से अत्यधिक उतार-चढ़ाव हो रहा था। शेयर का मूल्य 16.6.2003 को 40 रुपये प्रति शेयर से बढ़कर दिनांक 10.7.2003 को 68.75 रुपये प्रति शेयर की ऊंचाई तक पहुंच गया। शेयर के मूल्य में दिन-प्रतिदिन आधार पर इस उतार-चढ़ाव के लिए कोई विशेष कारण बता पाना संभव नहीं है।

तीन विकास बोर्डों का मूल्यांकन

1231. **श्री नरेश पुगलिया :**
श्री प्रकाश वी. पाटील :

क्या **उप-प्रधान मंत्री** महाराष्ट्र हेतु अलग बोर्ड के बारे में 17.12.2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4332 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग में कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन विकास बोर्डों के कार्य-निष्पादन के आधार पर रिपोर्ट का प्रारूप तैयार करने और इसे अंतिम रूप देने के लिए महाराष्ट्र में तीन विद्यमान विकास बोर्डों के कार्यकरण के आधार पर प्राप्त आंकड़ों का मूल्यांकन कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस काम के कब तक पूरा होने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) और (ख) योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने महाराष्ट्र में वर्तमान तीन विकास बोर्डों के कार्यकरण पर प्राप्त आंकड़ों के आधार पर कार्य-निष्पादन मूल्यांकन अध्ययन किया था और अपनी मूल्यांकन रिपोर्ट हाल ही में सरकार को प्रस्तुत कर दी है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा टेंडर देना

1232. **कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनीराम शांडिल्य :** क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में वर्ष 2001-2002 तथा 2002-2003 के दौरान सरोजिनी नगर आर.के. पुरम, डीआईजेड क्षेत्र और आराम बाग, नई दिल्ली स्थित सभी सरकारी क्वार्टरों के छज्जों, आगे तथा पीछे की सन शेड्स की मरम्मत करने के लिए टेंडर दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने प्रयोग की जा रही सामग्री की गुणवत्ता की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो ठेकेदारों को भुगतान करने से पूर्व सामग्री की अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सतर्कता विभाग द्वारा स्थानिक निरीक्षण नहीं किए जाने के क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) जी, हां। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा छज्जों की मरम्मत का अनुरक्षण की सामान्य अवधि में किया जाता है। मरम्मत केवल टूटफूट दिखाई देने वाले छज्जों की ही की जाती है।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(ग) से (ङ) कार्य की गुणवत्ता तथा सामग्री की जांच महानिदेशक (निर्माण), केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पर्यवेक्षण कमचारियों द्वारा नियमित रूप से की जाती है। कुछ निर्माण कार्यों की जांच सम्बन्धित सर्किल/जोन के गुणवत्ता नियंत्रण यूनिट द्वारा भी की जाती है निर्माण कार्य की गुणवत्ता के बारे में सन्तुष्टि हो जाने पर ही ठेकेदारों को भुगतान किया जाता है। प्रयोग की गई सामग्री की गुणवत्ता के बारे में किसी भी प्रतिकूल रिपोर्ट न होने पर सीपीडब्ल्यूडी के सतर्कता प्रकोष्ठ के लिए विशेष जांच करना अथवा मौके पर निरीक्षण करने का कोई कारण नहीं बनता।

विवरण-I

2001-2002 के दौरान छज्जों आदि की मरम्मत संबंधी ब्यौरा

क्र.सं.

1. मन्दिर मार्ग में टाइप-II और टाइप-III क्वाटरों में छज्जों की मरम्मत।
2. एम.एस. फ्लैट, पेशवा रोड में छज्जों की मरम्मत तथा बदलना।
3. कालीबाड़ी मार्ग स्थित 'एच' पॉकेट के 12 ब्लॉकों में रसोईघर की खिड़कियों पर छज्जों को बदलना।
4. सेक्टर-'डी', मन्दिर मार्ग, नई दिल्ली में गैराजों तथा छज्जों का नवीकरण।
5. हनुमान रोड के टी-III के 192 क्वार्टरों की विशेष मरम्मत।
6. हनुमान रोड के टाईप-बी के 192 क्वार्टरों की विशेष मरम्मत।
7. बाबा खड़गसिंह मार्ग, नई दिल्ली में टाईप-III के 242 क्वार्टरों की विशेष मरम्मत।
8. सेक्टर-8, आर.के. पुरम, नई दिल्ली में विभिन्न टाइप के क्वार्टरों की विशेष मरम्मत।
9. सेक्टर-7, आर.के. पुरम, नई दिल्ली में विभिन्न टाइप के क्वार्टरों की विशेष मरम्मत।
10. सेक्टर-8, और 9, आर.के. पुरम में विभिन्न टाइप के क्वार्टरों की विशेष मरम्मत।
11. सेक्टर-12, आर.के. पुरम में टाइप-IV के 296 क्वार्टरों की विशेष मरम्मत।
12. सरोजिनी नगर में 712/3539 जीपीआरए की विशेष मरम्मत।
13. सरोजिनी नगर, नई दिल्ली में 972 जीपीआरए की विशेष मरम्मत।
14. डीआईजेड क्षेत्र सेक्टर-4 में छज्जों एवं अन्य कार्यों की मरम्मत।

विवरण-II

2001-2002 के दौरान छज्जों आदि की मरम्मत का ब्यौरा

क्र.सं.

1. ब्लॉक सं. 49 से 55 तक, सेक्टर-II डीआईजेड क्षेत्र के क्वार्टरों के छज्जों एवं दीवार में प्लास्टर की मरम्मत।
2. मन्दिर मार्ग की 'डी' पॉकेट, टाइप-II के क्वार्टरों के लिए छज्जों, बालकोनी दीवारों की मुंडेरों की मरम्मत।
3. सेक्टर-III डीआईजेड क्षेत्र में क्षतिग्रस्त टूटे-फूटे छज्जों को बदलना।
4. ब्लॉक सं. 1 से 18 बाबा खड़गसिंह मार्ग, नई दिल्ली में छज्जों एवं दीवारों के प्लास्टर की मरम्मत।
5. ब्लॉक सं. 13 से 28 'एच' ब्लॉक, कालीबाड़ी मार्ग, में रसोईघर की खिड़कियों के ऊपर पुराने छज्जों को बदलना।
6. सेक्टर-II, डीआईजेड क्षेत्र, में सनशेडों की मरम्मत।

7. टाईप-III काली बाड़ी मार्ग के क्वार्टरों के छज्जों व दीवार के प्लास्टर की मरम्मत।

8. सेक्टर-V, आर.के. पुरम, नई दिल्ली में विभिन्न टाइप के क्वार्टरों की विशेष मरम्मत (उप-शीर्ष-क्षतिग्रस्त छज्जों/सनशेड की मरम्मत)।

9. सेक्टर-9, आर.के. पुरम में सभी किस्म के क्वार्टरों की विशेष मरम्मत (उप-शीर्ष-स्लैब छज्जों द्वारा क्षतिग्रस्त आर.सी.सी. बैक छज्जों की मरम्मत)।

10. सेक्टर-8, आर.के. पुरम, नई दिल्ली में विभिन्न टाइप के क्वार्टरों की विशेष मरम्मत (उप-शीर्ष-क्षतिग्रस्त आरसीसी छज्जों को बदलना)।

11. सेक्टर-7, आर.के.पुरम, में विभिनन टाइप के क्वार्टरों की विशेष मरम्मत (उप-शीर्ष-लाल पत्थर के छज्जे उपलब्ध कराकर क्षतिग्रस्त आरसीसी छज्जों को बदलना)।

12. सेक्टर-8, आर.के. पुरम, नई दिल्ली में क्षतिग्रस्त बालकानी की मरम्मत।

13. सेक्टर-9, आर.के. पुरम, नई दिल्ली में क्षतिग्रस्त प्लास्टर, छज्जों की मरम्मत।

14. सेक्टर-8, आर.के. पुरम, नई दिल्ली में क्षतिग्रस्त पिछली गली की मरम्मत।

15. सेक्टर-12, आर.के. पुरम में विभिन्न टाईप के क्वार्टरों की विशेष मरम्मत (उप-शीर्ष-क्षतिग्रस्त छज्जों की मरम्मत)।

16. सेक्टर-III आर.के. पुरम में ई-टाईप के 560 क्वार्टरों की विशेष मरम्मत।

17. सरोजिनी नगर, नई दिल्ली में 799 जीपीआरए की विशेष मरम्मत (उप-शीर्ष-क्षतिग्रस्त सनशेड, सीवर लाइन तथा टेरेस टैंक की मरम्मत)।

18. सरोजिनी, नई दिल्ली में 712 जीपीआरए की विशेष मरम्मत (उप-शीर्ष-सनशेडों, कुर्सी क्षेत्रफल का संरक्षण, सीवर तथा जलापूर्ति प्रणाली, मूल टैरेस टैंक, आदि की मरम्मत)।

19. आराम बाग में छज्जों तथा अन्य कार्यों की मरम्मत।

संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत धनराशि का आबंटन

1233. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को राजस्थान सरकार के लिए संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत वर्ष 2003-2004 में केन्द्र के आबंटन को एक ही किस्त में जारी करने संबंधी राज्य सरकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) यह आबंटन राज्य सरकार को कब तक जारी किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार का प्रस्ताव, पीपल्स यूनियन फार सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ के बाद में दिए गए सर्वोच्च्व न्यायालय के हाल के निर्देशानुसार गत वर्ष की तुलना में दोगुनी धनराशि और खाद्यान्न जारी करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) और (ख) जी हां, राजस्थान सरकार ने उस समय व्याप्त सूखे की समस्या के कारण सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) के अंतर्गत केन्द्रीय आबंटन का 100% एक ही बार में अप्रैल, 2003 में रिलीज करने का अनुरोध किया है।

(ग) से (च) एस.जी.आर.वाई. दिशानिर्देशों के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को संसाधन दो किस्तों में जारी किए जाते हैं। तथापि, भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पहले ही एस.जी.आर.वाई. के अंतर्गत पहली किस्त के रूप में रोकड़ घटक के वार्षिक आबंटन का 60% और खाद्यान्न घटक का 75%, जो कि 7454.56 लाख रुपये और 100532 टन खाद्यान्नों के बराबर है, राजस्थान के सभी जिलों को जारी कर दिया है। साथ ही, एस.जी.आर.वाई. के विशेष घटक के अंतर्गत राज्य को 1211580 टन खाद्यान्न भी जारी किया गया है।

जैसे ही राज्य सरकार उपलब्ध संसाधनों के 50% भाग का उपयोग कर लेगी और ग्रामीण विकास मंत्रालय के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत कर देगी दूसरी किस्त के रूप में बकाया आबंटन जारी कर दिया जाएगा।

[हिन्दी]

खोसला आयोग

1234. **श्री सुन्दर लाल तिवारी :**
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :

क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली पुलिस के बारे में खोसला आयोग की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और अभी तक किन सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं किया गया है;

(ख) क्या सरकार का ध्यान बंगलौर के मनोवैज्ञानिक संस्थान 'निमहंस' की सर्वेक्षण रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने दिल्ली पुलिस के कांस्टेबलों को तनाव मुक्त रखने के लिए क्या कदम उठाए हैं और उनके क्या परिणाम रहे;

(घ) क्या सरकार का प्रस्ताव पुलिस कार्मिकों की दयनीय स्थिति को देखते हुए कुछ विशेष कदम उठाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) सरकार द्वारा वर्ष 1968 में गठित खोसला आयोग ने आवास, चिकित्सा तथा कार्मिकों को शिक्षा सुविधा, दिल्ली में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करना, जिला पुलिस प्रशासन, अभियोजन स्टाफ को दिल्ली पुलिस के प्रशासनिक नियन्त्रण में रखना, मामलों की जांच, पर्यवेक्षण, भर्ती तथा पदोन्नति और प्रशिक्षण तथा जनसम्पर्क सहित दिल्ली पुलिस के कार्यकरण के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक सिफारिशें की हैं। इनमें से अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है तथा इनका पूर्णतया तथा अंशत: कार्यान्वियन कर लिया गया है। लागू नहीं की जा सकी, प्रमुख सिफारिशों में, सभी पुलिस कार्मिकों के लिए पारिवारिक आवास का प्रावधान, अभियोजन स्टाफ को दिल्ली पुलिस के अन्तर्गत रखना, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में संशोधन, अंशकालिक आधार पर पुलिस कार्मिकों की नियुक्ति तथा अभियुक्तों पर घटना स्थल पर मुकदमा चलाने के लिए चलते-फिरते न्यायालयों की स्थापना हैं।

(ख) जी हां, श्रीमान।

(ग) से (ङ) दिल्ली पुलिस की कार्यस्थितियों में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में एक दिन में स्टाफ को 12 घंटे से अधिक ड्यूटी पर न लगाने में एहतियात बरतना, प्रत्येक पुलिस कार्मिक को दो सप्ताह की अवधि में एक दिन का विश्राम सुनिश्चित करना, बुनियादी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और यूनिट स्तरीय पाठ्यक्रमों में पुलिस कार्मिकों के व्यवहार पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, आवासीय उद्देश्य के लिए बने-बनाए फ्लैट की खरीद, पुलिस कार्मिकों की शिकायतों को दूर करने के लिए पुलिस थानों में सम्पर्क सभाएं आयोजित करना, चिकित्सा दावे, छुट्टी यात्रा रियायत, यात्रा/दैनिक भत्ते आदि देयताओं का समयबद्ध निपटान, उच्च स्तर पर आकस्मिक छुट्टी की पात्रता पुन: बहाल करना तथा अधीनस्थ पुलिस कार्मिकों को मासिक राशन मनी स्वीकृत करना शामिल है।

दिल्ली में अभिरक्षा में मौतें

1235. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत :** क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के कौन-कौन से पुलिस थानों में पिछले एक वर्ष में अभिरक्षा में मौतें हुई हैं;

(ख) क्या सरकार ने यह अभिनिश्चित करने के लिए कोई जांच शुरू की है कि यह मृत्यु निरुद्ध व्यक्ति को दी गई डिग्री की शारीरिक प्रताड़नाओं से हुई है अथवा अन्य किन्हीं कारणों से हुई है;

(ग) यदि हां, तो पुलिस थानेवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इन जांच निष्कर्षों के आधार पर क्या कार्रवाई की है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) से (घ) 16 जुलाई, 2002 से अब तक तीन व्यक्तियों, लोधी कालोनी, अम्बेडकर नगर तथा पटेल नगर पुलिस थाने, प्रत्येक में एक-एक व्यक्ति की मृत्यु पुलिस हिरासत में हुई बताई गई है। प्रथम दृष्टया पहले दो मामले आत्महत्या के हैं तथा तीसरे मामले में स्वाभाविक मृत्यु हुई है। तथापि सभी तीनों मामलों में, उन कारणों और परिस्थितियों की जांच करने के लिए तहकीकात प्रारंभ कर दी गई है जिनमें ये मौतें हुई हैं।

[अनुवाद]

अभिलेखों का उचित रख-रखाव न किया जाना

1236. **श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :**
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा सम्पत्ति अभिलेखों का रख-रखाव न किए जाने के कारण कई मामलों में दो बार आवंटन हो गया है, जैसा कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने अपनी 2003 (सिविल) रिपोर्ट सं. 4 के पैरा 10.3 में उल्लेख किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इसके कारण सरकार को कितनी हानि हुई है; और

(घ) इसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) से (घ) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने अपनी 2003 (सिविल) रिपोर्ट सं. 4 में उल्लेख किया है कि सम्पत्ति अभिलेखों का ठीक ढंग से रखरखाव न किए जाने तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कंप्यूटरीकृत ड्रा निकालते समय सम्पत्ति की सूचना की गलत प्रविष्टि किए जाने के कारण सात मामलों में दो बार आबंटन हो गया। इसके बाद इन आबंटियों को एक वर्ष से अधिक का समय बीत जाने पर फ्लैटों की मौजूदा लागत पर पुनः आबंटन किए गए, जिन पर आबंटियों ने आपत्ति उठाई और उनमें से एक उच्च न्यायालय में चला गया। न्यायालय ने अगस्त, 1993 में आदेश दिया कि मूल आबंटन के समय लागू लागत वसूली जाए। तदनुसार, आबंटियों से पुरानी लागत वसूलने से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार 24.38 लाख रु. का नुकसान उठाना पड़ा। दिल्ली विकास प्राधिकरण के सतर्कता विभाग ने दो बार आबंटन के अभी सात मामलों में जवाबदेही निर्धारित करने की कार्रवाई पहले ही आरंभ कर दी है।

[हिन्दी]

ग्रामीण बेरोजगारी में कमी

1237. **श्री शिवाजी माने :**
राजकुमारी रत्ना सिंह :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी में कमी आ रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में पिछले तीन वर्षों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इन आंकड़ों को तैयार करने के लिए कौन से अभिकरण उत्तरदायी हैं और वह तंत्र क्या है जिससे सरकार इन आंकड़ों की प्रति परीक्षा करती है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) से (ग) ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश में बेरोजगारी का आकलन राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा प्रतिदर्श सर्वेक्षणों के माध्यम से प्रत्येक पांच वर्षों में एकबार कराया जाता है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा अपने 55वें चरण (1999-2000) में आयोजित अंतिम प्रतिदर्श सर्वेक्षण के आधार पर, यह अनुमान लगाया गया है कि श्रम बल में बेरोजगार ग्रामीण व्यक्तियों की संख्या 43.35 लाख है। या तो समग्र रूप में अथवा राज्यवार देश के अनुमानों की अपेक्षा के कारण विगत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष में बेरोजगारी की स्थिति की तुलना करना संभव नहीं है।

(घ) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन ने आंकड़ा संग्रहण के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के लिए एक सुदृढ़ तंत्र का पता लगाया है। क्षेत्रीय पर्यवेक्षण उच्चस्तरीय अधिकारियों द्वारा किया जाता है। भरी गयी अनुसूचियों की तकनीकी जांच करना, वैधता से पहले सुसंगति जांचों को अपनाना आदि का भी सहारा लिया जाता है।

[अनुवाद]

आतंकवादियों के पास रासायनिक हथियार

1238. **श्रीमती श्यामा सिंह :**
श्री भास्करराव पाटील :

श्री अधीर चौधरी :
श्री नरेश पुगलिया :
डा. चरणदास महंत :

क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जम्मू और कश्मीर के आतंकवादियों के पास रासायनिक हथियार होने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके तथ्य और ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने आतंकवादियों के पास उपलब्ध रासायनिक हथियारों के प्रयोग से निपटने के लिए कोई रणनीति तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्मयानन्द स्वामी) : (क) से (घ) अब तक प्राप्त आसूचना जानकारियों से जम्मू और कश्मीर में सक्रिय आतंकवादी गुटों के कब्जे में रासायनिक हथियार होने की पुष्टि नहीं हुई है।

[हिन्दी]

लोक शिकायतें

1239. **श्री हरीभाऊ शंकर महाले :**
श्री आदि शंकर :

क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों से पिछले दो वर्षों के दौरान और आज तक लोक शिकायत एवं पेंशन की कितनी शिकायतें मिली हैं;

(ख) सरकार ने उन पर क्या कार्रवाई की है;

(ग) क्या ये शिकायतें दूर नहीं की गई हैं और इनकी उपेक्षा की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं और इसके कारण क्या हैं;

(ङ) क्या सरकार ने लोक शिकायतों, विशेषकर पेंशन संबंधी शिकायतों को दूर करने के लिए कोई नई योजना तैयार की है अथवा ठोस उपाए किए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) विभिन्न राज्यों की लोक शिकायतों और पेंशन से संबंधित शिकायतें भारत सरकार में प्रधानमंत्री कार्यालय के लोक स्कंध, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग तथा पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग में प्राप्त होती हैं। उनके द्वारा पिछले दो वर्षों में प्राप्त शिकायतें संलग्न विवरण में दर्शाई गई हैं।

(ख) भारत सरकार में लोक शिकायतों का निवारण एक विकेन्द्रीकृत प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग प्रशासनिक सुधारों के साथ-साथ लोक शिकायतों के निवारण के लिये भारत सरकार का एक नोडल अभिकरण है। इस विभाग में प्राप्त शिकायतों के निवारण हेतु याचिकाकर्त्ता को सूचना देते हुए संबंधित राज्य सरकारों को भेज दिया जाता है। यह विभाग प्रतिवर्ष कुछ गंभीर प्रकृति की शिकायतों को उनके अंतिम निपटान तक गहन मॉनिटरिंग करने हेतु चुनता है। प्रधानमंत्री कार्यालय में याचिकाओं/शिकायतों की बिना किसी अपवाद के छानबीन की जाती है और उन्हें समुचित कार्रवाई हेतु संबंधित प्राधिकारियों को भेज दिया जाता है। पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग में पेंशनभोगियों से प्राप्त शिकायतों को उनके तत्काल निवारण हेतु संबंधित मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों आदि को भेज दिया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) भारत सरकार में लोक शिकायतों के निवारण हेतु प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा एक नोडल अभिकरण होने के नाते सरकार में लोक शिकायत निवारण तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए समय-समय पर अनुदेश जारी किये जाते हैं। यह विभाग अपनी वार्षिक कार्य योजना के एक भाग के रूप में समय-समय पर विभिन्न राज्यों के शिकायत निवारण तंत्र का अध्ययन भी करता है। पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग मौजूदा शिकायत निवारण तंत्र की लगातार मॉनिटरिंग करता है और जहां कहीं आवश्यकता होती है, उसमें परिवर्तन किये जाते हैं।

विवरण

राज्य	प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (15.7.2001-14.7.2003)			प्रधानमंत्री कार्यालय (15.7.2001-14.7.2003)		पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (1.8.2001-24.7.2003)	
	चुनी गई शिकायतें	स्थानांतरित शिकायतें	निपटान	प्राप्त शिकायतें	स्थानांतरित शिकायतें	प्राप्त शिकायतें	स्थानांतरित शिकायतें
1	2	3	4	5	6	7	8
आंध्र प्रदेश	5	17	3	6847	6847	1032	1032
अरुणाचल प्रदेश	2	2	—	56	56	8	8
असम	1	7	3	1594	1594	115	115
बिहार	9	35	13	10769	10769	314	314
छत्तीसगढ़	1	31	1	63	63	68	68
गोआ	—	1	1	283	283	28	28
गुजरात	3	3	5	2064	2064	300	300
हरियाणा	10	22	15	6597	6597	342	342
हिमाचल प्रदेश	2	1	—	2669	2669	111	111
जम्मू और कश्मीर	3	2	—	1427	1427	88	88
झारखंड	1	9	—	1795	1795	147	147
कर्नाटक	1	12	—	3458	3458	423	423
केरल	—	5	—	2242	2242	429	429
मध्य प्रदेश	9	82	13	9421	9421	390	390
महाराष्ट्र	8	31	4	8351	8351	991	991
मणिपुर	—	—	—	152	152	2	2
मेघालय	1	—	—	96	96	24	24
मिजोरम	2	2	2	63	63	7	7

1	2	3	4	5	6	7	8
नागालैण्ड	–	–	–	174	174	4	4
उड़ीसा	2	3	9	5058	5058	133	133
पंजाब	–	8	5	6896	6896	381	381
राजस्थान	7	35	14	8770	8770	332	332
सिक्किम	1	–	–	23	23	6	6
तमिलनाडु	3	19	9	9414	9414	1748	1748
त्रिपुरा	–	1	–	180	180	21	21
उत्तर प्रदेश	56	163	110	33823	33823	1088	1088
उत्तरांचल	7	97	–	1775	1775	209	209
पश्चिमी बंगाल	5	10	3	7300	7300	1065	1065

कोयला कंपनियों के नियमों और विनियमों में एकरूपता

1240. श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव सार्वजनिक क्षेत्र की सभी कोयला कंपनियों के नियमों और विनियमों में एकरूपता लाना है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अभी तक क्या उपाय किए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियम तथा विनियम सार्वजनिक क्षेत्र की सभी कोयला कम्पनियों पर समान रूप से लागू होते हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते हैं।

[अनुवाद]

कंप्यूटर की खरीद

1241. श्री रघुनाथ झा :

श्री रामजी मांझी :

क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 20.11.2002 और 11.03.2003 के अतारांकित प्रश्न सं. 237 और 2926 के संबंध में सूचना एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) और (ख) इस बारे में जानकारी, सभा पटल पर रख दी जाएगी।

नेहरू युवा केन्द्र

1242. श्री अशोक ना. मोहोल : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 2003 तक की स्थिति के अनुसार देश में राज्य-वार कितने नेहरू युवा केन्द्र खोले गए;

(ख) नेहरू युवा केन्द्र खोलने के उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या इन केन्द्रों ने अपना उद्देश्य हासिल कर लिया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इन केन्द्रों को और आकर्षक बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) चालू वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा इन केन्द्रों को राज्य-वार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल) : (क) 30 जून, 2003 तक की स्थिति के अनुसार, देश में कुल 500 केन्द्र खोले गये हैं। इन केन्द्रों की राज्य-वार सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) नेहरू युवा केन्द्रों (एन.वाई.के.) का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में गैर-छात्र ग्रामीण युवाओं को अग्रणी तौर पर काम करने के लिए और राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत उद्देश्यों जैसे कि देशभक्ति, आत्मनिर्भरता, धर्मनिरपेक्षवाद, प्रजातंत्र, राष्ट्रीय एकता, सामुदायिक सेवा तथा वैज्ञानिक अभिरुचि के विकास को लोकप्रिय बनाने के लिए उन्हें समर्थ बनाना है।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) चालू वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान, केन्द्रों को जारी की गई धनराशि को दर्शाने वाली राज्य-वार सूची संलग्न विवरण-II में दी गयी है।

विवरण-I

क्रम सं.	जोन में राज्य का नाम	राज्य में केन्द्रों की संख्या
1	2	3
1.	असम	23
2.	सिक्किम	04
3.	अरुणाचल प्रदेश	04
4.	मेघालय	05
5.	त्रिपुरा	03
6.	मिजोरम	03
7.	मणिपुर	09
8.	नागालैंड	07
9.	उत्तर प्रदेश	55
10.	उत्तरांचल	09
11.	पं. बंगाल	22
12.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह (संघ शासित क्षेत्र)	06
13.	राजस्थान	30
14.	उड़ीसा	16
15.	महाराष्ट्र	30
16.	गोवा	05
17.	आन्ध्र प्रदेश	23
18.	बिहार	34
19.	झारखंड	16
20.	तमिलनाडु	29
21.	पांडिचेरी	04
22.	केरल	14
23.	लक्षद्वीप (संघ शासित क्षेत्र)	01
24.	गुजरात	19
25.	दादरा एवं नगर हवेली (संघ शासित क्षेत्र)	01

1	2	3
26.	हिमाचल प्रदेश	12
27.	जम्मू व कश्मीर	14
28.	चण्डीगढ़ (संघ शासित क्षेत्र)	01
29.	पंजाब	14
30.	दिल्ली	03
31.	हरियाणा	16
32.	कर्नाटक	20
33.	मध्य प्रदेश	40
34.	छत्तीसगढ़	08
	कुल	500

विवरण-II

वर्ष 2000-2001 से 2003-2004 (आज की तारीख तक) के लिए केन्द्रों को जारी की गई धनराशि के ब्यौरे

राज्य	जारी की गई रकम 2000-2001	जारी की गई रकम 2001-2002	जारी की गई रकम 2002-2003	जारी की गई रकम 2003-2004 आज तक
1	2	3	4	5
हरियाणा	9623085.00	13949748.00	8511570.00	3942680.00
हिमाचल प्रदेश	7983234.00	12366453.00	8897100.00	2968020.00
जम्मू व कश्मीर	8522797.00	13757603.00	10049748.00	3662190.00
पंजाब	7918363.00	11888832.00	6451600.00	3581970.00
राजस्थान	16853997.00	25527918.00	16871646.00	7608650.00
दिल्ली	3343798.00	4993229.00	3732619.00	222355.00
चंडीगढ़	1060205.00	1442833.00	513418.00	674065.00
बिहार	21028064.00	33220205.00	40647671.00	9847425.00
झारखंड	9917143.00	14691868.00	12709048.00	3790325.00
उड़ीसा	13603663.00	25580210.00	27628292.00	4280325.00

1	2	3	4	5
पश्चिमी बंगाल	15023244.00	20330345.00	22577097.00	5961540.00
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	3028207.00	4227459.00	4947458.00	1445510.00
छत्तीसगढ़	5066308.00	12163312.00	149893438.00	1249780.00
गोवा, दमन एवं दीव	1009781.00	1741499.00	2250541.00	928880.00
गुजरात	11684401.00	18893038.00	17507476.00	4814390.00
मध्य प्रदेश	24310237.00	39955795.00	53935421.00	10504200.00
महाराष्ट्र	19611757.00	28355435.00	36750634.00	8014650.00
आंध्र प्रदेश	16402483.00	20418489.00	18023687.00	6386520.00
कर्नाटक	12775360.00	15479338.00	11791444.00	5001745.00
केरल	12361760.00	17343158.00	16355689.00	3930325.00
तमिलनाडु	21289113.00	28426593.00	19201034.00	8626090.00
उत्तर प्रदेश	21908497.00	61514818.00	98901305.00	14083170.00
उत्तरांचल	4024079.00	6894750.00	11699924.00	2423765.00
असम	17852691.00	25297262.00	27127268.00	6207870.00
मणिपुर	8881431.00	8372696.00	9328565.00	2206765.00
नागालैंड	3243329.00	5922740.00	6625199.00	1764595.00
मेघालय	3346535.00	5946988.00	3786573.00	1322425.00
त्रिपुरा	2204433.00	4351067.00	5093141.00	852255.00
सिक्किम	2946212.00	3505586.00	4979742.00	946340.00
मिजोरम	1551272.00	3235630.00	3266912.00	803255.00
अरुणाचल प्रदेश	1636400.00	2898879.00	3903945.00	1059340.00
दादरा एवं नगर हवेली	253590.00	341375.00	536412.00	263085.00
कुल	310265469.00	493035151.00	664495617.00	129374500.00

[हिन्दी]

नयी कोयला खानें

1243. श्रीमती जयश्री बैनर्जी : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खानों से निकाले गए कोयले की गुणवत्ता का मूल्यांकन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश में भी नई कोयला खान में कार्य शुरू किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) से (घ) 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कोल इंडिया लि. के कमान क्षेत्र के अन्तर्गत मध्य प्रदेश में 7 नई परियोजनाएं आरम्भ किए जाने का प्रस्ताव है, जिनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं। इन खानों से उत्खनित किए जाने वाले कोयले के ग्रेड को भी इंगित किया गया है। चूंकि अभी इन खानों को खोला जाना है, अत: दर्शाया गया कोयले का ग्रेड ड्रिल कोर नमूनों से निश्चित किया जाता है।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	खान के प्रकार	ग्रेड
1.	बिक्रम	भूमिगत	बी/एफ
2.	खैरहा	भूमिगत	डी
3.	अमदान्द	ओपनकास्ट	डी
4.	उरधन	ओपनकास्ट	डी
5.	जयन्त सुंप ड्राइवेज	ओपनकास्ट	सी/ई
6.	अमलोरी	ओपनकास्ट	सी/ई
7.	ब्लॉक ''बी''	ओपनकास्ट	सी/डी/एफ

[अनुवाद]

जाली प्रमाण-पत्र घोटाला

1244. श्री वरकला राधाकृष्णन : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने पिछले एक वर्ष के दौरान नगर में जाली प्रमाण-पत्र जारी करने वालों के कई गिरोहों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने मामलों का पता लगा है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई;

(ग) क्या ऐसे जाली प्रमाण-पत्रों की सहायता से सरकारी सेवाओं में किसी व्यक्ति के भर्ती होने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने प्रमाण-पत्रों की सत्यता की जांच करने के लिए कोई व्यापक प्रणाली बनाई है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार जमा किए गए प्रमाण-पत्रों की जांच के लिए संबंधित विश्वविद्यालयों/संस्थानों को भेजने का है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) और (ख) पिछले वर्ष जुलाई से, दिल्ली पुलिस ने पांच मामलों का पता लगाया जिनमें जाली शिक्षा प्रमाणपत्र जारी किए जा रहे थे और इन मामलों के संबंध में 15 व्यक्ति गिरफ्तार किए।

(ग) से (च) इस प्रकार की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। तथापि, जब कभी भी ऐसे मामले का पता लगता है जिसमें आवेदक ने जाली शिक्षा प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया है, तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार

1245. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन :
श्री भान सिंह भौरा :

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज तक अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध हमले/हिंसा के राज्य-वार कितने मामलों का पता चला;

(ख) ऐसी हिंसा के लिए कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और दोषी पाया गया;

(ग) क्या सरकार और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन. एच. आर. सी.) ने देश में दलितों पर हुए अत्याचार के आरोपों की जांच की हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) वर्ष 1998, 1999 और 2000 के दौरान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के प्रति अपराध की राज्यवार और शीर्षवार घटनाएं क्रमशः संलग्न विवरण I-VI में हैं।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 1998, 1999 और 2000 के दौरान नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (पी. सी. आर. एक्ट) के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या क्रमशः 2240, 1512 तथा 1260 थी और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989, (पी. ओ. ए. एक्ट) के अंतर्गत क्रमशः 25084, 24568 और 26773 थीं। पी. सी. आर. एक्ट और पी.ओ.ए. एक्ट के अंतर्गत दोषसिद्धि दर क्रमशः 1998 के लिए 22.6% और 32.2%, 1999 के लिए 26.2% और 28.6% तथा 2000 के लिए 25.2% तथा 32.3% थीं।

(ग) और (घ) वे मामले जहां राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण आयोग (एन. एच. आर. सी.) इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टि में मानवाधिकार उल्लंघन के प्रतीत होते हैं तो राज्य सरकारों और अन्य संबंधित प्राधिकारियों से जांच-पड़ताल रिपोर्टें मंगाई जाती हैं। उपयुक्त मामलों में, आयोग, घटनास्थल की जांच-पड़ताल हेतु अपने अधिकारियों की टीम भी तैनात करता है। संबंधित प्राधिकारियों से प्राप्त जांच-पड़ताल रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

विवरण-I

वर्ष 1998 के दौरान अनुसूचित जातियों के प्रति हुए अपराधों की घटनाएं

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	हत्या	चोट पहुंचाना	बलात्कार	अपहरण और व्यपहरण	डकैती	लूटपाट	आगजनी	पी.सी. आर. अधिनियम	अनु. जाति/ अनु. जनजाति अत्याचार (निवारण) अधिनियम*	अन्य अपराध	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	35	364	46	6	0	0	5	158	536	455	1605
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	12	253	23	3	3	1	12	12	269	197	785
5.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
6.	गुजरात	21	243	20	18	4	32	11	27	595	913	1884
7.	हरियाणा	6	51	24	12	2	13	0	0	18	33	159
8.	हिमाचल प्रदेश	1	3	7	1	0	0	0	2	19	26	59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.	जम्मू और कश्मीर	0	7	0	0	0	0	0	0	0	10	17
10.	कर्नाटक	11	31	10	1	1	0	24	128	902	40	1148
11.	केरल	4	248	80	3	0	1	11	2	297	122	768
12.	मध्य प्रदेश	67	680	269	41	1	25	32	15	401	2520	4051
13.	महाराष्ट्र	7	86	37	7	6	5	11	191	141	192	683
14.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	उड़ीसा	7	191	22	6	2	5	4	7	254	274	772
19.	पंजाब	7	1	4	2	0	0	0	1	6	2	23
20.	राजस्थान	49	218	138	9	0	2	63	0	958	4149	5586
21.	सिक्किम	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
22.	तमिलनाडु	30	650	4	5	0	0	23	165	300	385	1562
23.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	उत्तर प्रदेश	259	782	238	139	30	66	150	6	2737	2104	6511
25.	पश्चिमी बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (राज्य)	516	3809	923	253	49	150	346	714	7435	11422	25617
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	1	8	2	11
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	9	0	1	10
	कुल (संघ शासित क्षेत्र)	0	0	0	0	0	0	0	10	8	3	21
	कुल (अखिल भारत)	516	3809	923	253	49	150	346	724	7443	11425	25638

स्रोत : मासिक अपराध आंकड़े

विवरण-II

वर्ष 1999 के दौरान अनुसूचित जातियों के प्रति हुए अपराधों की घटनाएं

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	हत्या	चोट पहुंचाना	बलात्कार	अपहरण और व्यपहरण	डकैती	लूटपाट	आगजनी	पी.सी. आर. अधिनियम	अनु. जाति/ अनु. जनजाति अत्याचार (निवारण) अधिनियम	अन्य अपराध	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	26	437	61	2	3	6	8	266	522	418	1749
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	4	2	0	0	0	0	1	0	0	7
4.	बिहार	5	230	22	1	2	0	13	0	276	271	820
5.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	गुजरात	26	363	28	15	8	23	17	9	415	877	1781
7.	हरियाणा	5	33	26	8	1	0	1	0	18	29	121
8.	हिमाचल प्रदेश	2	2	4	0	0	0	0	6	21	19	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.	जम्मू और कश्मीर	0	1	2	0	0	0	0	1	0	9	13
10.	कर्नाटक	11	27	6	0	0	0	8	85	1131		1277
11.	केरल	5	177	54	0	0	0	4	3	194		514
12.	मध्य प्रदेश	55	751	305	36	2	16	56	26	433	298	67
13.	महाराष्ट्र	7	67	40	6	1	4	10	135	160	175	
14.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	मेघालय	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
16.	मिजोरम	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2
17.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	उड़ीसा	10	145	8	4	0	3	3	3	263	333	772
19.	पंजाब	5	9	7	2	0	0	0	1	6	9	39
20.	राजस्थान	49	154	146	10	0	3	67	19	887	4288	5623
21.	सिक्किम	0	4	0	0	0	0	4	0	0	4	12
22.	तमिलनाडु	20	165	12	11	0	3	1	109	366	196	883
23.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	उत्तर प्रदेश	279	672	276	133	19	50	145	1	2597	1950	6122
25.	पश्चिमी बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (राज्य)	506	3241	1000	228	36	109	337	665	7289	11651	25062
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	3	10	5	18
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	10	2	1	13
	कुल (संघ शासित क्षेत्र)	0	0	0	0	0	0	0	13	12	6	31
	कुल (अखिल भारत)	506	3241	1000	228	36	109	337	678	7301	11657	25093

स्रोत : मासिक अपराध आंकड़े

विवरण-III

वर्ष 2000 के दौरान अनुसूचित जातियों के प्रति हुए अपराधों की घटनाएं

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	हत्या	चोट पहुंचाना	बलात्कार	अपहरण और व्यपहरण	डकैती	लूटपाट	आगजनी	पी.सी. आर. अधिनियम	अनु. जाति/ अनु. जनजाति अत्याचार (निवारण) अधिनियम	अन्य अपराध	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	29	323	53	9	2	0	8	284	529	345	1582
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	4	0	0	0	1	1	0	1	4	11
4.	बिहार	4	244	17	5	2	3	12	6	220	228	741
5.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
6.	गुजरात	22	184	15	15	2	16	8	7	334	729	1332
7.	हरियाणा	2	37	20	6	0	0	2	1	21	28	117
8.	हिमाचल प्रदेश	0	7	6	0	0	1	3	10	16	9	52
9.	जम्मू और कश्मीर	0	0	3	0	0	0	0	1	1	4	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.	कर्नाटक	11	13	16	2	0	0	1	100	1176	10	1329
11.	केरल	7	126	65	0	1	0	4	0	146	118	467
12.	मध्य प्रदेश	45	798	289	26	5	8	27	27	539	2867	4631
13.	महाराष्ट्र	2	16	49	4	1	2	5	98	128	184	489
14.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	उड़ीसा	16	89	17	0	0	0	5	1	349	316	793
19.	पंजाब	0	4	8	2	0	0	0	0	17	3	34
20.	राजस्थान	48	153	128	13	1	3	49	0	454	4341	5190
21.	सिक्किम	0	0	1	0	0	0	0	0	0	14	15
22.	तमिलनाडु	12	654	17	1	0	1	0	103	418	90	1296
23.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	उत्तरांचल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	उत्तर प्रदेश	328	845	379	185	24	73	165	18	3018	2295	7330
26.	पश्चिमी बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (राज्य)	526	3497	1083	268	38	108	290	656	7368	11585	25419
27.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
29.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	12	1	13
32.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	16	4	1	21
कुल (संघ शासित क्षेत्र)		0	0	0	0	0	0	0	16	18	2	36
कुल (अखिल भारत)		526	3497	1083	268	38	108	290	672	7386	11587	25455

स्रोत : मासिक अपराध आंकड़े

नोट : आंकड़े अनन्तिम है।

विवरण-IV

वर्ष 1998 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के प्रति हुए अपराधों की घटनाएं

क्र. मं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	हत्या	चोट पहुंचाना	बलात्कार	अपहरण और व्यपहरण	डकैती	लूटपाट	आगजनी	पी.सी. आर. अधिनियम	अनु. जाति/ अनु. जनजाति अत्याचार (निवारण) अधिनियम	अन्य अपराध	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	1	171	33	8	3	6	3	9	55	56	345
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	2	21	4	1	0	0	1	0	73	42	144
5.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
6.	गुजरात	9	54	28	7	1	0	0	0	55	252	406
7.	हरियाणा	0	16	0	2	0	5	0	0	2	3	28
8.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	कर्नाटक	4	9	1	0	0	0	0	0	35	22	71
11.	केरल	1	52	21	1	0	0	1	0	25	37	138
12.	मध्य प्रदेश	23	129	194	28	1	2	13	5	78	921	1394
13.	महाराष्ट्र	4	12	11	3	0	0	1	17	31	74	153
14.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	उड़ीसा	1	83	6	2	0	1	0	2	91	96	282
19.	पंजाब	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2
20.	राजस्थान	15	53	28	2	0	1	12	0	213	808	1132
21.	सिक्किम	2	10	0	1	0	0	2	0	1	17	33
22.	तमिलनाडु	2	7	1	0	0	0	0	14	7	0	31
23.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	उत्तर प्रदेश	2	20	4	1	0	0	5	0	40	38	110
25.	पश्चिमी बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (राज्य)	66	638	331	56	5	15	38	47	708	2367	4271
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	4
	कुल (संघ शासित क्षेत्र)	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	5
	कुल (अखिल भारत)	66	638	331	56	5	15	38	50	709	2368	4276

विवरण-V

वर्ष 1999 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के प्रति हुए अपराधों की घटनाएं

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	हत्या	चोट पहुंचाना	बलात्कार	अपहरण और व्यपहरण	डकैती	लूटपाट	आगजनी	पी.सी. आर. अधिनियम	अनु. जाति/ अनु. जनजाति अत्याचार (निवारण) अधिनियम	अन्य अपराध	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	4	48	22	7	0	0	1	7	39	50	178
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
3.	असम	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2
4.	बिहार	1	15	6	1	1	0	0	0	14	29	67
5.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	गुजरात	11	55	23	6	1	1	8	1	45	216	367
7.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	हिमाचल प्रदेश	0	17	0	0	0	0	0	0	0	2	19
9.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	3
10.	कर्नाटक	3	0	1	0	0	0	0	4	49	3	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11.	केरल	0	23	10	0	0	1	2	0	14	31	81
12.	मध्य प्रदेश	38	216	233	28	0	3	16	3	105	1114	1756
13.	महाराष्ट्र	4	13	34	9	1	1	1	13	18	77	171
14.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	मेघालय	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
16.	मिजोरम	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
17.	नागालैंड		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	उड़ीसा	[illegible]	105	10	1	0	1	0	7	94	114	335
19.	पंजाब	0	0	1	0	0	0	0	0	4	0	5
20.	राजस्थान	14	61	40	4	0	1	13	0	175	913	1221
21.	सिक्किम	0	8	2	1	0	0	[illegible]	0	0	7	18
22.	तमिलनाडु	1	70	0	0	0	0	0	10	11	13	105
23.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	उत्तर प्रदेश	1	14	1	0	0	0	0	0	6	36	58
25.	पश्चिमी बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (राज्य)	80	646	383	59	3	8	43	45	574	2608	4449
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	दमन और दीव	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
30.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (संघ शासित क्षेत्र)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	कुल (अखिल भारत)	80	646	384	59	3	8	43	45	574	2608	4450

स्रोत : मासिक अपराध आंकड़े

विवरण-VI

वर्ष 2000 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के प्रति हुए अपराधों की घटनाएं

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	हत्या	चोट पहुंचाना	बलात्कार	अपहरण और व्यपहरण	डकैती	लूटपाट	आगजनी	पी.सी. आर. अधिनियम	अनु. जाति/ अनु. जनजाति अत्याचार (निवारण) अधिनियम	अन्य अपराध	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	4	45	17	2	0	0	1	6	83	44	202
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	2	0	4	2	0	0	0	0	5	13
3.	असम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	1	6	10	1	0	0	0	0	15	28	61
5.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	गुजरात	9	48	24	5	0	0	4	0	24	201	315
7.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	हिमाचल प्रदेश	0	8	1	0	0	0	0	1	0	1	11
9.	जम्मू और कश्मीर	0	1	2	0	0	0	0	0	0	1	4
10.	कर्नाटक	6	3	2	0	0	0	0	1	50	2	64
11.	केरल	2	7	28	1	0	0	2	0	7	16	63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12.	मध्य प्रदेश	22	217	244	26	0	1	12	9	146	1168	1845
13.	महाराष्ट्र	0	14	26	1	1	0	3	0	13	84	142
14.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	मेघालय	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
16.	मिजोरम	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
17.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	उड़ीसा	1	40	6	1	0	0	0	7	90	83	228
19.	पंजाब	0	1	2	2	0	0	0	0	1	0	6
20.	राजस्थान	9	39	38	2	0	0	10	0	54	978	1130
21.	सिक्किम	1	2	0	0	0	0	0	0	0	5	8
22.	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0	0	5	4	0	9
23.	त्रिपुरा	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3
24.	उत्तर प्रदेश	3	13	3	3	1	0	0	0	11	44	78
25.	पश्चिमी बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (राज्य)	59	447	403	48	5	2	32	31	498	2660	4185
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
27.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
29.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32.	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल (संघ शासित क्षेत्र)		0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	5
कुल (अखिल भारत)		59	447	403	48	5	2	32	31	502	2661	4190

स्रोत : मासिक अपराध आंकड़े

नोट : आंकड़े अनन्तिम हैं।

सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम

1246. श्री श्रीनिवास पाटील :
कर्नल (सेवानिवृत) सोनाराम चौधरी :
श्री नरेश पुगलिया :
श्री अधीर चौधरी :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-96 से आज तक सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) के क्या परिणाम निकले;

(ख) क्या सरकार द्वारा इन क्षेत्रों में भूमि की उत्पादकता में वृद्धि सम्पूर्ण आर्थिक विकास और रह रहे लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति के सुधार के संबंध में कोई मूल्यांकन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने विभिन्न राज्यों के वार्षिक रूप से सूखा प्रवण क्षेत्रों की पहचान के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ङ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पहचान किए गए ऐसे क्षेत्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(च) केन्द्र सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य को कितनी राशि आवंटित एवं जारी की गई;

(छ) क्या कुछ राज्यों ने स्थिति से निपटने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा आवंटित/प्रदान की गई कुल धनराशि का उपयोग नहीं किया है;

(ज) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं और इसके क्या कारण हैं;

(झ) सरकार द्वारा ऐसे राज्यों के लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ञ) दसवीं पंचवर्षीय योजना में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील) : (क) से (ञ) वर्ष 1995-96 से वाटरशेड पद्धति को अपनाये जाने से लेकर अभी तक लगभग 81.34 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को विकसित करने के लिए 16268 वाटरशेड परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। कार्यक्रम वाले राज्यों को स्वीकृत की गई परियोजनाओं का वर्ष-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। स्वीकृत की गई कुल परियोजनाओं में से 3750 परियोजनाओं को पूरा हुआ मान लिया गया है क्योंकि इन परियोजनाओं के लिए सम्पूर्ण केन्द्रीय निधियां जारी कर दी गई हैं। शेष परियोजनाएं कार्यान्वयन की भिविन्न अवस्थाओं में हैं।

सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) की परियोजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन करने की दृष्टि से कार्यक्रम वाले कुछेक राज्यों में प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन किए गए हैं। इन अध्ययनों से यह पता चला है कि इन वाटरशेड परियोजनाओं को कार्यान्वित किए जाने से भूमि की समग्र उत्पादकता में वृद्धि हुई है, जल-स्तर बढ़ा है और परियोजना क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के समग्र आर्थिक विकास पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। अध्ययन से यह भी पता चलता है कि इन क्षेत्रों में हरित वानस्पतिक आच्छादन, सिंचाई, फसल उत्पादन आदि में भी सुधार हुआ है।

वर्ष 1994-95 में एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति ने वर्षा, नमी सूचकांक, सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार आदि जैसे वैज्ञानिक मानदण्डों को अपनाते हुए देश में सूखा प्रवण क्षेत्रों के क्षेत्रफल का

प.. लगाया था। इस समय सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत 16 रा.. के 182 जिलों में 74.6 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र शामिल है। इसके बाद सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम की कवरेज की समीक्षा करने के लिए कोई वार्षिक सर्वेक्षण नहीं किए गये हैं। तथापि, उन क्षेत्रों, जिन्हें सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल नहीं किया है, को विकसित करने के लिए समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) के अन्तर्गत परियोजनाएं कार्यान्वित की जाती हैं, इस कार्यक्रम को भी सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम की तरह ही वाटरशेड आधार पर कार्यान्वित किया जाता है।

एक वाटरशेड परियोजना को पांच वर्षों की अवधि में पूरा किया जाना होता है। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को निधियों का कोई विशिष्ट आवंटन नहीं किया जाता है क्योंकि यह एक मांग आधारित कार्यक्रम है। केन्द्रीय भाग की राशि जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डी.आर.डी.ए.)/जिला परिषद (जेड.पी.) को सात किस्तों में जारी की जाती है। पहली किस्त नई परियोजनाओं की स्वीकृति के साथ ही जारी कर दी जाती है और बाद की किस्तें वाटरशेड विकास संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों में निहित उपबंधों के अनुसार उपयोग प्रमाण-पत्रों, लेखाओं के लेखापरीक्षित विवरण, तिमाही प्रगति रिपोर्टों के साथ-साथ संबंधित जिला ग्रामीण विकास अभिकरण/जिला परिषद से विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त होने के आधार पर ही जारी की जाती हैं। निधियां जारी करते समय यह सुनिश्चित किया जाता है कि संबंधित राज्य सरकार ने अपने भाग की निधियां जारी कर दी हैं और संबंधित जिला ग्रामीण विकास अभिकरण/जिला परिषद ने उन्हें जारी की गई पिछली किस्त की 50% से अधिक राशि का उपयोग कर लिया है। कार्यक्रम वाले राज्यों को जारी की गई निधियों का वर्ष-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम का वित्तीय निष्पादन लगभग 80% है। इन परियोजनाओं के कार्यान्वियन में और तेजी लाने के लिए मौजूदा निगरानी तंत्र को सुदृढ़ किया गया है। पूरक निगरानी तंत्र की प्रणाली भी लागू की गई है। इसके अलावा स्थानीय संसद सदस्यों की अध्यक्षता में जिला सतर्कता तथा निगरानी समितियां भी गठित की गई हैं।

योजना आयोग ने दसवीं पंचवर्षीय योजना में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के लिए 1500 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है।

विवरण-I

सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम

राज्य	स्वीकृत की गई परियोजनाओं की संख्या								
	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आंध्र प्रदेश	527	60	321	700	587	314	166	291	2966
बिहार	101	0	0	0	0	28	46	60	235
छत्तीसगढ़	234	0	0	0	0	197	106	116	653
गुजरात	275	100	19	55	230	329	110	241	1359
हिमाचल प्रदेश	33	21	0	0	17	77	40	50	238
जम्मू और कश्मीर	–	0	10	22	0	132	44	66	274
झारखण्ड	263	0	0	0	19	200	173	164	819
कर्नाटक	406	0	0	0	248	266	245	221	1386
मध्य प्रदेश	661	0	0	0	265	657	238	265	2086

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
महाराष्ट्र	818	0	0	0	219	578	296	300	2211
उड़ीसा	192	0	0	0	0	111	221	160	684
राजस्थान	182	0	0	0	18	271	96	113	680
तमिलनाडु	297	0	0	103	299	0	61	144	904
उत्तर प्रदेश	282	99	56	0	286	93	92	158	1066
उत्तरांचल	117	0	0	0	90	58	90	97	452
पश्चिमी बंगाल	135	0	0	0	0	60	28	32	255
योग	4523	280	406	880	2278	3371	2052	2478	16268

विवरण-II

सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम

वर्ष 1995-96 से 24.7.2003 तक जारी की गई निधियों का ब्यौरा

राज्य	जारी की गई निधियों का ब्यौरा (लाख रुपये में)								
	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001	2001-2002	2002-2003	2003-04	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आंध्र प्रदेश	2106.55	2619.60	2292.50	2290.62	2670.75	4759.58	4067.00	4854.99	1344.81	27006.43
बिहार	724.71	34.00	115.13	238.28	229.99	100.19	242.06	249.75	42.94	1977.05
छत्तीसगढ़	मध्य प्रदेश में शामिल					680.75	700.28	1599.62	189.00	3169.65
गुजरात	1013.96	731.06	528.48	776.95	878.81	1427.34	1165.31	3273.13	771.45	10566.49
हिमाचल प्रदेश	66.50	194.00	69.50	52.00	90.00	247.00	316.62	370.81	26.89	1433.32
जम्मू और कश्मीर	260.29	198.00	112.50	40.00	219.56	368.76	297.00	222.75	00	1718.86
झारखण्ड	बिहार में शामिल					686.60	882.13	553.50	326.05	2448.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कर्नाटक	1159.04	493.55	786.39	908.28	801.91	1425.97	2093.75	2265.04	327.07	10261.00
मध्य प्रदेश	1938.70	2118.94	892.55	882.51	1401.75	2495.50	4361.00	4721.01	1100.29	19912.25
महाराष्ट्र	1721.31	1260.73	1986.06	552.00	644.50	1898.75	2009.62	1294.62	127.89	11495.48
उड़ीसा	403.84	295.00	63.84	274.55	46.25	681.69	970.10	901.10	262.03	3898.40
राजस्थान	643.77	152.00	419.00	173.50	385.75	980.75	1195.13	1430.93	488.66	5869.49
तमिलनाडु	532.49	1232.56	707.34	272.71	827.30	908.50	864.88	1059.53	438.81	6835.12
उत्तर प्रदेश	1093.16	1649.57	842.06	838.60	1093.18	183.63	905.72	1717.85	427.30	10405.07
उत्तरांचल	उत्तर प्रदेश में शामिल					324.00	510.75	376.37	00	1211.12
पश्चिमी बंगाल	230.33	28.29	259.67	0.00	209.25	135.00	317.65	108.00	00	1288.19
राज्यों को जारी की गई कुल निधियां	11894.65	10998.33	9075.02	7300.00	9499.00	18958.01	20899.00	24999.00	5873.19	119496.19
जारी की गई अन्य निधियां	0	0	1000.00	0	1.00	42.00	52.62	1.00	00	1096.62
कुल योग	11894.55	10998.33	10075.02	7300.00	9500.00	19000.01	20951.62	25000.00	5873.19	120592.81

[हिन्दी]

राजभाषा के वार्षिक कार्यक्रम के लिए निर्धारित लक्ष्य

1247. **श्री राजो सिंह :** क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजभाषा विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम में न्यूनतम निर्धारित लक्ष्य हासिल करने वाले मंत्रालयों/विभागों के नाम क्या हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) राजभाषा विभाग द्वारा चूककर्ता मंत्रालयों/विभागों के विरुद्ध क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्मयानन्द स्वामी) : (क) मंत्रालयों/विभागों द्वारा लक्ष्यों के प्राप्ति की स्थिति राजभाषा विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष तैयार की जाने वाली वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट में दी जाती है जिसे संसद के पटल पर रखा जाता है। वर्ष 2000-2001 की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट लोक सभा के पटल पर दिनांक 08.04.2003 को रखी गई।

(ख) मंत्रालयों/विभागों द्वारा वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में पाई गई कमियों को दूर करने के लिए सुधारात्मक उपायों का उल्लेख प्रत्येक वर्ष राजभाषा विभाग द्वारा तैयार की जाने वाली वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट में किया जाता है। इस बारे में राजभाषा विभाग द्वारा मंत्रालयों/विभागों को समुचित कार्रवाई करने के लिए भी लिखा जाता है।

सरकार का यह भी सुविचारित मत है कि केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों आदि में राजभाषा हिंदी का प्रयोग प्रेरणा, प्रोत्साहन और सद्भाव से बढ़ाया जाय।

[अनुवाद]

डिस्प्ले विज्ञापन जारी किया जाना

1248. **श्री शिबु सोरेन : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या यह सच है कि कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के डिस्प्ले विज्ञापनों को न जारी करने की नीति अपनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों द्वारा जारी किए गए डिस्प्ले विज्ञापनों का ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान विज्ञापनों के लिए वर्ष-वार और कंपनी-वार कितनी राशि जारी की गई?

कोयला मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान डिस्प्ले विज्ञापन (समाचार पत्रों, प्रकाशनों इत्यादि में प्रकाशित प्रचार विज्ञापन) पर सी.आई.एल. तथा इसकी सहायक कम्पनियों द्वारा किए गए व्यय का कम्पनी-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

(लाख रु. में)

कम्पनी	2000-01	2001-02	2002-03
1	2	3	4
ई.सी.एल.	शून्य	शून्य	00.07
बी.सी.सी.एल.	04.42	01.62	00.19
सी.सी.एल.	02.83	02.47	02.71
एन.सी.एल.	03.39	06.01	11.47
डब्ल्यू.सी.एल.	00.26	00.12	00.02
एस.ई.सी.एल.	02.02	13.94	09.00
एम.सी.एल.	12.38	11.45	12.68
सी.एम.पी.डी.आई.एल.	शून्य	शून्य	शून्य
सी.आई.एल.	08.08	11.35	11.79
कुल*	33.36	46.96	47.92

*किसी इलेक्ट्रानिक मीडिया का विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया गया है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, एक विशेष अवसर पर कोल इंडिया लि., कोयला तथा खान मंत्रालय द्वारा 21 अप्रैल, 2002 (2002-03) को समाचार पत्रों में डिस्प्ले विज्ञापन जारी किया गया था जिस पर 60.82 लाख रु. खर्च हुए थे।

वर्षा जल का संरक्षण

1249. **श्री जी.जे. जावीया : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार का विचार देश के सभी गांवों में वर्षा जल संरक्षण हेतु योजना बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) योजना कब तक बनाए जाने और क्रियान्वित किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील) : (क) जी, नहीं।

(ख) लागू नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) ग्रामीण जल आपूर्ति राज्य का विषय है। राज्य सरकारें स्वयं के स्रोतों से ही ग्रामीण पेयजल आपूर्ति संबंधी योजनाओं/परियोजनाओं

को कार्यान्वित करती है। भारत सरकार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान कर उनके प्रयासों में सहायता प्रदान करती है। वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार, त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत समर्थन प्राप्त कर उप-मिशन के अंतर्गत योजनाओं या परियोजनाओं को शुरू किया जा सकता है, जिसमें वर्षाजल संग्रहण भी शामिल है। राज्य सरकारों को समर्थन संबंधी उप-मिशन हेतु त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम की निधि के 5 प्रतिशत तक प्रयोग करने का अधिकार सौंपा गया है, जिसमें स्रोत का स्थायित्व, जल संरक्षण, जल संग्रहण, जल रिचार्ज शामिल हैं: भारत सरकार ने त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत समर्थन आधार पर योजनाओं एवं परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। माननीय संसद सदस्यों से भी अपील की गयी है कि वे एम.पी. लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड से भी वर्षाजल संग्रहण आदि जैसे भूजल रिचार्ज को बढ़ाने के लिए परियोजनाओं को शुरू करें। राज्य सरकार से इस योजना के अंतर्गत अधिक-से-अधिक परियोजनाओं को शुरू करने का भी अनुरोध किया गया है। इसे ध्यान में रखते हुए एक नई योजना तैयार करने पर विचार नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

दसवीं योजनावधि के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों का विकास

1250. **डा. जसवंत सिंह यादव** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु कोई प्रभावी कार्यक्रम बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना की तुलना में दसवीं योजना के लिए एक कार्यक्रम हेतु राज्यों के लिए योजना-वार कितना आबंटन बढ़ाए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के ग्रामीण क्षेत्रों के प्रभावी विकास के लिए कई कार्यक्रम बनाए हैं। स्वरोजगार के लिए स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.), मजदूरी रोजगार के लिए संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.), ग्रामीण गरीबों को आवास मुहैया कराने के लिए इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.), ग्रामीण सड़क संपर्क के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.), क्षेत्र विकास के लिए वाटरशेड विकास कार्यक्रम, ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (क्षेत्र सुधार सहित) और संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टी.एस.सी.) प्रमुख कार्यक्रम हैं।

(ग) नौवीं योजना के दौरान ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए किया गया आबंटन 42873.80 करोड़ रु. था, जिसे दसवीं योजना के दौरान बढ़ाकर 76774.00 करोड़ रु. कर दिया गया है। योजना-वार आबंटन संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

ग्रामीण विकास मंत्रालय

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	योजना का नाम	नौवीं योजना के दौरान आबंटन (1997-2002)	दसवीं योजना के दौरान आबंटन (2002-2007)
1	2	3	4
1.	संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.)#	15785.00	30,000.00
2.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.)	*	12,500.00

1	2	3	4
3.	ग्रामीण आवास (आई.ए.वाई.)	7285.00	8,603.00
4.	स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.)	4690.00	3955.00
5.	डी.आर.डी.ए. प्रशासन	915.00	1100.00
6.	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थाओं को अनुदान	30.00	40.007
7.	प्रशिक्षण	45.00	150.00
8.	सूचना, शिक्षा एवं संचार	45.00	100.00
9.	कपार्ट को सहायता	190.97	200.00
10.	निगरानी एवं मूल्यांकन	5.00	100.00
11.	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम**	3280.00	—
12.	अन्नापूर्णा**	596.00	—
13.	विशेष समस्याग्रस्त क्षेत्रों में सड़कें**	2.00	—
14.	वाटरशेड विकास कार्यक्रम	1081.95	4400.00
15.	भूमि सुधार	190.00	600.00
16.	अन्य (आई पी एस, संचार, निगरानी एवं मूल्यांकन, टी डी ई टी और विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं)	81.98	526.00
17.	नई फसलें	—	1000.00
18.	ग्रामीण जल आपूर्ति	8150.00	12545.00
19.	केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम	500.00	955.00
	कुल	42873.80	76774.00

#एस.जी.आर.वाई.—सुनिश्चित रोजगार योजना और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को मिलाकर बनाई गई।

*पी.एम.जी.एस.वाई. वर्ष 2000-01 से शुरू हुई है।

**इन योजनाओं को अब समाप्त कर दिया गया है।

लौह अयस्क की रुग्ण खानें

1251. श्री रामदास आठवले : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में लौह-अयस्क की राज्यवार कितनी खानें रुग्ण हैं;

(ख) ये खानें कब से रुग्ण हैं और इनकी रुग्णता के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का इन रुग्ण खानों के पुनरुद्धार हेतु कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) और (ख) खनन एक क्षयकारी उद्योग है और यदि खनिज समाप्त हो जाता है तो खनन अव्यवहार्य हो जाता है। इसके अलावा, खनिज की मांग में कमी से भी खनन अव्यवहार्य हो सकता है। खान स्वामियों द्वारा रुग्ण खानों के संबंध में सूचना देने हेतु खनिज संरक्षण और विकास नियमावली, 1988 में कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए पृथक-पृथक रुग्ण लौह अयस्क खानों का राज्य-वार ब्यौरा केन्द्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।

(ग) से (ङ) रुग्ण खानों को पुनः चालू करने के बारे में सरकार की कोई विशिष्ट योजना नहीं है। तथापि, जहां मांग की कमी की वजह से खानें बंद हैं अथवा अस्थायी रूप से बंद हैं वहां यह महसूस किया जाता है कि अर्थव्यवस्था के उदारीकरण और औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोत्तरी के लिए उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप खनिजों की मांग बढ़ेगी जिससे ऐसी खानें लाभकारी हो जाएंगी।

[अनुवाद]

अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में पोर फ्लश शौचालय

1252. **श्री विष्णु पद राय** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंडमान एवं निकोबार प्रशासन ने निकोबार जिले में ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत पिछले दस वर्षों के दौरान और 2002-2003 तक पोर फ्लश शौचालय बनाए हैं;

(ख) यदि हां, तो जिले में प्रत्येक ग्राम में ऐसे कितने शौचालय बनाए गए हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान आबंटित और खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है और निकोबार जिले में कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी है; और

(घ) इस प्रकार बने ग्राम-वार कितने पोर फ्लश शौचालय उपयोग में हैं/अप्रयुक्त पड़े हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील) : (क) से (घ) जी, हां, निकोबार जिले सहित, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में आबंटित निधियों, किए गए खर्चों और निर्मित शौचालयों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। निर्मित शौचालयों का जिला और ग्राम-वार विवरण भारत सरकार के स्तर पर नहीं रखा जाता।

विवरण

अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह

वर्ष	आबंटन (लाख रु. में)	व्यय (लाख रु. में)	निर्मित शौचालय
1	2	3	4
1993-1994	0.40	0.00	456
1994-1995	5.00	0.00	1164
1995-1996	5.00	6.22	2441
1996-1997	5.00	2.79	3720
1997-1998	5.00	2.23	1968
1998-1999	5.00	0.09	226
1999-2000	5.00	0.32	54
2000-2001	4.88	0.00	0
2001-2002	4.88	0.00	0
2002-2003*	0.00	0.00	0

*आबंटन आधारित कार्यक्रम रोक दिया गया था और संपूर्ण स्वच्छता अभियान देश में परियोजना स्तर पर कार्यान्वित किया जा रहा है।

कर्नाटक में प्रशिक्षण केन्द्र

1253. **श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार** : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा कर्नाटक में कितने प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा इस राज्य में किन-किन स्थानों पर ये प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार वर्ष 2003-04 में कर्नाटक में ग्रामीण खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने के लिए किसी नए प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना करने का है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में तैयार किये गए प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल) : (क) और (ख) वर्तमान में, भारतीय खेल प्राधिकरण (एस.ए.आई.) द्वारा कर्नाटक राज्य में 6 प्रशिक्षण केन्द्र चलाये जा रहे हैं जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

1. राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता योजना (एन.एस.टी.सी.)— सेंट जोसफ इण्डियन हाई स्कूल, बंगलौर।

2. सेना बाल खेल कंपनी योजना (ए.बी.एस.सी.)— एम.ई.जी., बंगलौर।

3. निम्नलिखित में एस.ए.आई. प्रशिक्षण केन्द्र (एस.टी.सी.)—

    (1) धारवाड़

    (2) मेडीकेरी

    (3) बंगलौर

4. उत्कृष्टता केन्द्र योजना—(सी.ओ.एक्स.) बंगलौर।

(ग) भारत सरकार की नीति के अनुसार, किसी विशेष राज्य में खेल केन्द्र को स्थापित करने के लिए संबंधित राज्य सरकार को एक विस्तृत प्रस्ताव भारतीय खेल प्राधिकरण को प्रस्तुत करना होता है, जिसमें उन्हें उपयुक्त रिहायशी स्थान और सुविधाएं निःशुल्क प्रदान करनी होती हैं। वर्तमान में, भारतीय खेल प्राधिकरण को, कर्नाटक सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मंत्रालय में कार्यरत अ.ज./अ.ज.जा. और अ.पि.व. के कर्मचारी

1254. श्री बालकृष्ण चौहान : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न विभागों और उपक्रमों में समूह "क", "ख", "ग" और "घ" में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं; और

(ख) कुल कर्मचारियों में से अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की अलग-अलग श्रेणीवार संख्या क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

इफको द्वारा बीमा व्यवसाय

1255. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सच है कि इफको का बीमा क्षेत्र में इफको-टोकियो जनरल इन्स्योरेन्स नाम से जापान की टोकियो मरीन एंड फायर कंपनी लिमिटेड के साथ संयुक्त उद्यम चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संयुक्त उद्यम ने अपनी शुरूआत से कुल कितना कारोबार किया है;

(ग) क्या इस संयुक्त उद्यम द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों हेतु कोई योजना तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) आई.टी.जी.आई. ने अपनी स्थापना से मार्च, 2003 तक कुल 289.37 करोड़ रुपये का व्यापार किया है।

(ग) और (घ) आई.टी.जी.आई. ने इफको के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 'संकट हरण बीमा योजना' नामक बीमा योजना प्रारंभ की है, जो सहकारी समितियों से इफको उर्वरक की प्रत्येक 50 कि.ग्रा. की बोरी खरीदने पर किसानों को एक वर्ष के लिए 4000/- रुपये की व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा सुरक्षा प्रदान करती है। इस योजना के अधीन एक किसान के लिए अधिकतम देनदारी 1.0 लाख रुपये

प्रतिवर्ष तक सीमित है। बीमा-प्रीमियम का भुगतान इफको द्वारा किया जाता है और इस योजना के अधीन किसानों को मुफ्त बीमा सुरक्षा प्राप्त होती है।

[हिन्दी]

अर्द्ध-सैनिक बल कार्मिकों को पुरस्कार

1256. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :**
श्री चन्द्रनाथ सिंह :

क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कारगिल युद्ध के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले अर्द्ध-सैनिक बलों के जवानों को 'आपरेशन विजय मैडल' पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे मैडलों से अर्द्ध-सैनिक बल-वार कितने जवानों को सम्मानित किए जाने की सम्भावना है; और

(घ) सरकार द्वारा अर्द्ध-सैनिक बलों का मनोबल बढ़ाने हेतु उन्हें और सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्मयानन्द स्वामी) : (क) और (ख) "आपरेशन विजय स्टार", सेना, वायुसेना, नौसेना और किसी भी रिजर्व बल प्रादेशिक सेना, अर्द्ध-सैनिक बलों, केन्द्रीय पुलिस संगठनों, और पुलिस बलों के सभी कार्मिकों, जिन्होंने करगिल में और इसके ईद-गिर्द, भूमि या आकाश में आपरेशन में भाग लिया को दिया जाता है। "ओ.पी. विजय पदक" उन सभी श्रेणियों के कार्मिकों को दिया जाता है जो सेना, नौसेना और वायुसेना की वास्तविक संख्या पर थे और जो ओ.पी. विजय की सहायतार्थ विभिन्न मुख्यालयों में आपरेशन में आपरेशन की योजना बनाने और चलाने में सक्रिय/तैनात थे, इसके साथ-साथ अर्द्ध-सैनिक बलों, केन्द्रीय पुलिस बलों, रेलवे सुरक्षा बल, जम्मू और कश्मीर राज्य पुलिस बल, होमगार्डस, नागरिक सुरक्षा संगठन और सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य संगठन, जब उन्हें आपरेशन क्षेत्रों जैसे जम्मू और कश्मीर, पंजाब, गुजरात, राजस्थान और पश्चिमी और दक्षिण के अन्य क्षेत्रों में तैनात किया जाता है और उपर्युक्त सभी संगठनों में से किसी संगठन के कार्मिकों को, जब सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट इस प्रकार के अन्य क्षेत्रों में तैनात किया जाता है, को दिया जाता है।

(ग) अर्द्ध-सैनिक/केन्द्रीय पुलिस संगठनों द्वारा अभी तक उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, इन पदकों के लिए पात्र जवानों की अनुमानित संख्या निम्न प्रकार है :-

संगठन	विजय स्टार	विजय पदक
सीमा सुरक्षा बल	2300	34000
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	210	230
भा. तिब्बत सीमा पुलिस	—	92
आसूचना ब्यूरो	58	15
राष्ट्रीय सुरक्षा गारद	—	1277
मंत्रिमंडल सचिवालय	1187	128
कुल	3755	35742

(घ) अर्द्ध-सैनिक बल कार्मिकों को बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उपाय जैसे, आवासों में सन्तोषजनक स्तर तक वृद्धि, अलग पारिवारिक आवास और स्कूलों का निर्माण, मनोरंजन व्यवस्था, समूह बीमा योजना इत्यादि, किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार लड़ाई में मारे गए अर्द्ध-सैनिक बलों के आश्रितों को 7.5 लाख रु. की अनुग्रहपूर्वक अदायगी करती है। सरकार अर्द्ध-सैनिक बलों के कल्याण के लिए कल्याण अनुदान भी स्वीकृत करती है। इसके अलावा, बलों की अपनी स्वैच्छिक अंशदान भी है जिनके जरिए विभिन्न कलयाणकारी स्कीमें चलायी जाती है।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में रुग्ण लघु उद्योगों का पुनरुद्धार

1257. **श्री अशोक ना. मोहोल :** क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य में अर्थक्षम लघु उद्योगों की अरुग्ण इकाइयों ने पुनरुद्धार हेतु अनुरोध किया है जो कि आर्थिक मंदी के पश्चात् बंद हो गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा अर्थक्षम लघु उद्योगों की रुग्ण इकाइयों के पुनरुद्धार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान इन रुग्ण इकाइयों हेतु वर्षवार कौन-कौन से राहत पैकेज दिए गए हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उत्तर पूर्वी विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ग) सरकार ने लघु उद्योग यूनिटों के बीच औद्योगिक रुग्णता की समस्या को पूर्ण रूप से समझ लिया है तथा इसका समय पर पता लगाने तथा राज्य स्तरीय अन्तर संस्थागत समितियों के रूप में संस्थागत तंत्र, बैंकों तथा राज्य वित्तीय संस्थानों में स्पेशल पुनर्वास एककों सहित सम्भाव्य जीवनक्षम रुग्ण उद्योगों के पुनर्वास के संबंध में अनेक उपाय किए हैं। पात्र यूनिटों को पुनर्वास सहायता विस्तारित करने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक ने विस्तृत मार्ग-दर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं। इसके अलावा श्री एस.एस. कोहली की अध्यक्षता में गठित किए गए कार्यकारी ग्रुप की सिफारिशों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक ने रुग्ण ल.उ. यूनिटों के पुनर्वास के संबंध में संशोधित मार्ग-दर्शी सिद्धान्त बनाए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ सम्मिलित हैं, रुग्ण ल.उ. यूनिटों को परिभाषा में परिवर्तन, उनकी जीवनक्षमता के निर्णय के संबंध में मानदण्ड, रियायती वित्त, इत्यादि। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को कार्यान्वयन हेतु संशोधित मार्ग-दर्शी-सिद्धान्तों को 16 जनवरी, 2002 को परिचालित कर दिया है।

(घ) संघ सरकार रुग्ण लघु उद्योगों (एस.एस.आई.) के पुनर्वास के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करती है। रुग्ण लघु उद्योगों के पुनर्वास सहित ल.उ. को वित्तीय सहायता, वाणिज्यिक बैंकों सहित प्राइमरी लेंडिंग इन्स्टीट्यूशंस (पी.एल.आई.) द्वारा प्रदान की जाती है। तथापि, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) की पी.एल.आई. के लिए रुग्ण ल.उ. यूनिटों के पुनर्वास के लिए उनके द्वारा विस्तारित की जाने वाली वित्तीय सहायता के संबंध में एकमात्र पुनर्वित्त स्कीम है, इसके अलावा एकल खिड़की स्कीम, नैशनल इक्विटी फण्ड, महिला उद्यम निधि, इत्यादि जैसी स्कीमों, को पुनर्वित्त स्कीम के अन्तर्गत कवर करने के लिए स्कीम है। नवीनतम उपलब्ध डाटा के अनुसार, सिडबी ने वर्ष 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान पुनर्वित्त स्कीम के तहत रुग्ण ल.उ. यूनिटों के पुनर्वास (आर. एस.आर.) के लिए क्रमशः 3.27 करोड़ रुपये तथा 1.26 करोड़ रुपये संस्वीकृत किए हैं। इन वर्षों के दौरान क्रमशः 1.48 करोड़ रुपये और 0.15 करोड़ रुपये की राशि संवितरित की गई है। सिडबी को महाराष्ट्र के संबंध में वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 के दौरान आर.एस. आर. के तहत वित्तीय सहायता के संबंध में पी.एल.आई. से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

1258. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में 32.7 प्रतिशत हिस्सेदारी का विनिवेश करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में सरकारी/निजी क्षेत्र से कोई बोली प्राप्त की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या निर्णय लिया गया है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) गैर-महत्वपूर्ण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अपनी साम्या 26% या उससे कम करने की सरकार की नीति के अनुसार मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एमएफएल) में भारत सरकार की 59.50% साम्या का विनिवेश करने का निर्णय लिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

पंचायती राज संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण

1259. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी** :
श्री राजो सिंह :
कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनीराम शांडिल्य :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं के वित्त-पोषण संबंधी नीति को अंतिम रूप दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2002-2003 और 2003-2004 के दौरान पंचायती राज संस्थाओं हेतु शीर्षवार और राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गई हैं;

(घ) क्या गांवों में बेहतर कार्यकरण सुनिश्चित करने हेतु पंचायतों को और स्वायत्ता दी जाएगी;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने अवसंरचनात्मक विकास हेतु विभिन्न राज्यों को धनराशि आबंटित करने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इन्हें कब तक अंतिम रूप दिए जाने और परिचालित किए जाने की संभावना हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील) : (क) से (ज) सूचना एकत्र की जा रही है।

नैमित्तिक मजदूर

1260. **श्री बसुदेव आचार्य : क्या कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि. और इसकी सहायक कंपनियों में आम मजदूर, लिपिक, सहायक सैम्पलिंग मजदूर तथा सैम्पलिंग सहायक इत्यादि के पदों पर नैमित्तिक मजदूर लगाने की परम्परा चली आ रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे नैमित्तिक मजदूरों को 240 दिनों की न्यूनतम हाजिरी पूरी करने के पश्चात स्थायी कर्मचारियों के रूप में नियमित कर दिया गया;

(ग) यदि हां, तो 1991-1996 के दौरान कोल इंडिया लि. सहित प्रत्येक कोयला कंपनी द्वारा वर्ष-वार ऐसे कितने नैमित्तिक मजदूरों को नियमित किया गया;

(घ) क्या नैमित्तिक मजदूरों को सीधे कार्य पर लगाने से पूर्व रिक्तियों के संबंध में रोजगार कार्यालय को अधिसूचित करना आवश्यक अथवा अनिवार्य होता है;

(ङ) यदि हां, तो क्या उन नैमित्तिक मजदूरों को कार्य पर लगाने से पूर्व संबंधित कंपनियों द्वारा रोजगार कार्यालय को अधिसूचित किया गया था;

(च) यदि हां, तो क्या संबंधित रोजगार कार्यालय द्वारा नामों को प्रायोजित किया गया था; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं?

कोयला मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) कोल इंडिया लि. ने सूचित किया है कि वर्तमान में ऐसी कोई परम्परा नहीं है। तथापि, विगत में कुछ मामलों में काम की अत्यावश्यकता तथा आवश्यकता को पूरा करने के लिए नैमित्तिक श्रमिकों को लगाया गया था। आवर्तक अथवा आकस्मिक स्वरूप के कार्य के लिए नैमित्तिक श्रमिकों को लगाने की अनुमति प्रमाणित स्थायी आदेश के तहत दी जाती है।

(ख) प्रासंगिक अवधि के दौरान काम की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कुछ नैमित्तिक श्रमिकों को बाद में नियमित कर दिया गया था।

(ग) कम्पनियों से प्राप्त सूचना के अनुसार विगत में नियमित किए गए नैमित्तिक श्रमिकों की संख्या नीचे दी गयी है :-

1991-92	337
1992-93	482
1993-94	122
1994-95	035
1995-96	017

(घ) जी, नहीं। आकस्मिक स्वरूप के कार्य के लिए रोजगार कार्यालय को अधिसूचित करने की आवश्यकता नहीं है।

(ङ) से (छ) प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

विदेशी निधियां

1261. **कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम शांडिल्य :**
श्री वाई.जी. महाजन :

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :

क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव ऐसे मार्गनिर्देश बनाने तथा जारी करने का है जिससे गैर-सरकारी संगठन विश्वविद्यालय तक अन्य स्वैच्छिक संगठन सीधे अन्य देशों से सहायता प्राप्त कर सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो क्या प्राप्त करने वाली संस्थाएं सहायता के रूप में प्राप्त ऋण का भुगतान करने हेतु सीधे जिम्मेदार होंगी और सरकार इस संबंध में कोई गारंटी नहीं देगी; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में लिए गए निर्णय का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) से (घ) वर्ष 2003-04 के लिए वित्त मंत्री के बजट भाषण में की गई घोषणाओं पर अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में यह निर्णय लिया गया है कि कुछ द्विपक्षीय भागीदारों से सहायता प्राप्त करना बंद किया जाए। भविष्य में इन द्विपक्षीय भागीदारों से ऐसे अनुदान संस्थानों, विश्वविद्यालयों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को भेजे जाएंगे न कि केन्द्र और राज्य सरकारों को। सरकार अपनी पुनराभिमुखीकृत द्विपक्षीय सहयोग नीति को शासित करने वाले मार्गदर्शी सिद्धान्तों को अंतिम रूप दे रही है।

दहेज अधिनियम

1262. **श्री रामदास आठवले :** क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने दहेज विरोधी कानूनों के घोर दुरुपयोग के संबंध में अपनी चिंता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने सरकार से भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दहेज संबंधी अपराधों को जमानती तथा समझौता योग्य बनाने और भारतीय दंड संहिता की धारा 406 और 498 के अंतर्गत दर्ज अपराधों का संज्ञान लेने हेतु केवल एग्जिक्यूटिव मजिस्ट्रेट को सक्षम बनाने हेतु प्रावधान करने के लिए कहा है;

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार का प्रस्ताव धारा 498-ए और 406 के अंतर्गत दर्ज अपराधों की जांच उपर्युक्त प्रावधान किए जाने तक ए.सी.पी. के रैंक से नीचे के अधिकारी से न करवाने के लिए कदम उठाने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) और (ग) दिल्ली उच्च न्यायालय ने सावित्री देवी बनाम रमेश चंद तथा अन्य के मामले में कहा है कि धारा 498क तथा 406 भा. दं. सं. के तहत वैवाहिक अपराधों, यदि गंभीर शारीरिक चोट नहीं पहुंचाई गई हो, को जमानत योग्य तथा समाधेय बनाया जाना चाहिए। इसने यह भी सिफारिश की है कि कार्यकारी मजिस्ट्रेट को ऐसे मामलों की जांच करने की शक्तियां प्रदान की जाएं तथा उनकी रिपोर्ट को संज्ञान में लिया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय महिला आयोग की राय है कि 498क के तहत अपराध न तो जमानत योग्य होना चाहिए और न ही समाधेय होना चाहिए।

(घ) से (च) भा. दं. सं. की धारा 304ख अथवा 498क/406 के तहत किसी ऐसे पुलिस अधिकारी, जो डी.सी.पी. या ए.सी.पी. से कम रैंक का न हो, से हरेक मामले की जांच करना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

अवैध कोयला उत्खनन

1263. **श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की विभिन्न कोयला खानों में अवैध उत्खनन के कार्य में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी खान-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में अवैध कोयला उत्खनन को रोकने हेतु कोई कार्यवाही की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) और (ख) अवैध खनन परित्यक्त/बन्द पड़ी/अप्रयुक्त खानों अथवा उभरे हुए क्षेत्रों से चोरी-छुपे तथा प्रच्छन्न रूप से किया जाता है। अतः ऐसे मामलों का पूरा ब्यौरा रख पाना सम्भव नहीं है। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान कम्पनी के सुरक्षा बलों द्वारा मारे गए छापों तथा राज्य पुलिस के साथ मारे गए संयुक्त छापों के आधार पर दर्ज की गयी एफ.आई.आर. की संख्या तथा बरामद किए गए कोयले की मात्रा का कम्पनी-वार तथा राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) मुख्यतः, एफ.आई.आर. दर्ज होने के पश्चात अवैध खनन को रोकने/समाप्त करने के लिए आवश्यक निवारणात्मक कार्रवाई करने की जिम्मेदारी राज्य/जिला प्रशासन की है। तथापि, अवैध खनन को रोकने के लिए कोल इंडिया लि. द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई की जा रही है :-

1. आसूचना संग्रह।
2. जहां भी सम्भव हो, वहां अवैध खनन स्थलों को डोज आफ करना/भरना।
3. परित्यक्त/अप्रयुक्त खानों की चारदीवारी करना।
4. अपने ही सुरक्षा बल तथा सीआईएसफ द्वारा 24 घंटे गश्त लगाना।
5. सुरक्षा बल/सीआईएसएफ द्वारा औचक जांच करना/छापा मारना।
6. छापों के दौरान जब भी अवैध रूप से खनित कोयला तथा अवैध खनन के उपकरण पकड़े जाते हैं तो उन्हें स्थानीय पुलिस को सौंप दिया जाता है तथा एफ.आई.आर. दर्ज कराई जाती हैं।
7. अवैध खनन को रोकने के लिए राज्य प्राधिकारियों की मदद तथा सहयोग के लिए उनके साथ निकट सम्पर्क रखा जाता है।

विवरण

2000-01 से 2002-03 तक सहायक कम्पनी-वार तथा राज्य-वार कोयले का अवैध खनन

2000-01

कम्पनी	राज्य	बरामद मात्रा (टन)	दर्ज एफआईआर
1	2	3	4
ईसीएल	पश्चिम बंगाल	5352	180
	झारखंड	284	23
		5636	203
बीसीसीएल	पश्चिम बंगाल	–	–
	झारखंड	0.2	1
		0.2	1
सीसीएल	झारखंड	677	15
	उत्तर प्रदेश	–	–
	मध्य प्रदेश	–	–
		–	–
डब्ल्यूसीएल	मध्य प्रदेश	42.1	4
	महाराष्ट्र	–	–
		42.1	4
एसईसीएल	मध्य प्रदेश	–	–
	छत्तीसगढ़	–	–
		–	–
एमसीएल	उड़ीसा	–	–

1	2	3	4
एनईसी	असम	—	—
	कोल इंडिया	6355.3	223
	2001-02		
ईसीएल	पश्चिम बंगाल	5653	138
	झारखंड	26	3
		5679	141
बीसीसीएल	पश्चिम बंगाल	—	—
	झारखंड	10.75	6
		10.75	6
सीसीएल	झारखंड	437.3	61
एनसीएल	उत्तर प्रदेश	—	—
	मध्य प्रदेश	—	—
		—	—
डब्ल्यूसीएल	मध्य प्रदेश	79	4
	महाराष्ट्र	—	—
		79	4
एसईसीएल	मध्य प्रदेश	—	1
	छत्तीसगढ़	—	2
		—	3
एमसीएल	उड़ीसा	—	—
एनईसी	असम	—	1
	कोल इंडिया	6206.05	216

1	2	3	4
	2002-03		
ईसीएल	पश्चिम बंगाल	3493	74
	झारखंड	92	0
		3585	74
बीसीसीएल	पश्चिम बंगाल	0	0
	झारखंड	12.1	5
		12.1	5
सीसीएल	झारखंड	470.75	30
एनसीएल	उत्तर प्रदेश	—	—
	मध्य प्रदेश	—	—
		—	—
डब्ल्यूसीएल	मध्य प्रदेश	80	8
	महाराष्ट्र	—	—
		80	8
एसईसीएल	मध्य प्रदेश	—	—
	छत्तीसगढ़	0.74	10
		0.74	10
एमसीएल	उड़ीसा	—	—
एनईसी	असम	10	7
	कोल इंडिया	4158.59	134

एलएनजी का आयात

1264. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवैसी : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उर्वरक उद्योग के पास अपने संयंत्रों को चलाने हेतु एलएनजी की कमी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार अपने उर्वरक संयंत्रों को सुचारू रूप से चलाने हेतु एलएनजी का आयात करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या एलएनजी का आयात करने हेतु कोई प्रस्ताव तैयार किया गया है और मंजूरी हेतु सरकार के पास भेजा गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) : (क) से (छ) उर्वरक संयंत्र, जो फीडस्टॉक और ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस का उपयोग करते हैं, घरेलू गैस की घटती हुई आपूर्ति के कारण प्राकृतिक गैस की कमी का सामना कर रहे हैं।

तरलीकृत प्राकृतिक गैस सहित प्राकृतिक गैस का आयात, मुक्त सामान्य लाइसेंस (ओजीएल) के अधीन है अत: सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती। तथापि सरकार ने इंडियन आयल कारपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड और भारतीय गैस प्राधिकरण के संयुक्त उद्यम में पेट्रोनेट एल.एन.जी. लिमिटेड (पीएलएल) नामक कंपनी की स्थापना का अनुमोदन किया है। पीएलएल प्रतिवर्ष पांच मिलियन टन एलएनजी के आयात के लिए दाहेज, गुजरात में एक एलएनजी टर्मिनल स्थापित कर रही है। यह टर्मिनल वर्ष 2004 की प्रथम तिमाही तक आरंभ होने की संभावना है। पीएलएल की भी कोच्ची में एलएनजी टर्मिनल स्थापित करने की योजना है जिसके लिए लगभग सभी परियोजना पूर्व कार्यकलाप पूरे कर लिए गए हैं। आगे की प्रगति गैस के लिए बाजार समझौतों पर निर्भर करेगी।

दाहेज टर्मिनल से पुन: गैसीकृत एलएनजी उर्वरक संयंत्रों में गैस की कमी को पूरा करने के लिए भी उपलब्ध हो सकेगी।

हरित पट्टी क्षेत्र में डी डी ए द्वारा फ्लैटों का निर्माण

1265. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी** : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 जून, 2003 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में वसंत कुंज के हरित पट्टी क्षेत्र में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा फ्लैटों के निर्माण के संबंध में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या डी डी ए ने हरित पट्टी को आवासीय क्षेत्र में बदलने के लिए शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय तथा पर्यावरण और वन मंत्रालय से पूर्व स्वीकृति ले ली थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) से (ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि कथित क्षेत्र दिल्ली मास्टर प्लान, 2001 के अनुसार "ग्रामीण उपयोग जोन" में है। प्राधिकरण ने सार्वजनिक आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करके निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करने के बाद इस क्षेत्र का भू-उपयोग "ग्रामीण उपयोग जोन" से बदलकर रिहायशी, सार्वजनिक तथा अर्द्ध-सार्वजनिक और मनोरंजनात्मक करने के लिए यह मामला समुचित कार्रवाई हेतु सरकार के पास भिजवाया है। इस उद्देश्य के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है।

न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट

1266. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम मंत्रालय ने बागडिगी कोलियरी दुर्घटना के संबंध में न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर टिप्पणियां मांगी हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय ने उन पर अपनी टिप्पणियां अग्रेषित की हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या भावी कार्यवाही की जानी है?

कोयला मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, हां। बागडिगी जांच न्यायालय की सिफारिशों पर कोयला मंत्रालय की टिप्पणियां निम्नानुसार अग्रेषित की गई हैं:-

सिफारिश संख्या	सिफारिशें	टिप्पणियां
1	2	3
1.	पुरानी खदानों को पानी रहित करना	इस सिफारिश का अनुपालन करना व्यावहारिक नहीं होगा कि किसी भी खान की पुरानी खदानों में, विशेषकर निम्नलिखित मामलों में, कोई पानी एकत्रित नहीं होने दिया जाएगा। (क) ऐसी खानों में जहां डीजीएमएस ने आग के फैलाव को नियंत्रित करने के लिए कुछ निश्चित स्तर तक पानी भरे रहने की शर्तें निर्धारित की हैं। (ख) जहां कोल सीम को डिपिलर्ड किया जाता है, वहां खुदा हुआ स्थान स्वाभाविक प्रक्रिया के कारण पानी से भर सकता है। इस प्रकार डिपिलर्ड/गोफ्ड वाले क्षेत्र में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता है। (ग) बन्द पड़ी/परित्यक्त खदानों के मामले में, संस्तर से नैसर्गिक रूप से रिसन के कारण पानी के जमाव को रोका नहीं जा सकता है। कोयला खान विनियम, उस स्थिति में किए जाने वाले रक्षोपायों को निर्धारित करता है जब जल राशि आगे बढ़ रही हो और इनका वर्तमान में अनुपालन किया जाता है।
2.	बैरियरों/विभाजकों को सुदृढ़ बनाने के लिए नवीनतम भू-भौतिकीय पद्धतियों का अनुप्रयोग करना	बैरियर को सेफ्टी बोरिंग मशीनों द्वारा ड्रिल किए गए लम्बे बोर होल द्वारा सुदृढ़ किए जाने संबंधी सिफारिश का वर्तमान में अनुपालन किया जाता है। बैरियर की मोटाई को सुदृढ़ करने के लिए ग्राउन्ड पेनेट्रेशन राडार (जीपीआर) प्रणाली जैसी नवीनतम भू-भौतिकीय पद्धतियां अभी पूरी तरह स्थापित की जानी हैं। ज्योंही ये स्थापित कर ली जाएंगी उन्हें उन मामलों में अपनाया जा सकता है जहां मौजूदा खदान ''वाटर डेन्जर प्लान'' के अनुसार 120 मी. में सचेतक जोन में पहुच गई हों।
3.	एकल खान के लिए एजेन्ट तथा प्रबन्धक दोनों की प्रथा को बन्द करना	सी.आई.एल. की अधिकतर खानों में इस सिफारिश का अनुपालन किया जाता है। तथापि, बड़ी और जटिल खानों, भूमिगत और ओपनकास्ट दोनों, की स्थिति में उसमें अन्तर्ग्रस्त कार्य तकनीकी और प्रबन्धकीय दोनों, अत्यधिक होता है। ऐसे मामलों में बड़ी खानों को ठीक ढंग से संचालित करने में सहायता करने के लिए प्रबंधक के अतिरिक्त एजेन्ट को तैनात किया जाना अपेक्षित होता है
4.	कोल इंडिया लि. के प्रबंधन ढांचे के अनुसार आंतरिक सुरक्षा संगठन (आईएसओ) को	मुख्यालय में ईडी/सीजीएम (सुरक्षा एवं बचाव) की अध्यक्षता वाला एक बहु शाखीय आन्तरिक सुरक्षा संगठन (आई.एस.ओ.) कार्य कर रहा है। इन

1	2	3
	कार्यकारी शक्ति तथा बृहत्तर प्राधिकार प्रदान करना	विभागों के अधिकारी अलग-अलग अनुषंगियों के खानों का निरीक्षण करते हैं। पायी गई कमियों को इंगित किया जाता है और उल्लंघनों को दूर करने के लिए नियमित मानिटरिंग की जा रही है। अधिकारियों के लिए पदोन्नति से पूर्व सुरक्षा संबंधी प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रणाली पहले से ही प्रचलन में है।
5.	आवधिक जांच सर्वेक्षण करना	जांच सर्वे करने के लिए एरिया लेवल पर विशेष टीमों का गठन करने की सिफारिश सी.आई.एल. द्वारा क्रियान्वित करने के लिए विचाराधीन है।
6.	खान तथा डीजीएमएस स्तर पर सर्वेक्षण संगठन में सुधार करना	प्रबंधक को मदद करने के लिए सहायक प्रबंधक (सर्वेक्षण) की नियुक्ति संबंधी सिफारिश की सी.आई.एल. द्वारा जांच की जा रही है।
7.	पानी के रिसाव को रिकार्ड करने के लिए V-एनओटीसीएच की अवस्थापना करना	कोई टिप्पणी नहीं
8.	डीजीएमएस अधिकारियों द्वारा आम निरीक्षण	कोई टिप्पणी नहीं
9.	ट्रेड यूनियनों की बृहतर सकारात्मक भूमिका	कोई टिप्पणी नहीं

(घ) बागडिगी जांच न्यायालय की सिफारिशों पर कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कम्पनियों की कोयला खानों में क्रियान्वयन की कार्यवाही चल रही है।

[हिन्दी]

समुदाय आधारित केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं की प्रायोगिक परियोजनाएं

1267. श्री रामदास आठवले : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान बजट आबंटन में से किन जिलों में समुदाय आधारित केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं को शुरू किया गया;

(ख) महाराष्ट्र के कितने जिलों विशेषकर जनजातीय जिलों को उक्त योजना में शामिल किया गया है;

(ग) क्या सरकार का प्रस्ताव इस योजना को और जिलों विशेषकर जनजातीय जिलों तक ले जाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील) : (क) 67 क्षेत्र सुधार प्रयोगिक परियोजनाएं शुरू की गई। जिलावार तथा वर्षवार ब्यौरे विवरण में संलग्न है।

(ख) महाराष्ट्र में रायगढ़, नांदेड़ अमरावती तथा धूले जिलों में 4 क्षेत्र सुधार परियोजनाएं हैं।

(ग) और (घ) क्षेत्र सुधार परियोजनाओं के रूप में शुरू किए गए सुधार प्रयासों में समस्त देश को शामिल करने के लिए स्वजलधारा के रूप में बढ़ाया गया है। स्वजलधारा के अंतर्गत कवरेज के लिए, इकाई ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत या समस्त जिला हो सकती है।

विवरण

क्रमांक	जिले का नाम	राज्य का नाम
1	2	3
	1999-2000 के दौरान स्वीकृत परियोजनाएं	
1.	लोहित	अरुणाचल प्रदेश

1	2	3
2.	प. सियांग	अरुणाचल प्रदेश
3.	जोरहाठ	असम
4.	कामरूप	असम
5.	सोनितपुर	असम
6.	वैशाली	बिहार
	मेहसाना	गुजरात
8.	राजकोट	गुजरात
9.	सुरत	गुजरात
10.	करनाल	हरियाणा
11.	यमुनानगर	हरियाणा
12.	सिरमौर	हिमाचल प्रदेश
13.	श्रीनगर	जम्मू और कश्मीर
14.	उधमपुर	जम्मू और कश्मीर
15.	धनबाद	झारखंड
16.	बेल्लारी	कर्नाटक
17.	मंगलौर	कर्नाटक
18.	मैसूर	कर्नाटक
19.	कसारागोड	केरल
20.	ग्वालियर	मध्य प्रदेश
21.	सिहोर	मध्य प्रदेश
22.	अमरावती	महाराष्ट्र
23.	धुले	महाराष्ट्र
24.	नांदेड	महाराष्ट्र
25.	रायगढ़	महाराष्ट्र
26.	सरछिप	मिजोरम
27.	दीमापुर	नागालैंड
28.	भटिंडा	पंजाब
29.	मोगा	पंजाब
30.	अलवर	राजस्थान
31.	जयपुर	राजस्थान
32.	सीकर	राजस्थान
33.	द. सिक्किम	सिक्किम
34.	प. सिक्किम	सिक्किम
35..	कोयम्बटूर	तमिलनाडु
36.	कुड्डालौर	तमिलनाडु
37.	वेल्लौर	तमिलनाडु
38.	प. त्रिपुरा	त्रिपुरा
39.	चंदौली	उत्तर प्रदेश
40.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश
41.	मिर्जापुर	उत्तर प्रदेश
42.	सोनभद्र	उत्तर प्रदेश
	2000-2001 के दौरान स्वीकृत परियोजनाएं	
1.	चित्तूर	आंध्र प्रदेश
2.	खम्माम	आंध्र प्रदेश
3.	नलगोंडा	आंध्र प्रदेश
4.	प्रकाशम	आंध्र प्रदेश

1	2	3
5.	कोल्लम	केरल
6.	होशंगाबाद	मध्य प्रदेश
7.	नरसिंहपुर	मध्य प्रदेश
8.	रायसेन	मध्य प्रदेश
9.	बालासोर	उड़ीसा
10.	सुन्दरगढ़	उड़ीसा
11.	मुक्तसर	पंजाब
12.	पेरम्बलूर	तमिलनाडु
13.	आगरा	उत्तर प्रदेश
14.	मिदनापुर	प. बंगाल
15.	उ. 24 परगना	प. बंगाल
	2001-2002 के दौरान स्वीकृत परियोजनाएं	
1.	नेल्लोर	आंध्र प्रदेश
2.	दुर्ग	छत्तीसगढ़
3.	रि-भोए	मेघालय
4.	गंजम	उड़ीसा
5.	राजसमंद	राजस्थान
6.	हरिद्वार	उत्तरांचल
	2002-2003 के दौरान स्वीकृत परियोजनाएं	
1.	गुंटूर	आंध्र प्रदेश
2.	पू. गोदावरी	छत्तीसगढ़
3.	कांचीपुरम	मेघालय
4.	विरूधूनगर	उड़ीसा
	कुल स्वीकृत परियोजनाएं : 67	

[अनुवाद]

आपदा प्रबंधन समूह

1268. श्री बसुदेव आचार्य : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात भूकंप के पश्चात् गठित आपदा प्रबंधन समूह ने प्राकृतिक तथा मानव जनित आपदाओं का मुकाबला करने हेतु एक दीर्घावधि वाला दृष्टिकोण अपनाने तथा 500 करोड़ रुपए का कोष बनाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उच्च शक्ति प्राप्त समूह ने अक्टूबर 2001 के दौरान अपनी रिपोर्ट में विभिन्न आपदाओं से निपटने हेतु परियोजनाओं की तैयारी तथा वित्तीय सहायता की सिफारिश की है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) क्या सरकार ने देश में आपदा संभावित जिलों/क्षेत्रों की पहचान की है और यू एन डी पी के साथ समुदाय तैयारी परियोजना (कम्युनिटी प्रिपेयर्डनैस प्रोजेक्ट्स) भी चलाई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या अभी तक चक्रवात और भूकंप रोधी परियोजनाओं को नहीं चलाया गया है;

(ज) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(झ) दो विशेष बटालियन बनाने तथा उन्हें आपदा-पश्चात राहत के लिए प्रशिक्षित करने के लिए अभी तक क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्मयानन्द स्वामी) : (क) से (घ) सरकार द्वारा अगस्त, 1999 में गठित उच्च स्तरीय समिति ने अक्तूबर, 2001 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। समिति ने, अन्य बातों के साथ-साथ, 500 करोड़ रु. की समग्र निधि के साथ राष्ट्रीय आपदा निवारण न्यूनीकरण और तैयारी निधि स्थापित करने की सिफारिश की है। गुजरात भूकम्प के बाद फरवरी, 2001 में आपदा प्रबन्धन पर राष्ट्रीय समिति स्थापित की गयी थी और उच्च स्तरीय समिति को राष्ट्रीय

समिति को सहायता देने के लिए कार्यकारी ग्रुप में बदल दिया गया था। कार्यकारी ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट 4 जून, 2003 को प्रधानमंत्री को प्रस्तुत की। उच्च स्तरीय समिति/कार्यकारी ग्रुप द्वारा की गयी सिफारिशें आपदा न्यूनीकरण नीति बनाने और विकास योजनाओं के साथ इसका एकीकरण करने सहित संवैधानिक और कानूनी ढांचे, संगठनात्मक ढांचे, संस्थागत तंत्र, तैयारी, त्वरित कार्रवाई, रोकथाम और न्यूनीकरण से संबंधित है। इस बीच, सरकार ने, उच्च स्तरीय समिति द्वारा संस्तुत अनेक कदम पहले ही उठा लिए हैं। इन कदमों में राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन ढांचा तैयार करना शामिल है जिसमें, संस्थागत ढांचा, आपदा निवारण और न्यूनीकरण रणनीति, पूर्व चेतावनी प्रणालियां, तैयारी और मानव संसाधन विकास, अखिल भारतीय सेवा और केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों में भर्ती के उपरान्त प्रवेश प्रशिक्षण शामिल करने के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, विशेषज्ञता प्राप्त तलाशी और बचाव दलों का विकास, आपदा प्रबन्धन और जवाबी कार्रवाई योजना इत्यादि शामिल है।

(ङ) और (च) यू.एन.डी.पी. की सहायता से चलाया जा रहा आपदा जोखिम प्रबन्धन कार्यक्रम का उद्देश्य 17 राज्यों में 169 बहु खतरा प्रवण जिलों में पांच वर्षों की अवधि में आपदा निवारण और जवाबी कार्रवाई और बरामदगी के लिए क्षमता निर्माण सहित समुदाय आधारित आपदा तैयारी और खतरा न्यूनीकरण है।

(छ) और (ज) एक भूकम्प न्यूनीकरण परियोजना और चक्रवात न्यूनीकरण परियोजना तैयार की गई है और अनुमोदन के लिए योजना आयोग को भेजी गई है।

(झ) विशेषज्ञ बटालियनों के प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। बटालियनों का प्रशिक्षण हाल ही में शुरू हो गया है।

एन.एस.सी.एन. (के) और एन.एस.सी.एन. (आई.एम.) के साथ वार्ता

1269. श्री राम मोहन गाड्डे : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन.एस.सी.एन. के और एन.एस.सी.एन. (आई.एम.) के साथ शांति वार्ता प्रगति पर थी;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अरुणाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में आपरेशन हरिकेन शुरू किया है;

(घ) यदि हां, तो शांति वार्ता पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने इस मुद्दे पर अरुणाचल प्रदेश सरकार के साथ विचार-विमर्श किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी क्या परिणाम निकले; और

(छ) केन्द्र सरकार द्वारा राज्य में शांति स्थापित करने के लिए क्या अन्य कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्मयानन्द स्वामी) : (क) और (ख) भारत सरकार ने यद्यपि, एन.एस.सी.एन. (आई/एम) और एन.एस.सी.एन. (के) के साथ संघर्ष-विराम समझौता कर लिया है, केवल एन.एस.सी.एन. (आई/एम) के साथ वार्ता चल रही है।

(ग) से (च) अरुणाचल प्रदेश सरकार ने विद्रोह विरोधी अभियान शुरू करने के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों की मांग की थी। केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बल की तैनाती देश के विभिन्न भागों में व्यापत सुरक्षा परिदृश्य और इन बलों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। इस मुद्दे पर भारत सरकार और अरुणाचल प्रदेश सरकार के प्रतिनिधियों के बीच विचार-विमर्श हुआ है। कानून और व्यवस्था राज्य का विषय होने के कारण, विद्रोह विरोधी अभियानों के लिए समय निर्धारित करने का निर्णय राज्य सरकार पर छोड़ दिया गया है।

(छ) तिरप और चांगलांग जिले तथा असम की सीमा के साथ लगी अरुणाचल प्रदेश की 20 किलोमीटर पट्टी, 1972 में यथा संशोधित सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के अंतर्गत "विक्षुब्ध क्षेत्र" घोषित किए गए हैं। राज्य में विद्रोह से निपटाने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदमों में, अन्य बातों के साथ-साथ, अर्द्ध-सैनिक बल और सेना की तैनाती, विद्रोह विरोधी अभियानों हेतु सुरक्षा बलों द्वारा समन्वित कार्रवाई, राज्य सरकारों को सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति तथा राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण/उन्नयन शामिल हैं।

संसद सदस्यों के पत्रों का उत्तर

1270. श्री मानसिंह पटेल : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम केन्द्रीय सचिवालय के उन निर्देशों

का पालन करने में विफल रहा है जिसमें संसद सदस्यों के उल्लेखों का उत्तर समय पर देने के लिए कहा गया था;

(ख) क्या सरकार का विचार उन दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का है जिन्होंने ऐसे उल्लेखों का समय पर उत्तर देने संबंधी निर्देशों और संबंधित नियमों का पालन नहीं किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) निगम का संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों का संतोषजनक और समय पर उत्तर देने का निरन्तर प्रयास रहता है।

(ख) और (ग) निगम ने हाल ही में सरकार के नोटिस में ऐसा कोई मामला नहीं लाया है जिसमें संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों से निपटने संबंधी निर्धारित अनुदेशों को इसके किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा नहीं अपनाया गया हो।

भू-जल का पता लगाना

1271. श्री कालवा श्रीनिवासुलु : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छः राज्यों में राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अंतर्गत भू-जल संभावनाओं का पता लगाने का कार्य शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कार्यक्रम के क्या उद्देश्य हैं और प्रत्येक राज्य को कितनी निधियां आवंटित की गईं;

(ग) क्या इन मानचित्रों का आंध्र प्रदेश द्वारा प्रयोग किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इन मानचित्रों की उपयोगिता और उनसे प्राप्त परिणामों का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) कार्यक्रम के उद्देश्य हैं— (i) पेयजल स्रोत के लिए भावी स्थान का निर्धारण और (ii) स्रोत रिचार्ज के लिए भावी क्षेत्र। ब्यौरे नीचे दिए गए हैं—

क्रम सं.	राज्य का नाम	नक्शों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	247
2.	छत्तीसगढ़	202
3.	कर्नाटक	267
4.	केरल	67
5.	मध्य प्रदेश	458
6.	राजस्थान	482
	कुल	1723

यह परियोजना नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी को 13.09 करोड़ रु. की लागत पर दी गई थी। राज्यों को कोई निधियां आवंटित नहीं की गई थीं।

(ग) जी, हां।

(घ) पंचायती राज यांत्रिकी विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार, जो ग्रामीण क्षेत्रों को पेयजल की आपूर्ति करता है, ने स्रोत की पहचान करने और जल एकत्रीकरण संरचना का पता लगाने के लिए इन भू-जल संभावना नक्शों का उपयोग किया है। 650 बोरवेल्स की खुदाई की गई है जिसमें से 556 (87 प्रतिशत) सफल रहे हैं। 350 जल एकत्रीकरण ढांचा (डब्ल्यू.एच.एस.) बनाए गए हैं जिसने भू-जल स्तरों में सार्थक सुधार किये हैं और कुछ सूखे कुओं का भी पुनरुद्धार किया गया है।

बंजरभूमि का विकास

1273. श्री वी. वेत्रिसेलवन :
श्री श्रीनिवास पाटील :
श्री जी.जे. जावीया :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार बंजरभूमि की उत्पादकता में वृद्धि करने हेतु विभिन्न प्रौद्योगिकियों के अन्तर्गत प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) विभिन्न केन्द्र प्रायोजित परियोजनाओं के माध्यम से कृषि प्रयोजन हेतु देश में कितने क्षेत्रफल बंजरभूमि का विकास किया गया है;

(ग) क्या सरकार के पास बंजरभूमि के विकास की समयबद्ध योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या लोगों की भागीदारी की कमी के कारण समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अधिकतर परियोजनाओं के संबंध में अच्छी प्रगति नहीं हो रही है;

(च) यदि हां, तो इस समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(छ) क्या सरकार का विचार परियोजना को पूरा किए जाने के समय को पांच वर्ष से घटाकर तीन वर्ष करने का है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों के अंतर्गत अनुसंधान संस्थाओं/संगठनों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों ने विभिन्न प्रकार की बंजरभूमि तथा अवक्रमित भूमि की उर्वरता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकियां विकसित की हैं। कुछेक समस्याग्रस्त भूमि क्षेत्रों/बंजरभूमि क्षेत्रों के लिए तैयार की गई प्रौद्योगिकियों को दिखाने वाला विवरण-I संलग्न है। परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा चल रहे विभिन्न भूमि आधारित विकास कार्यक्रमों में संस्तुत प्रौद्योगिकियां अपनायी जाती हैं।

(ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय में भूमि संसाधन विभाग बंजरभूमि/अवक्रमित भूमि को विकसित करने के लिए तीन मुख्य क्षेत्र विकास कार्यक्रमों नामत: समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई. डब्ल्यू.डी.पी.), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) तथ मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) को वाटरशेड आधार पर कार्यान्वित कर रहा है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य भूमि अवक्रमण को रोकना तथा ऐसी भूमि को उत्पादनकारी उपयोग में लाना है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत 31 मार्च, 2003 तक 16.35 मिलियन हैक्टेयर बंजरभूमि क्षेत्र को शामिल करने के लिए परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) और (घ) भूमि अवक्रमण एक गतिशील प्रक्रिया है और यह अन्तर्निहित/आरोपित खमियों के कारण हो सकती है। बंजरभूमि के विकास के लिए काफी अधिक निधियों की आवश्यकता है। भूमि संसाधन विभाग के बंजरभूमि विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत और अधिक क्षेत्रों को शामिल करने हेतु बजट आवंटन बढ़ाने के लिए प्रयास किए गए हैं। वर्ष 1999-2000 में किए गए 324.00 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान की तुलना में वर्ष 2003-04 में इसे बढ़ाकर 1050.00 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

(ङ) और (च) ग्रामीण विकास मंत्रालय के वाटरशेड विकास कार्यक्रमों के लिए वर्ष 1994 में तैयार किए गए सामान्य मार्गदर्शी सिद्धान्तों (जो समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम के लिए भी लागू हैं) में वाटरशेड संघों, वाटरशेड समितियों, स्व-सहायता समूहों, प्रयोक्ता समूहों आदि के जरिए स्थानीय लोगों की सक्रिय भागीदारी की परिकल्पना की गई है। समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) के अंतर्गत वाटरशेड परियोजनाओं के मध्यावधिक मूल्यांकन तथा प्रभाव मूल्यांकन से परियोजनाओं के कार्यान्वयन में सभी स्तरों पर स्थानीय लोगों की भागीदारी का पता चला है। तथापि, समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वाटरशेड परियोजाओं के कार्यान्वयन में लाभभोगियों/लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 1.4.2003 से हरियाली नाम से एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य ग्राम सभा के मार्गदर्शन तथा नियंत्रण के तहत ग्राम पंचायत द्वारा वाटरशेड विकास परियोजनाओं की योजना बनाने, इन्हें कार्यान्वित करने और परियोजनाओं के अन्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों का रख-रखाव करने हेतु पंचायती राज संस्थाओं को प्रशासनिक तथा वित्तीय रूप से अधिकार सम्पन्न बनाना है।

(छ) से (झ) जी, नहीं। वाटरशेड विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विभिन्न चरण शामिल हैं, नामत: प्रारंभिक तथा आयोजना चरण, इनमें समुदाय संगठन, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण शामिल हैं, कार्यान्वयन चरण में वाटरशेड में विभिन्न कार्यकलापों का कार्यान्वयन शामिल है तथा अनुरक्षण चरण विशेष रूप से पौधरोपण के लिए होता है। अत: वाटरशेड परियोजना के कार्यान्वयन के लिए पांच वर्ष की अवधि एक युक्तिसंगत अवधि है।

विवरण-I

बंजरभूमि की मुख्य श्रेणियों के लिए प्रौद्योगिकियों का ब्यौरा

भूमि स्थिति और बंजरभूमि के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने अपने विभिन्न अनुसंधान संगठनों नामत: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और अन्य संगठनों के जरिए विभिन्न प्रकार की अवक्रमित भूमि/बंजरभूमि की उर्वरता और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए उचित प्रौद्योगिकियां विकसित की हैं। कृषि योग्य बंजरभूमि की प्रमुख श्रेणियों के लिए विकसित की गई कुछेक प्रौद्योगिकियां निम्नानुसार हैं :-

1. **रेतीला क्षेत्र :**

रेतीले क्षेत्र की समस्या से निपटने हेतु जो प्रौद्योगिकियां विकसित की गई हैं उसमें ठूंठीदार पतवार लगाना, पट्टीदार खेती करना, घास उगाना, शुष्क और अर्द्ध शुष्क क्षेत्रों के लिए सुरक्षा पट्टियों और वायु अवरोधकों की व्यवस्था करना तथा तटीय रेतीले क्षेत्र की लवणीय भूमि में उगने वाले (हेलोफाइटिक) पौधे लगाना शामिल हैं।

2. **झाड़ीयुक्त और झाड़ीरहित भूमि/शीट कटाव क्षेत्र :**

अधिक से अधिक अन्त: रिसाव और जल एकत्रण के द्वारा पानी के प्रवाह को कम करने के लिए भूमि को समरूप/समतल बनाना, मोड़बांध बनाना, क्रमबद्ध सीढ़ियां बनाना और खाइयां खोदना, रोक बांध बनाना आदि तकनीकें विकसित की गई हैं। अवक्रमित क्षेत्रों के लिए कृषि वानिकी प्रणालियों के द्वारा उनके संरक्षण, सुधार और उनकी उच्च उत्पादन क्षमता हेतु विभिन्न उपयुक्त प्रौद्योगिकियों का विकास किया गया है।

3. **झूम खेती वाले क्षेत्र :**

झूम खेती को रोकने के लिए निचले ढलानों में कृषि के लिए भूमि प्रयोग, मध्यम ढलानों में बागवानी फसलों और ऊपरी सतहों पर घास और वानिकी के द्वारा भूमि के उचित इस्तेमाल की प्रणाली विकसित की गई है। समोच्च (कंटुअर) बांध, बैंचदार सीढ़ियां, अर्द्धचन्द्राकार सीढ़ियां, घासयुक्त जलमार्ग और सिल्टिंग बेसिन होना संरक्षण हेतु आवश्यक उपाय हैं।

4. **लवण प्रभावित मृदा वाली भूमि :**

(क) **क्षारीय मृदा :** बांध बनाना और समतलीकरण, सुनिश्चित सिंचाई, भूतल जल निकासी, जिप्सम और पाइराइट का प्रयोग और तत्पश्चात विक्षालन (लीचिंग) एवं फसल उत्पादन।

(ख) **लवणीय मृदा :** भूमि समतलीकरण और तलसंतुलन, भूतल जल निकासी, फसल प्रबंधन और वृक्षारोपण के लिए वेधनी द्वारा गड्ढा खोदने की तकनीक।

(ग) **अम्लीय मृदा :** चूने की आवश्यकता के आधार पर चूना/डोलोमाइट मिलाकर सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया है।

5. **जलाक्रांत क्षेत्र :**

जलाक्रांत क्षेत्र के विकास के लिए भूतल जल निकासी, अन्त: सतह जल निकासी प्रणाली तथा जैव निकासी का सफलतापूर्वक प्रर्दशन किया गया है।

6. **खड्ड युक्त/बीहड़ी क्षेत्र :**

भूमि समतलीकरण/सीढ़ी बनाना, समोच्च/क्रमबद्ध पुश्ते बनाना, अवनालिका शीर्ष नियंत्रण ढांचे, लूज बोल्डर ढांचे इत्यादि की सिफारिश की गई है। पर्वतीय क्षेत्रों में भू-स्खलन, वेगधारायों और खदान के कारण होने वाले धसाव को रोकने में बेलनाकार टो दीवार, पर्वत स्कंध, ढलान वाले (ड्राप) ढांचे, घास-पात लगाना, समोच्च वाटलिंग, वृक्षारोपण और संरक्षण के जैव इंजीनियरी उपाय सफल सिद्ध हुए हैं।

7. **खदान प्रभावित क्षेत्र :**

पौध रोपण, जैव उर्वरकों का प्रयोग, बुरादा, फ्लाई ऐश, जिप्सम, एफ.वाई.एम. और कृषि खाद द्वारा खाली क्षेत्र का भराव, राख कुंडों में ठोस अपषिष्ट कम्पोस्ट का प्रयोग, औद्योगिक अपशिष्ट एवं उपोत्पाद का इस्तेमाल और हाईटैक सीवेज फार्म इत्यादि का खनन प्रभावित क्षेत्रों के पुनरोद्धार करने के लिए सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया गया है।

विवरण-II

भूमि संसाधन विभाग के विभिन्न वाटरशेड विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत वर्ष 1995-96 से 2002-03 तक शामिल किए गए क्षेत्र को दिखाने वाला विवरण

(क्षेत्र लाख हैक्टेयर में)

क्रम सं.	राज्य	आई.डब्ल्यू. डी.पी.	डी.पी. ए.पी.	डी.डी.पी.	योग
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	3.679	14.830	2.762	21.271
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.639	–	–	0.639
3.	असम	2.897	–	–	2.897
4.	बिहार	0.090	1.175	–	1.265
5.	छत्तीसगढ़	0.991	3.265	–	4.256
6.	गुजरात	2.551	6.795	8.380	17.726
7.	हरियाणा	0.477	–	3.270	3.747
8.	हिमाचल प्रदेश	2.449	1.190	1.855	5.494
9.	जम्मू और कश्मीर	0.574	1.370	2.680	4.624
10.	झारखंड	0.247	4.095	–	4.342
11.	कर्नाटक	2.336	6.930	4.16	13.426
12.	केरल	0.295	–	–	0.295
13.	मध्य प्रदेश	3.208	10.430	–	13.638
14.	महाराष्ट्र	2.131	11.055	–	13.186
15.	मणिपुर	1.189	–	–	1.189
16.	मेघालय	0.347	–	–	0.347
17.	मिजोरम	1.538	–	–	1.538
18.	नागालैण्ड	2.359	–	–	2.359
19.	उड़ीसा	2.135	3.420	–	5.555
20.	पंजाब	0.147	–	–	0.147
21.	राजस्थान	2.317	3.400	18.465	24.182
22.	सिक्किम	0.780	–	–	0.780
23.	तमिलनाडु	1.722	4.520	–	6.242
24.	त्रिपुरा	0.194	–	–	0.194
25.	उत्तर प्रदेश	4.105	5.330	–	9.435
26.	उत्तरांचल	1.133	2.260	–	3.393
27.	पश्चिमी बंगाल	0.055	1.275	–	1.330
	योग	40.585	81.340	41.572	163.497

ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल के लिए नई योजनाएं

1274. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधाओं में सुधार के लिए तीन योजनाओं को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं के अंतर्गत जिलावार कितने हैंडपम्प लगाने, कितने स्कूलों तथा कितने परंपरागत स्रोतों को सम्मिलित करने की संभावना है; और

(ग) इन योजनाओं के कब तक कार्यान्वित हो जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वर्ष 2003-04 और 2004-05 के दौरान एक लाख हैंडपम्प लगाने, एक लाख पारंपरिक जल स्रोतों को पुनः चालू

करने और एक लाख प्राथमिक विद्यालयों को पेयजल सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है। धनराशि राज्यों को आबंटित की जाती है और योजनाओं का जिलावार वितरण राज्य सरकारों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की जरूरतों के अनुसार किया जाता है।

[हिन्दी]

एमसीडी में भ्रष्टाचार

1275. श्री शिवाजी माने :
श्री लक्ष्मण गिलुवा :

क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली नगर निगम में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार व्याप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कितने अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए और कितने बर्खास्त किए गए हैं; और

(घ) दिल्ली नगर निगम से भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) और (ख) कुछ इक्का-दुक्का मामले ऐसे हैं जिनमें दिल्ली नगर निगम के कुछेक कर्मचारियों के भ्रष्ट तरीकों में संलिप्त होने का पता चला है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान जुलाई, 2000 से जून, 2003 तक उनके भ्रष्टाचार के मामलों में संलिप्त होने के कारण 14 कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त किया गया अथवा सेवा से हटाया गया अथवा उनकी सेवाएं समाप्त की गई।

(घ). निगम में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए किए गए उपायों में इसकी कार्य प्रणाली में अधिक पारदर्शिता लाना शामिल है।

स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन

1276. श्री हरीभाऊ शंकर महाले : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख के अनुसार गोवा स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन जारी करने के कितने मामले लंबित हैं;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा गोवा स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन जारी करने में ढील बरती जा रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में ढील बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्मयानन्द स्वामी) : (क) गोवा मुक्ति आन्दोलन, चरण-II (1954-55) के संबंध में 1392 मामलों में से, जिनमें संबंधित राज्य सरकारों से रिपोर्ट प्राप्त हो गई हैं, आज की तारीख तक केवल 255 मामले (गोवा से 99 मामले, महाराष्ट्र से 153 मामले, हरियाणा से 01 मामला तथा उत्तर प्रदेश से 02 मामले) निर्णय हेतु लंबित हैं।

(ख) से (घ) जी नहीं, श्रीमान। मंत्रालय के किसी भी कर्मचारी की ओर से कोई ढील नहीं बरती जा रही है। इस प्रकार सरकार का किसी कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना के तहत स्वतंत्रता सैनिकों के दावों पर विचार करना एक सतत प्रक्रिया है। राज्य सरकारों द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित तथा अनुशंसित मामले, जो हर दृष्टिकोण से पूर्ण हैं, उनकी प्राप्ति के 45 दिनों के भीतर निपटाने हेतु हरेक प्रयास किए जाते हैं।

[अनुवाद]

दिल्ली विकास प्राधिकरण के आबंटियों द्वारा फ्लैटों की वापसी

1277. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री चन्द्र नाथ सिंह :

क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वारका और रोहिणी में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित फ्लैटों के आबंटी अपने आबंटित फ्लैटों को वापस कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या आबंटियों को उन्हीं स्थानों पर ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों (सीजीएच) के बेहतर फ्लैट मिल रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए हैं/कर रही है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पौन राधाकृष्णन) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि रोहिणी के फ्लैटों का आबंटन अभी नहीं किया गया है। रोहिणी एचआईजी आवास स्कीम, 2003, 15.7.2003 को बंद की गई हैं और फ्लैटों के आबंटन का ड्रॉ अगस्त 2003 में निकाला जाएगा। द्वारका में 12.3.2003 को आबंटित 940 एचआईजी श्रेणी के फ्लैटों में से 551 फ्लैट आबंटियों द्वारा वापस कर दिए गए हैं।

(ग) से (च) आबंटियों द्वारा फ्लैट वापस करने का एक कारण आवास सेक्टर में मुक्त खरीद फरोक्त की स्थिति होने के कारण कई विकल्प उपलब्ध होना सकता है। बाजार जिसमें अब विक्रेता की मुख्य भूमिका नहीं रही है, इस स्थिति में आवास की मांग पूरी करने के विभिन्न विकल्पों को दिल्ली विकास प्राधिकरण ध्यान में रख रहा है।

अपराह्न 12.02 बजे

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

उपप्रधानमंत्री तथा गृह मंत्रालय तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रभारी (श्री लालकृष्ण आडवाणी) : महोदय, मैं केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 की धारा 18 की उपधारा (3) के अंतर्गत विशेष सेवा ब्यूरो, सहायक कमांडेंट समूह 'क' (सामान्य ड्यूटी) पद भर्ती नियम, 2002 जो 28 जून, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 242 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिये* संख्या एल.टी. 7824/2003]

श्रम मंत्री (डा. साहिब सिंह वर्मा) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 97 की उपधारा (4) के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) (संशोधन) विनियम, 2003 जो 19 अप्रैल 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एन.-12/13/3/2002-पी एंड डी: में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिये* संख्या एल.टी. 7825/2003]

(2) (एक) सेन्ट्रल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन, नागपुर के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन को एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन, नागपुर के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिये* संख्या एल.टी. 7826/2003]

[हिन्दी]

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उपधारा (3) के अंतर्गत केन्द्रीय शुक्षुता परिषद (संशोधन) नियम, 2003 जो 24 मई, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 216 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 34 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 217 जो 24 मई, 2003 के भारत के राजपत्र-में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें यह निदेश दिया गया है कि स्थायी अथवा विशेष समितियों के कृत्य

परिषद द्वारा भी निष्पादित किए जा सकेंगे तथा समितियों के गठन का कार्य भी अध्यक्ष द्वारा किया जा सकेगा, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिये* संख्या एल.टी. 7827/2003]

(व्यवधान)

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, ट्रावणकोर लिमिटेड तथा उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2003-2004 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 7828/2003]

(2) मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड तथा उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2003-2004 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 7829/2003]

[अनुवाद]

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : महोदय, मैं दिल्ली के लिए मास्टरप्लान 2021 के संबंध में मार्गदर्शक सिद्धांतों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिये* संख्या एल.टी. 7830/2003]

(व्यवधान)

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : महोदय, मैं अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) संशोधन नियम, 2003 जो 5 अप्रैल, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 142 में प्रकाशित हुए थे।

(2) भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) संशोधन नियम, 2003 जो 5 अप्रैल, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 143 में प्रकाशित हुए थे।

(3) भारतीय वन सेवा (भर्ती) संशोधन नियम, 2003 जो 5 अप्रैल, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 144 में प्रकाशित हुए थे।

(4) भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) संशोधन नियम, 2003 जो 28 मई, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 438(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। *देखिये* संख्या एल.टी. 7831/2003]

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :-

(1) (एक) नेशनल म्यूजियम इंस्टिट्यूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स, कन्जर्वेशन एंड म्यूजिओलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल म्यूजियम इंस्टिट्यूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स, कन्जर्वेशन एंड म्यूजिओलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिये* संख्या एल.टी. 7832/2003]

[अनुवाद]

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल रखता हूं :-

(1) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर (संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 1 की उपधारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 498 (अ), जो 6 मई, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 6 मई, 2003 को उस तारीख के रूप में नियत किया गया है जिस तारीख को उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 की धारा 3 की उपधारा (2 और 2क) और धारा 16 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 499 (अ), जो 6 मई, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट उपकर की संशोधित दर और प्रतिदिन 10 किलोलीटर से कम पानी की खपत करने वाले सभी उद्योगों को कतिपय शर्तों के अध्यधीन उपकर के उद्‌ग्रहण से छूट देने के बारे में है की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। *देखिये* संख्या एल.टी. 7833/2003]

(3) एनीमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, चेन्नई के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिये* संख्या एल.टी. 7834/2003]

(4) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(5) उपर्युक्त (4) उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिये* संख्या एल.टी. 7835/2003]

अपराह्न 12.04 बजे

[हिन्दी]

रक्षा संबंधी स्थायी समिति

विवरण

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) 'रक्षा के संबंध में श्रम शक्ति योजना और प्रबंधन नीति' विषय पर रक्षा संबंधी स्थायी समिति (तेरहवीं लोक सभा) के बारहवें प्रतिवेदन तेहरवीं लोक सभा में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में समिति के सत्रहवें प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाले विवरण; और

(2) रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2002-2003 की अनुदानों की मांगों के संबंध में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (तेरहवीं लोक सभा) के सोलहवें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में समिति के अठारहवें प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाले विवरण।

अपराह्न 12.04½ बजे

[अनुवाद]

वक्फ बोर्डों के कार्यकरण के बारे में संयुक्त संसदीय समिति

सातवां और आठवां प्रतिवेदन

श्री अली मोहम्मद नायक (अनंतनाग) : महोदय, मैं वक्फ बोर्डों के कार्यकरण के बारे में संयुक्त संसदीय समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) गोवा वक्फ अधिनियम, 1995 के कार्यान्वयन संबंधी सातवां प्रतिवेदन; और

(2) महाराष्ट्र में वक्फ अधिनियम, 1995 के कार्यान्वयन संबंधी आठवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.05 बजे

[अनुवाद]

मंत्री द्वारा वक्तव्य

अखनूर में सेना शिविर पर आतंकवादियों द्वारा हमले की घटना

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब श्री जार्ज फर्नान्डीज—अखनूर में सेना शिविर पर आनंकवादियों द्वारा किये गये हमले के बारे में वक्तव्य देंगे।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : **महोदय, हम बहिर्गमन कर रहे हैं क्योंकि हम रक्षा मंत्री का बहिष्कार कर रहे हैं।**

अपराह्न 12.05½ बजे

तत्पश्चात श्री प्रियरंजन दासमुंशी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्रीजी, आप अपना वक्तव्य सभा पटल पर रख सकते हैं।

(व्यवधान)

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : अध्यक्ष महोदय, मैं जम्मू-कश्मीर में टांडा सैनिक छावनी (अखनूर) में आतंकवादी हमले की घटना के बारे में एक वक्तव्य* सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं 22 जुलाई, 2003 को जम्मू-कश्मीर के अखनूर में टांडा छावनी में हुए दुर्भाग्यपूर्ण आतंकवादी हमले की घटना के बारे में सदन को बताना चाहता हूं। मैंने 23 जुलाई, 2003 को घटनास्थल का दौरा किया है।

22 जुलाई, 2003 को लगभग 0550 बजे तीन आतंकवादी, जिनमें से एक सिविल पोशाक में था तथा दो आतंकवादी खाकी टोपी पहने योधी वर्दी (एक आतंकवादी पाकिस्तान की सेना के लेफ्टिनेंट की स्कन्धिका तथा जांबाज चिहन धारण किए हुए था) में थे, टांडा छावनी के ई एम ई बटालियन गेट के सामने एक सिविल ट्रक से उतरे। गेट पर तैनात संतरी ने उन्हें उसी समय ललकारा और उनपर गोलीबारी की। एक आतंकवादी मौके पर ही मारा गया तथा इसके बाद हुई गोलीबारी में एक संतरी शहीद हो गया और एक संतरी घायल हो गया। अन्य आतंकवादी संतरी की गोलीबारी से बच निकले तथा ग्रेनेड फेंकते हुए एवं अंधाधुंध गोलाबारी करते हुए यूनिट लाइन्स में घुस गए। इस गोलीबारी में दो जूनियर कमीशनप्राप्त अफसर तथा अन्य रैंक के चार कर्मी शहीद हो गए तथा दो जूनियर कमीशनप्राप्त अफसर और अन्य रैंक के चार कर्मी घायल हो गए। यूनिट के त्वरित प्रतिक्रिया दल ने दूसरे आतंकवादी को मार गिराया।

0630 बजे तक पड़ोसी यूनिटों के त्वरित प्रतिक्रिया दल भी घटना स्थल के लिए रवाना कर दिए गए थे। इस क्षेत्र की 1030 बजे तक गहन खोजबीन की गई। स्थानीय विरचनाओं के वरिष्ठ अफसरों के पर्यवेक्षण में यूनिट लाइनों और उसके आस-पास के इलाके की तलाशी लेने के पश्चात यह अनुमान लगाया गया कि अब यह इलाका आतंकवादियों से मुक्त कर दिया गया है।

लगभग 1300 बजे लेफ्टिनेंट जनरल हरी प्रसाद, जी ओ सी-इन-सी, उत्तर कमान और लेफ्टिनेंट जनरल टीपीएस बरार, जी ओ सी, 16 कोर ने अपने स्टाफ अफसरों के साथ स्थिति की समीक्षा करने के लिए घटनास्थल का दौरा किया। जब ये अफसर इस क्षेत्र से गुजर रहे थे तो एक आतंकवादी यूनिट लाइनों से होकर जाने वाले नाले की झाड़ियों में से निकला और उसने उन पर दो ग्रेनेड फेंके। इस आतंकवादी ने बाद में अपने आपको गोला-बारुद से उड़ा दिया। यद्यपि जी ओ सी-इन-सी, उत्तर कमान और कोर कमांडर सहित सात अफसरों को ग्रेनेड के विस्फोटों से मामूली चोटें आई जबकि ई एम ई, 16 कोर के उप निदेशक ब्रिगेडियर वी.के. गोविल को आई चोटों के कारण उनकी बाद में 1630 बजे मृत्यु हो गई।

आतंकवादी हमले के परिणामस्वरूप सेना के आठ कार्मिक (एक अफसर, दो जूनियर कमीशन प्राप्त अफसर और पांच अन्य रैंक) शहीद हुए और तेरह (सात अफसर, दो जूनियर कमीशनप्राप्त अफसर और चार अन्य रैंक) घायल हो गए। सभी तीनों आतंकवादी मारे गए और तीन ए के राइफलें और तीन पिस्तौलें बरामद की गई। जिस ट्रक में आतंकवादी आए थे उसके ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है।

---

*सभा पटल पर रखा गया।
(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7835ए/2003)

[श्री जार्ज फर्नान्डीज]

'जम्मू कश्मीर' में अलशुहदा ब्रिगेड नामक एक ऐसे उग्रवादी गुट, जिसके बारे में कम ही जानकारी है, ने इस हमले की जिम्मेदारी यह कहते हुए ली है कि 'शिविर पर यह हमला भारत आए हुए पाकिस्तानी विपक्षी नेता मौलाना फजलुर रहमान की इस टिप्पणी के विरोध में किया गया था कि नियंत्रण-रेखा को स्थायी सीमा में बदल दिया जाना चाहिए और कश्मीर मुद्दे को शिमला समझौते के अनुसार हल किया जाना चाहिए।' तीनों आतंकवादियों की अब तक पहचान नहीं हो पायी है।

मैं सदन को बताना चाहूंगा कि आसूचना संबंधी सूचनाएं इकट्ठा करके, सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ करके, गश्त बढ़ा करके तथा त्वरित प्रतिक्रिया दल तैनात करके अतिसंवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपाय किए गए हैं। मौजूदा सुरक्षा उपायों के अलावा, आतंकवादी हमलों का कारगर ढंग से सामना करने के लिए विशेष रणनीतियां बनाई जा रही हैं।

मैं माननीय सदस्यों को यह भी बताना चाहूंगा कि घटना की जांच करने के आदेश पहले ही दे दिए गए हैं। मैं सदन को यह आश्वासन देना चाहूंगा कि यदि सेना द्वारा की गई सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की चूक का पता चलता है तो इसके लिए जिम्मेवार सैन्य कार्मिकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं शून्यकाल को नहीं ले रहा हूं क्योंकि यह संभव नहीं है।

अब सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.06 बजे

तत्पश्चात लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.00 बजे

लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत् हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

अपराह्न 2.01 बजे

(इस समय श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट हो गए)।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी-अपनी जगह पर बैठिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बहुत महत्वपूर्ण संविधान संशोधन विधेयक है। कृपया अपनी-अपनी जगह पर बैठिए।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र) : अध्यक्ष महोदय, मुझे मुम्बई ब्लास्ट के बारे में सदन में निवेदन करना है। कृपया मुझे बोलने की अनुमति प्रदान करें।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री चन्द्रकांत खैरे जी आप बोलिए।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रकांत खैरे : अध्यक्ष महोदय, मुम्बई के घाटकोपर उपनगर में सोमवार को रात करीब 9.05 बजे बम विस्फोट हुआ जिससे तीन लोग मौके पर ही मारे गए और अनेक घायल हो गए। वहां ला एंड आर्डर की स्थिति पूरी तरह खत्म हो चुकी है। आतंकवादी लोग कहीं भी स्वतंत्र रूप से खुले घूमते रहते हैं। घाटकोपर की इस घटना में 25-30 आदमी घायल हुए हैं।...*(व्यवधान)* मुम्बई हिन्दुस्तान की कैपीटल है। वहां यदि इस प्रकार से बम विस्फोट होते रहेंगे, तो जनता में भय व्याप्त हो जाएगा जैसा इस घटना से हो गया है। वहां की जनता भयभीत है। आतंकवादियों की साजिश पूरे महाराष्ट्र में चल रही है।...*(व्यवधान)* इस घटना की जिम्मेदारी एक आतंकवादी संगठन ने ली है। आपके माध्यम से मेरी केन्द्र सरकार से, आदरणीय आडवाणी जी, उप प्रधान मंत्री और गृह राज्य मंत्री जी से विनती है कि वे ऐसी घटनाओं पर शीघ्र अंकुश लगाएं। आतंकवादियों को इस प्रकार से पूरे हिन्दुस्तान में कहीं भी खुले घूमने नहीं दिया जाना चाहिए। हो सकता है, ऐसा स्थानीय नागरिकों की मिलीभगत से हो रहा हो।...*(व्यवधान)* महोदय, पाकिस्तान से दोस्ती का हाथ बढ़ाए जाने का उत्तर हमें ठीक प्रकार से नहीं मिल रहा है। हम तो पाकिस्तान से दोस्ताना संबंध बनाना चाहते हैं, लेकिन वह हमारी सद्भावना का उत्तर हमें आतंकवाद की

घटनाओं से दे रहा है। हमारे नेता ने कहा है कि गोली का जवाब गाली से देना चाहिए।...*(व्यवधान)* आज पूरी मुम्बई बन्द है। मुम्बई की सारी जनता अत्यन्त भयभीत है। मेरी आडवाणी जी से विनती है कि इस घटना की उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए।

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं कि आपने मुझे मुम्बई बम-विस्फोट की घटना पर अपनी बात कहने का अवसर प्रदान किया। घटकोपर क्षेत्र, जहां यह बम-विस्फोट हुआ है, मेरे मतदान क्षेत्र में आता है। मुझे आपने सदन में जनता की आवाज उठाने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : दूरदर्शन से सीधा प्रसारण बन्द कर दिया जाए।

श्री किरीट सोमैया : महोदय, मुंबई में पिछले आठ महीने में यह पांचवीं घटना है। मेरे मतदान क्षेत्र में यह तीसरा बम विस्फोट हुआ। मुंबई के सभी गुजराती और मराठी भाषी विभागों को टारगेट किया जा रहा है। मुलुंड, घाटकोपर, मुंबई सेंट्रल, विलेपारले, इसका अर्थ क्या है? महाराष्ट्र के उप मुख्य मंत्री जी स्टेटमेंट करते हैं कि कश्मीर में आतंकवाद है तो मुंबई में भी यही होगा। मैं इतना गैर-जिम्मेदाराना स्टेटमेंट करने वाले राज्य सरकार से एक्सप्लेनेशन की मांग करता हूं।

महोदय, केन्द्र सरकार को एक स्पेशल टास्क फोर्स की रचना करके यह ढूंढना चाहिए कि इसके पीछे क्या है। बम विस्फोट करने वाले दुबई और आईएसआई के लोग हैं, किन्तु इम्प्लीमेंट करने वाले मुंबई के स्थानीय लोग हैं, इनके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए।...*(व्यवधान)* आप जानते हैं कि घाटकोपर बम विस्फोट हुए और जिन्हें पकड़ा गया वे छूट गए। वे पुलिस के हाथ से भाग निकले, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? राज्य सरकार कहती है कि हम कुछ नहीं कर सकते, यह होता रहेगा।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.06 बजे

[अनुवाद]

सरकारी विधेयक - पुर:स्थापित

(एक) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक

अध्यक्ष महोदय : सभा अब विधायी कार्य पर चर्चा करेगी।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : अध्यक्ष महोदय, आप इस तरह सदन की कार्यवाही का संचालन कैसे कर पाएंगे?

अध्यक्ष महोदय : मद सं. 14, श्री अरुण जेटली विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति हेतु प्रस्ताव करेंगे।

(व्यवधान)

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कृषि और प्रसम्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 तथा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात उपकर अधिनियम, 1985 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्रधिकरण अधिनियम, 1985 तथा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात उपकर अधिनियम, 1985 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकार हुआ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, अब विधेयक पुर:स्थापित करेंगे।

(व्यवधान)

श्री अरुण जेटली : महोदय, मैं विधेयक पुन:स्थापित करता हूं।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : अध्यक्ष महोदय, आप इस कोलाहल में विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति कैसे दे सकते हैं?

अपराह्न 2.07 बजे

[अनुवाद]

(दो) कारखाना (संशोधन) विधेयक

अध्यक्ष महोदय : मद सं. 15, डा. साहिब सिंह वर्मा विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति हेतु प्रस्ताव करेंगे।

[हिन्दी]

श्रम मंत्री (डा. साहिब सिंह वर्मा) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कारखाना अधिनियम, 1948 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कारखाना अधिनियम, 1948 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, अब विधेयक पुर:स्थापित करेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. साहिब सिंह वर्मा : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जगमोहन को बर्खास्त करने का सवाल ही पैदा नहीं होता।...*(व्यवधान)* इस तरह हाउस और वैल में आने से जगमोहन जी या किसी मिनिस्टर को बर्खास्त कर दिया जाए, इसका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपनी-अपनी जगह पर जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह बात ठीक नहीं है, पूरा देश इस तरफ देख रहा है। देश के नागरिक को यह मान्य नहीं है, आप जिस तरीके का बर्ताव यहां कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने यहां भूमिका क्लियर की है कि बर्खास्त करने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप प्रधानमंत्री जी से चर्चा कर सकते हैं, सदन में इस तरह नहीं कर सकते।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपनी-अपनी जगहों पर जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : अध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति में विधेयक कैसे पुर:स्थापित किये जा सकते हैं?

(व्यवधान)

अपराह्न 2.09 बजे

[अनुवाद]

नियम 377 के अधीन मामले*

अध्यक्ष महोदय : मद सं. 16, नियम 377 के अधीन मामले। आज के लिए सूचीबद्ध किये गये सभी मामलों को सभा पटल पर रखा गया, माना जायेगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

(एक) चण्डीगढ़ में स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान में बाह्य रोगियों और सामान्य वार्ड के रोगियों से चिकित्सा शुल्क न लिए जाने की आवश्यकता

श्री सुरेश चंदेल (हमीरपुर, हि.प्र.) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ की ओर आकर्षित

---

*सभा पटल पर रखे माने गए।

करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर भारत का यह एकमात्र ऐसा विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने वाला संस्थान है, जो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल आदि राज्यों के लोगों को अपनी सेवायें देता है, लेकिन वर्ष 1995 से लगातार वहां गरीब एवं बेबस लोगों से चिकित्या सेवा के बदले शुल्क वसूला जा रहा है। इससे पहले ओ.पी.डी. एवं जनरल वार्ड के मरीजों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता था और केवल विशेष जांच आदि के ही चार्ज लिए जाते थे, लेकिन अब ओ.पी.डी एवं जनरल वार्ड के मरीजों से ही चिकित्सा शुल्क लिया जा रहा है। लगभग 10 वर्षो पूर्व इस संस्थान में शल्य चिकित्सा (आपरेशन) कराने हेतु आए मरीजों से केवल शल्य क्रिया का शुल्क जमा कराया जाता था। उसके बाद ऑपरेशन में काम आने वाली बेहोशी की दवायें, इंजेक्शन, ब्लेड, टांके लगाने हेतु धागे आदि सभी आवश्यक सामग्री एवं उपकरण संस्थान की ओर से उपलब्ध कराये जाते थे। लेकिन अब ऑपरेशन फी के साथ-साथ इन सब चीजों को भी मरीजों से मंगाया जाता है, जिसके कारण गरीब लोग वहां इलाज नहीं कराते और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा अनुसंधान संस्थान दिल्ली में चिकित्सा कराने आते हैं। इससे जहां एक ओर दिल्ली में ए.आइ.आइ.एम.एस. पर दबाव बढ़ रहा है वहीं गरीब लोगों को अपने घरों से दूर आकर दिल्ली में इलाज कराना पड़ रहा है। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि वे दिल्ली के भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की तरह वहां ओ.पी.डी. एवं जनरल वार्ड के मरीजों से कोई चिकित्सा शुल्क न लेने के निर्देश दें।

(दो) झारखण्ड में स्वर्णरेखा नदी पर दुलमी घाट और पश्चिम बंगाल में डेंग डांग घाट के बीच पुल का निर्माण कराए जाने की आवश्यकता

श्री राम टहल चौधरी (रांची) : अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र रांची में बहने वाली स्वर्ण रेखा नदी के दुलमी घाट से पश्चिम बंगाल के पुरुलिया के डेंग डांग घाट तक यहां के स्थानीय लोगों द्वारा अपनी मेहनत और पैसे से एक लकड़ी का पुल बनाया हुआ है और इस पर सरकार की कोई धनराशि नहीं लगी हुयी है, जिस पर से रोजाना पांच हजार आदमी एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाता है। यह पुल दो राज्य झारखंड और पश्चिम बंगाल को जोड़ता है। यहां के रहने वाले लोग अत्यंत गरीब हैं। यह आदिवासी और अत्यंत ही पिछड़ा क्षेत्र है। इन दोनों घाटों से दूर दूर तक कोई पुल नहीं है और यह पुल बरसात में टूट जाता है क्योंकि यह लकड़ी का बना पुल होता है और बरसात भर आवागमन बंद हो जाता है। जनहित में, इस क्षेत्र के सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु इस पुल का बनना अत्यंत आवश्यक है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि केन्द्र सरकार इस पुल को अपने खर्च से बनवाने का कष्ट करे क्योंकि यह दो राज्यों को जोड़ता है और आदिवासी और अत्यंत पिछड़े क्षेत्र में है।

(तीन) देश में खाद्य प्रौद्योगिकी में डिग्रीधारकों को रोजगार के समुचित अवसर उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर) : अध्यक्ष महोदय, किसी भी देश की विकासशीलता का एक प्रमुख पैमाना है कि उस देश की जनता को पोषक आहार पर्याप्त मात्रा में मिल पाता है या नहीं। आज हमारे ग्रामीण क्षेत्र की जनता कुपोषण का शिकार तो है ही, शहरी क्षेत्र में भी विकृत कृषि पद्धति के फलस्वरूप पोषक आहार का पर्याप्त अभाव है।

मैं इसी संदर्भ में आगे कहना चाहूंगा कि देश में ''खाद्य-प्रौद्योगिकी'' जो कि उन पाठ्यक्रमों में से एक हैं, जिन्हें सामान्य जन के हित के व्यावहारिक पाठ्यक्रम माना जाता हैं। ऐसे पाठ्यक्रमों की डिग्री प्राप्त किये छात्र-छात्रायें देश के लिए उपयोगी एवं महत्वपूर्ण मानव संसाधन हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में उनका योगदान लिया जा सकता है। सार्वजनिक उपक्रम जैसे रेल, फूड, पार्क, राहत शिविर आदि में भी उनका योगदान लिया जाना चाहिये। स्थानीय वन एवं कृषि खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण द्वारा पोषक आहार निर्माण की जिम्मेदारी उन्हें दी जावे ताकि जन सामान्य के साथ-साथ इन छात्र-छात्राओं का भी हित हो।

(चार) गुजरात के भरूच में अतिरिक्त रेलवे कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता

श्री मनसुखभाई डी. वसावा (भरूच) : अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र भरूच में जो जी.आई.डी.सी. एरिया है, वह पूरे एशिया में सबसे बड़ा है, जहां कई औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं। यहां पर कई प्रांतों के लोग रहते हैं, जिनको अपने प्रांतों में आने जाने के लिए रेलवे टिकट के लिए लाइनों में चार-चार घंटों तक लगना पड़ता है क्योंकि भरूच कम्प्यूटरीकृत रेलवे आरक्षण में दो ही खिड़कियां हैं, इसलिए भरूच शहर में होई उपयुक्त स्थान का चयन करके अतिरिक्त आरक्षण काउंटर बनाने की अत्यंत आवश्यकता है क्योंकि इससे लोगों को अपना समय आने-जाने में बरबाद नहीं करना होगा।

सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि भरूच शहर में रेलवे कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र स्थापित करने की कृपा करें।

(पांच) पोत परिवहन उद्योग को वित्तीय संकट से बचाने के लिए पुराने जलयानों पर लगाए गए सीमा शुल्क को वापस लिए जाने की आवश्यकता

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका) : अध्यक्ष महोदय, गुजरात सरकार के बंदरगाह एवं मत्स्य उद्योग विभाग ने जनवरी, 2003 को एक पत्र लिखकर भारत सरकार के राजस्व विभाग को शिप ब्रेकिंग के जलयानों पर बढ़ायी गयी कस्टम ड्यूटी को घटाने का अनुरोध किया है। जैसाकि विदित है निर्माण कार्य में उपयोगी स्टील उत्पादक री-रोलिंग मिलों को कच्चा माल सप्लाई करने में शिप ब्रेकिंग उद्योग का महत्वपूर्ण योगदान है। अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा, ब्रिकिंग के लिए जलयानों की ऊंची दरों में खरीददारी तथा लोहे के भंडार का कम भाव मिलना इत्यादि कारणों से यह उद्योग वर्तमान में बहुत ही वित्तीय संकट का सामना कर रहा है।

ऐसी परिस्थिति में केन्द्र सरकार के राजस्व विभाग ने पुराने जलयानों पर कस्टम ड्यूटी 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दी है, जिससे शिप उद्योग पर निश्चित ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। सदन के माध्यम से मेरा माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि वे राजस्व विभाग को निर्देश दें कि पुराने जलयानों पर बढ़ायी गयी कस्टम ड्यूटी को हटाने के संदर्भ में सहानुभूतिपूर्वक विचार करें ताकि प्रदेश के शिप ब्रेकिंग उद्योग को पनपने में सहयोग मिल सके।

[अनुवाद]

(छह) वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की दुर्गापुर में खुले मुहाने वाली खानों में निधियों के दुर्विनियोजन की सी.बी.आई. से जांच कराए जाने की आवश्यकता

श्री नरेश पुगलिया (चन्द्रपुर) : वेर्स्टन कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल) के अधिकारियों की लापरवाही के कारण वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के दुर्गापुर स्थित खुले मुहाने वाली खानों में 20 करोड़ से भी अधिक रुपयों का दुर्विनियोजन हुआ है। दुर्गापुर खुला मुहाना खान परियोजना को केन्द्र सरकार द्वारा मंजूरी दी गयी थी और उसने डब्ल्यूसीएल को यह निदेश दिया था कि वह आवंटित वन भूमि की 125.5 हेक्टेयर भूमि 'सुरक्षा क्षेत्र' के रूप में छोड़े। लेकिन बाद में 125.5 हेक्टेयर के सुरक्षा क्षेत्र को घटाकर इसे 7.5 हेक्टेयर कर दिया गया और डब्ल्यूसीएल अधिकारियों ने वन संरक्षक को एक संशोधित प्रस्ताव सौंपकर, आवश्यक आधिकारिक अनुमति की प्रतीक्षा किये बिना प्रतिबंधित क्षेत्र में उत्खनन कार्य करते रहे। इस क्षेत्र में कोयला भंडारों के समाकलन हेतु पूर्व में किये गये सर्वेक्षण से पता चला है कि कोयला परत भार अनुपात अत्यधिक है तथा कोयले का उत्खनन किसी भी तरह से लाभकारी नहीं होगा। इन अधिकारियों ने न केवल अपनी सीमाओं का उल्लंघन किया है अपितु वे उन वित्तीय अनियमितताओं के लिए भी उत्तरदायी हैं जिनके कारण बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ है। इसलिए मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह दुर्गापुर खुला मुहाना खान से संबंधित मुद्दे की जांच के लिए सीबीआई द्वारा उच्च स्तरीय जांच का आदेश दे ताकि डब्ल्यूसीएल के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जा सके।

(सात) कर्नाटक में मैसूर रेशम बुनाई फैक्टरी का पुनरुद्धार करने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार (मैसूर) : मैं भारत सरकार का ध्यान, मैसूर के तत्कालीन महाराजा स्वर्गीय श्री जय चामराजेन्द्र वाडियार द्वारा 1932 में स्थापित मैसूर सिल्क वीविंग फैक्ट्री के कर्मचारियों की दयनीय स्थिति की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। यह फैक्ट्री अपनी स्थापना के समय से ही बहुत ही अच्छी गुणवत्ता के रेशम के धागे बनाती आयी है, जो पूरे भारत में मशहूर हैं और जिनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफी मांग है। इसके अतिरिक्त इस फैक्ट्री में हजारों स्थानीय लोगों को रोजगार मिला हुआ है। यह शुरू से ही लाभ अर्जित करने वाली फैक्ट्री रही है। लेकिन केएसआईसी द्वारा फैक्ट्री को अपने हाथ में लेने के कुछ वर्षों बाद ही स्थिति बदल गयी। इसमे साल-दर-साल घाटा होना आरंभ हो गया। परिणामस्वरूप, 1997 में इस मामले का बीआईएफआर के पास भेजा गया। लंबे विचार-विमर्श के बाद वर्तमान में बीआईएफआर ने केएसआईसी के इस आशय का नोटिस भेजा है कि इस फैक्ट्री को क्यों नहीं बंद कर दिया जाये।

यदि इस फैक्ट्री को बंद कर दिया जाता है तो इससे लगभग 2500 परिवार और उनपर आश्रित रहने वाले लगभग 20 हजार लोग प्रभावित होंगे। इससे संपूर्ण पुराने मैसूर क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

इसलिए भारत सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह आगे और विलंब किये बिना इस फैक्ट्री का पुनरुद्धार करने के लिए तुरंत कदम उठाये।

[हिन्दी]

(आठ) मंगनवां (मध्य प्रदेश) और इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश) के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 के उचित अनुरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री सुन्दर लाल तिवारी (रीवा) : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 27, जो मध्य प्रदेश के रीवा जिले के मंगनवां से इलाहाबाद जाता है, की ओर दिलाना चाहता हूं। यह हाइवे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है तथा इस पर आवागमन बराबर अवरुद्ध रहता है। सड़क की खराब हालत के कारण यहां दुर्घटनाओं में बराबर वृद्धि हो रही है तथा पैदल चलना भी दूभर हो गया है। यह व्यस्ततम राजमार्ग है। प्रदेश सरकार ने इस सड़क को बनाने के लिए अनेक प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजे हैं, किंतु धनराशि उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण इसका निर्माण रुका हुआ है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि सार्वजनिक हित में, इस राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर कराये जाने हेतु, आवश्यक धनराशि प्रदेश सरकार को उपलब्ध कराये।

[अनुवाद]

(नौ) त्रिपुरा से रियांग शरणार्थियों को वापस मिजोरम भेजे जाने की आवश्यकता

श्री खगेन दास (त्रिपुरा पश्चिम) : अक्तूबर, 1997 से जनवरी, 1999 के बीच मिजोरम से त्रिपुरा में लगभग 33,000 रिआंग शरणार्थी आ चुके हैं। त्रिपुरा सरकार ने मानवीय आधार पर उन्हें उत्तरी त्रिपुरा जिला में बनाये गये राहत शिविरों में रखा है। त्रिपुरा सरकार ने उनकी तुरंत वापसी के लिए मिजोरम सरकार और केन्द्र सरकार से बात की है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने भी केन्द्रीय गृहमंत्री से मुलाकात कर इस मामले के समाधान के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की है। इसके बाद इस मुद्दे पर कई बैठकें हुई हैं और कई निर्णय भी लिए गये हैं लेकिन अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है। शरणार्थियों ने त्रिपुरा में कई तरह की समस्याएं पैदा कर दी हैं जैसे वनों की कटाई, भूमि पर जबरन कब्जा, रोजगार के लिए स्थानीय लोगों से प्रतिस्पर्धा, अपराधों में वृद्धि इत्यादि। त्रिपुरा में इन शरणार्थियों की उपस्थिति से प्रशासनिक बोझ भी बढ़ा है और विकास के प्रयासों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। इसलिए, मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि वह रिआंग शरणार्थियों का प्रत्यावर्तन सुनिश्चित करने के लिए तुरंत आवश्यक कदम उठाये।

(दस) आंध्र प्रदेश में चमड़ा उद्योग पार्कों का विकास करने के लिए राज्य सरकार की परियोजना को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्री के.ई. कृष्णमूर्ति (कुरनूल) : चमड़ा उद्योग रोजगार सृजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसी के मद्देनजर आंध्र प्रदेश सरकार ने ऐसी योजनाएं तैयार की हैं ताकि विदेशों में स्थित टैनरीज से निवेश आकर्षित कर यहां अधिक से अधिक संख्या में चमड़ा औद्योगिक पार्क विकसित किये जायें। भारत के वाणिज्य विभाग ने भी इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है।

इस संबंध में, मेरा माननीय वाणिज्य मंत्री जी से अनुरोध है कि वह इस परियोजना की औपचारिक स्वीकृति के कार्य में गति लाए ताकि यह परियोजना शीघ्रातिशीघ्र शुरू की जा सके।

[हिन्दी]

(ग्यारह) आम की विभिन्न किस्मों के संवर्धन और उसके निर्यात को बढ़ाने के लिए 'आम बोर्ड' की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती रीना चौधरी (मोहनलालगंज) : अध्यक्ष महोदय, भारतीय आम की पूरी दुनिया में बहुत बड़ी मांग है तथा पूरे भारत में आम की अनेक किस्मों का उत्पादन हो रहा है। मेरे संसदीय क्षेत्र मोहनलालगंज के मलीहाबाद तहसील में दशहरी आम भारी मात्रा में विदेशों को भेजी जाती है। परन्तु पाकिस्तान से निर्यात किए जाने वाले सिंदूरी आम से इसे भारी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है। पूरे भारतवर्ष में आम की विभिन्न किस्मों के संवर्धन तथा निर्यात वृद्धि के लिए विशेष कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

अत: भारत सरकार से अनुरोध है कि शीघ्र ही राष्ट्रीय स्तर पर एक ''मैंगो बोर्ड'' की स्थापना करने का प्रयास करें ताकि आम के संवर्धन एवं निर्यात बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जा सके तथा कृषि उत्पादन एवं निर्यात संवर्धन प्राधिकरण (एपेडा) के माध्यम से आम के निर्यातकों के लिए विशेष योजना बनायी जा सके।

(बारह) महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के अमरावती जिले में एफ.एम. रेडियो स्टेशन की स्थापना का कार्य शीघ्र शुरू कराए जाने की आवश्यकता

श्री अनंत गुढे (अमरावती) : अध्यक्ष महोदय, विदर्भ में अमरावती दूसरा महत्वपूर्ण जिला है। गत् 40 सालों से अमरावती में रेडियो स्टेशन

[श्री अनंत गुढे]

की आवश्यकताओं की मांग होती रही है। सन् 1996 में प्रसारण मंत्रालय ने एफ.एम. रेडियो स्टेशन के लिए महाराष्ट्र सरकार से 2.5 हैक्टेयर जगह प्राप्त की है और उसकी 60 लाख रुपये की रकम भी अदा की है। तत्कालीन नभोवाणी मंत्री जी ने इस बारे में मुझे एक पत्र लिखकर दसवीं पंचवर्षीय योजना में अमरावती के नए एफ.एम. रेडियो स्टेशन के लिए निधि उपलब्ध कराके काम शुरू कराने का आश्वासन दिया है।

मैं मा. प्रसारण मंत्री जी को विनती करता हूं कि इस वर्ष इस रेडियो स्टेशन की नींव रखकर काम शुरू कर दें।

(तेरह) पर्यटन को बढ़ावा दिए जाने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के बुन्देलखंड क्षेत्र के महोबा जिले में चन्देल वंश के ऐतिहासिक तालाबों का विकास किए जाने की आवश्यकता

श्री अशोक कुमार सिंह चंदेल (हमीरपुर, उ.प्र.) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश राज्य के अति पिछड़े बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत जनपद महोबा में आज से ग्यारह सौ वर्ष पूर्व चन्देल वंश के राजाओं द्वारा निर्मित विभिन्न चन्देल कालीन तालाब जो कीरत सागर, .मदन सागर, कल्याण सागर, बीजा नगर सागार, दिसापुर सागर आदि नामों से जाना जाता है व चरखारी के सप्त तालाब जो सात तालाब हैं, जो चरखारी नगर उनके बीच बसे हुए हैं, जहां एक प्राचीन किला भी बना हुआ है, लुप्त होती जा रही हैं। लगातार इन तालाबों की देखरेख में उदासीनता के कारण उनकी उपयोगिता लगभग खत्म हो गयी है। जबकि इस क्षेत्र की बहुत बड़ी आबादी और पशुधन इन तालाबों के पानी पर आश्रित है। ये सभी तालाब पहाड़ी क्षेत्र की तराई में होने के कारण सालों साल लगातार वर्षा पानी से बहकर आये मिट्टी व अन्य खाद्य पदार्थो से पूर्णत: भर गए हैं।

अत: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से खासकर पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री का ध्यान इन पौराणिक एवं ऐतिहासिक धरोहर को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए आकृष्ट करना चाहता हूं ताकि स्थानीय आबादी को पीने का पानी एवं रोजगार के साधन उपलब्ध हो सके।

[अनुवाद]

(चौदह) महाराष्ट्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र में मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए केन्द्र के आरक्षण कोटा के निरस्त किए जाने के महाराष्ट्र सरकार के निर्णय को चुनौती देने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय में दायर की गई याचिका को वापस लिए जाने की आवश्यकता

श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक (कोल्हापुर) : महोदय, महाराष्ट्र के स्नातक चिकित्सा छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए अधिक अवसर प्राप्त नहीं हो रहे हैं। गत तीन वर्षों से महाराष्ट्र को अखिल भारतीय कोटा आधार पर केवल छह सीटें प्रति वर्ष आवंटित की जा रही हैं। यह स्थानीय छात्रों के साथ बहुत अन्याय है और इससे उनमें बहुत अधिक असंतोष फैल रहा है।

इस स्थिति में सुधार लाने के लिए, महाराष्ट्र विधान सभा और महाराष्ट्र विधान परिषद ने सर्वसम्मति से एक कानून पारित कर केन्द्र सरकार का आरक्षण कोटा हटा दिया है। इस कानून को राज्य के राज्यपाल द्वारा 12 अप्रैल, 2003 के एक अधिनियम द्वारा प्रख्यापित किया गया है। निर्धन छात्रों के हित को ध्यान में रखकर महाराष्ट्र में उठाए गए इस प्रगतिशील कदम को केन्द्र सरकार ने अब उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है। केन्द्र सरकार के इस कदम से महाराष्ट्र की प्रगति बाधित हो रही है।

इसलिए, मेरा केन्द्र सरकार से विनम्र निवेदन है कि वह इसका कोई न कोई समाधान निकाले और उच्चतम न्यायालय में दायर याचिका को वापस ले ले।

[हिन्दी]

(पंद्रह) बिहार में कोईलवर-नजीमाबाद दरिहत-डिहरी ऑन-सोन सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री राम प्रसाद सिंह (आरा) : अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य के भोजपुर जिला से रोहतास जिला को जाने वाली मुख्य सड़क कोईलवर, अखिगांव, नजीमाबाद, सहारदनबार, नसीरीगंज, अभिआवर, दरिहत होते हुए डिहरी ओन सोन होते हुए रोहतास जिला को जाने वाली मुख्य एक मार्गीय सड़क है। यह सड़क सोननद के किनारे होते हुए रोहतास जिला तक पहुंचती है। यह सड़क राष्ट्रीय उच्च पथ 30 कोईलवर से शुरू होकर राष्ट्रीय उच्च पथ 2 (शेरशाहसूरी पथ) को पार करती हुयी रोहतास जिले तक जाती है। यह सड़क उग्रवाद प्रभावित इलाके से होकर गुजरती है। इसकी लम्बाई लगभग 120 (एक सौ बीस) किलोमीटर है। अपराध करने के बाद असामाजिक तत्व आसानी से सोननद को पार कर दूसरे इलाके में चले जाते हैं। आवागमन की

अच्छी सुविधा नहीं होने के कारण पुलिस दस्ता भी समय से नहीं पहुंचता है। आम जनता, किसान, मजदूर और सम्पन्न लोगों को रहना अब असहय हो गया है। लोग पलायन कर रहे हैं। जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। उद्योग धंधे, खेती प्रभावित हो रही है। लोगों को जीवन-यापन करना कठिन हो रहा है।

अत: श्रीमान के माध्यम से भारत सरकार के भूतल परिवहन के मा. मंत्री जी से मांग करता हूं कि जनहित में इस लम्बी सड़क को राष्ट्रीय उच्च पथ में अधिगृहीत करने की कृपा की जाये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब सभा कल 30 जुलाई, 2003 को पूर्वाहन ग्यारह बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.09 बजे

तत्पश्चात लोक सभा बुधवार, 30 जुलाई, 2003/ 8 श्रावण, 1925 (शक) के पूर्वाहन ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी०एल०एस०-48/35/7/2003 (एन०)
280

© 2003 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (दसवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रक
और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।